मेरी योजना

उत्तराखण्ड शासन

योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार / रोजगारपरक
- कौशल विकास / प्रशिक्षण
- निवेशपरक

मूलभूत सेवाये

प्रमाण पत्र

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

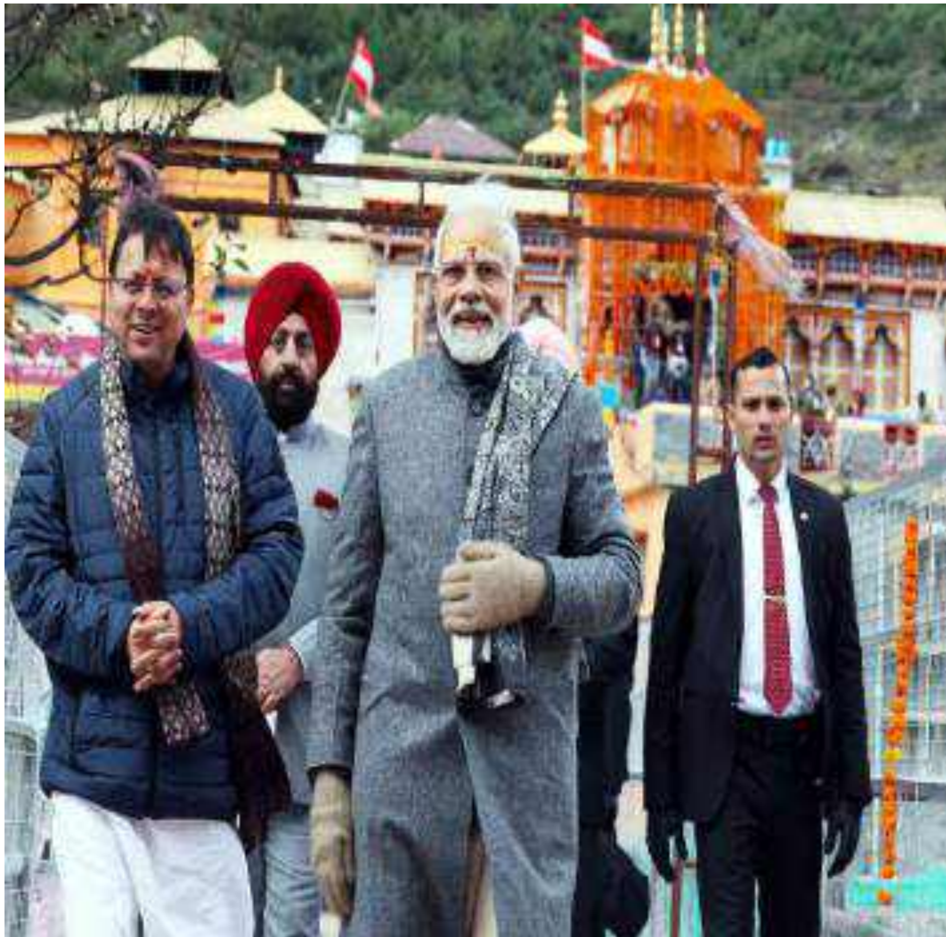

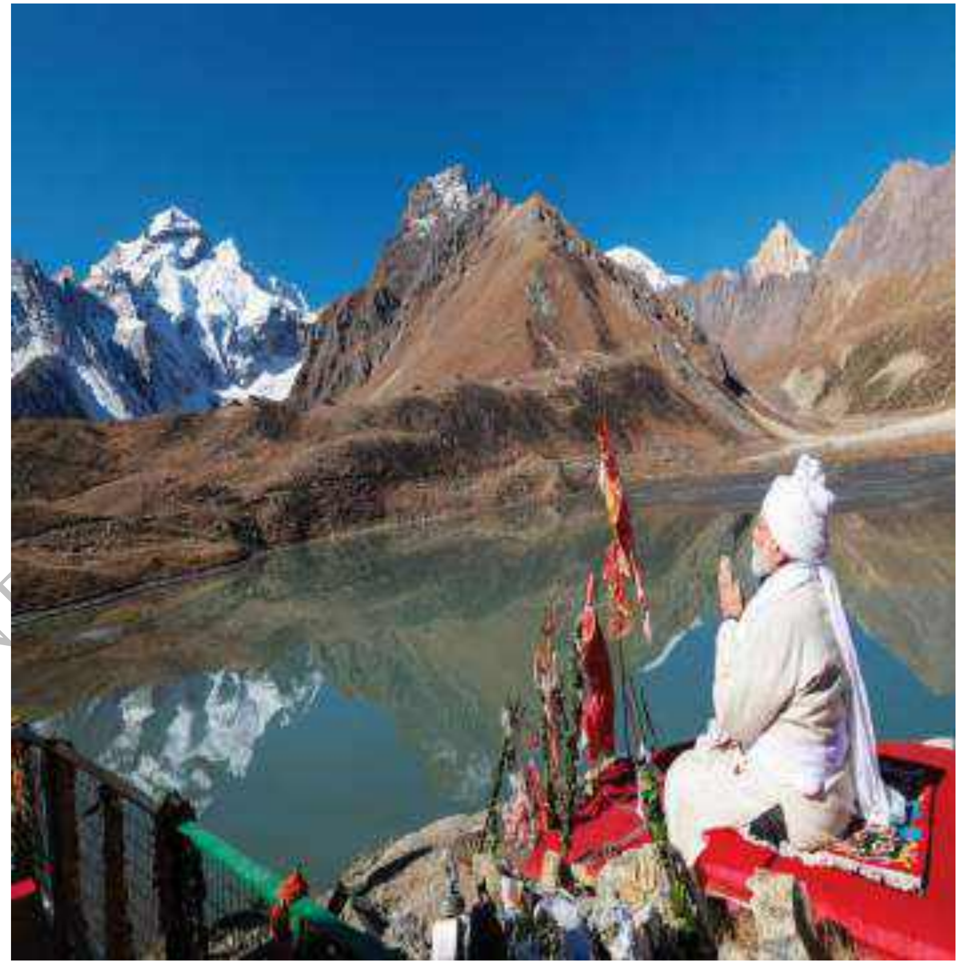

मा0 प्रधानमंत्री जी का गढवाल मण्डल में श्री बदरीनाथ

और

कुमांऊ मण्डल में आदि कैलाश का भ्रमण।

"मेरी योजना"

"इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उददेश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अवगत कराना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और हमारा उत्तराखण्ड "सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड" बन सके।" प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी वहीं नीतिनिर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति हेतु कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।"

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 09 जून, 2023

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
ई0मेल–sopi-1@uk.gov.in

संरक्षण एवं निर्देशन

श्री पुष्कर सिंह धामी– मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रतूड़ी–अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादन

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं नियम/अधिनियम/शासनादेशों का संकलन तथा सूची तैयार करना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अधिकारी/कार्मिक श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी–विशेषकार्याधिकारी, श्री संतोष चन्द मिश्रा–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल–सहायक समीक्षा अधिकारी।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री दीपक कुमार–सचिव, श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल–अनु सचिव, श्रीमती संध्या नेगी–अनुभाग अधिकारी, सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी।

सहयोग

समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक, सचिवालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, मीडिया सेंटर सचिवालय, ई.आफिस टीम, एनआईसी, मा0 मुख्यमंत्रीजी की मीडिया टीम।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग एवं पेज डिजाइन

सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम–कम्प्यूटर सहायक, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मुद्रण

(संबंधित पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून– 248001
सचिवालय फोन: 0135–2716262
0135–2650433
फैक्स: 0135–2712827
विधान सभा फोन: 0135–2665100
0135–2665497
फैक्स: 0135–2666166
Email: cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, निवेशपरक, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षण योजनाओं को आम जन–मानस तक सुलभता से पहुँचाये जाने के उद्देश्य से नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जन–मानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने का अनूठा एवं अभिनव प्रयास किया गया है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग/आम जन–मानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचने में अत्यन्त सुलभता होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी, विकासपरक योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी आशा है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ आम जन–मानस को पहुंचाये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली पुस्तक एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना एक सकारात्मक पहल के साथ ही मील का पत्थर साबित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी एवं निवेशपरक योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध होने एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने पर निःसंदेह यह भविष्य के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड का यह प्रथम प्रयास है, इसके लिए इस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मेरी ओर से पुस्तक के सफल प्रकाशन एवं इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जन–मानस तक डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)

डा० सुखबीर सिंह सन्धु
Dr. Sukhbir Singh Sandhu

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Government of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
राज्य सचिवालय, देहरादून
Civil Secretariat, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100, 2712200
(Fax) 0135-2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी, रोजगारपरक योजनाओं का समावेश करते हुए आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक को आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के लिए डिजिटल माध्यम से भी पृथक से उपलब्ध किया जा रहा है।

ऐसा विश्वास है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतिम गांव के व्यक्ति तक पहुंचाये जाने में सहायक सिद्ध होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव।

राधा रतूड़ी, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह एवं कारागार विभाग
4 सुभाष मार्ग, देहरादून-248001
दूरभाष : 0135-2712055,
फैक्स : 0135-2712614

दिनांक- 22.11.2023

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य के विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी संकलित कर जनोपयोगी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग प्रकाशित होने वाली पुस्तक को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करा रहा है जिससे राज्य में निवासरत युवा ही नहीं बल्कि अप्रवासी युवा भी लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि पुस्तक के प्रकाशन से राज्य के सभी वर्ग के जनमानस जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो पाएगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

दीपक कुमार,
सचिव

उत्तराखण्ड राज्य

उत्तराखण्ड शासन।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून–248001
दूरभाष : 0135–2664127

प्रस्तावना एवं आभार

प्रदेश के यशस्वी मा० मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, जी द्वारा उत्तराखण्ड शासन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में सचिव पद का दायित्व दिये जाने से मुझे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में कार्य करने का पुनः (पूर्व में भी वर्ष 2014–2017 के मध्य में प्रदेश सरकार में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विoप्रौo, जैव प्रौद्योगिकी, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का दायित्व देख चुका हूं।) अवसर प्राप्त हुआ, मेरे लिए एक ओर यह सौभाग्य की बात थी लेकिन दूसरी ओर मेरे सम्मुख मा० मुख्यमंत्री जी, मा० मंत्रीगणों, मा० विधायकगणों के अतिरिक्त प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, श्रीमती राधा रतूड़ी जी के साथ–साथ विभिन्न विभागीय सचिवगणों के सहयोग से कार्य करते हुए राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी थी। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का गठन वर्ष 2009 में होने के फलस्वरूप तत्समय, समय की आवश्यकतानुरूप तीन शासनादेश निर्गत होने के साथ हुई थी, तब से अब तक विभागान्तर्गत गतिविधियों को मूर्त रूप देना भी मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरे द्वारा विभागीय गतिविधियों को आमजनमानस तक पहुंचाये जाने और मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में मेरे द्वारा सर्वप्रथम अपने अधीनस्थ सुयोग्य अधिकारियों/कार्मिकों की टीम का गठन किया गया जिसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के मुखिया के रूप में अपर मुख्य सचिव महोदया, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मुझे भरपूर सहयोग और सानिध्य प्राप्त हुआ।

अपने अधिकारियों/कार्मिकों के साथ विभागीय गतिविधियों को प्रकाशित किये जाने के लिए राज्य सरकार की नीतियों को आमजनमानस तक किस तरह से पहुंचाया जाये इस बात पर मंथन/विचार विमर्श किया गया और परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आमजनमानस को प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं, जिनका ज्ञान अभी जनता को नहीं है अथवा कम है, की जानकारी एक ही थीम के अन्तर्गत संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाये।

मुझे यह भी महसूस हुआ कि चूंकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भी कतिपय कारणों से आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव का दायित्व एवं विभिन्न बैठकों में मा० मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक नेतृत्व से मेरा परिचय हुआ और उनकी प्राथमिकताओं को निकटता से परखने और समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में 'सरकार जनता के द्वार' कार्यक्रम के संचालित होने के फलस्वरूप आशातीत परिणामों को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करें, परन्तु इसमें यह समस्या महसूस की गई कि किसी भी अधिकारी को विभिन्न विभागों की जानकारी कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी विभाग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए उसकी जानकारी अपने विभाग की योजनाओं तक सीमित रहती है और समस्त जानकारियों के अभाव में किस तरह से जनपद, विकास खण्ड स्तर पर वह सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर सकता है और मुझे महसूस हुआ की मा० जनप्रतिनिधियों के सम्मुख भी यह समस्या आती होगी। इसी के दृष्टिगत सरकार के विभिन्न विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पुस्तक के तौर पर प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में 09 जून, 2023 को मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के लिए रोजगारपरक सम्बन्धी योजनाओं को आमजनमानस तक पहुंचाया जाने के लिए कार्ययोजना पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया और इसी कड़ी में पुस्तक को प्रकाशित

चलने के रूप में मा० मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित किया जाये जिससे प्रदेश के आम जनमानस (जिसमें प्रदेश के युवावर्ग एवं वंचित वर्ग, विशेष रूप से लाभान्वित हो सके) को वर्तमान में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कहां और कैसे किया जाये?, योजनाओं की पात्रता क्या है? चयन प्रक्रिया क्या है? आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इत्यादि की जानकारी को सुलभता से समझाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं युवाओं एवं वंचित वर्ग के भविष्य के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

पुस्तक के प्रकाशन में योजनाओं से संबंधित शासनादेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों आदि दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इन दस्तावेजों के संकलन में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यथावश्यक कार्मिकों की तैनाती /मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा और उनके सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किये जाने में सफलता प्राप्त हो पाई।

समस्त विभागों से प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन कर उन्हें प्रस्तुत रूपरेखा के रूप में निर्धारित किया जाना सदैव चुनौतीपूर्ण होता है अर्थात इस पुस्तक की मूर्तिकार के रूप में सुश्री रंजना, समीक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। समस्त विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास और कड़ी लगन के बिना पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था और इसी कड़ी में स्व0 श्री वीरेन्द्रपाल सिंह पूर्व अपर सचिव, श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल, अनु सचिव, श्री संतोष चन्द्र मिश्रा (पूर्व अनुभाग अधिकारी), श्रीमती संध्या नेगी (वर्तमान अनुभाग अधिकारी), श्री नारायण सिंह राणा, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री उत्तम सेमवाल, सहायक समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम, कम्प्यूटर सहायक, के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के रूप में सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में श्री ललित मोहन आर्य, श्री राजेन्द्र चौहान, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ0 शैलेष कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल, श्रीमती वंदना पाटनी और श्रीमती सरिता तोमर के द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा के साथ ही इनके द्वारा प्रदत्त अथक प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के शासन स्तर पर विभिन्न पदों पर सुशोभित उच्चाधिकारियों, विभिन्न विभागाध्यक्षों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों/शासनादेशों/आदेशों/नियमों /अधिनियमों/नीतियों/योजनाओं का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के मुखिया के रूप में डॉ0 सुखबीर सिंह संधु, मुख्य सचिव महोदय का **"मेरी योजना"** पुस्तक को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(दीपक कुमार)
सचिव।

अनुक्रमणिका

क्र.	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग,केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं का नाम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों के नाम।	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	1. वृद्धावस्था पेंशन 2.निराश्रित विधवा पेंशन 3.दिव्यांग पेंशन 4.तीलू रौतेली पेंशन योजना 5.बोना पेंशन योजना 6.किसान पेंशन 7.परित्यक्ता पेंशन, 8.अनु0जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 9. निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 10.दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना 11.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित) 12.अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति 13. अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना 14. अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 15. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 16. पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 17. आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 18. राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह का संचालन	15–21
2.	सैनिक कल्याण विभाग	1.पैन्यूरी ग्रान्ट 2.मेडिकल ग्रान्ट 3.विवाह हेतु अनुदान 4.शिक्षा अनुदान 5.वोकशनल ट्रैनिंग अनुदान 6.100 प्रतिशत अशक्त बच्चों हेतु अनुदान 7. निराश्रित अनुदान 8.विशेष चिकित्सा सहायता 9.भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति 10. मोबिलिटि इक्विपमेन्ट सहायता 11. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 12.एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में प्रवेश 13. वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी 14.विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि 15. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान 16. आवासीय सहायता अनुदान 17. स्टाम्प ड्यूटी में छूट 18.इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति 19. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20. निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।	22–30
3.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	(1) समेकित बाल विकास सेवायें (आई0सी0डी0एस0), (2) किशोरी बालिका योजना, 3. मिशन शक्ति योजनान्तर्गत वन स्टॅाप सेंटर, (4) मिशन शक्ति योजना–सामर्थ्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, (5) सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), (6) नंदा गौरा योजना, (7) मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, (8) मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, (9) मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, (10) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, (11) तीलू रौतेली पुरस्कार, (12) सैनेटरी नैपकिन योजना, (13) आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष, (14) राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181	31–36
4.	महिला कल्याण विभाग	(1) स्पॉसरशिप योजना(90 प्रतिशत के0पो0), (2) अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण, का लाभ प्राप्त करने के लिए अनाथ प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (3) राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया। (4) शासकीय बाल देखरेख संस्थान (5) दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया।	37–40
5.	अल्पसंख्यक विभाग	(1) स्वरोजगार योजना ''अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु'', (2) मुख्यमंत्री हुनर योजना, (3) मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना, (4) अल्पसंख्यक पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.पो), (5) अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.पो), (6) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत प्रति रा0पो0), (7) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (8) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना (9) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।	41–47
6.	श्रम विभाग	(1) ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, (2) (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), (3) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)	48–50
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण	(1) श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण, (2) पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता (3) टूल–किट सहायता (4) साईकिल/सिलाई मशीन सहायता (5) सौर उर्जा सहायता (6) छाता सहायता (7) सैनेट्री नैपकीन (8) शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02	51–56

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	किश्तों में), (9) भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु, (10) प्रसूति आर्थिक सहायता, (11) पुत्री विवाह आर्थिक सहायता, (12) निः शक्ता पेंशन, (13) वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर), (14) वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर), (15) कुटुम्ब पेंशन, (16) मृत्योपरान्त अर्थिक सहायता।	
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड), (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–सफेद राशन कार्ड), (3) राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड) (4) मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, (5) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ।	57–61
9.	गृह (पुलिस) विभाग	(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक/पारिवारिक पेंशन, (2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य ''सम्मान पेंशन'' की योजना, (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, (4) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन, (5) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन योजना, (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन दिये जाने की योजना, (7) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (ठमकतपककमद) हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना, (8) आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना, (9) आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना।	62–65
10.	न्याय विभाग (उत्तराखड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1. विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना 2. बहुउददेशीय शिविरों/जनजागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविरों/विधिक सेवा शिविरों का आयोजन 3. विशेष अभियान – "हमदर्द" 4. "उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020" 5. "विधिक सेवा रथ" का संचालन/कार्यान्वयन।	66–70
11.	बेसिक शिक्षा विभाग	1.निःशुल्क पाठ्य –पुस्तक योजना 2. निःशुल्क जूता एवं बैग योजना 3. प्रधानमंत्री पोषण शक्तिनिर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना 4. राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया ।	71–72
12.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	(1) आवासीय–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी अभिनव विद्यालय,(2) पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार,(3) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन(साईकिल योजना),(4) डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति, (5) श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति,(6) आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति), (7) प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति, (8) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर), (9) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर), (10) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)	73–78
	समग्र शिक्षा परियोजना	1-ECCE (प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा) 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास) 3.नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 5. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0 पोषण) 6. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	79–82
13.	उच्च शिक्षा विभाग	(1) राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना, (2)एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना, (3) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, (4)ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना (5) प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना, (6) उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, (7) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, (8) समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	83–88

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

14.	संस्कृत शिक्षा विभाग	**उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम** – (1) संस्कृत छात्र प्रतियोगिता, (2) अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन (3) संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (4) अनुसूचित जाति एवं अनु जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (5) संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना, **उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम** – (1) .पी.जी. डिप्लोमा (P.G. Diploma), (2) सर्टिफिकेट (Certificate) (3) मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति (4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति **संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम**– (1) संस्कृत पाठय पुस्तकों का मुद्रण एवं निशुल्क वितरण, (2) संस्कृत विद्यालयों के मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	89–93
15.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	(1) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, (2) उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/ साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना, (3) लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, (4) धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासीयों को आर्थिक सहायता, (5) अ०जा०/जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश–भूषा का क्रय करने हेतु, (6) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय।	94–97
16.	प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा, विभाग	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की निम्न छात्रवृत्ति योजना संचालित हो रही है :– 1. प्रगति, 2. सक्षम, 3. स्वनाथ	98–99
17.	कौशल विकास एंव सेवायोजन विभाग	1.राज्य पोषित योजना (ELSTP) 2. दस्तकार प्रशिक्षण 3. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना	100– 101
18.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	(1) प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) स्वयंसेवकों की तैनाती, (2) खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, (3) युवा दलों को आर्थिक सहायता (4) युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना, (5) महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल का गठन (6) ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना (7) युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण।	102– 106
19.	खेल विभाग	1. खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 2.खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार धनराशि 3. राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 4. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 5. खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 6.राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/ खिलाड़ियों को नौकरी 7.विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति 8.भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/पेंशन ।	107–113
20.	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)	(1) रिमोट सेंसिंग व जी0आई0सी0 एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य	114–116
	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	(1) E-Content का विकास एवं प्रसारण, (2) STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन, (3) विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन। (4) Experiential Learning के अंतर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट।	117– 119
	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1. आंचलिक विज्ञान केंद्र 2. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 4. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम 5. उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी 6. आर्टिफिशिल इंटैलीजेन्स 7. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली 8. शोध अनुसंधान एवं विकास 9. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण 10.यात्रा अनुदान	120–122
21.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	**कौशल विकास कार्यक्रमः–** पादप उत्तक संर्वधन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।	123–125
22.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	**महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनायें** :–1. ईजा–बोई शगुन योजना, 2. कैंसर डे केयर सेंटर, 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, 4. चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु) 5. दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र	126–135

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	विभाग	(यू0आई0डी0 कार्ड) बनाने की प्रक्रिया। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड :–** 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 4. प्रतिरक्षण कार्यक्रम 5. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6. किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक, 7. सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण, 8. सैनिटरी नेपकिन वितरण, 9. निःशुल्क जांच योजना, 10. 108 आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा, 11. खुशियों की सवारी सेवा, 12. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 13. निःशुल्क रक्त 14. हीमोग्लोबिनोपैथी 15.एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन 16.राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम 17.राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) 18.राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) 19.राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम (NPPC) 20.राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) **राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण** 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) 2. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना। **राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान–**मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	
	चिकित्सा शिक्षा विभाग	(1) मेडिकल (स्नातक पाठ्यक्रम–एम0बी0बी0एस, परास्नातक पाठ्यक्रम–एम0डी0 / एम0एस), (2) डेंटल पाठ्यक्रम (स्नातक पाठ्यक्रम, परास्नातक पाठ्यक्रम), (3) नर्सिंग पाठ्यक्रम (डिप्लोमा / स्नातक पाठ्यक्रम–ए0एन0एम0, बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, परास्नातक पाठ्यक्रम एम0एसी0–सी0 एन0पी0सी0सी0), (4) पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (डिप्लोमा / स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम)	136–143
23.	होम्योपैथी	(1) 13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन0एच0एम0 विंग, 05 आर0सी0एच0 तथा 04 त्वचा रोग केन्द्र (2) 27 होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना, (3) होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना।	144–145
24.	आयुष एवं आयुष **शिक्षा विभाग**	(1) आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र (आयुष्मान भारत योजना), (2) आयुर्विद्या–आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली, (3) सुप्रजा–आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ, (4) योग वैलनेस केन्द्र।	146–147
25.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	(1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम (3) स्टार्टअप नीति–2023, (4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023, (5) मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी–2021, (6) उत्तराखण्ड राज्य षिल्प रत्न पुरस्कार, (7) उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना, (8) हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना, (9) शिल्पियों हेतु पेंशन योजना, (10) थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)।	148– 161
26.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (3) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना।	162– 163
27.	पर्यटन विभाग	1.दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम– स्टे) विकास योजना 2. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना 3.अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण 4.वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 5. उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।	164–172
28.	ऊर्जा विभाग (उरेड़ा)	1. राष्ट्रीय बायो इनर्जी कार्यक्रम 2. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 3. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना 4. Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	173–175
	यू0पी0सी0एल0	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन / कनेक्शन की प्रक्रिया, एल०टी० संयोजन, एच०टी० संयोजन	176–177
29.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1.शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र 2. फिल्मों को अनुदान	178–180
30.	ग्राम्य विकास विभाग	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2- दीनदयाल अन्तोदय– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 3- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4- प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) 5-रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स(RBI), 6- बी0पी0एल0 सूची में नाम जोडने एवं संशोधन करने एवं हटाने की	181–185

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		प्रक्रिया 7. सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	
31.	सहकारिता विभाग	(1) दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (2) मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (3) मोटर साईकिल टैक्सी योजना (4) ई–रिक्शा कल्याण योजना	186–189
32.	कृषि विभाग	1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan) 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 4. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) 6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) 7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.) 8. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD) 9.परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.) 10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 11. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) 12. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर/बडे किसानों हेतु (SMAM) 13. इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग –उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	190–208
33.	उद्यान विभाग	(1) उद्यान कार्ड बनाने की प्रक्रिया (2) फल विस्तार क्षेत्र (3) सब्जी क्षेत्रफल विस्तार (4) मसाला क्षेत्रफल विस्तार (5) पुष्प क्षेत्रफल विस्तार (6) मशरूम उत्पादन (7) ट्यूबवैल स्थापना/पौण्ड निर्माण (8) ग्रीन हाऊस निर्माण, (9) मौनपालन, (10) तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, (11) खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन (12) टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंकलर, (13) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (14) उद्यानों की घेरबाड़ की योजना, (15) मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना, (16) वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना (17) सेब की अति सघन बागवानी योजना, (18) मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। **जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, चमोली, उत्तराखण्ड–** (1) बीज/पौध निशुल्क वितरण योजना (2) कृषकों का पंजीकरण (3) जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण (4) वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना। **उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा –** (1) पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम (2) टी टूरिज्म (3) चाय फैक्ट्रियों की स्थापना। **भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड** –भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)।	209–226
34.	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून	(1) सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम, (2) सगन्ध कृषक पंजीकरण, (3) सगन्ध कृषिकरण (4) कृषिकरण अनुदान योजना (5) मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण (6) राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुडाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, (7) गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (8) सगन्ध तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (9) सिडकुल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन।	227–232
35.	पशुपालन विभाग	(1) बकरी पालन, (2) भेड़ पालन, (3) गौ पालन, (4) महिला बकरी पालन, (5) कुक्कुट वैली की स्थापना, (6) ब्रॉयलर फॉर्म की स्थापना, (7) पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान (8) गौसदनों की स्थापना	233–236
36.	डेरी विकास विभाग	(1) राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना (2) दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (4) साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना	237–239
37.	रेशम विभाग	1.रेशम वृक्षारोपण 2.कीटपालन उपकरण 3.कीटपालन कक्ष	240–242
38.	मत्स्य विभाग	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण (2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना (3) मत्स्य पालन विवधीकरण(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना) (4) राज्य महिला मात्स्यिकी इनपुट योजना (5) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (6) दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)।	243–248
39.	वन विभाग	1. महिला नर्सरी 2. हमारा स्कूल हमारा वृक्ष 3. हमारा पेड हमारा धन 4.मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि।	249–255
40.	आवास विभाग	1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक	256–257
41.	शहरी विकास विभाग	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) 2. पी0एम0स्वनिधि 3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	258–259
42.	स्वजल परियोजना	(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–शौचालय निर्माण), (2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–अपशिष्ट प्रबन्धन)	260–261
43.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	(1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था, (2) राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी.एल./निर्धन परिवारों को रू0 100 में जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध	262– 264

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

44.	पंचायती राज विभाग	1.जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 2. मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र 3. परिवार रजिस्टर 4. निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र 5. शौचालय प्रमाण–पत्र	265–268
45.	राजस्व विभाग	1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र, 2. उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, 3.पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र, 4.चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी/सामान्य हेतु., 5. हैसियत प्रमाण पत्र, 6.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, 7. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी का उत्तराधिकारी होने संबंधी परिचय पत्र, 8. आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।) 9. (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (2) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (3) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है। (4) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है।) 10.आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र 11.सामान्य जाति प्रमाण पत्र 12.विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में।) 13.दाखिल खारिज (क्रय–विक्रय) 14.खाता खतौनी में संशोधन 15.जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) करने की प्रक्रिया/खेत की पैमाईश, नापजोख हेतु। 16.खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया 17.नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू–मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना। 18.दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	269–278
46.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	1.वाहनों का पंजीयन कार्य 2. चालक/परिचालक लाइसेंस संबंधी कार्य 3.व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस संबंधी कार्य 4. व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधी कार्य 5. वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण 6.निजी क्षेत्र में आटोमेटेड़ फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता 7. निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता	279–287
47.	आधार केन्द्र	1.आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) आधिनयम, 2016	288–289
48.	निर्वाचन आयोग	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	290–291
49.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ 2- अपुणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ 3- आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन–2020	292–295
50.	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)	1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	296–298
51.	नागरिक उड्डयन विभाग	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)	299–300
52.	आपदा प्रबन्धन विभाग	1.आपदा के कारण मृत्यु, 2. हाथ–पैर, ऑख या ऑखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान, 3.जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो, 4. घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये, 5. कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता, 6. कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में), 7. 02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को निवेश अनुदान, 8. पशुपालनः– छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता 9. मछली पालन, 10. हाथकरधा–कारीगरों को सहायता, 11. भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन), 12.सामुदायिक रेडियो स्टेशनो की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।	301–305
53.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी।	306
54.	सेवा का अधिकार आयोग	सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध में जानकारी।	307
55.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	उत्तराखण्ड राज्य में समूह ''ख'' व ''ग'' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्त राखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	308–309

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

समाज कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**वृद्धावस्था पेंशन**	प्रतिमाह रू0 1,500/– पेंशन प्रदान की जाती है।	60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग (पति–पत्नी दोनों) जिनके परिवार की मासिक आय रू. 4000/– से कम अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी के हों। कोई अन्य पेंशन मिलने पर आवेदक को इस पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन **विभाग के पेंशन पोर्टल** ssp.uk.gov.in, **अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल** https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0 ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, उक्त सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र **ग्रामीण क्षेत्रों** में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है इसी प्रकार **शहरी क्षेत्रों** में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के 1 माह बाद पेंशन खाते में आ जाती है।
2.	**निराश्रित विधवा पेंशन**	रू0 1,500/– प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो। परिवार की मासिक आय रू0 4000/प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रही हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।
3.	**दिव्यांग पेंशन**	रू0 1,500/– प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।	आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र तथा मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से कम हो या बी0पी0एल0 श्रेणी का हो। अन्य पेंशन का लाभ न ले रहा हो।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना होगा।
4.		रू0 1200/–	18 वर्ष से ऊपर के महिला/पुरूष, जो कृषि कार्य करते हुए 20 प्रतिशत	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ कृषि कार्य करते हुए चोटिल होने का कृषि अधिकारी का

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	से 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हुए हों। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत तक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देना होगा।
5.	**बौना पेंशन**	रू0 1200 / प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	21 वर्ष से ऊपर ऐसे बौने व्यक्ति जिनकी ऊंचाई 4 फुट से कम हो। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु बौना होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण–पत्र की जरूरत नहीं है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी बौने व्यक्ति की ऊंचाई नापते हैं।
6.	**किसान पेंशन**	रू0 1,200 / – प्रतिमाह पेंशन	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो तथा स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रू0 10 / – के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती करने तथा 02 हे0 अथवा 02 हे0 से कम जमीन सम्बन्धी शपथ पत्र, भी संलग्न करना होगा। भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी / सहायक कृषि अधिकारी द्वारा फॉर्म / प्रपत्र पर लिखकर प्रमाणित किया जाता है। इसमें आय प्रमाण–पत्र की आवयकता नहीं है।
7.	**परित्यक्ता पेंशन**	रू0 1200 तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति / पत्नी को रू0 1400 प्रति माह दी जाती है।	उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाऐं (जो 40 वर्ष से अधिक की हों) जो बी0पी0एल0 हों अथवा जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रू0 4000 / – प्रतिमाह से अधिक न हो। निराश्रित अविवाहित महिला का विवाह होने पर आवेदक अपात्र हो जायेगी।	**वृद्धावस्था पेंशन** के समान आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त :– • परित्यक्ता महिला के मामले में शादी की अवधि 01 वर्ष से अधिक हो जाने तथा पति के 01 वर्ष से अधिक समय से लापता होने / छोड़े जाने के सम्बन्ध में स्व–घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। • मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की स्थिति में– सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित पति अथवा पत्नी को मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति को अंकित करते हुए धनोपार्जन हेतु अक्षमता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।
8.	**अनु0 जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान।**	अनु0जाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000 / – की दर से	अनु0जाति के परिवार की समस्त स्रोतों सहित मासिक आय रू0 4000 / – अथवा बी0पी0एल परिवार । शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक, आवेदन स्वयं / कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा तथा निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल / स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक / सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दुल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर / आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। शपथ पत्र (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व सिर्फ 1 बार लाभ लिया हो

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अनुदान।		अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी की शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसी समय दस्तावेज पूरे न हों, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं परंतु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जॉच की जायेगी तथा जॉच आख्या / संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
9.	**निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना**	निराश्रित विधवाओं की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 50,000 / – प्रति पुत्री अनुदान	विधवा पेंशन प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रू0 4000 / – तक हो अथवा बी0पी0एल परिवार हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	**क्रमांक–8** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के अतिरिक्त विधवा पेंशन, समाज कल्याण से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, समाज कल्याण विभाग इसकी पुष्टि करता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
10.	**दिव्यांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना**	विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन के रूप में रू0 25,000 / – दिये जाते हैं।	ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, के साथ सामान्य व्यक्ति द्वारा अथवा दोनों दिव्यांगजनों द्वारा विवाह करने पर लाभ दिया जाता है। दंपति आयकर दाता नही होना चाहिए तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो। दंपत्ति उत्तराखण्ड का निवासी हो या कम से कम पॉच वर्ष से अधिवासी हो, परंतु दंपत्ति भारत का नागरिक हो। दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी अपराधिक मामले में दंडित न हो। शादी के समय युवक (दुल्हा) की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य। युवती (दुल्हन) की आयु 18 से 45 के मध्य हो तथा दंपत्ति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या कानूनी विवाह किया	इसमें वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन का प्रारूप सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर आवेदन भरकर सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाता है। आवेदन प्रारूप के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :– दम्पति का आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0कार्ड की छायाप्रति, स्थायी निवास / 5 वर्ष से राज्य में निवास करने की पुष्टि का प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण की छायाप्रति। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र (आयकर दाता न होने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न होने तथा पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न होने संबंधी) सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की जॉच कर पात्रता के आधार पर संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने पर आवेदक को प्रोत्साहन धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			हो।	
11.	**राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित)**	परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार को रू0 20,000 / – दिये जाते हैं।	सिर्फ बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य (जिनकी आयु 18 से 59 के मध्य हो) की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता परिवार को दी जाती है। परिवार के सदस्य, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत कभी भी आवेदन कर सकते हैं।	वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है। पात्र आवेदक द्वारा आवेदन प्रारूप, समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे :–परिवार के सदस्य / आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो, बैंक खाता पासबुक जो आधार से लिंक / सीड हो, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल। कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड। उक्त दस्तावेजों सहित फार्म, सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते है। जिला स्तर से आवेदन भारत सरकार को भेजने तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की जाती है।
12.	**अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति**	छात्रवृत्ति धनराशि (राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नही हैं। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति / जनजाति की छात्रा / छात्राएं। • आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।	विद्यार्थियों द्वारा भारत सरकार के (NSP) एन0एस0पी0 पोर्टल (https:// scholarships.gov.in) में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेंगे–आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, प्रमाणित फोटो तथा सी0बी0एस0 बैंकखाता जो आधार लिंक / सीड हो, पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र, आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो, का स्वघोषणा पत्र। आवेदन, छात्र स्वयं की आई0डी0 से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है तथा जिन्हें सही नही किया जा सकता है, उनको स्थाई रूप से रिजेक्ट किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार धनराशि सीधे खाते में भेजी जाती है।
13.	**अनुसूचित जाति / जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना**	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	• ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0– 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अनुसूचित जाति / जनजाति की छात्र / छात्रा हो।	**क्रमांक–12** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
14.	**अनुसूचित जाति / जनजाति**	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज	अनुसूचित जाति / जनजाति के ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0	**क्रमांक–12** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आय प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	दशमोत्तर छात्रवृत्ति	य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।	2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	
15.	**पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति**	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।	• ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। • उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। • अन्य पिछड़ी जाति के छात्र / छात्रा हो। • 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम हेतु।	**क्रमांक–12** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण–पत्र तथा पिछडी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
16.	**पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति**	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता है।	अन्य पिछड़ी जाति के ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2. 50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। 10वीं पास के बाद किसी भी पाठ्यक्रम हेतु।	**क्रमांक–12** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र तथा पिछडी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
17.	**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना**	छात्रवृत्ति धनराशि (केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा घोषित) का लाभ दिया जाता हैं।	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र / छात्रायें जिनके माता पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक हो। उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।	**क्रमांक–12** में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं दस्तावेज समान होंगे परंतु उक्त के साथ ही परिवार की वार्षिक आय रू0 2.50 लाख तक का आयप्रमाण पत्र ।
18.	**राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह का**	वृद्धजनों को रहने, खाने, वस्त्र, चिकित्सा आदि की	• महिला / पुरूष • 60 वर्ष से अधिक सभी वर्ग के लिए। • आय का कोई प्रावधान नहीं है। • उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी	संबंधित वृद्ध महिला / पुरूष द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी / अधीक्षक, राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह, के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल, आधार की प्रति, प्रधान / सभासद की आख्या संलग्न करनी होगी। उसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से जांच

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	संचालन	निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।	निवासियों हेतु संचालित। राज्य में 02 वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह संचालित है। वर्तमान में जनपद चमोली एवं बागेश्वर में हैं।	करवायी जाती है जिसमें राजस्व निरीक्षक की आख्या, तहसीलदार की संस्तुति, प्राप्त होती है तथा चिकित्सक द्वारा जारी दूसरे संवासीयों को संक्रमित नहीं करने वाली बीमारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। जांच के उपरांत, दिये गये निवेदन / प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित आवास में रहने हेतु आदेश पारित किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति उसके उपरांत आवास में निवास कर सकता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।

दिनांक 26 जुलाई, 2023

सैनिक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता	
1.	**पैन्यूरी ग्रान्ट**	रू0 4000 / – प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा, वृद्ध आश्रम में निवासरत हो, को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त् तथा स्वयं के आवास में निवासित पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा को 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त् अनुमन्य। **नोट** – केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा समय–समय पर तय की गई पूर्व सैनिक की परिभाषा (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की पॉलिसी कम्पेंडियम) की परिधि में आच्छादित हो।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉग–इन–आई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आयु प्रमाण पत्र, (यदि डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि अंकित न हो), आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक की बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ, पैन्यूरी प्रमाण पत्र, जो कि के0एस0बी0 की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरांत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान वर्ष में एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
2.	**मेडिकल ग्रान्ट**	रू0 50000 / – प्रतिवर्ष	हवलदार रैंक तक के नॉन–ई0सी0एच0एस0 पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा हेतु अनुमन्य। **नोट**– चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के उपरान्त् 180 दिन के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, चिकित्सा से संबंधित मूल बिल तथा डिस्चार्ज की समरी (संबंधित चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षरित), अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वःघोषणा प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांचोपरांत केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा जाता है। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
3.	**विवाह हेतु अनुदान**	रू0 50000 / – प्रति पुत्री	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह तथा सैनिक विधवा के पुर्नविवाह हेतु अनुदान। **नोट**– विवाह होने के उपरान्त् 180 दिन के	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का पहचान पत्र, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			भीतर आवेदन करना आवश्यक है।	सहायता प्राप्त न करने का स्वः घोषणा प्रमाणपत्र, आवेदक की बैंक पास बुक। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
4.	**शिक्षा अनुदान**	रू0 1000 / – प्रतिमाह	हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के प्रथम दो बच्चों (स्नातक कक्षा तक) तथा सैनिक विधवा स्नातकोत्तर के लिए अनुमन्य।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0 पूर्व सैनिक के अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी परिवार विवरण तथा आवेदक का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, गत वर्ष में उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंक तालिका, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वः घोषणा प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
5.	**वोकेशनल ट्रैनिंग अनुदान**	रू0 50000 / – एकमुश्त।	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक विधवा, जिनके द्वारा केन्द्र / राज्य / मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हेतु अनुमन्य।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, केन्द्र / राज्य / मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक के प्रशिक्षण के उपरान्त् स्वरोजगार किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	**100 % अशक्त बच्चों हेतु अनुदान**	रू0 3000 / – प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा के शत–प्रतिशत दिव्यांग बच्चों हेतु अनुमन्य।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का बैंक पास बुक, आवेदक एवं अशक्त बच्चे का पहचान पत्र, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी पूर्व सैनिक के शत–प्रतिशत अशक्त बच्चे का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
7.	**निराश्रित अनुदान**	रू0 3000 / – प्रतिमाह	समस्त रैंक के पूर्व सैनिक तथा सैनिक विधवा, दोनों की मृत्यु होने पर, उनके निराश्रित बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक अथवा विवाह होने तक (जो भी पूर्व हो) अनुदान धनराशि दी जाती है।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, बैंक पास बुक, माता–पिता मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक पुत्री होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अविवाहित प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
8.	**विशेष चिकित्सा सहायता**	अधिकतम रू0 1,50,000 (प्रथम बार)। अग्रेत्तर वर्षों हेतु अधिकारियों	समस्त रैंक के नान ई0सी0एच0एस0 सदस्य की निम्न बीमारियों हेतु अनुमन्य :– (1) एन्ज्योग्राफी, एन्ज्योप्लास्टी। (2) सी0ए0बी0जी0, डाइलसिस। (3) ओपन हार्ट सर्जरी। (4) वाल्ब रिप्लेसमेंट। (5) पेस मेकर इंप्लांट। (6) सिरिबल स्ट्रोक।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– डिस्चार्ज बुक, आवेदक का पहचानपत्र, बैंक पासबुक, चिकित्सा से संबंधित मूल बिल, जिसमें संबंधित चिकित्सक के मुहर सहित हस्ताक्षर हो, एडमिशन एवं डिस्चार्ज रिपोर्ट जिसमें चिकित्सालय के समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हो, अन्य स्रोत से उक्त हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त न करने का स्वःघोषणा प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		को कुल व्यय का 75% एवं अन्य रैंक हेतु 90% (अधिकतम रू075000 प्रतिवर्ष)।	(7) प्रोस्टेट सर्जरी। (8) ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। (9) रिनल फिल्योर। (10) केंसर।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
9.	**भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति**	अधिकतम रू0 1,00,000 तक ब्याज की प्रतिपूर्ति।	युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित, युद्ध दिव्यॉग सैनिक एवं शॉन्ति काल में सैन्य सेवा के कारण दिव्यॉग सेवानिवृत्त सैनिकों को भुगतान किया जाता है। संबंधित द्वारा भवन निर्माण हेतु बैंको से, सरकारी एवं गैर सरकारी सस्थान जैसे एल. आई.सी., जी.आई.सी. एवं हुडको से लिये गये ऋण के ब्याज के सापेक्ष प्रतिपूर्ति।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0,आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिसमें ऋण भुगतान की तिथि,अवधि एवं धनराशि अंकित हो), भूमि व भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
10.	**मोबिलिटि इक्विप मेन्ट सहायता**	मोडिफाईट स्कूटर हेतु वास्तविक व्यय अथवा रू0 1,00,000, जो भी कम हो।	पूर्व सैनिक जो सेवामुक्ति के बाद 50% से अधिक (लोवर लिम्ब) की दिव्यांगता हेतु ।	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :— डिस्चार्ज बुक, पी0पी0ओ0, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक पास बुक, सेना चिकित्सालय द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
11.	**प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना**	पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के	व्यवसायिक शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटरनरी, एम0बी0ए0 आदि के0एस0बी0 की वेबसाईट पर अंकित	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** पर आवेदक द्वारा पंजीयन के उपरान्त अपनी लॉगइनआई0डी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :—

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पुत्र को रू0 2500 प्रतिमाह एवं पुत्री को रू0 3000 प्रतिमाह।	व्यवसायिक डिग्री कोर्स सूची) ग्रहण कर रहे जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिक के आश्रित पुत्र / पुत्री। आश्रित पुत्र / पुत्री द्वारा 12वीं / Mininimum Education Qualification (MEQ की परीक्षा जो भी अनुमन्य हो) में 60 % से अधिक अंक प्राप्त किए हों।	आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, के0एस0बी0 की वेबसाईट पर उपलब्ध एनेक्जर–1, 2 एवं 3 को भरकर अपलोड करना, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं / MEQ की अंक तालिका, पूर्व सैनिक की श्रेणी के आधार पर जो भाग–2 आदेश / पहचान पत्र / पी0पी0ओ0 जो भी अनुमन्य हो, शपथ पत्र यदि पुत्र / पुत्री पूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति के बाद जन्म हुआ हो। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निदेशालय सैनिक कल्याण को प्रेषित किये जाते हैं तथा निदेशालय स्तर पर जांच के पश्चात् केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन सही पाये जाने पर केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आवेदकों को स्वीकृत धनराशि का भुगतान एकमुश्त डी०बी०टी० के माध्यम से किया जाता है।
12.	**एम0बी0 बी0एस0 / बी0डी0एस0 में प्रवेश**	केंद्र,राज्य सरकार की एमबीबीएस एवं बीडीएस सीटों में चयन में वेटेज।	शहीद सैनिक / पूर्व सैनिक / सेवारत सैनिकों के आश्रितों को निम्नवत् वरीयता क्रम के आधार पर सीटों का आवंटन :– (1) युद्व में शहीद सैनिक। (2) युद्व में घायल सेवानिवृत्त सैनिक। (3) शांति काल में सैन्य सेवा के कारण शहीद सैनिक। (4) शांतिकाल में सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक। (5) वीरता पदक धारक सैनिक	केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट ***www.ksb.gov.in*** से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जहां संबंधित सैनिक पंजीकृत हो, वहां से प्रमाणित करवाने के उपरांत निदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय से काउंटर साइन होता है, जिस हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– आवेदन पत्र, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र। उक्त प्रमाण पत्र का उपयोग करने के बाद संबंधित सीटों में चयन हेतु वेटेज प्राप्त किया जा सकता है।
			राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा देय सहायता	
13.	**वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि**	एकमुश्त धनराशि अधिकतम 50 लाख तथा न्यूनतम 4 लाख दी जाती है। साथ ही वार्षिकी अधिकतम	वीरता पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिकों / पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान / वार्षिकी अनुमन्य है। सैनिक के शहीद होने अथवा मृत्यु होने की दशा में निम्नानुसार अनुमन्य है :– (1) वीर नारी (पूरे जीवनभर अथवा दूसरा विवाह करने तक)। (2) पुत्र (25 वर्ष की आयु तक) / पुत्री (विवाह होने तक)। (3) माता–पिता। (4) अविवाहित बहनें।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :– आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं निरस्त किया हुआ चैक, यदि आवेदक आश्रित हो तो आश्रित का पहचान पत्र, उत्तराखंड का मूलनिवास प्रमाणपत्र, की वीरता पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति, इस आशय का शपथ पत्र (रू 10 के स्टाम्प पेपर पर) कि वीरता पदक पर देय एकमुश्त अनुदान / वार्षिकी धनराशि किसी दूसरे राज्य से प्राप्त न किया हो और ना ही भविष्य में करूंगा / करूंगी, की छायाप्रति, यदि आवेदक भूतपर्व सैनिक हो तो डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात्

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		3 लाख एवं न्यूनतम 40 हजार दी जाती है।	(5) भाई (25 वर्ष की आयु तक)।	सही पाये गये आवेदकों को डी०बी०टी० के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है, जिसमें एकमुश्त तत्काल भुगतान की जाती है तथा वार्षिकी प्रतिवर्ष भुगतान की जाती है।
14.	**विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त अनुदान राशि।**	अधिकतम 2 लाख तथा न्यूनतम 75 हजार दी जाती है।	विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत राज्य के सेवारत सैनिक / पूर्व सैनिकों को एकमुश्त अनुदान अनुमन्य है।	सम्पूर्ण आवेदन एवं चयन प्रक्रिया **क्रमांक 13** के अनुसार होगी परंतु उक्त दस्तावेजों के साथ विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किये जाने के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
15.	**उत्तरा खण्ड शहीद कोष अनुदान।**	रू0 10 लाख एकमुश्त अनुदान	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवा / आश्रित को अनुमन्य। (क) शहीद के विवाहित होने की दशा में :– (i)विधवा (वीर नारी)–विहित धनराशि 60% (ii)माता–पिता–विहित धनराशि 40% (ख) परन्तु यह कि यदि माता–पिता जीवित नहीं है तो पूर्ण विहित धनराशि, विधवा (वीर नारी) को दी जायेगी तथा जहां विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विहित धनराशि, का 40 प्रतिशत माता–पिता को तथा 60 प्रतिशत सभी आश्रित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा। **(ग)** ऐसी स्थिति में जहां माता–पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है तो विहित धनराशि, सभी आश्रित बच्चों में बराबर–बराबर बांट दिया जायेगा। (घ) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों तो सम्पूर्ण विहित धनराशि, माता–पिता को दिया जायेगा। **(ड़)** ऐसी स्थिति में जहां	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :– बैंक खाता पासबुक, युद्ध से सम्बंधित प्रारम्भिक रिपोर्ट, युद्ध अपघटना सम्बंधित अभिलेख कार्यालय / महानिदेशक कार्यालय का भाग–दो आदेश, शहीद सैनिक का बैटल कैज्युल्टी प्रमाण पत्र, आश्रितों का सम्बंधित अभिलेख कार्यालय / महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत नातेदारी प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक, आश्रितों का पहचान पत्र, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय द्वारा अनुग्रह अनुदान भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र, अर्द्धसैनिक बल के लिए – महानिदेशक अर्द्धसैनिक बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी / आप्रेशनल कैज्युल्टी का प्रमाण पत्र, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए – महानिदेशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी / आप्रेशनल कैल्युल्टी का प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			शहीद अविवाहित अथवा विधुर हो, विहित धनराशि, माता–पिता को दिया जायेगा।	
16.	**आवासीय सहायता अनुदान।**	रू0 2 लाख एकमुश्त अनुदान।	विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों में शहीद सैनिकों की विधवाओं / आश्रितों एवं युद्ध दिव्यांग सेवा मुक्त सैनिकों को पूरे जीवन में एक बार भवन निर्माण / मरम्मत हेतु अनुमन्य।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर, संबंधित कार्यालय में ही जमा करना होता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज :– शहीद सैनिक / युद्ध दिव्यांग सेवामुक्त सैनिक की बैटल कैजुल्टी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि, बैटल कैजुल्टी का पार्ट टू आर्डर की सत्यापित प्रतिलिपि, आश्रितों का प्रमाण–पत्र, भवन निर्माण / मरम्मत के कार्य का आगणन कनिष्ठ / सहायक अभियंता द्वारा जारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक को पूर्व में राज्य सरकार से आवासीय सहायता भुगतान न करने का प्रमाणपत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
17.	**इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।**	**इंजीनियरिंग –12 हजार, मेडिकल–15 हजार, पीएचडी–10 हजार, प्रतिवर्ष**	इंजिनियरिंग / मेडिकल एवं पी0एच0डी0 की कक्षाओं में अध्यनरत पूर्व सैनिकों के आश्रितों को अनुमन्य धनराशि भुगतान की जाती है। **नोट** :– आवेदक का बैंक खाते एवं डिस्चार्ज बुक में सही नाम अंकित होना अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सैनिक कल्याण विभाग की बेबसाईट ***www.sainikkalyan.org*** पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– आवेदक का आधार कार्ड, बैंक खाता, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, जिस कोर्स में अध्ययनरत हों, उसका प्रमाण पत्र। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय एवं निदेशालय स्तर पर आवेदनों की जांच के पश्चात् सही पाये गये आवेदकों को डी.बी.टी. के माध्यम से कारगिल शहीद परिवार मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाता है।
18.	**निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण।**	01 वर्षीय कम्प्यूटर / एकाउंटिंग निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक / सैनिक विधवा एंव उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हों, हेतु अनुमन्य है, जिसमें उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में निम्न प्रशिक्षण वर्तमान में दिये जा रहे हैं :– • डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि– 01 वर्ष • डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउंटिंग अवधि– 01 वर्ष	सर्वप्रथम निदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– साधारण प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक, 12वीं पास प्रमाण पत्र। इसके उपरांत संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबंधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने से पूर्व प्रशिक्षण में प्रतिभाग

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				करने हेतु सूचित करती है।
19.	**निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।**	सेना /अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस बल में भर्ती हेतु 8 सप्ताह का भर्ती पूर्व निशुल्क प्रर्शिक्षण।	पूर्व सैनिकों के पुत्र जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष से कम हो और हाईस्कूल में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो, को निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय (प्रशिक्षकों का मानदेय + खाना + आवास) का भुगतान निदेशालय सैनिक कल्याण द्वारा किया जाता है। **नोट** :– वर्ष में 5 कोर्सो का संचालन किया जाता है।	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार– प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिकों के पुत्रों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– साधारण प्रार्थना पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक संबंधी प्रमाण पत्र (कम से कम हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण), चिकित्सा प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक पहचान पत्र, डिस्चार्ज बुक। उक्त दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके उपरांत प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु सूचित किया जाता है। तदोपरान्त् राज्य के गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में प्रशिक्षण शुरू किया जाता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

जनपद नैनीताल के रामनगर में गोदभराई कार्यक्रम में मा0 मंत्री जी

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2022

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	**समेकित बाल विकास सेवाऐं (आई.सी. डी. एस.)**	आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क निम्न सेवायें प्रदान की जाती है :– 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण / टीकाकरण, संदर्भ सेवायें। 03 वर्ष–06 वर्ष के बच्चों को प्रतिरक्षण / टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवायें। गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रतिरक्षण / टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सेवायें।	देश के समस्त 06 माह से 06 वर्ष के बच्चें, गर्भवती महिलायें एवं धात्री मातायें। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।	संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा या स्वयं लाभार्थी द्वारा नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर योजना के लाभ हेतु पंजीकरण करवाया जाता है। पंजीकरण करने हेतु गर्भवती / धात्री महिला / बच्चे का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप पर पंजीकृत कर योजना का निम्न लाभ दिया जाता है :– **कुक्ड फूड** – आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के स्कूल पूर्व बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं ताजा पका भोजन, महीने में 25 दिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाता है। **टेक होम राशन** –06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 03 –06 वर्ष के बच्चे, अतिकुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से प्रतिमाह टी0एच0आर0 के रूप में गेंहू एवं फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रतिरक्षण, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान किया जाता है।
2.	**किशोरी बालिका योजना**	किशोरी बालिकाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन चक्र विषयों पर जागरूकता तथा वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार (फोर्टिफाइड चावल एवं गेंहू प्रत्येक माह में 25 दिन के अनुसार) दिया जाता है।	उत्तराखण्ड के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर की 14 वर्ष से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बलिकाएं।	पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है, जिसके लिए किशोरी का आधार एवं जन्मप्रमाण पत्र आवश्यक है।
3.	**वन स्टॉप सेन्टर**	पीड़ित महिला / किशोरी को एक ही कार्यालय / स्थान पर आश्रय / रात में रूकने की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी सलाह, पुलिस सुविधा एवं परामर्शदाता की सेवाऐं एक ही परिसर में 24X7 निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।	पीड़ित महिलायें / किशोरी (दुर्व्यवहार, अपराध, घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित)	मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 01 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। पीडित महिला / किशोरी सीधे वन स्टाप सेन्टर में जाकर अपनी समस्या से अवगत करा सकती है या राष्ट्रीय महिला हेल्पलाईन 181 पर फोन करके, अपनी समस्या बता सकती है। विभाग द्वारा तैनात मनोचिकित्सक / काउंसलर / संबंधित अधिकारी द्वारा पीडित महिला की समस्या जानकर यथावश्यक रात्रि विश्राम, पुलिस, कानूनी सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
4.	**प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना**	**प्रथम बच्चे के जन्म पर प्रथम किस्त के रूप में रू0 3000/– मिलते हैं।** लाभ प्राप्त करने हेतु, दो प्रसवपूर्व जांच के बाद आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज :– मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (MCP कार्ड), गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (ANC) अधिमानतः LMP से छह माह के भीतर) **प्रथम बच्चे की द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2000/– मिलते है।** बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है, जिस हेतु दस्तावेज :– बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो 14 सप्ताह/बी0सी0जी0 और पेंटा की तीनों डोज या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र। **दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो, तो रू0 6000/– मिलते हैं।** बालिका के जन्म के 09 माह के भीतर आवेदन करना होगा, जिस हेतु दस्तावेज :– बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, गर्भावस्था का पंजीकरण और कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (ANC) अधिमानतः LMP से छह माह के भीतर, MCP कार्ड की प्रति जिसमें बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण हो 14 सप्ताह/बी0सी0जी0 और पेंटा की तीनों डोज या इसके समकक्ष का टीकाकरण प्रमाण पत्र।	कोई भी गर्भवती एवं धात्री महिलाएं, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष हो, पात्र होंगी – पारिवारिक वार्षिक आय आठ लाख से कम हो अथवा बी0पी0एल0 कार्ड धारक महिला, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, किसान सम्मान निधि की लाभार्थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) आयुष्मान भारत की लाभार्थी, आंशिक (40%) या पूर्ण द्विव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति महिला, आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/आशा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013) राशन कार्ड धारक, महिलाएं पात्र होंगी।	मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के अंतर्गत, इस योजना में महिला को निम्न दस्तावेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सहायिका को उपलब्ध करवारकर, उनके द्वारा ऑनलाइन https://pmmvy.wcd.gov.in/ आवेदन किया जाता है। वर्तमान में लाभार्थियों के स्वयं आवेदन की व्यवस्था अभी नहीं है। प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना में अंकित अनिवार्य दस्तावेजों के साथ ही महिला का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जो आधार से लिंक हो व (DBT Enabled) हो, महिला का जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, आठ लाख से कम की आय का प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग हों तो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, तथा कॉलम 4 में अंकित की गयी पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र एवं पति का आधार कार्ड आवश्यक है। समस्त दस्तावेज तैयार कर, उक्त निर्धारित समयावधि से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध कराने पडते हैं, यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं किया गया तो, प्रेगनेंसी कन्सीव करने की तिथि से (जो MCP कार्ड में अंकित हो) 730 दिन के भीतर आवेदन करना होगा तथा द्वितीय बालिका के जन्म पर, MCP कार्ड न होने की स्थिति में बालिका के जन्म तिथि से 460 दिन के भीतर आवेदन करना होगा, उसके बाद आंगनबाडी कार्यकर्ती द्वारा उसको ऑनलाइन किया जाता है तथा आवेदन सही पाये जाने पर निर्धारित धनराशि भुगतान की जाती है।
5.	**सखी निवास–काम काजी महिला छात्रावास**	महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने के उपरांत हॉस्टल में निवास कर सकते हैं। सुविधायें–रहने की व्यवस्था, मैस, पुस्तकालय, जिम, टी0वी0 हॉल, क्रैच आदि।	उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलायें।	वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में संचालित है। हॉस्टल में जाकर, फार्म जमा करना पडता है, जिसमें आधार कार्ड एवं परिवार के सदस्यों का विवरण तथा फीस जमा कर हॉस्टल में निवास किया जा सकता है।
6.	**नंदा गौरा**	इस योजना अन्तर्गत पात्र परिवार की 02 बालिकाओं को, प्रति बालिका को दो किश्तों	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी परिवार, जिनकी	इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिकाओं/माता–पिता/अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
	योजना	में **क्रमशः जन्म के समय रू0 11000 / – एवं** बालिका द्वारा **कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर रू0 51000 / –** की धनराशि दी जाती है। **प्रथम किश्त हेतु कन्या के जन्म होने** के 06 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है तथा बालिका का जन्म किसी चिकित्सालय / एएनएम सेंटर में होना अनिवार्य है। **द्वितीय किश्त, बालिका द्वारा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर,** जिस वर्ष 12वीं पास किया हो, उसी वर्ष जुलाई माह से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसी वर्ष में नवम्बर माह तक आवेदन जमा करने पडते हैं। अगले वर्ष में आवेदन करने पर, आवेदन मान्य नहीं होगा। बालिका द्वारा 12वीं पास उत्तराखण्ड बोर्ड / अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / सीबीएसई / आईसीएसईसी बोर्ड / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नई दिल्ली से किया होगा, तो ही मान्य होगा। बालिका अविवाहित होनी आवश्यक है।	मासिक आय प्रतिमाह रू0 6000 / – हो अथवा बीपीएल हो, की 2 बालिकाएं पात्र होंगी। माता / पिता / अभिभावक द्वारा परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में कन्या के जन्म पर योजना का लाभ दिये जाने / न दिये जाने विषयक शपथ पत्र देना अनिवार्य है, जिसमें निम्न बिंदु अंकित किये जायेंगे :– मेरे द्वारा चल अचल सम्पति एवं अन्य चाही गयी,समस्त सूचनाएं सही सही दी गयी है। मैं प्रमाणित करता / करती हूँ की यह लाभ मेरी प्रथम / द्वितीय पुत्री द्वारा लिया जा रहा है मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है मेरे द्वारा परिवार के समस्त खातो का विवरण, एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। 12वीं पास होने की स्थिति में–मेरी बालिका अविवाहित है, अंकित करना होगा। नारी निकेतन, बालिका निकेतन, अनाथ आश्रम, राज्य सरकार द्वारा	https:// www.nandagaurauk.in// पर जाकर, पंजीकरण करना होता है पंजीकरण हेतु आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद निर्धारित अवधि के भीतर लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं :– **कन्या के जन्म पर**– मातृशिशु प्रतिरक्षण / एम०सी० पी० (टीकाकरण) कार्ड, कन्या शिशु की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, माता का संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, माता / पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जो आधार से लिंक / सीड हो, मोबाइल नंबर, स्थाई निवास प्रमाण पत्र। **बालिका के 12वीं पास करने पर–** छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जो आधार से लिंक / सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय / अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र, उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति (यदि उपलबध है), प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र केवल संस्थागत छात्रा के लिए आवश्यक है। **उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज, दोनों किश्तों का लाभ लेने के लिए आवश्यक हैं:–** आंगनबाडी कार्यकर्ती का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद / पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराया समझौते के कागजात ना उपलब्ध होने की स्थिति में गृह कर ना देने का ग्राम प्रधान / पार्षद द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र, परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति / विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति (यदि उपलबध है), शपथ पत्र, अन्य आवश्यक अभिलेख परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 01 बार के पानी के बिल की प्रति कनेक्शन न होने की स्थिति में शपथ पत्र में अवश्य उल्लेख करे। आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली बालिकाओं को 12वीं उत्तीर्ण होने के उपरांत लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या माता–पिता के नाम की अनिवार्यता से छूट प्रदान होगी।	की जाती है एवं जांच में सही पाये जाने पर, बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि खाते में भुगतान की जाती है।
7.	**मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना**	स्कूल पूर्व बच्चों (3 वर्ष से 06 वर्ष) को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केले चिप्स दिये जाते हैं।	3 वर्ष से 06 वर्ष बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं / पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान दिया जाता है।
8.	**मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना**	गर्भवती / धात्री महिलाओं को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन खजूर दिया जाता है जिन पंजीकृत गर्भवती / धात्री महिलाओं द्वारा अण्डा नहीं लिया जाता उनको खजूर उपलब्ध कराया जाता है।	गर्भवती / धात्री महिलायें	आंगनबाड़ी केन्द्र पर महिला पंजीकृत होते हैं, उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान किया जाता है।
9.	**मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना**	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टीफाइड मिल्क विटामिन ए व डी युक्त सुगन्धित दूध सप्ताह में चार दिन दिया जाता है।	03 से 06 वर्ष तक के बच्चे	आंगनबाड़ी केन्द्र पर जो बच्चे जाते हैं / पंजीकृत होते हैं उनको केन्द्र में ही लाभ प्रदान दिया जाता है।
10.	**मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना**	राज्य में प्रसवोपरान्त महिला को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर एक–एक किट एवं जुडवा बच्चों के जन्म पर महिला को एक व बच्चों को पृथक–पृथक **दो महालक्ष्मी किट** से लाभान्वित किया जायेगा।	गर्भवती महिलायें (जो इनकम टैक्सपेयर न हो) जो आंगनबाडी केन्द्र में पंजीकृत हों, को प्रसवोपरांत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है।	आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव होने के उपरान्त, लाभ के रुप में **महालक्ष्मी किट** प्रदान की जाती है। किट के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए निम्न सामग्री निर्धारित की गई है :–**माताओं के लिए** – ड्राई फ्रुट, जुराब, स्कार्प तौलिया, शाल, कंबल, बेडशीट, सैनेटरी पैड, सरसों तेल, साबुन नेलकटर। **बालिका के लिए** – सूती / गर्म टोपी, जुराब, लंगोट, तौलिया, बेबी सोप, रबर शीट, गर्म कंबल, टीकाकरण कार्ड।
11.	**तीलू रौतेली पुरस्कार**	प्रत्येक जनपद से एक महिला अथवा किशोरी, जिसने किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो, को राज्य सरकार द्वारा रु0 51000.00 की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्य की ऐसी महिलाओं एवं किशोरियों जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों–सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, साहस व बहादुरी का उत्कृष्ट कार्य किया हो,	विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से वर्ष में एक बार आवेदन मांगे जाते हैं, तत्समय आवेदन विभागीय वेबसाइट https://wecd.uk.gov.in/ पर आनलाईन करना होता है। प्राप्त आवेदनों को जनपद स्तरीय समिति द्वारा अवलोकन कर जिला स्तर से निदेशालय को तीन नाम प्रेषित किये जाते है। जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर अंतिम प्रतिभागी का

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			आवेदन करेंगे।	चयन किया जाता है। पुरस्कार 8 अगस्त को वितरित किया जाता है।
12.	**सैनेटरी नैपकिन योजना**	किशोरी बालिकाओं/महिलाओं को रू0 6.00 में सैनेटरी नैपकीन का वितरण किया जाता है ।	किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों से खरीद सकते हैं।
13.	**आंगन बाड़ी कर्मी कल्याण कोष**	न्यूनतम धनराशि रू0 30,000/-दिये जाते हैं एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर रू0. 1,30,000/- दी जाती है तथा जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि का प्राविधान है।	मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/ मिनी कार्यकत्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर।	आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष अन्तर्गत, पारितोषिक धनराशि प्राप्त करने हेतु, उन्हें संबंधित सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन करना पडता है। आवेदन के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र से सेवानिवृत होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संलग्न करना होगा।
14.	**राष्ट्रीय महिला हैल्प लाईन 181**	महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु **181** राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नम्बर संचालित किया जाता है।	महिलायें/किशोरी	पीडित एवं जरूरतमंद महिला द्वारा **181** नम्बर पर, 24 घंटे में से कभी भी काल कर अपनी समस्या को बताया जाता है। यदि किसी योजना की जानकारी प्राप्त करनी हो तो, तत्संबंधी सूचना भी एवं विभाग संबंधी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

PROC... MENT

महिला कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	**स्पान्सरशिप योजना (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)**	लाभार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रूपये 4,000/– (रूपये चार हजार मात्र) सहायता राशि बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।	**18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय** ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू0 72,000/– तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू0 96,000/– हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने माता–पिता/अभिभावक दोनों को खो दिया है। पी0एम0 केयर्स योजना के तहत आच्छादित बच्चें, उन परिवारों के बच्चें जिन्होंने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चें (CCL), बाल श्रम के शिकार बच्चें, अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चे, बाल विवाह और POCSO पीड़ित बच्चे, बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों के अलावा देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अन्य बच्चे भी शामिल हैं।	योजना का लाभ लेने हेतु जिला परिवीक्षा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना पडता है तथा आवेदन पत्र के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बैंक खाता, छोटा बच्चा होने की स्थिति में अभिभावक के साथ बैंक खाता, माता–पिता की मृत्यु की स्थिति में दोनों के मृत्यु प्रमाण पत्र, माता–पिता को संकटमय रोग अथवा अक्षम होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभिभावक/माता पिता का आधार कार्ड आदि आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उसके उपरांत फार्म जिला परिवीक्षा कार्यालय में जमा किया जाता है। तद्पश्चात् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति के उपरांत सभी को लाभ मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है। लक्ष्य की सीमा के अंदर चयनित आवेदनों को ही लाभ मिलता है।
2.	**अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए "अनाथ प्रमाण पत्र" बनाने की प्रक्रिया**	राजकीय/अशासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता– पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) आरक्षण हेतु पात्र होंगे। राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, आरक्षण हेतु पात्र होंगे।	संबंधित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में अनाथ होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके साथ अनाथ बच्चे का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता–पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण–पत्र, संलग्न करना होगा। तदोपरांत विभाग/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जांच करायी जाती है तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उपजिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। अनाथ प्रमाण पत्र को संबंधित बच्चा, सेवाओं में आवेदन के दौरान उपयोग कर सकता/सकती है। तभी वह अनाथ आरक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। वर्तमान में यह व्यवस्था ऑफलाइन है।
3.	**राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।**	18 वर्ष से ऊपर की मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाओं अथवा निराश्रित महिलाओं को वस्त्र,	18 वर्ष से ऊपर की अनाथ/निराश्रित/परित्यक्त/सड़कों पर मिलने वाली लावारिस महिला तथा मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला, अनैतिक व्यापार में संलिप्त महिला।	महिला स्वयं/कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र या अपने आसपास की मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला अथवा निराश्रित के संबंध में सूचना 181 नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस/एस0डी0एम0/सिटी मजिस्ट्रेट/डी0एम0 को सूचना दे सकते हैं। उसके उपरांत पुलिस रेस्क्यू करती है तथा संबंधित महिला की चिकित्सा व अन्य जांचे कर, जिलाधिकारी के आदेश पर राजकीय महिला कल्याण एवं

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन तथा प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।		पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में भेजती है जिसकी सूची निम्नवत है :– 1.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र (मानसिक), केदारपुरम देहरादून। 2.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र केदारपुरम देहरादून। 3.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (संरक्षण गृह) नैनीताल। 4.राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, (संरक्षण गृह) कोटद्वार। 5.राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिथौरागढ।
4.	**शासकीय बाल देखरेख संस्थान, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह तथा खुला आश्रय गृह में प्रवेश की प्रक्रिया।**	संस्थान एवं गृह में बच्चों को वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श, मनोरंजन, प्रशिक्षण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। उक्त सुविधाओं के साथ बच्चों को आवास के स्थान पर डे केयर सुविधा दी जाती है।	**शासकीय बाल देखरेख संस्थान** में अनाथ / निराश्रित बच्चे, परित्यक्त बच्चे, अभ्यर्पित बच्चे, शोषित एवं उपेक्षित बच्चे। **राजकीय सम्प्रेक्षण गृह** में विधि विवादित / कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चें आते है। **खुला आश्रय गृह** के अन्तर्गत सड़क के किनारे निवासरत निराश्रित, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले बच्चे एवं मलिन बस्ती के स्कूल न जाने वाले बच्चे।	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से संबधित बच्चों को संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता है साथ ही 1098 टोल फ्री नम्बर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते है। वर्तमान में राज्य में निम्न संस्थान / गृह स्थापित हैं – शासकीय बाल देखरेख संस्थान–देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा में कुल 05 स्थापित हैं। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह–अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं ऊधमसिंह नगर में कुल 10 स्थापित हैं। खुला आश्रय गृह–देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार में कुल 07 स्थापित हैं।
5.	**दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया**	अनाथ, निराश्रित, अभ्यर्पित बच्चों को माता–पिता कानूनी रूप से उपलब्ध हो जाते हैं एवं जो माता–पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनको कानूनी रूप से बच्चे मिल जाते हैं।	बच्चों को गोद लेने के लिए माता–पिता की पात्रता :– भावी दत्तक माता–पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके जीवन के लिए कोई खतरनाक चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए। कोई भी भावी दत्तक माता–पिता उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद निम्न के अधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकते है :– • विवाहित दम्पत्ति के मामले में	दत्तक बच्चे ग्रहण करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Agency-CARA) की वेबसाईट www.cara.nic.in पर ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु देश के भीतर दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार के नवीनतम फोटो, पैन–कार्ड / पास पोर्ट / आधार / वोटर आई0डी0 / प्रवासी नागरिक कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण–पत्र सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची / आय प्रमाण–पत्र / आयकर रिटर्न, विवाह प्रमाण–पत्र, विवाह–विच्छेद डिकी / पति या पत्नी का मृतक प्रमाण–पत्र, भावी माता–पिता का जन्म प्रमाण–पत्र, किसी चिकित्सा पेशेवर से प्राप्त इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र कि भावी माता–पिता को चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दोनों दत्तक ग्रहण के लिए स्वस्थ हैं, एकल भावी दत्तक माता–पिता के मामले में रिश्तेदार से शपथ–पत्र, दत्तक ग्रहण परिवार में बड़ी आयु के बालक व बालकों की सहमति। बच्चो को गोद लेने से पूर्व बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बालकों (अनाथ, परित्यक्ता) को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			दत्तक ग्रहण के लिए दोनों पति–पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। • कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है। परंतु कोई एकल पुरूष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा। किसी दम्पत्ति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने पर बालक का दत्तक ग्रहण नहीं दिया जाएगा। बालक और भावी दत्तक माता–पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम का नहीं होगा। भावी दत्तक माता–पिता, जिन्हें 03 वर्षों के भीतर एक भी अभिदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, की ज्येष्ठता की गणना रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जायेगी।	करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भेजा जाता है जो वर्तमान में अल्मोडा, देहरादून हरिद्वार में हैं। जब गोद लेने वाले माता–पिता ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा संबंधित प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उनको उक्त अभिकरणों से बच्चे गोद दिये जाते हैं। • **जिला मजिस्ट्रेट के उत्तदायित्व –** 1. आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी किया जायेगा। 2. विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बाल संरक्षण कार्यालय और बालक के सम्बन्धी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन लेना। 3. सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिये आवश्यक प्रबंधन । 4. न्यायालय के समक्ष लम्बित दत्तकग्रहण मामलों से सम्बन्धित सभी मामले नियम 45 में प्रदत्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किये जायेगें ।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

PROPERTY OF DEPARTMENT

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
				उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
1.	**स्व रोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोज गारों हेतु"**	स्वरोजगार के लिए अनुदान की व्यवस्था है। रू0 1 लाख से 10 लाख तक का ऋण लिये जाने पर, ऋण का 25 प्रतिशत धनराशि का अनुदान। न्यूनतम 25 हजार एवं अधिकतम 2,50,000 / — है। योजना का लाभ ऋण लेने पर ही मिलेगा, जिसमें 60 प्रतिशत ऋण लेना होगा तथा 25 प्रतिशत विभाग द्वारा अनुदान / सब्सिडी दी जाती है तथा 15 प्रतिशत अंशदान आवेदक के पास होना चाहिए। ऋण पर ब्याज बैंक में वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार लगेगा।	आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो तथा उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, आयु कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष के मध्य हो, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू 2,50,000 / — से अधिक नहीं हो अथवा बीपीएल परिवार का सदस्य हो।	लाभार्थी का चयन करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है। उसके उपरांत आवेदन फॉर्म प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी) के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन फार्म के साथ निर्धारित आय प्रमाण पत्र / बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अविधित योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न कर आवेदन पत्र भरकर सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है, साक्षात्कार में सफल आवेदकों के आवेदन पत्र, बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदक के बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक स्वीकृति उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवदेन पत्र समस्त औपचारिकता पूर्ण करते हुये अनुदान की 25 प्रतिशत राशि अवमुक्त किये जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है, निगम मुख्यालय द्वारा प्रबन्ध निदेशक की स्वीकृति उपरान्त अनुदान की धनराशि जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा लाभार्थी से लाभार्थी अंश की 15 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करते हुये, 40 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर दी जाती है। जिसके उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदक को ऋण अवमुक्त कर दिया जाता है। वर्तमान में ऑफलाइन आवेदन है तथा ऑनलाइन की प्रक्रिया गतिमान है।
2.	**मुख्यमंत्री हुनर योजना**	इस योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण ही दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के दौरान मानदेय भुगतान भी किया जाता है। रू. 2000 / — प्रशिक्षण अवधि 100 घंटे होने पर, रू. 2500 / — प्रशिक्षण अवधि 150 घंटे होने पर, रू. 4000 / — प्रशिक्षण अवधि 250	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे महिला / पुरूष जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण यथा सिलाई कढाई, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक, बुनाई, आदि हेतु न्यूनतम पांचवी / साक्षर होना चाहिये। शिक्षा राजकीय स्कूल	उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसके उपरांत आवेदक, आवेदन फार्म अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करके आवेदन उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। उसके उपरांत जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन जिला प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		घंटे होने पर, रू. 4500/– प्रशिक्षण अवधि 300 घंटे होने पर, प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किया जाता है। विभाग, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से देती है तथा प्रशिक्षण में उपस्थिति के अनुसार मानदेय दिया जाता है। उपस्थिति 90 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।	अथवा मदरसों से हो, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षणों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/नेटवर्किंग/ एकाउन्टिंग इत्यादि व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र रू. 4,50,000 होनी चाहिये।	द्वारा, आवेदक को साक्षात्कार हेतु बुलाकर चयन किया जाता है, आवेदक को उस समय भी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति लानी होगी। चयन के उपरांत संबंधित संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते है। यदि किसी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो आवेदक, विज्ञापन पूर्व भी प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकता है ताकि प्रशिक्षण शुरू होने पर संज्ञान में लिया जाये।
3.	**मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना**	अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रू0 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण का लाभ दिया जाता है।	अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे छात्र–छात्राएं जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों, आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो, 12वीं उत्तीर्ण हो तथा वह जिस विश्वविद्यालय/ कॉलेज/संस्थान में अध्ययन कर रहा हो/दाखिला लिया हो, वह केन्द्र/ राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2,50,000 होनी चाहिये। ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी को शिक्षा पूर्ण करने के 6 माह/सेवायोजित के उपरांत अगले 3 वर्षो में ऋण की वापसी करनी होगी।	आवेदन पत्र जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर, जनपदीय कार्यालय में दिनांक 31 अगस्त तक जमा किया जाता है तथा आवेदन वर्तमान में ऑफलाईन होता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का कलर फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्मप्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट, कॉलेज/संस्थान में एडमिशन प्रमाण पत्र, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज आईडी, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, इस आशय का शपथ पत्र कि ऋण योजना का लाभ प्रथम बार लिया जा रहा है। 02 गारंटर के वेतन/आय संबंधी प्रमाण पत्र, गारंटरों के पैन कार्ड, फोटो, आधार, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। तत्पश्चात जनपदीय कार्यालय द्वारा उक्त आवेदन 15 सितम्बर तक निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। उसके उपरांत उत्तराखण्ड शासन में गठित चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हे ऋण चयन समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है एवं ऋण की स्वीकृत धनराशि अभ्यर्थी की मांग के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के खाते में हस्तान्तरित कर दी जाती है। जनपदीय कार्यालय द्वारा सम्बन्धित आवेदक को धनराशि खाते में दी जाती है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट सीमा के अंतर्गत ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं अन्य प्रस्ताव स्वतः निरस्त समझे जाते हैं।
निदेशालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून।				

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	**अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)**	दाखिला एवं शिक्षण हेतु निम्नवत छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष (हास्टलवासी/दिवास्कॉलर) को दी जाती है – कक्षा 11वीं व 12वीं हेतु– अधिकतम रू. 7000/– कक्षा 11वीं व 12वीं के समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु– अधिकतम रू. 10,000/– अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हेतु– अधिकतम रू. 3,000/–. एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि हेतु) प्रतिमाह दी जाती है :– कक्षा 11वीं व 12वीं तथा समकक्ष तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित (हास्टलवासी–380/–रू. दिवास्कॉलर–230/–रू.) अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम। (हास्टलवासी–570/–रू. /दिवास्कॉलर–300/–रू.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं, जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। अभिभावक की सभी स्त्रातों से वार्षिक 2 लाख से अधिक न हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के 11वीं, 12वीं/समकक्ष कक्षाओं में अध्ययनरत तथा अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP2.0) से www. scholarships.gov.in में कभी भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसके लिए आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा की बेसिक जानकारी यथा नाम, माता–पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि पूछी जाती है। पंजीकरण के उपरांत आईडी, पासवर्ड जनरेट होता है। छात्रवृत्ति हेतु विभाग द्वारा अखबारों में/उक्त पोर्टल पर, विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। तत्समय संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा पोर्टल की पंजीकृत आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर अथवा पंजीकरण न किया हो तो पंजीकरण कर, आवेदन करना होता है तथा आवेदन के दौरान स्कूल/संस्थान का चयन करना होता है। आवेदन के दौरान छात्र/छात्रा को **शैक्षिक प्रमाण पत्र जो संबंधित छात्रवृत्तियों हेतु अनिवार्य हों,** आधार कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक/सीड हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आदि अपलोड करके ऑनलाइन जमा करना होता है। साथ ही स्कूल/संस्थान में भी ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि स्कूल/संस्थान जांच कर सके। आवेदन के उपरांत आवेदक का आवेदन पत्र, स्कूल के नोडल अधिकारी के पास आ जाता है। संबंधित INO (Institute Nodal Officer) Verify कर आवेदन–पत्रों को SNO(State Nodal Officer) को अग्रसारित करता है तथा SNO द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों को Random verify (2% Only) करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित किया जाता है। आवेदक के सभी दस्तावेज/पात्रता सही पाये जाने पर, भारत सरकार द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को डी0बी0डी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्रा के खाते में भुगतान किया जाता है।
5.	**अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, 100% केन्द्र पोषित)**	छात्र/छात्राओं को स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स हेतु निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – **भरण–पोषण भत्ता** (केवल 10 माह के लिए/ प्रतिवर्ष) – हॉस्टलवासी रू. 10,000/– दिवास्कालर रू. 5,000/– **पाठ्यक्रम शुल्क** – हॉस्टलवासी रू. 20,000/– दिवास्कालर रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में **स्नातक/परास्नातक के समकक्ष तकनीकी/ व्यावसायिक कोर्स** के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र/छात्रा के अभिभावक	

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
			की सभी स्त्रातों से वार्षिक आय दो लाख पचास हजार से अधिक न हो।	
6.	**अल्पसंख्यक कक्षा 9 से 10 तक प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100% केन्द्र पोषित)**	कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु (हॉस्टलवासी / दिवास्कॉलर) छात्र / छात्राओं को प्रतिवर्ष निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – प्रवेश शुल्क रू 500 / – शिक्षण शुल्क रू. 350 / – एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा।	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राऐं जो किसी मान्यता प्राप्त सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों एवं अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, पात्र होंगे। छात्र / छात्रा के अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो।	
7.	**अल्प संख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना**	राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कक्षा 01 से 10 तक, प्रतिमाह निम्नवत **छात्रवृत्ति** दी जाती है – कक्षा 01 से 5 तक– 50 रू. कक्षा 06 से 8 तक–80 रू.कक्षा 9 से 10 तक–120 रू.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राऐं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी / गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के संस्थागत छात्र हों, पात्र होंगे।	
8.	**मुख्यमंत्री अल्प संख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना**	अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को निम्न प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :– **हाईस्कूल / मुंशी / मौलवी–** 60% या अधिक प्राप्तांक पर रू0 10,000 / – 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000 / – 80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000 / – **इण्टरमीडिएट / आलिम–** 60 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 15,000 / – 70 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 20,000 / –	अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी छात्राऐं पात्र होंगी जो – उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / मदरसा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी / मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 % या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों। माता / पिता / अभिभावक, गरीबी रेखा के नीचे आते हों अथवा उनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्रों को भरे जाने हेतु विज्ञापन (प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक, सामान्य रूप से) प्रकाशित किया जाता है तथा वर्तमान में आवेदन ऑफलाइन किये जाते हैं। आवेदन फार्म विभागीय कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाइट www.minority welfare.uk.gov.in से प्राप्त करने के उपरांत निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे – अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, निर्धारित आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने एवं परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिला हो या मिलेगा, का शपथ पत्र, बैंक खाता जो आधार लिंक / सीड हो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आदि, फार्म के साथ लगाने के बाद विकास खण्ड कार्यालय / जिला कार्यालय में जमा करना होगा तथा विकास खण्ड कार्यालय द्वारा जिले में भेजे जाते हैं एवं जिले स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुत कर निदेशालय से मांग की जाती है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		80 % या अधिक प्राप्तांक पर रू0 25,000 / –	81,000 / – तथा शहरी में रू. 1,03,000 / – से कम हो। छात्राएं अविवाहित हों तथा आयु 20 वर्ष से अधिक न हो। एक दम्पति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।	शासन को प्रेषित किया जाता है। बजट प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है तथा जिले से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भुगतान की जाती है। जिस वर्ष हाईस्कूल / इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष इसका लाभ मिलेगा तथा उसी वर्ष आवेदन करना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता पर होता है।
9.	**मुख्यमंत्री अल्प संख्यक प्रोत्साहन योजना**	अल्पसंख्यक समुदाय अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु निम्नवत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है :– **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु** :– प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु रू. 75000 / – मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 25000 / – **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु –** प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त रू. 60,000 / – मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु रू. 20,000 / – **राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि समूह (क)**–IITs & IIMs की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश	अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलम 3 में अंकित अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल / स्थायी निवासी हो, जिनके माता–पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये, यदि है तो) रू0 4.50 लाख रुपये से अधिक न हो। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थानों की संगत परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा सफल होने का मूल आवेदन पत्र / प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राविधानित अनुदान राशि देय होगी।	आवेदक, आवेदन प्रारूप निदेशालय / जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से ले सकते हैं अथवा वेबसाइट www.minority welfare.uk.gov.in से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग / संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के 30 दिन के भीतर तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने के बाद संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। वर्तमान में आफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वघोषित अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र, निर्धारित आय का वैध प्रमाण पत्र, संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण, बैंक खाता जो आधार लिंक / सीड हो, आधार कार्ड, शपथ पत्र (कि यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है तथा संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौन सा (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) प्रयास है। राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा) आदि सत्यापित कर, फार्म भरकर, परीक्षा परिणाम जारी होने के 01 माह के भीतर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। जहां पर सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच की जाती है, जिस हेतु अभ्यर्थी को बुलाया जा सकता है। जांच में सही पाये जाने / पात्रता सही होने पर जिला स्तर से सभी आवेदन पत्र बजट मांग हेतु निदेशालय एवं निदेशालय स्तर से संकलित मांग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से निदेशालय को बजट प्राप्त होने पर, निदेशालय द्वारा जनपदों को मॉग के अनुसार बजट धनराशि दी जाती है, उसके उपरांत जनपदों द्वारा धनराशि सीधे अभ्यर्थी के खाते में भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		लेने के उपरान्त रू0 60,000/- समूह (ख)- AIIMS, IIS बंगलौर, IISAR (कोलकाता एवं बंगलौर), MCI भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज, AICTE (All India Council for Technical Education) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान एवं (NITs) राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, BCI(Bar Council of India) द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं CLAT (Common Law Admission Test) हेतु। उपर्युक्त संस्थानों/परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त रू. 50,000/- दिये जाते हैं।		यदि अभ्यर्थी एक ही वित्तीय वर्ष में दो या अधिक परीक्षाओं में उतीर्ण होता है, तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

नोट- अल्पसंख्यक वर्ग - (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन समुदाय के व्यक्ति/लाभार्थी)

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रम विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया** **(असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)**	ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर असंगठित कामगार को **ई–श्रम कार्ड** प्राप्त होता है, जो असंगठित कामगार की पहचान पत्र, के रूप में उपयोग होता है। पंजीकरण के पश्चात पंजीकृत कामगार को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 02 लाख का दुर्घटना बीमा कवर, निःशुल्क आजीवन के लिए होता है। उक्त के साथ ही सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जा रहा है। ताकि समस्त योजनाओं का लाभ पात्र असंगठित कामगार को आसानी से मिल सके तथा भविष्य में कोविड जैसे आपातकालीन स्थिति में सीधे लाभ पहुंचाया जा सके।	असंगठित कामगार (सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, फिल्म निर्माण में सहयोगी कलाकार, यूट्यूबर, ठेली / रेडी वाले, दुकानदार, स्व–नियोजित कामगार आदि) हों, उक्त कामगार ई0पी0एफ0ओ0 / ई0एस0 आई0सी0 के सदस्य न हों अथवा उसका ई0एस0आई0 कार्ड न हो तथा उसका पी0एफ0 न कटता हो तथा वह सरकारी सेवक न हो, उक्त असंगठित कामगारों की आयु 16–59 वर्ष के बीच हो। ई–श्रम कार्ड हेतु पात्र होंगे।	असंगठित कामगार द्वारा पंजीकरण स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल https://eshram. gov.in/ पर तथा UMANG ऐप के माध्यम से किया जाता है। पंजीकरण हेतु आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या आवश्यक है। नोट– यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC से बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण के दौरान कामगार का नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप, परिवार के विवरण इत्यादि सूचनाएं मांगी जाती है। पंजीकरण के उपरांत ई–श्रम कार्ड बन जाता है, जिसे भविष्य हेतु सुरक्षित रखना पडता है।
2.	**प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)**	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रू0 3,000 / – की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकरी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रू0 6,000 / – मासिक पेंशन हेतु पात्र होंगे। यह योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम रू0 55 / – से	18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कर्मकार यथा–घरेलू श्रमिक, कृषि मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, ठेली वाले, रिक्शा वाले, मछुवारे, मनरेगा श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकत्री इत्यादि, जिनकी मासिक आय रू. 15,000 / – से कम हो तथा आयकर दाता न हों।	आवेदक, अपना आवेदन स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल https:// maandhan. in/ पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के दौरान आधार संख्या, मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक हो, बैंक खाता, जिससे प्रतिमाह अंशदान धनराशि का भुगतान काटा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रू0 200/– तक का भुगतान (उम्र के अनुसार, मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पडता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीकृत न हों।	जायेगा, का विवरण देना होगा तथा नॉमिनी का सही विवरण देना होता है। लाभार्थी प्रथम किस्त/भुगतान स्वंय ऑनलाइन जमा करेगा अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जमा करेगा। भुगतान के उपरांत पेंशन नंबर प्रदर्शित होगा।
3.	**राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)**	60 वर्ष की आयु के उपरान्त लाभार्थी को रू0 3,000/– की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलने लग जाती है। लाभार्थी की मृत्यु पर उत्तराधिकरी पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन हेतु पात्र। पति और पत्नी दोनों के योजना में शामिल होने की स्थिति में वे रू0 6,000/– मासिक पेंशन हेतु पात्र। यह योजना भी स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित है, जिसमें लाभार्थी को आवेदन करने के दौरान से ही मासिक धनराशि न्यूनतम रू0 55/– से अधिकतम रू0 200/– तक का भुगतान (उम्र के अनुसार, मासिक भुगतान सिस्टम पर स्वतः ही गणना के उपरांत निर्धारित होगा) 60 वर्ष तक करना पडता है तथा उतना ही अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।	18 से 40 आयु वर्ग के लघु एवं खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों हेतु। रूपया 1.50 करोड़ से कम वार्षिक टर्न ओवर वाले खुदरा व्यापारी/ दुकानदार एवं स्व–नियोजित व्यक्ति। लाभार्थी आयकर दाता न हों।	उक्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र जनरेट होता है, जिसमें लाभार्थी को स्वघोषणा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके पुनः अपलोड करना पडता है तथा उसके उपरांत पेंशन कार्ड जारी होता है, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखना पडता है। बैंक द्वारा स्वतः वैरिफिकेशन करने के उपरांत भविष्य में ऑटो डेबिट खाते से अंशदान कटने लगता है। उक्त योजना का वित्तीय प्रबन्धन पेंशन फण्ड मैनेजर – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज राजपुर रोड, देहरादून में श्रमिकों की पुत्रियों का विवाह उपरांत आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किये। दिनांक 16 सितंबर 2023

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण	भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की समस्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु, यह कार्ड अनिवार्य है। यह कार्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार की पहचान के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।	सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों जैसे पुल ,सड़क, हवाईपट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल –कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन–मोबाइल टावर आदि से संबंधित निर्माण कार्य मरम्मत, रख–रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार, मनरेगा कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, पात्र होंगे। उक्त कर्मकारों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछले वर्ष में 90 दिन निर्माण श्रमिक / अन्य निर्माण संबंधी कार्य किये जाने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।	भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार, श्रमिक कार्ड हेतु अपना पंजीकरण / नवीनीकरण नजदीकी जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो चाहिए। **उम्र के निर्धारण हेतु**– 10वीं का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र / नोटरी सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ–पत्र / वोटर पहचानपत्र / राशन कार्ड / ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, में से कोई एक प्रमाण पत्र। विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण–पत्र तथा निर्माण श्रमिक द्वारा अपने क़ानूनी वारिसो के नामांकन हेतु नामांकन– पत्र भी भरा जाना आवश्यक है। श्रमिक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जो आधार लिंक / सीड हो, स्वप्रमाणन / स्वघोषणा पत्र (जो जन सुविधा केन्द्र अथवा श्रमिक सुविधा केन्द्रों में ही मिल जायेगा) तथा आश्रितों के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। उक्त दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत रू0 100 / – (सौ रूपये मात्र) पंजीकरण शुल्क जमा करना होता है। उसके उपरांत आवेदक का ऑनलाइन आवेदन संबंधित विभाग को जाता है। विभाग द्वारा दस्तावेज सही पाये जाने / जांच में सही पाये जाने पर, श्रमिक पंजिका में पंजीकृत करेंगे तथा जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीयन संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके फोटो युक्त पहचान– पत्र जारी किया जायेगा, जिसे श्रमिक संबंधित विभाग के जन सुविधा केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं अथवा श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड तीन वर्ष तक वैध होता है। **नवीनीकरण–** तीन वर्ष पूर्ण होने से पहले ही नवीनीकरण हेतु आवेदन करना पड़ता है। प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अभिदाय निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा। यदि कोई श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करेगा तो आगामी समय में लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगा, परंतु प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सदस्यता बकाया राशि के साथ प्रत्यावर्तित हो सकेगी, यह सुविधा भी 2 बार से अधिक नहीं होगी।
2.	पुत्र / पुत्री शिक्षा सहायता	निर्माण श्रमिक की पुत्र / पुत्री की शिक्षा हेतु निम्नवत धनराशि	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, श्रमिक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, बच्चों का आधार कार्ड, बच्चों की गत् वर्ष की

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		वार्षिक दी जाती है :– कक्षा 1 से 5 तक रू0 1,800/– कक्षा 6 से 10 तक रू0 2,400/– कक्षा 11 से 12 तक रू0 3,000/– स्नातक/ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि रू0 10,000/- व्यावसायिक पाठ्यक्रम/कोर्स करने पर, जैसे आई0टी0आई0, पॉलटैक्निक, एवं उच्च शिक्षा हेतु कोर्स की फीस राजकीय संस्थाओं /कॉलेज के अनुसार देय होगी।	श्रमिक के 02 बच्चों हेतु। जिस वर्ष कक्षा 1 से परास्नातक तक की कक्षाओं में प्रवेश किया हो उसी वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक आवेदन करना होगा इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता वार्षिक आधार पर दी जाती है।	अंकतालिका की सत्यापित प्रति (कक्षा 01 के लिए आवश्यक नहीं), शैक्षिक संस्था द्वारा अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र एवं स्वघोषणा पत्र। इस संबंध में किसी अन्य विभाग/सरकार से सहायता न ली हो, का प्रमाण–पत्र, संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है, जांच में सही पाये जाने पर सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु आर्थिक सहायता एक बार में ही श्रमिक के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
3.	**टूल–किट सहायता**	रू0 10,000/– की सीमा तक टूल– किट सहायता दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, जमा करना होता है। विभागीय जांच के उपरांत निर्माण श्रमिक को, टूलकिट यथा हाथ के दस्ताने, निर्माण संबंधी टूल आदि दिये जाते हैं। सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल 01 बार लाभार्थी को लाभ मिलेगा।
4.	**साईकिल/ सिलाई मशीन सहायता**	मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध करायी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड तथा स्वघोषणा प्रमाण–पत्र जमा करना करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत साइकिल/सिलाई मशीन विभाग द्वारा, निर्माण श्रमिकों को बुलाकर दी जाती है। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार दी जाती है।
5.	**सौर उर्जा सहायता**	सौर ऊर्जा प्लेटें/ पैनल मिलेगा तथा रख–रखाव एवं सर्विस	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क करना होगा।	श्रमिक के परिवार को।	का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत सौर ऊर्जा प्लेटें/पैनल, विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/डीलर से उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
6.	**छाता सहायता**	धूप तथा बारिश से बचाव हेतु छाता उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत छाता, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।
7.	**सैनेट्री नैपकीन**	निःशुल्क सैनेट्री नैपकीन उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बालिकाओं एवं महिला श्रमिकों हेतु।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। उसके उपरांत विभाग द्वारा सैनेट्री नैपकिन उपलब्ध करवाये जाते हैं।
8.	**शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02 किश्तों में)**	कुल रू0 12,000/-की धनराशि दी जाती है, जो दो किस्तों में दी जाती है (प्रथम किस्त रू0 8,000.00 एवं द्वितीय किस्त रू0 4,000.00)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो, शौचालय निर्माण संबंधी फोटो श्रमिक भी उस फोटो में उपस्थित हो तथा फोटो में शौचालय में पक्की दीवारें, लिंटर वाली छत, टैंक, पानी की व्यवस्था, सीट का लगा होना, भी आना चाहिए। जिस जमीन पर शौचालय निर्माण किया है, उसका जमीन संबंधी दस्तावेज जैसे दाखिल खारिज/खतौनी/रजिस्ट्री आदि अथवा भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संलग्न करने होंगे। किसी अन्य योजना से इसका लाभ न लिए जाने एवं अन्य विभाग में लाभ हेतु आवेदन न किये जाने का शपथ पत्र, लगाकर आवेदन करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर प्रथम किस्त का भुगतान खाते में किया जाता है तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरांत 01 माह बाद पुनः दूसरी किस्त के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पड़ता है तथा दूसरी किस्त रू0 4000/- भुगतान की जाती है।
9.	**भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु**	भवन क्रय/ निर्माण हेतु रू0 50,000/- की धनराशि ऋण के रूप में मकान खरीदने अथवा निर्माण करने हेतु प्रदान की जाती	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक। भवन क्रय /निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता तथा आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। विभागीय जांच में सही पाये जाने पर अग्रिम धनराशि भुगतान की जाती है,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		है। इस ऋण पर कम से कम 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देय है।	लिए कर्मकार को पांच वर्षो से निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति उम्र में कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है।	जिस पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी श्रमिक द्वारा भुगतान किया जाता है। अग्रिम आहरित होने की तिथि से 06 माह के भीतर बोर्ड के सचिव को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किश्तों में की जाएगी।
10.	**प्रसूति आर्थिक सहायता**	रू0 6 हजार प्रति पुत्र/पुत्री (लेकिन यह केवल दो पुत्र/पुत्री हेतु ही है।)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र/पुत्री (केवल 2) हेतु प्रसूतावस्था वाली निर्माण श्रमिक।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, ए0एन0सी0 कार्ड तथा प्रसूति के संबंध में चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का, स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन प्रसूति की तारीख से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। यह सुविधा 02 बच्चों के जन्म पर ही दी जाती है 3 बच्चे के जन्म पर यह सुविधा नहीं दी जायेगी। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
11.	**पुत्री विवाह आर्थिक सहायता**	रू0 51 हजार प्रति विवाह (दो पुत्रियों/स्वयं के विवाह हेतु)।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी 2 पुत्रियों के विवाह हेतु।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, श्रमिक का बैंक खाता, शादी का कार्ड, वर–वधू के आधार कार्ड तथा विवाह होने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण पत्र, किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न लेने का स्वहस्तलिखित प्रमाण पत्र तथा स्वघोषणा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन विवाह की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाता है।
12.	**निःशक्ता पेंशन**	रू0 1,000/– प्रति माह एवं अनुग्रह राशि रू0 40,000/– दी जाती है।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो लकवा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, दुर्घटना आदि के कारण स्थाई रूप से निःशक्त हो गये हों।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी रूप से निःशक्त होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो राजकीय सी0एम0एस0/सी0एम0ओ0 द्वारा बनाया गया हो, किसी भी योजना से लाभ न लिये जाने का शपथ पत्र, स्वघोषणा प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रमिक को स्थायी रूप से निःशक्त होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के उपरांत विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर विभाग द्वारा निर्माण श्रमिक के खाते में प्रतिमाह रू. 1000/– तथा अनुग्रह राशि एकमुश्त रू. 40 हजार का भुगतान किया जाता है।
13.	**वृद्धा पेंशन**	रू0 1,000/–	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य	ऑनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
	(60 वर्ष पूर्ण होने पर)	प्रतिमाह, पेंशन दी जाती है।	सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	आवेदन के दौरान श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, स्वघोषणा प्रमाणपत्र तथा किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र की आवश्यता होती है। विभागीय जांच / परीक्षण में सही पाये जाने पर, पेंशन छमाही आधार पर मिलने लग जाती है तथा छः माह पर श्रमिक को जीवित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14.	**वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर)**	रू0 1,500.00 प्रतिमाह।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ पूर्व श्रमिक कार्ड एवं बोर्ड से पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण–पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, किसी भी योजना का लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच / परीक्षण में सही पाये जाने पर, पेंशन मिलने लग जाती है।
15.	**कुटुम्ब पेंशन**	रू0 500.00 प्रति माह या पेंशनभोगी की पेंशन का 50% जो भी अधिक हो।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो पेंशनभोगी हो, उसकी मृत्यु होने की दशा में पति / पत्नी को मिलेगी।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। कुटुम्ब पेंशन हेतु आवेदन पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से 03 माह के भीतर आवेदन करना होगा। विभागीय जांच / परीक्षण में सही पाये जाने पर, पेंशन मिलने लग जाती है।
16.	**मृत्योपरान्त अर्थिक सहायता**	रू0 2 लाख (सामान्य मृत्यु होने पर) रू0 04 लाख (दुर्घटना से कारित मृत्यु की दशा में)	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को, जिनके नाम आश्रित के रूप में श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो।	आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, ऑनलाईन आवेदन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नामित आश्रित द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम श्रमिक के श्रमिक कार्ड में उल्लिखित हो, श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 01 साल के अन्तर्गत आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मृतक श्रमिक का श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना होने की स्थिति में, दुर्घटना संबंधी प्रमाण, आश्रित का आधार कार्ड एवं बैंकखाता विवरण संलग्न करना होगा तथा किसी अन्य योजना से यह लाभ प्राप्त न किये जाने का शपथ पत्र भी लगाना होगा। विभागीय जांच / परीक्षण में सही पाये जाने पर, आर्थिक सहायता मिल जाती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड)**	प्रति राशन कार्ड **35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न** (13.3 गेंहू रू0 2.00 प्रति कि0 की दर से, 21.7 कि0ग्रा0 चावल रू0 3.00 प्रति कि0 की दर से) तथा 1 कि0ग्रा0 चीनी प्रति राशन कार्ड, रू0 13.5 प्रति कि0 की दर से दिया जाता है। वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	राज्य का अन्त्योदय वर्ग का परिवार/व्यक्ति :– • ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय रू0 4,000/– से कम हो ऐसे परिवारों को भी अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा। • बी0पी0एल0 परिवार के एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों को अन्त्योदय योजनान्तर्गत रखा जायेगा।	अन्त्योदय अन्न योजना हेतु प्रत्येक जनपद हेतु लक्ष्य निर्धारित हैं। **अन्त्योदय श्रेणी से नाम हटाने की प्रक्रिया–** अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। विभाग द्वारा निरीक्षणोपरान्त सत्यता पाये जाने पर अन्त्योदय श्रेणी से कार्ड धारक को पृथक किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी समय–समय पर स्वयं निरीक्षण की कार्यवाही करता है। अन्त्योदय श्रेणी से ऊपर पाये जाने पर हटाने की कार्यवाही की जाती है। (शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में) उक्त के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम अन्त्योदय श्रेणी से हटाना हो तो, ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव पास होने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने रिकार्ड से हटाया जाता है तथा संस्तुति सहित जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किये जाने के उपरांत विभाग संबंधित व्यक्ति को अन्त्योदय श्रेणी से हटाता है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने पर, विभाग द्वारा संबंधित अन्त्योदय कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक को अन्त्योदय श्रेणी से हटाया जाता है। **अन्त्योदय श्रेणी में नाम जोडने की प्रक्रिया–** सर्वप्रथम आवेदक द्वारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के आधार कार्ड, फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आई0डी0कार्ड/पैन कार्ड, आय प्रमाण–पत्र, बिजली का बिल तथा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अन्त्योदय परिवार होने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति। समस्त दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा। संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यता पाये जाने पर नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रत्येक जनपद पर, जनसंख्या के अनुसार अन्त्योदय राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बनाये जाते हैं। रिक्ति होने पर ही नये

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				व्यक्ति का राशन कार्ड बनाया जाता है। संबधित व्यक्ति जिला पूर्ति अधिकारी / पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय से 10 दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव न होने की स्थिति में, उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करेगा। उसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच कर, जांच में पात्रता पाये जाने पर, रिक्त होने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है।
2.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–सफेद राशन कार्ड)**	प्रति यूनिट 5.00 कि0ग्रा0 खाद्यान (02 कि0ग्रा0 गेंहू **रू0 2.00 प्रति किलो** की दर, 3 कि0ग्रा0 चावल रू0 **3.00 प्रति किलो** की दर से) वर्तमान में 01 जनवरी, 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रू0 15,000 से कम / अन्त्योदय राशन कार्ड न हो। आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार / विधवा महिला / अकेली महिला / असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति / दिव्यांग व्यक्ति / 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, जो परिवार के मुखिया हो, परन्तु मासिक आय रू0 15,000 / – से कम हो। ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 है0 से कम हो अथवा 1 है0 सिचिंत तथा 2 है0 असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 है0 असिचिंत भूमि से कम हो। ऐसे व्यक्ति हो रिक्शा चालक, कुली, मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, लोहार, बढ़ई, ग्रामीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक / सेविका, सफाई कर्मी का कार्य करते हो। ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि के खेत जोतता है। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपडी में निवासित ऐसी आबादी, जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो। ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर	उक्त राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ''गुलाबी राशन कार्ड'' बनाने की प्रक्रिया के अनुसार होगी परंतु दस्तावेजों के साथ रू0 15,000 / – से कम का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा पात्रता (जो कॉलम 4 में अंकित है, उनको वरीयता प्रदान की जाती है) से संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होंगे। इस योजना हेतु परिवार की मासिक आय रू0 15,000 / – से कम होनी चाहिए।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आयकर विभाग की देयता न बनती हो। ऐसे व्यक्ति जो बेघर हों तथा सामाजिक वर्ग से पृथक होकर, संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल/ महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, दिव्यांग एवं वृद्धाश्रम। उपरोक्त पात्रता के अनुसार चिन्हित करने के अनुसार अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गये सर्वे के आधार पर बनायी बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक में से आरोही क्रम में लिया जायेगा।	
3.	**राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड)**	प्रति राशन कार्ड धारकों को **7.50 कि0ग्रा चावल** प्रति माह रू0 11.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से वितरित किया जा रहा है।	ऐसा परिवार जिसकी आय 05 लाख वार्षिक या उससे कम हो, इस योजना के लिए पात्र होगा।	इस प्रकार के राशन कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम, क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्रारूप लिया जायेगा। आवेदन के साथ परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड, मुखिया की फोटो, फोन नंबर, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल सहित सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /जिला पूर्ति कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा उक्त नाम अपने रिकार्ड में जोड़ा जाता है तथा संस्तुति सहित खाद्य आपूर्ति विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर डिजिटलाइजेशन किया जाता है। संबधित व्यक्ति जिला पूर्ति कार्यालय से 10 दिन के भीतर संपर्क कर, राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। यदि संबंधित राशनकार्ड धारक की आय अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी। उसके उपरांत विभाग द्वारा संबंधित कार्ड धारक को उक्त योजना से बाहर किया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भी समय–समय पर स्वयं भी निरीक्षण किया जाता है तथा ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पास करने पर भी हटाने की कार्यवाही की जाती है। किसी तीसरे पक्ष द्वारा सूचना देने

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पर, विभाग द्वारा संबंधित कार्डधारक की जांच की जाती है तथा जांच में सूचना सही पाये जाने पर संबंधित कार्ड धारक का राशन कार्ड निरस्त किया जाता है।
4.	**मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना**	वर्ष में 03 गैस सलेंडर निःशुल्क रिफिल।	राज्य के अन्त्योदय राशनकार्ड धारक (गुलाबी कार्ड)	जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा क्षेत्र की संबंधित गैस ऐजन्सी को अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की सूची उपलब्ध करायी जाती है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा नजदीकी गैस एजेंसी से अपने राशन कार्ड का विवरण, आधार कार्ड / बैंक खाता का विवरण एजेंसी में लिंक कराने के उपरांत निःशुल्क रिफिल का लाभ लिया जा सकता है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक द्वारा प्रत्येक 04 माह में 01 निःशुल्क रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेन्सी जमा कर सिलेन्डर प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से वापस भुगतान की जाती है।
5.	**प्रधानमंत्री उज्जवला योजना**	गरीब परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	गरीब परिवार की ऐसी महिला मुखिया को निशुल्क गैस कनेक्शन मिलता है जिनका पूर्व से कोई गैस कनेक्शन न हो तथा वह अनु. जाति / जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, मोस्ट बेकवर्ड क्लास, अन्तोदय अन्न योजना के लाभार्थी (गुलाबी राशनकार्ड धारक), एसईसीसी हाउसहोल्ड अथवा कोई गरीब परिवार जो 14 बिंदुओं के अनुसार निर्धारित है, की महिला हो।	योजनान्तर्गत ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन न हो, उस परिवार की महिला के नाम से कनेक्शन निर्गत किया जायेगा। उसके लिए परिवार रजिस्टर / राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार के साथ निकटतम गैस ऐजन्सी में आवेदन किया जा सकता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

गृह (पुलिस) विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक / पारिवारिक पेंशन।**	रूपये 25,000 /– मासिक / पारिवारिक पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा उनकी विधवा।	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों एवं उनकी विधवाओं को आवेदन का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना होता है। आवेदन के प्रारूप के साथ आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों का विवरण 'उत्तरप्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन संबंधी नियम, 1975 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के पृष्ठ संख्या 13 से 17 तक में विहित है, संबंधित दस्तावेज लगाने के उपरांत, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, जिलाधिकारी द्वारा जांच के उपरांत आख्या / संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जाती है तब लाभार्थी को मिलती है।
2	**उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य "सम्मान पेंशन" की योजना।**	प्रतिमाह रूपये 4,800 /– "सम्मान पेंशन" दी जाती है।	उत्तराखण्ड प्रदेश के अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।	संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से आवेदन, प्राप्त किया जा सकता है तथा आवेदन के साथ वांछित अभिलेखों को संलग्न कर, आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही सम्मान पेंशन स्वीकृत की जायेगी। उक्त पेंशन दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी / विधुर पति के जीवनोपरान्त ही प्रारम्भ होगी और दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारी, जिसमें उसके पुत्र एवं पुत्री चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित हों, के साथ–साथ प्रथम पीढ़ी की उत्तराधिकारी की विधवा भी सम्मिलित रूप से पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
3	**स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा।**	उत्तराखण्ड परिवहन नि0 की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पुत्रवधु होना आवश्यक है और यात्रा हेतु वैध परिचय पत्र होना अनिवार्य है।	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी की विधवा पुत्रवधू को परिचय पत्र बनाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क स्थापित कर आवेदन हेतु वांछित दस्तावेजों के संबंध में सूचना प्राप्त करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा तदक्रम में जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। परिचय पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की जा सकती है।
4	**उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये**	प्रतिमाह रूपये 6,000 /– पेंशन दी	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो सके।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, आवेदन हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है। आन्दोलनकारियों की चिन्हित सूची पूर्व से जारी है तथा कतिपय यदि छूटे हों तो तत्संबंधी परिचय पत्र बनने के उपरांत ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	आन्दोलनकारियों की पेंशन।	जाती है।		हेतु पात्र होंगे। उक्त श्रेणी के अंतर्गत राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08 दिनांक 22.10.2008 तथा सपठित शासनादेश संख्या 1192/बीस.4/2017-3(13)/2011 दिनांक 01.12.2017 में विहित मानकों के पूर्ण होने पर ही चिन्हीकरण संभव होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। **चिन्हीकरण–** उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है तथा चिन्हीकरण अग्रलिखित अभिलेखों के आधार पर किया जाता है– एलआईयू की रिपोर्ट, पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) जिस रूप में भी दर्ज हो, चिकित्सालय संबंधी रिपोर्ट, ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाएं जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारी द्वारा पुष्ट की जाये, के उपरांत ही पहचान पत्र निर्गत किया जाता है।
5	**उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलन कारियों की पेंशन योजना।**	रूपये 4,500 / – प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों **की श्रेणी से भिन्न समस्त** ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्त्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, को संबंधित पेंशन अनुमन्य होगी।	संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर, प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
6	**उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति / पत्नी) को आन्दोलनकारी की मृत्यु**	रूपये 4,500 / – प्रतिमाह आश्रितों को पेंशन दी जाती है।	राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुये आन्दोलनकारियों **की श्रेणी से भिन्न समस्त** ऐसे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों, जिन्हें आन्दोलनकारी पेंशन या किसी अन्य राजकीय स्त्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं थी या वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं थे, **के आश्रितों**	संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर, प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ वांछित अभिलेख जमा करने होंगे, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से जांच के उपरांत ही पेंशन स्वीकृत की जायेगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	उपरांत पेंशन योजना।		**(पति / पत्नी) होंगें।**	
7	**उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना।**	प्रतिमाह रूपये 20,000 / – विशेष सम्मान पेंशन दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान दिव्यांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) हुए हों।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष सम्मान पेंशन हेतु आवेदक को पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) होने के सम्बन्ध में स्टेट मेडिकल बोर्ड / मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्गत प्रमाण– पत्र के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8	**आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना।**	प्रतिमाह रूपये 20,000 / – ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' दी जाती है।	लाभार्थी वे होंगे जो आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे हों।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी।
9	**आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' योजना।**	प्रतिमाह रूपये 20,000 / – ''लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन'' दी जाती है।	लाभार्थी आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0 आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे लोकतंत्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति होंगे।	संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा, तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के क्रम में मा0 विभागीय मंत्री / मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए शासन स्तर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी। आवेदन हेतु प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन हेतु साक्ष्य के रूप में आवेदक / आवेदिका को इस तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके स्व0 पति / पत्नी लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे अथवा वे आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा / डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध / जेल रहे।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

न्याय विभाग (उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)

न्याय विभाग (उत्तराखड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना।**	निःशुल्क विधिक सेवा के लिए पात्र व्यक्ति, जिनको कोई मामला फाइल करना है या फाइल कर दिया गया है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति से जैसे भी वाद हो, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का हकदार होगा।	निःशुल्क विधिक सहायता हेतु निम्न व्यक्ति पात्र होंगे :- 1) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक, 2) संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार / बेगार के शिकार व्यक्ति, 3) सभी महिलायें एवं बच्चे, 4) सभी दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, 5) बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प , औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति, 6) औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर, 7) जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति, 8) भूतपूर्व सैनिक, 9) ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्ति, 10) वरिष्ठ नागरिक, 11) एच.आई.वी. / एड्स संक्रमित व्यक्ति, 12) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 3,00,000 (रू0 तीन लाख) से कम हो। **नोट :-** क्रम संख्या-1 से 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक	निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील स्तर पर विधिक सेवा समितियां स्थापित हैं। मा0 उच्च न्यायालय परिसर (गेट नम्बर-7) ई-सेवा केन्द्र, पर स्थापित है जहां पर फार्म जमा कर तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के दूरभाष नम्बर-09412979696 पर सम्पर्क कर विधिक सहायता / परामर्श लिया जा सकता है। राज्य प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में विधिक सहायता हेल्प लाइन नम्बर 15100 और टॉल फ्री नम्बर 1800 180 4000 संचालित है, जहां पर कॉल कर विधिक सहायता / परामर्श लिया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता हेतु यदि कोई वरिष्ठ नागरिक / महिला / बच्चे सम्बन्धित कार्यालय में आने / ऑनलाइन फार्म जमा करने में असमर्थ हों उस स्थिति में लीगल वॉलेन्टियर्स मद्द कर सकते हैं, जो राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक तैनात हैं, जिनकी सूची, नाम, मोबाइल नंबर वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में फ्रंट ऑफिस स्थापित है जहां पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या फार्म जमा कर विधिक सहायता /परामर्श लिया जा सकता है। https://nalsa.gov.in/lsams/nologin/applicationFiling.action?requestLocale=en इस लिंक पर जाकर भी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन फार्म राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड की वेबसाइट https://slsa.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पात्र लाभार्थी को फार्म जमा करने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :- आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, एस.सी. / एस.टी. है तो जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र, ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 3,00,000 (रू0 तीन लाख) या उससे कम हो तो आय प्रमाण- पत्र / बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

PROGRAMME

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आय की कोई सीमा नहीं है।	
2.	**बहु उददेशीय शिविरों/ जन जागरूकता शिविर/ चिकित्सा शिविरों/ विधिक सेवा शिविरों का आयोजन**	**माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु** जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तहसील विधिक सेवा समितियों तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शहरी क्षेत्र से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुउददेशीय शिविरों, जागरूकता कार्यक्रम तथा वाद–विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।	सम्बन्धित कार्यक्रमों के संचालन से समस्त तबके के व्यक्ति/ महिला/बच्चे, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, एसिड हमले के पीड़ित नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित नागरिकों, को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु बहुउददेशीय शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविर, समस्त विभागों की उपस्थिति में आयोजित होते हैं।	जन–जागरूकता कार्यक्रम, बहुउद्देश्यीय (नवीन विधिक सेवा शिविर) जन– जागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविर का आयोजन किये जाने से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा संबंधित क्षेत्र/ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया जाता है ताकि स्थानीय जनता बहुउउदेशीय शिविरों/जनजागरूकता शिविरों का लाभ प्राप्त कर सके। इन शिविरों में प्रतिभाग निःशुल्क होता है तथा बहुउददेशीय शिविरों में यदि किसी वंचित व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र, चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता प्राप्त करनी हो तो, संबंधित शिविर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों के अपडेट हेतु https://slsa.uk.gov.in में जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3.	**विशेष अभियान – "हमदर्द"**	सम्बन्धित योजना/अभियान के अन्तर्गत समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं, उनके कानूनी अधिकारों तथा इन कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच, कौशल विकास, स्वरोजगार, तकनीकी और वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में डोर–टू–डोर कार्यक्रम आयोजित	**उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा** प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नागरिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग तथा अन्य निराश्रितों के लिए यह विशेष अभियान आयोजित किया गया है।	प्रत्येक जिले के जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिले के प्रत्येक वाह्य न्यायालय व प्रत्येक तहसील स्तर पर नियुक्त अधिकारी, नामित अधिवक्ता, स्टॉफ और पैरा विधिक स्वयंसेवकों (Para-Legal Volunteers) को एक से तीन दिनी प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति पहुंचे तो वह उसकी मदद कर सकें। आवश्यकता पडने पर पैरा विधिक स्वयंसेवकों द्वारा डोर–टू–डोर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो, वह अपने क्षेत्र के लीगल वोलंटियर से सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लीगल वालंटियर का दायित्व होगा कि वह बुजुर्ग/दिव्यांग/निराश्रितों की मदद करें। लीगल वालंटियर का नाम, मोबाइल नंबर,

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		कराये जाते हैं।		वेबसाइट https://slsa.uk.gov. in में उपलब्ध है।
4.	**"उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020"**	अपराध से पीडित महिलाओं को **न्यूनतम 3 लाख से अधिकतम 10 लाख तक** की आर्थिक सहायता / प्रतिकर के रूप में धनराशि मुहैया करायी जाती है। मुआवजे का आवेदन राज्य / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होने पर, पीडिता / आश्रित को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या रू. 5000 / – अथवा 10,000 / – जैसी आवश्यकता हो, सदस्य–सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल वितरित किया जायेगा। यदि कोई यौन हिंसा / एसिड हमले से पीडित महिला एक से अधिक अपराधों से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होंगी।	सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन उत्पीडन, बलात्कार के कारण गर्भावस्था, हिंसा फलस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि, जीवनक्षति, दिव्यांगता, शारीरिक क्षति या मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो, जलने के कारण पीडित, एसिड हमले में पीड़ित राज्य की समस्त महिलाएं / उनके आश्रित, प्रतिकर का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	प्रतिकर दो प्रकार का दिया जाता है, एक अंतरिम प्रतिकर, जो अपराध के बाद तत्काल राहत देने हेतु मुहैया कराया जाता है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपचार का आदेश किया जा सकता है अथवा जैसी आवश्यकता हो, रू0 10,000 / – तक की धनराशि दी जा सकती है। दूसरा, अंतिम प्रतिकर–इसमें पीडिता को अपराध की प्रवृत्ति के अनुसार, रू0 3 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **अंतरिम प्रतिकर** हेतु अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के तुरंत पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष इसकी हार्ड / साफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे, ताकि पात्र मामलों में अंतरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु स्वतः तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सकें एवं स्वतः भी पीडिता को धनराशि मुहैया करा सकते हैं। साथ ही पीड़िता / आश्रित, अपराध होने के तत्काल बाद, अपना आधार कार्ड, एफआईआर दर्ज की प्रति, मेडिकल प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक / राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विक्टिम कम्पनशेसन आप्सन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। **अंतिम प्रतिकर** प्राप्त करने हेतु पीड़ित / उसके आश्रित अथवा संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए एफआईआर की रिपोर्ट, चार्जसीट, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिस कोर्ट में वाद लम्बित है, का विवरण, यदि केस डिस्पोज हो गया हो तो तत्संबंधी आदेश, यदि केस हियरिंग में हो तो तत्संबंधी विवरण, पूर्व में अंतरिम सहायता प्राप्त की हो तो, तत्संबंधी आदेश, उपचार पर व्यय हुए धनराशि के बिल / विवरण, वित्तीय हानि होने का विवरण, संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करने होंगे। अथवा ऑनलाइन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट के विक्टिम कम्पनशेसन आप्सन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत, सक्षम प्राधिकारी / समिति द्वारा जांच कर धनराशि पीड़िता / आश्रित को मुहैया करायी जाती है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				यदि पीड़िता/आश्रित को कानूनी ज्ञान न होने के कारण, आवेदन करने में दिक्कत हो तो, तत्संबंधी सहायता हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। पैरा लीगल वॉलंटियर, पैनल अधिवक्ता की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट में उपलब्ध है।
5.	**"विधिक सेवा रथ" का संचालन / कार्यान्व यन।**	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाईल वैन "विधिक सेवा रथ" को जन–जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक एक माह में दो से तीन जनपदों के हर शहरी क्षेत्र से लेकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलचित्र द्वारा दिखाया जाता है। विभिन्न विषयों पर प्रकाशित **"सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक"** निःशुल्क वितरित की जाती है।	जिस क्षेत्र में संबंधित वैन जाती है, उस क्षेत्र की समस्त जनता, इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। भ्रमण कार्यक्रम हेतु गठित टीम सदस्यों द्वारा "विधिक सेवा रथ" में स्थापित प्रोजेक्टर के माध्यम से योजनाओं के बारे में आमजन को बताया जाता है।	जिस क्षेत्र में विधिक सेवा रथ, जाते हैं उस समय तत्संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा पुस्तकों की प्राप्ति के लिए पुस्तक वितरण पंजिका में सम्बन्धित व्यक्ति का नाम, पता/दूरभाष/मोबाईल नम्बर व हस्ताक्षर अंकित करवाया जाता है एवं पुस्तक निःशुल्क प्रदान की जाती है। आपके क्षेत्र में कब विधिक सेवा रथ आयेगा, इसकी सूचना पैरा लीगल वॉलंटियर के माध्यम से किया जाता है, जिनके नाम, मोबाइल नंबर सहित समस्त सूचना उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की **वेबसाईट www.slsa.uk. gov.in** पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति/महिला अथवा बच्चे को उक्त पुस्तकों की नितान्त आवश्यकता होती है तो वह जिला मुख्यालय में स्थित जिला प्राधिकरण के कार्यालय में एक लिखित पत्र प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित पुस्तकों की प्राप्ति कर सकता है। इस बावत् किसी भी दस्तावेज अथवा परिचय पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENT

बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "प्रवेशोत्सव" कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 11 अप्रैल, 2023

बेसिक शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**निःशुल्क पाठ्य –पुस्तक योजना**	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।	समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं राज्य सरकार मान्यता प्राप्त मदरसे, के कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र–छात्रायें पात्र हैं।	संबंधित स्कूलों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को स्कूल स्तर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, सत्र के प्रारम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।
2.	निःशुल्क जूता एवं बैग योजना	बालक बालिकाओं को जूता एवं बैग खरीदने हेतु, कक्षा 1 से 5 तक रू0 318.00 तथा कक्षा 6 से 8 तक रू0 462.00 प्रति छात्र,डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया गया है।	समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राये पात्र होंगे।	छात्र–छात्राओं को प्रधानाचार्य के पास आधार कार्ड, बैंक खाता जमा करने पर, सत्र प्रारम्भ होने पर डी0बी0टी0 द्वारा धनराशि भुगतान की जाती है।
3	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना	दोपहर का भोजन मेन्यू के आधार पर पकाकर बच्चों को खिलाया जाता है, जिसमें दाल चावल/सब्जी निर्धारित है। सप्ताह में 01 दिन अण्डा, फल, गुड़ पापड़ी आदि दिया जाता है तथा सप्ताह में दो दिन फोर्टिफाइड दूध भी उपलब्ध कराया जाता है।	समस्त राजकीय विद्यालय/ सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसा /स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राएं, इस योजना हेतु पात्र होंगे।	विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कार्य दिवसों में उपस्थित रहने पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
4	राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया।	कक्षा 1 से 8 तक विद्यालयों में प्रवेश करने के उपरांत, निःशुल्क शिक्षा, भोजन, जूता–बैग, पुस्तकें प्रदान की जाती है।	कक्षा 01 में प्रवेश करने हेतु बच्चे की उम्र 06 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। वर्तमान में आंगनवाडी बाल वाटिका में पंजीकृत विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।	राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 में प्रवेश प्रतिवर्ष माह अप्रैल में शुरू होता है प्रवेश करने के दौरान बच्चे का अस्पताल /ए0एन0एम0 का रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख, ग्राम पंजिका/ परिवार रजिस्टर, अभिभावक /माता–पिता द्वारा बच्चे की आयु के सम्बन्ध में दिया गया घोषणा–पत्र में से कोई एक अभिलेख मान्य है, यदि कोई अन्य स्कूल से आता है तो संबंधित स्कूल छोड़ने की टी0सी0 अनिवार्य होगी।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	**आवासीय– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय / राजीव गांधी अभिनव विद्यालय**	**कक्षा 6 से 12 तक छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा** (पठन–पाठन), आवास, भोजन, खेल इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन विद्यालयों में कुल सीटों का 50 प्रतिशत बालिकाओं एवं 50 प्रतिशत बालकों के लिए आरक्षित है तथा उक्त सीटों में 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। उक्त सीटों पर अनु0जाति0, जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनाथ आदि आरक्षण अनुमन्य है। इनमें प्रवेश कक्षा 6 के लिए होता है।	उत्तराखण्ड में कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त छात्र / छात्रायें। जिस स्कूल में पढ रहा है, उस स्कूल से कक्षा 3 एवं 4 पास किया हो तथा कक्षा 5 में उसी स्कूल में अध्ययनरत हो।	प्रवेश हेतु उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा बोर्ड, रामनगर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिस हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर तक विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र बोर्ड की बेवसाईट https://ubse.uk.gov.in/ से डाउन लोड की जा सकती है। आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थी का फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, सामान्य जाति वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (E.B.C.), अनाथ प्रमाण पत्र, तथा कक्षा 3, 4 पास होने का अंक पत्र एवं कक्षा 5 का प्रवेश पत्र संलग्न कर, अध्ययनरत स्कूल में जमा करेंगे। सम्बन्धित स्कूल द्वारा सभी आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद विद्यार्थी का प्रवेश पत्र स्कूल में प्राप्त होता है तथा माह फरवरी में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा मैरिट में आने के बाद विद्यालय विद्यार्थी को बताता है तथा विद्यार्थी कक्षा 6 से आवासीय–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी अभिनव विद्यालय में प्रवेश करता है।
2	**पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार**	राज्य स्तर पर सर्वोत्कृष्ठ परिणाम देने वाले **3 विद्यालयों** को इण्टर स्तर पर क्रमशः रु० 10.00 लाख, रु० 5.00 लाख, व रु0 3.00 लाख तथा हाईस्कूल स्तर पर क्रमशः रु० 8.00 लाख, रु० 4. 00 लाख एवं रु० 2.00 लाख **पुरस्कार** एवं **इण्टर स्तर** पर **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय** स्थान वाले छात्र छात्राओं को क्रमशः **रू0 21 हजार, रू0 15 हजार** एवं **रू0 11 हजार** पुरस्कार तथा **चतुर्थ से दशवें** स्थान तक के छात्र छात्राओं को **रू0 5100** का पुरस्कार प्रदान किया	उत्तराखण्ड बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटर स्तर पर सर्वोत्कृष्ठ परिणाम देने वाले 03 हाई स्कूल एवं 03 इंटर स्तर के विद्यालयों को यह लाभ प्रदान किया जाता है। उत्तराखण्ड बोर्ड परिषदीय परीक्षा के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र– छात्राओं को यह लाभ मिलता है।	माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने पर, बोर्ड से सूची प्राप्त करता है तथा बोर्ड के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इण्टर के छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली धनराशि की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करते हैं। संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, स्कूलों को छात्रों की संख्या के अनुसार ड्राफ्ट देते हैं एवं स्कूल विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं अथवा कई बार पुरस्कार समारोह आयोजित कर, विद्यार्थियों को धनराशि ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। इसमें विद्यार्थी को कोई आवेदन नहीं करना पडता

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		जाता है तथा **हाईस्कूल** स्तर पर **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय** स्थान वाले छात्रछात्राओं को क्रमशः **रू0 15 हजार, रू0 11 हजार, एवं रू0 8 हजार** पुरस्कार तथा **चतुर्थ से दसवें** स्थान तक के छात्र–छात्राओं को **रू0 5100** का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।		है।
3	**बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना)**	कक्षा 9 में रू0 2850 प्रति बालिका की दर से, जिसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए साईकिल एवं पर्वतीय क्षेत्र में रू0 2850 की एफ.डी. के माध्यम से।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रायें।	उत्तराखण्ड बोर्ड के अधीन राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशा0 मा0 विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या प्राप्त कर, विद्यालयों को साइकिल / एफ.डी. प्रदान करता है तथा विद्यालय अध्ययनरत बालिकाओं को साइकिल / एफ.डी. उपलब्ध कराता है। इसमें विद्यार्थी कोई आवेदन नहीं करता।
4	**डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति**	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं के घोषित परिणाम में 100 शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र–छात्राओं में से गढ़वाल मण्डल के 50 एवं कुमाऊं मण्डल से 50 छात्र–छात्राओं को रू0 1500.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह।	इस परीक्षा में वह विद्यार्थी शामिल होंगे जो, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय निकाय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (केन्द्रीय एवं आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की कक्षा 8 में संस्थागत छात्र–छात्रा के रूप में अध्ययनरत हो। कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में न्यनूतम 50 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कक्षा 09 से 12 तक 4 वर्ष हेतु दिया जायेगा।	इन छात्रवृत्ति परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह सितम्बर–अक्टूबर में आवदेन–पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in,एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन /परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 7 का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र,संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म, अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा। प्रधानाचार्य, फॉर्म में लगे दस्तावेजों एवं स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति देंगे तथा फॉर्म को जांच कर, अनुमानित तिथि 12 नवम्बर तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल / खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिवर्ष जनवरी माह में परीक्षा आयोजित होती है सफल होने के
5	**श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति**	SCERT उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डॉ0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरान्त बाकी छात्र–छात्राओं को प्रति विकासखण्ड से 05 छात्र–छात्राओं (95X5=475) का चयनोपरान्त छात्रवृत्ति देय होगी, रू0 1000.00 प्रतिमाह 10 माह।		

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
				उपरांत, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी से आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता विद्यालय में जमा करेगा तथा विद्यार्थी को छात्रवृति खाते में मिलने लग जाती है।
6	**आर0आई0 एम0सी0 छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति)**	रू0 1000.00 प्रतिमाह के दर से छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है।	राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के छात्र / छात्रायें	विद्यार्थी, RIMC में प्रवेश करने के उपरांत, कॉलेज के प्रशासकीय कार्यालय में छात्रवृति हेतु अनुरोध पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं आधार लिंक बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करता है तथा RIMC उत्तराखण्ड के समस्त छात्र–छात्राओं का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करता है। विभाग प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कॉलेज को धनराशि उपलब्ध कराता है तथा कॉलेज प्रतिमाह रू0 1000/– छात्र–छात्रा को अध्ययनरत होने तक उपलब्ध कराता है।
7	**प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति**	रू0 12000/– तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृति 40,000. वार्षिक। रू0 12,001 से 15,000/– तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 30,000 वार्षिक। रू0 15,001 से 18,000/– तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 20,000 वार्षिक। रू0 18,001 से 22,000/– तक मासिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी को 10,000 वार्षिक।	प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में कक्षा 6–12वीं तक के, उत्तराखण्ड मूल के समस्त विद्यार्थी। परिवार की आय के आधार पर छात्रवृति दी जाती है। रू0 22,000– मासिक आय से ऊपर वाले परिवार के विद्यार्थी को यह छात्रवृति अनुमन्य नहीं है।	विद्यार्थी राज्य के बाहर जिस सैनिक स्कूल में अध्ययनरत होगा, उस स्कूल में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर एवं प्रार्थना पत्र के साथ परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसील से निर्गत वैध प्रमाण पत्र), विद्यार्थी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते का प्रमाण जमा करेगा। राज्य के बाहर स्थित सभी सैनिक स्कूल, प्रार्थना पत्रों को, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रेषित करेंगे एवं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सभी प्रार्थना पत्रों को एकत्रित कर, प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजेगा तथा विभाग, सैनिक स्कूल घोडाखाल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को धनराशि आवंटित करते हैं एवं विद्यालय, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।
8	**मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर)**	कक्षा 06 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को रू0 600 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु। कक्षा 07 – रू0 700 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु । कक्षा 08 – रू0 800 प्रतिमाह 01 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशा0 विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोडकर) में कक्षा 5 (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 6 में अध्ययनरत हो,	छात्रवृति परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माह जून–जुलाई में आवदेन–पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कायार्लय अथवा विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाइट schooleducation.uk. gov.in, एवं SCERT उत्तराखण्ड की वेबसाइट scert.uk. gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			ऐसे छात्र छात्राओं के मध्य SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रो में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र–छात्राएं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 6 एवं 7 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति / जनजाति को 5 प्रतिशत अंको / उपस्थिति में अधिमान। छात्रवृति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ नहीं दिया जायेगा।	आवेदन प्रक्रिया आफलाइन है। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन / परीक्षा शुल्क देय नहीं है। आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 5 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 6 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार लिंक बैंक खाता, विवरण संलग्न करना होगा तथा फॉर्म में सही जानकारी लिखनी होगी एवं फॉर्म अध्ययनरत स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा करना होगा। प्रधानाचार्य, दस्तावेजों / स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर फोटो एवं फॉर्म पर संस्तुति देंगे तथा फॉर्म की जांच कर अनुमानित तिथि 21 अगस्त तक, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जमा करने के उपरांत खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रवेश पत्र जारी करते हैं। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्कूल / खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा प्रतिवर्ष अनुमानित सितम्बर माह में आयोजित होती है तथा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ट होती है। मैरिट में आने पर प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाता है और विद्यार्थी को धनराशि उसके खाते में मिलने लग जाती है।
9	**मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर)**	कक्षा 09– रू0 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु । कक्षा 10– रू 900 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु ।	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोडकर) में कक्षा 8 (संस्थागत) से उत्तीर्ण किया हो एवं कक्षा 9 में अध्ययनरत हो, ऐसे छात्र / छात्राओं के मध्य SCERT द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षा आयोजित करायी जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति /	आवेदन पत्र भरते हुए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र, कक्षा 9 में अध्ययनरत होने का प्रवेश पत्र। अन्य प्रावधान **क्रमांक 8** में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			जनजाति को 5 प्रतिशत अंको / उपस्थिति में अधिमान। अन्य प्रावधान **क्रमांक 8** में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	
10	**मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)**	कक्षा 11– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु कक्षा 12– रू0 1200 प्रतिमाह 1 वर्ष हेतु	राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोडकर) में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रदान की जाती है। चयनित विद्यार्थी को कक्षा 11 में उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य। अनुसूचित जाति / जनजाति को बोर्ड परीक्षा में 5 प्रतिशत अंको / उपस्थिति में अधिमान। अन्य प्रावधान **क्रमांक 8** में उल्लिखित पात्रता के अनुसार।	इस छात्रवृति का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं देनी होती है। विभाग स्वयं बोर्ड के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करता है। विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल में आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र संलग्नक कर प्रार्थना पत्र के साथ जमा करेंगे। विद्यालय में बजट उपलब्ध होने पर धनराशि विद्यार्थी के खाते में भेजी जाती है।

****

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला, देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "प्रवेशोत्सव" कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 11 अप्रैल, 2023

समग्र शिक्षा परियोजना

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**ECCE** (प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा)	राज्य के राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में अवस्थापना विकास (फर्नीचर, टी0एल0एम0, चाइल्ड, फ्रैडंली फर्नीचर) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराना। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिका का प्रशिक्षण। बच्चों की विद्यालय पूर्व तैयारी एवं कक्षा– 1 में प्रवेश से पूर्व बच्चा संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कौशल प्राप्त कर सके।	3 से 6 आयु के बालक / बालिका अर्ह होंगे। 6 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व की अवस्था।	बच्चे को संबंधित को–लोकेटड आंगनबाडी केन्द्रों में ले जाना पडता है तथा साथ में बच्चे का आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र, जिससे आयु प्रमाणित हो सके, ले जाना पडता है, जो बच्चे के प्रवेश पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। प्रवेश निःशुल्क है तथा बच्चे का प्रवेश 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच कभी भी कर सकते हैं। राजकीय विद्यालय के परिसर में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों / बालवाटिका में सेवित क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित आयु वर्ग के समस्त बच्चों का पंजीकरण।
2.	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास)	छात्रावासों में उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा–6 से कक्षा–12 तक) पर विभिन्न अपवंचित समूह की बालिकाऐं जैसे–सामाजिक अपवंचित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं को चिन्हित एवं नामांकित किया जाता है।	योजना में लक्षित समूह के दृष्टिगत एस०सी०, एस0टी0, ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से 75% बालिकाओं को के०जी0बी0वी0 में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा शेष 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं हेतु। उक्त के अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनकी वार्षिक आय रू0 55,000 से कम हो अथवा जिन बालिकाओं के माता–पिता अथवा माता–पिता में से कोई एक जीवित न हों, भी पात्र होंगें।	शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र 1–शालात्यागी प्रमाण–पत्र / कभी न विद्यालय जाने का प्रमाण–पत्र / शपथ–पत्र / घोषणा पत्र 2–बी०पी०एल० प्रमाण–पत्र / राशन कार्ड 3–आय प्रमाण–पत्र / जाति प्रमाण–पत्र 4–विद्यालय की निवास स्थान से 03 कि0 मी0 से अधिक दूरी का प्रमाण–पत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास कुल 13 छात्रावास देहरादून (बनियावाला, आराघर, झड़ीपानी, नाभाहाउस–ऋषिकेश) हरिद्वार (अलीपुर, लालढांग, मोहितपुर), पौड़ी (श्रीनगर, पीठसैंण), चम्पावत एवं ऊधमसिंहनगर (गदरपुर, काशीपुर, सितारगंज)	छात्रावासों में निवासित सभी बच्चे औपचारिक शिक्षा हेतु निकटस्थ विद्यालयों में नांमाकित किये जाते है। छात्रावास के अन्तर्गत समस्त सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। बच्चों को रू0 200 / – प्रतिमाह का Stipend भी दिया जाता है।	उम्र 6 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे बालक–बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा दी जाती है, जो बीपीएल परिवार अथवा जिनके परिवार की वार्षिक आय रू० 55,000 / – से कम हो अथवा एस0सी0 / एस0टी0 / ओ०बी०सी० तथा अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अथवा जिन बालक–बालिकाओं के माता –पिता अथवा माता–पिता में से कोई एक जीवित न हों, अथवा दिव्यांग बालक–बालिका हो, अथवा कूडा बीनने वाले / भीख मांगने वाले बच्चे, शहरी अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे।	शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रावास वार्डन / खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए रिक्त सीटों के सापेक्ष आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप समग्र शिक्षा की वेबसाइट https://ssa-uk-gov.in/ से डाउनलोड अथवा छात्रावास वार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज होने आवश्यक हैं :– अनाथ / भीख मांगने / कूड़ा बीनने की स्थिति में बच्चों के समस्त दस्तावेज छात्रावास स्तर से बनवाये जाते हैं। अन्य बच्चों की स्थिति में बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर। माता–पिता / अभिभावक का आधार कार्ड। बी०पी०एल० प्रमाण–पत्र / राशन कार्ड। (बी0पी0एल0 होने की दशा में) अथवा रू0 55,000 / – तक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र के साथ उक्त समस्त दस्तावेज, माता–पिता / स्वयं, सम्बन्धित छात्रावास में जमा कर सकते हैं तथा प्रबंधन समिति द्वारा सभी मानकों को देखकर एवं छात्रावास की सीटों की रिक्तता के आधार पर, छात्रावास में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है।
4.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009	अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के ग्रामीण एवं शहरी बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश एवं पीएमपोषण योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। निजी विद्यालयों की सबसे न्यूनतम कक्षा में कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।	कमजोर वर्ग के बच्चेः– जिनके माता –पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 55,000 या उससे कम हो अथवा बीपीएल कार्ड धारक हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चेः–SC, ST के तथा ऐसे बच्चे जो ओबीसी जाति के नॉन क्रीमीलेयर के हों तथा परिवार की सालान आय 4.5 लाख हो। अनाथ बच्चे। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे। HIV AIDS+ बच्चे अथवा HIV AIDS+ माता–पिता आश्रित बच्चे। दिव्यांग माता–पिता या कुष्ट रोग	सर्वप्रथम माह फरवरी–मार्च में विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन बच्चे के माता–पिता / स्वयं https://rte121c-ukd.in/ uttarakhand पोर्टल पर अथवा साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व एवं अपवंचित / कमजोर वर्ग निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– 1–बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता / पिता का आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र (जो कॉलम 3 में लिखी है।), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विधवा की दशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा में तलाक प्रमाण पत्र, अनाथ प्रमाण पत्र इत्यादि। 2–बच्चे / अभिभावक द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पता पूर्ण करने पर, पोर्टल पर सम्बन्धित बच्चे / अभिभावक को अपने वार्ड में स्थित विद्यालयों की सूची दिखती है, और उन्हें निकटस्थ विद्यालयों का चयन करना पड़ता है उसके उपरांत फार्म ऑनलाइन जमा करने के बाद प्रिंटआउट, जिसमें सभी दस्तावेजों की (जो चयनित किए हैं) छाया

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			से प्रभावित माता–पिता पर आश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो। तलाकशुदा अथवा विधवा महिला के आश्रित बच्चे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 80,000/– से कम हो।	प्रति लगाकर, अभिभावक द्वारा बच्चे का आवेदन पत्र सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना पड़ता है। 3–विकास खण्ड स्तर पर समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं तद्नुसार ऑनलाइन पोर्टल पर जाँच में सही पाये गए छात्रों को सत्यापित किया जाता है। 4–निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाता है।
5.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0 पोषण)	राजकीय विद्यालय में संचालित को–लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कार्य दिवसों पर दोपहर का पौष्टिक भोजन मौसमानुसार फल, अण्डा, दूध आदि दिया जाता है।	बालवाटिका, प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से कक्षा 5), उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से कक्षा 8) के राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी छात्र।	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चे का एडमिशन करने के उपरान्त उक्त लाभ बच्चे को स्कूल में ही दिया जाता है।
6.	व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के कक्षा–9 से 12 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अकादमिक शिक्षा के साथ ही रोजगारपरक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु NSQF के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत 08 सेक्टर संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें छात्र–छात्राओं को व्यवसायपरक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है ।	चयनित 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं।	व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में सभी छात्र–छात्राएं उस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित सेक्टर में प्रवेश ले सकते हैं। यदि अन्य विद्यालय का कोई छात्र–छात्रा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं, संचालित अन्य विषयों की भांति व्यावसायिक शिक्षा को एक विषय के रूप में चयनित कर सकता है इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन हेतु किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम।

उच्च शिक्षा विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	रू. 50,000/– प्रति अभ्यर्थी को लाभ दिया जाता है।	राज्य लोक सेवा आयोग, द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में सफल हुए 100 अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख', की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेस (यथा एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी आदि) के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल समस्त अभ्यर्थी। उत्तराखण्ड के स्थायी या मूल निवासी हो। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाऐं/उक्त सेवाओं के निम्मित निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (संस्थागत/ओपन) उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों। परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु0 5 लाख से अधिक न हो। राज्य एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य समकक्ष योजना का लाभ न लिया गया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं किसी नौकरी/ व्यवसाय /वृति में हों अथवा उनकी पत्नी/पति किसी नौकरी/व्यवसाय में कार्यरत हो, लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।	राज्य लोक सेवा अयोग, तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख', की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम आने के 03 माह के भीतर एवं आर्म्ड फोर्सेस की लिखित परीक्षा पास होने के प्रशिक्षण के दौरान आवेदक, आवेदन प्रारूप, उच्च शिक्षा विभाग https://he.uk.gov.in/ की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :– आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हाईस्कूल/इण्टर/स्नातक/स्नातकोत्तर/समकक्ष शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण का रिजल्ट एवं एडमिट कार्ड । आर्म फोर्सेज की स्थिति में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं एडमिट कार्ड। उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में प्रेषित करना होगा। वर्तमान में आफलाइन है। ऑन लाईन पोर्टल समर्थ के माध्यम से आवदेन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त गठित समिति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम 100 अभ्यर्थियों एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा आर्म्ड फोर्सेज से सभी अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेखों के जॉच उपरान्त धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है।
2	एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000/– प्रति अभ्यर्थी	जिन अभ्यर्थियों का चयन एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में हुआ हो एवं वर्तमान में ट्रेनिंग अथवा सेना में कार्यरत हो, अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी या मूल निवासी हो तथा प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, पात्र होंगे।	अभ्यर्थी, सेवा में चयनित होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आवेदन करेगा। आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग https://he.uk.gov.in/ की वेबसाइट से डाउनलोड करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :– अभ्यर्थी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यदि प्रशिक्षण के उपरांत ज्वाइनिंग प्राप्त हो गयी हो तो तत्संबंधी प्रमाण

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				पत्र एवं उक्त योजना का लाभ पूर्व में न लेने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करने के उपरांत उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को प्रेषित करना होगा। आवेदन पत्रों की निदेशालय स्तर पर प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में धनराशि रु0 50 हजार शासन स्तर से निर्गत की जाती है।
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 50,000, 30,000 एवं 15,000 एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 75,000, 60,000, एवं 30,000 धनराशि प्रदान की जाती है।	राज्य के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमांऊ विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय एवं इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरांत विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले टॉप 03 छात्रों पर लागू होती है। योजनार्गत 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपात्र होंगे। योजना के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर में सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा एवं किसी वर्ष में ड्राप कर अगली कक्षा में उक्त छात्र योजना के लिए अपात्र होंगे।	विभाग द्वारा शासकीय विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र–छात्राओं की संकायवार सूची मांगी जाती है तथा छात्र–छात्राओं का डाटा समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर छात्रवृत्ति का छात्र–छात्राओं के खाते में किया जाता है। इसके लिए छात्र–छात्राओं को स्वयं कोई आवेदन नहीं करना होता है।
4	ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अध्ययनरत् 50 छात्राओं को रू0 51,000 प्रति छात्रा, यह छात्रवृत्ति दी जाती है।	प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को यह धनराशि दी जाती है तथा छात्रा के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु0 6 लाख से अधिक न हो एवं स्नातक कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक।	उत्तराखण्ड सरकार एवं ऋषि एवं मिलान खोसला फाऊण्डेशन नोएडा उत्तर प्रदेश के समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में संचालित है। इसके आवेदन प्रायः माह दिसम्बर–जनवरी में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, कॉलेज/महाविद्यालयों को सूचित करके मांगे जाते हैं। छात्रा को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त माह में www.vidyasaarathi.co.in में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, आवेदन के साथ छात्रा का आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्नातक के समस्त वर्षो का प्रमाण/अंकतालिका, कॉलेज आईडी, स्नातकोत्तर में प्रवेश संबंधी प्रमाण के साथ आवेदन करना पडता है।
5	प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल	महिन्द्रा प्राईड क्लास रुम, नन्दी फाऊंडेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न	महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राऐं।	उत्तराखण्ड सरकार एवं Nandi Foundationds समझौता ज्ञापन (MOU) के क्रम में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का संचालन सतपुली, काण्डा, नैनबाग,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना।	महाविद्यालयों में सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण आयोजित कराया जा रहा है।।		गरूड़, लोहाघाट, रानीखेत, हल्द्वानी एवं रायपुर के चयनित राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।
6	उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक संकायवार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को न्यूनतम रू0 1,500 एवं अधिकतम रू0 60,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	प्रत्येक महाविद्यालय / परिसर स्तर परः-(संकाय में) 1-स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्राप्तांक / समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृति। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक / समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 3,000, 2,000 एवं 1,500 मासिक छात्रवृति। स्नातक स्तर की परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक / समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 35,000, 25,000 एवं 20,000 एकमुश्त छात्रवृति प्रदान की जायेगी। 2-स्नात्तकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक / समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः रू0 5,000, 3,000 एवं 2,000 प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जायेगी। 3- स्नात्तकोत्तर अंतिम वर्ष अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं में से प्रथम वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 60% प्राप्तांक	राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति हेतु नियत समय के भीतर समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login पर अपना पंजीकरण करते हुए पंजीकरण प्रारूप सहित आधार कार्ड, बैंक खाता, जिस परीक्षा में 80 प्रतिशत / 60 प्रतिशत / 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उससे सम्बन्धित समस्त शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के साथ नोडल एवं प्राचार्य / कुल सचिव से प्रमाणित करवाना होगा। समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं कॉलेज में पुष्ट किए गये दस्तावेजों की जांच के उपरान्त विभाग द्वारा वेबसाईट पर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी जाती है तथा उसके उपरान्त पात्र लाभार्थियों को खाते में धनराशि प्राप्त होने लग जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			/समतुल्य ग्रेड के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 60,000, 35,000 एवं 25,000 एकमुश्त छात्रवृति प्रदान की जायेगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (यथा लागू) वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय/वि०वि० के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक लाएंगे तथा जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1,500/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त प्राप्त अंकों को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा। सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी।	
7	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार द्वारा शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि रू0 15 लाख तथा विशेष परिस्थितियों में रू0 18 लाख दी जाती है।	राज्य के शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संबंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं एवं शोध अध्येता पात्र होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रमुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह शोध अन्वेषक भी आवेदक हो सकता है। शोध हेतु व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन होगा किन्तु शोध हेतु अंर्तविषयक (Interdisciplinary) विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। राज्य से संबंधित जिससे सामाजिक, आर्थिक समसामयिक अथवा अन्य विशिष्ट महत्व की उत्पादकता और उपादेयता सिद्ध होती हो, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध प्रस्तावों में विशिष्ठ समस्या, समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programme) वरीयता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा विशिष्ट समस्याओं के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को	शोधार्थी को शोध हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/ index.php site/login के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान शोधार्थी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के 15 दिनों के अंदर संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा अग्रसारित करना होगा अन्यथा स्वतः रूप से अगले स्तर के लिए अग्रेसित हो जाएगा। उसके उपरान्त मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावों का आंकलन कर शोध हेतु अनुदान राशि 03 किस्तों में संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से प्रदान की जायेगी। प्रमुख शोध अन्वेषक (Principal Investigator) के लिखित अनुरोध पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमुख शोधकर्ता/शोधार्थी को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध के अधिकतम 03 दिनों के अंदर यह राशि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित निदेशक शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			आमंत्रित किया जा सकता है। शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी शिक्षक / शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।	लिया जाएगा– प्रथम किस्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान राशि उपभोग प्रमाण– पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही देय होगी। तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होगी। शोध मौलिक तथा यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप होगा। शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी (Research Assistant) के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक रू0 5,000 / – प्रति माह की दर से देय होगा।
8	समर्थ पोर्टल **https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login**	कोई भी विद्यार्थी जो स्नातक / स्नातकोत्तर में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व विद्यालय / महाविद्यालय (तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं एच0एन0बी0 विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े समस्त महाविद्यालयों को छोड़कर) में प्रवेश हेतु इच्छुक हो, समर्थ पोर्टल में पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करने से विद्यार्थी को राज्य के कॉलेज / विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कई संस्थानों में आवेदन नहीं करने पड़ते हैं।	विद्यार्थी जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्व विद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक / स्नाकोत्तर में प्रवेश हेतु इच्छुक हो।	समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु विद्यार्थी का आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाईल नम्बर, बैंक खाता, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शैक्षिक प्रमाण–पत्र (मार्कशीट एवं सर्टीफिकेट एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट यदि बोर्ड चेंज हो तो) चरित्र प्रमाण–पत्र, जिस संस्थान में अन्तिम रूप से पढ़ाई की हो, अनिवार्य हैं। उक्त के अतिरिक्त EWS, दिव्यांग / यू0आई0डी0, अनाथ प्रमाण पत्र, यदि लागू हों। एंटी ड्रग शपथ–पत्र, जो भारत सरकार के mygov-https://www.mygov.in/ ऐप पर पंजीकरण करने के उपरान्त शपथ लेकर डाऊनलोड किया हो। इस ऐप पर पंजीकरण हेतु आधार नं0, मोबाईल नं0 एवं ई0मेल आई0डी0 अनिवार्य है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

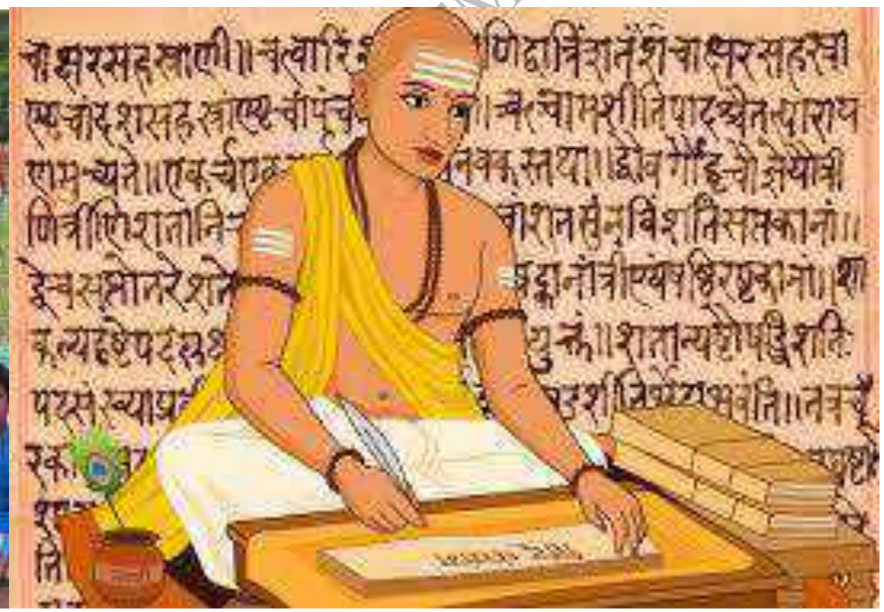

संस्कृत शिक्षा विभाग

(उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	संस्कृत छात्र प्रतियोगिता– (1.संस्कृत नाटक, 2. समूहगान, समूहनृत्य, वाद–विवाद, आशुभाषण श्लोकोच्चारण)	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक–पृथक 06 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। 1.विकासखण्ड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 800/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 300/– एवं अधिकतम रू0 500/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2. जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 2000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 400/– एवं अधिकतम रू0 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 1. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रू0 3000/– एवं अधिकतम रू0 20000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रू0 1500/– एवं अधिकतम रू0 5000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय /अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत संस्थागत छात्र व छात्राऐं (इसमें सभी छात्र/छात्राए सम्मिलित होंगी किंतु बीएड, पीएचडी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्र–छात्राओं का प्रतिभाग प्रतिबंधित है।) प्रतिभाग करती हैं। यह प्रतियोगिता साल में एक बार (आम तौर पर सितम्बर–नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना अकादमी जारी करके संबंधित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को भेजती है।	छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय /कॉलेज स्तर पर करने के उपरांत, प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। खण्ड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। उसके उपरांत प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार धनराशि दी जाती है।
2	अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय रु.3000/– प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के संस्कृत कवि	यह आयोजन 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्यापनरत शिक्षक जो संस्कृत कवि के रूप में विख्यात हों की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित कवियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्तुत कवियों को काव्यपाठ हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रू0 5,000 / – द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 4,000 / – तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 3,000 / –	संबंधित छात्र / छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (विद्यालयी शिक्षा परिषद) में संस्कृत विषय में / पूर्वमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / उत्तरमध्यमा परीक्षा (संस्कृत शिक्षा परिषद) / शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्दीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग) की कक्षाओं / स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांको के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके, संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र / छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव से पत्राचार करके, स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
4	अनुसचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र / छात्रा को रू0 300 / –प्रतिमाह, कक्षा 9–10 के छात्र / छात्रा को रू0 400 / –प्रतिमाह एवं कक्षा 11–12 के छात्र / छात्रा को रू0 500 / –प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक के अध्ययनरत संस्थागत 100 छात्र–छात्रायें, जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, वे अर्ह होंगे।	संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय में अध्ययनरत अनु. जाति / जनजाति के संस्थागत छात्रछात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रदान की जाती है।
5	संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में संस्कृत विषय में पी.एच.डी हेतु पंजीकृत 20 छात्र–छात्राओं को वार्षिक रु.40,000 / – की शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति 03 वर्ष हेतु रू0 40,000.00 प्रतिवर्ष दी जाती है जिसे प्रत्येक सत्र / वर्ष में आवेदन देकर नवीनीकृत कराना होगा।	शोध छात्रवृत्ति के लिए सामान्य श्रेणी के 10, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 05 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र धारित के 05 सहित कुल 20 पंजीकृत / अध्ययनरत शोधछात्रों को नेट परीक्षा में सर्वाधिक प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है।	शोधछात्र वृत्ति हेतु प्रतिवर्ष दैनिक समाचार पत्रों एवं अकादमी की बेबसाईड पर विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त दस्तावेजों के साथ, आधार कार्ड, नेट परीक्षा अंकपत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, पीएचडी पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता संबंधी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना पडता है। प्राप्त आवेदनों को चयन समिति द्वारा परीक्षण के पश्चात् अर्ह शोधछात्रों को संस्कृत विषय में शोध हेतु वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा संचालित योजनाएं / पाठ्यक्रम			
1	पी.जी. डिप्लोमा (**P.G. Diplom**) 1. ज्योतिष 2.	स्वरोजगारपरक डिप्लोमा (एक वर्ष)	स्नातक छात्र / छात्रा (किसी भी संकाय से)	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पडता है। आवेदन प्रक्रिया जून से अगस्त माह तक चलती है। आवेदन जमा करते समय वांछित योग्यता से संबंधित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	वास्तुशास्त्र 3. योग 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 5. पौरोहित्य एवं कर्मकाण्ड			अंकपत्र / प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानान्तरण / प्रवर्जन प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, (शिक्षणेत्तर कार्यक्रम में प्रवीणता का प्रमाण पत्र यदि हो), संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रू0 10,000 / –है।
2	सर्टिफिकेट (Certificate) 1. योग 2. संस्कृत 3. कर्मकाण्ड 4. कम्यूनिकेटिव इंग्लिस 5. पर्यावरणीय जागरूकता	स्वरोजगारपरक कोर्स (06 माह)	10+2 अथवा समकक्ष	आवेदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर ऑफलाइन जमा करना पडता है। आवेदन प्रक्रिया जून से अगस्त माह तक चलती है। सत्र प्रारम्भ 01 अगस्त से होता है। आवेदन जमा करते समय वांछित योग्यता से संबंधित अंकपत्र / प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थानान्तरण / प्रवर्जन प्रमाण पत्र, पूर्व संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र,, संलग्न करने होंगे। प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित शुल्क रू0 6000 / –है।
3	मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र / छात्रा को संबंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	संबंधित पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिये अर्ह होगा।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र / छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। संबंधित विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कक्षा का अंकपत्र, बैंक खाता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे। प्रकोष्ठ आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र / छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अर्ह छात्र / छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
4	निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र / छात्रा को संबंधित कक्षा के शिक्षण शुल्क की राशि के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रति कक्षा एक छात्र संबंधित पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय में सबसे न्यूनतम वार्षिक आय (समस्त आवेदकों में से, जिसका आय प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि का हो) धारित करने वाले विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति के लिये अर्ह होंगे।	विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ छात्र / छात्राओं हेतु आवेदन पत्र निर्गत करती है। विद्यार्थी हाईस्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, विश्वविद्यालय का पहचान पत्र के साथ आवेदन पत्र भरकर प्रकोष्ठ में जमा करेंगे।प्रकोष्ठ आवेदनों की स्क्रूटनी करने के उपरान्त पात्र छात्र / छात्राओं की सूची जारी करता है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त अर्ह छात्र / छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि प्रेषित की जाती है।
		संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं / पाठ्यक्रम		
1	**संस्कृत पाठ्य**	**कक्षा** 1 से 5 तक रू. 250 / – कक्षा 6 से	संस्कृत विद्यालयों की कक्षा–01 से	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण	8 तक रू. 400 / – कक्षा 9 से 10 तक रू. 600 / – कक्षा 11 से 12 तक रू. 700 / – की धनराशि, आर्थिक सहायता के रूप में प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।	12 में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे।	द्वारा अग्रसारण / संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक खाता छात्र / छात्रा (जिस कक्षा में पढ रहे हों, उसी सत्र में स्वयं / अभिभावक स्वतः अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**
2	**संस्कृत विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति**	पूर्व मध्यमा (कक्षा–10) के कुल मेधावी विद्यार्थियों को 20 माह के लिए प्रति माह रू. 500 / – की छात्रवृत्ति दी जाती है तथा **उत्तर मध्यमा (कक्षा–12)** के 03 मेधावी विद्यार्थियों को प्रथम स्थान– रू0 20,000 / – द्वितीय स्थान–रू0 15,000 / – तृतीय स्थान–रू0 10,000 / – की धनराशि दी जाती है।	संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मैरिट लिस्ट में टॉप 10), जो उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित / मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में ही उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों **तथा उत्तर मध्यमा (कक्षा–12) के 03 मेधावी विद्यार्थियों** को संस्कृत विद्यालयों की परिषदीय परीक्षा के मेधावी छात्रों (मैरिट लिस्ट में टॉप 03) को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।	सम्बन्धित छात्र के आवेदन को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण / संस्तुति के पश्चात् सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक द्वारा संस्तुति प्रदान करना। **दस्तावेज –** आधार कार्ड, बैंक खाता, मेरिट सूची का प्रमाण पत्र। छात्र / छात्रा (मैरिट सूची में आने पर) उसी सत्र में स्वयं / अभिभावक स्वतः अपणिसरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड

मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागडा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	प्रदेश के विभिन्न अंचलो एवं प्रदेश के बाहर प्रचलित पारम्परिक मेलों/ त्योहारों/पर्वों/उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर संस्कृति विभाग देहरादून में पंजीकृत दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के उपरांत दलनायक को देय मानदेय रू० 1000/– एवं कलाकार को रू० 800/– मात्र, दलनायक का यात्रा भत्ता रू0 500/– एवं अन्य कलाकारों भत्ता रू0 500/– एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रू0 400/– मात्र। यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में विभाग में कुल 258 सांस्कृतिक दल एवं 135 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।	संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दल/ कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों/कलाकारों के पंजीकरण हेतु ऑडिशन हर तीन माह में किया जाता है। ऑडिशन में चयनित होने के उपरान्त निम्न दस्तावेजों की आवश्यता होती है :– संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, बायलॉज, विगत तीन वर्षो के संस्कृति के क्षेत्र में कार्य अनुभव तथा किये गये कार्यो का विवरण, दल में कलाकारों की संख्या तथा विवरण, कुल कलाकारों के लिए विगत तीन वर्षो में सांस्कृतिक क्षेत्र में किये गये कार्यो का विवरण, उत्तराखण्ड का मूल निवासी/स्थाई प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है। तदोपरांत पंजीकरण प्रमाण संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। **मा0 मंत्री जी महासू देवता मंदिर, के जागडा काय**
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध, विपन्न कलाकार,साहित्यकार एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना।	विभाग द्वारा रू० 3000– प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।	वृद्ध, विपन्न कलाकार, साहित्यकार एवं लेखक, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। मासिक आय रू0 3000 से अधिक न हो। उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी ।	पेंशन योजना का प्रारूप संस्कृति निदेशालय, देहरादून से अथवा संस्कृति विभाग की http://uttarakhandculture.in/schemes.php से डाऊनलोड कर प्राप्त कर सकता है। उसके उपरांत आवेदन पत्र के साथ पात्र आवेदक स्वयं एवं परिवार का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आश्रितों का विवरण, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य द्वारा प्रदत कलाकार/ साहित्यकार/लेखक संबंधी प्रमाण–पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण/जिला प्रशासन की संस्तुति अनिवार्य है। यह दस्तावेज संलग्न करके संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड में जमा करना अनिवार्य है।निदेशक द्वारा आवेदन की जांचोपरान्त

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				सचिव / प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं संबंधित कलाकार को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार / जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन का भुगतान किया जाता है। मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकार / साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित के रूप में उनके पति को तथा पुरूष कलाकार / साहित्यकार की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।
3.	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नही हो पाती हैं, उन्हें विभाग द्वारा अधिकतम रू0–2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	राज्य का स्थायी / मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। जिसके आधार पर पात्र लेखकों को संस्कृति निदेशालय, देहरादून में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ लेखकों को अप्रकाशित पाण्डुलिपि, पुस्तक छपवाने का कोटेशन, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या एवं आई०एफ० एस०सी० कोड, पेन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभाग में प्राप्त पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निदेशालय स्तर पर निदेशक संस्कृति की अध्यक्षता में लोक संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में विद्वतजन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों एवं संस्कृति निदेशालय के वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारी सम्मिलित किये जाते हैं। इस समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
4.	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, की उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रू0 50 हजार की धनराशि, यात्रा पूर्ण करने के उपरांत ही प्रदान की जाती है ।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम के द्वारा की	आवेदन करने हेतु कोई प्रारूप नहीं है परंतु पात्र व्यक्ति, प्रार्थना पत्र निदेशक संस्कृति निदेशालय के नाम से लिखकर उसके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम से किये जाने का प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने संबंध प्रमाण पत्र, विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र एवं यात्रा से सम्बधित अन्य अभिलेख, बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी०

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			गई हो।	कोड अंकित हो, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर जमा करेगा। उसके बाद निदेशक कार्यालय द्वारा जांचोपरान्त सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति की जाती है।
5.	अ०जा० / जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश–भूषा का क्रय करने हेतु	अनु0जाति / जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय स्रोत पारम्परिक कला से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश–भूषा नहीं हैं, को उनके जीवन यापन के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊं, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाडा,ढाल तलवार आदि) एवं वेश–भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। जीवनकाल में यंत्र एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय रू0 2000 / – से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।	अ०जा० / जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों / वेषभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरांत संबंधित व्यक्ति रू0 2000 / – मासिक आय प्रमाण पत्र, कलाकार / वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या / बैंक आई०एफ०एस०सी० कोड ,पेन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करके निदेशक संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद उक्त वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।
6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय (देहरादून, पौडी एवं अल्मोडा)	इन महाविद्यालयों में गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक रू0 40 तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रू0 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रू0 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, कथक नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जनवरी माह में फॉर्म वितरित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जनवरी से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न की जाती हैं। उसके उपरांत प्रवेश दिया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 05 जून, 2023

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**1–प्रगति छात्रवृत्ति (उत्तराखण्ड मूल के 81 छात्राओं के लिए (डिप्लोमा) एवं 50 स्नातक स्तर के लिए)**	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	केवल बालिकाओं के लिए वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर और प्रत्येक परिवार की अधिकतम दो बालिकाओं तक अनुमन्य।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इन छात्रवृत्ति योजनाओं में निम्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी होती हैं:– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजना के तहत एन0एस0पी0 पोर्टल के माध्यम से माह सितम्बर से दिसम्बर के मध्य आवेदन मांगे जाते हैं। अखिल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज – हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र। **प्रगति योजना हेतु** 02 छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य हो सकती है, जिसके सम्बन्ध में आय प्रमाण पत्र। **सक्षम योजना हेतु** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। **स्वनाथ योजना हेतु** अभ्यर्थी के पिता / माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है। समस्त योजनाओं हेतु छात्र / छात्राओं द्वारा प्रथमतः अध्ययनरत संस्था से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, जिसे सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त राज्य स्तरीय अधिकारी (S.L.O.) द्वारा ऑनलाईन आवेदन सत्यापित कर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (ए0आई0सी0टी0ई0) को अग्रसारित (Forward) किया जाता है।
2.	**2– सक्षम छात्रवृत्ति**	स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	दिव्यांग छात्र–छात्राओं हेतु दिव्यांगता 40% से अधिक वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	
3.	**3– स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना**	डिप्लोमा / स्नातक स्तर के लिए रू0 50 हजार प्रतिवर्ष।	अनाथ / जिनके माता–पिता अथवा माता पिता में कोई एक कोविड–19 में मृत हुए हों / किसी सैन्य और केन्द्रीय सुरक्षा बल में शहीद के आश्रित। वार्षिक आय रू0 8 लाख होने पर	

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME ... IT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य पोषित योजना एम्पलायमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम **(ELSTP)**	यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 6 माह है जिसमें रोजगार/स्वरोजगारपरक यथा आईटी, स्वास्थ्य, कृषि, ब्यूटी वेलनेस, इलैक्ट्रानिक्स आदि प्रशिक्षण कोर्स आयोजित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाता रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास करता है।	राज्य के बेरोजगार/स्कूल ड्रॉपआउट /अन्य वंचित वर्ग के युवा।	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति की वेबसाइट पर पंजीयन किया जा सकता है। www.uksdm.org तथा वेबसाइट में उपलब्ध निजी प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों की सूची के अनुसार उल्लिखित केन्द्रों में भी आवेदन कर सकता है। इच्छुक युवा द्वारा उक्त जॉबरोल का चयन कर संस्था से सम्पर्क किया जा सकता है। सक्रिय संस्थाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड, संबंधित कोर्स के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
2.	दस्तकार प्रशिक्षण I.T.I.	जनपदों के आई0टी0आई के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर लाभान्वित करना। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष एवं 2 वर्ष का होता है।	आठवीं/दसवीं पास शुल्क वर्तमान में रू0 4000/– प्रतिवर्ष निर्धारित है।	विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से I.T.I. में प्रवेश प्रक्रिया प्रकाशित की जाती है। प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर के मध्य आयोजित होती है। वेबसाइट–www.vpputtarakhand.in पर आवेदन करना होता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मो0 नंबर की आवश्यकता होगी। अंत में मेरिट के आधार पर आनॅलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया होने के उपरांत प्रवेश दिया जाता है।
3.	मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना	विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मांग के आधार पर राज्य के युवाओं को Domain (Language, Culture, Work Ethics, nursing, hospitality) क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के साथ–साथ सम्बन्धित देश के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विदेशों में सेवा/नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना।	राज्य का कोई भी युवा	विदेश रोजगार हेतु इच्छुक युवाओं द्वारा अपणी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराया जाता है। पंजीकरण हेतु प्रारम्भिक जानकारी, यथा किस क्षेत्र में काम करना चाहता है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, के साथ ही पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी जाती है। पंजीकरण के उपरांत, आवेदक को स्क्रीनिंग हेतु बुलाया जायेगा। स्क्रीनिंक परीक्षा में सफल होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु अर्ह होंगे। स्क्रीनिंग होने के उपरांत अभ्यर्थी से आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण आवासीय/नॉन आवासीय हो सकता है। कुल प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा कुल प्रशिक्षण लागत का 60 प्रतिशत तक ऋण लेने पर उक्त लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऋण न लेने की स्थिति में राज्य सरकार 20 प्रतिशत ही देगी। ऋण हेतु प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण के दौरान आवेदन करेगा। संबंधित विभाग, प्रशिक्षणार्थी को लोन लेने में सहयोग करता है। प्रशिक्षण लेने के उपरांत, नियोजित कम्पनी/संस्था, द्वारा टेस्ट/साक्षात्कार लिया जाता है। उसमें पास होने के उपरांत ही संबंधित प्रशिक्षणार्थी को विदेश में रोजगार हेतु भेजा जाता है। अपणि सरकार पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया लगातार खुली रहती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) स्वयंसेवकों की तैनाती	पुलिस सहायतार्थ एवं विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किए जाने हेतु पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को रू0 570/– प्रतिदिन की दर से मानदेय भुगतान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (पुरूष एवं महिला) भर्ती के समय जिनकी आयु 18 से 42 के मध्य हो।	विभिन्न विभागों के द्वारा आवश्यकतानुसार पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की माँग युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को भेजी जाती है। माँग के क्रम में विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा शारीरिक नाप–जोख एवं शारीरिक परीक्षा हेतु जनपदवार तिथि निर्धारित की जाती है। परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मोबाईल नं0, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र अनिवार्य हैं। शारीरिक परीक्षा की मेरिट के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है। चयनित पी0आर0डी0 (वर्दीधारी) स्वयं सेवकों को 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य एवं 15 दिवसीय पुर्नप्रशिक्षण दिया जाता है, उसके उपरान्त उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तथा तैनाती अवधि का मानदेय का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।
		विषम परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु, स्थायी दिव्यांगता अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने की दशा में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मृत्यु की दशा में रू0 2.00 लाख, विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में रू0 1.50 लाख तथा सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में रू0 1.00 लाख एवं स्थायी अपंगता की दशा में उच्च श्रेणी के लिए अनुमन्य अनुग्रह धनराशि की आधी तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि की चौथाई अनुग्रह धनराशि, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	प्रशिक्षित प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक/उनके आश्रित।	पी0आर0डी स्वयंसेवक/उनके आश्रित द्वारा मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र एवं दिव्यांगता की दशा में चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय में जमा करना होगा। आश्रित होने की स्थिति में आश्रित का जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध करानी होगी। विभाग द्वारा विषम परिस्थितियों का आंकलन करने के उपरान्त पी0आर0डी स्वयंसेवक/उनके आश्रितों को धनराशि भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	खेल महाकुम्भ प्रतियोगिताओं का आयोजन– अण्डर–14, अण्डर–17 एवं अण्डर–21 के आयुवर्गों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ करायी जाती हैं। न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रू0 300, रू0 200 एवं रू0 150) विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रू0 500, रू0 400 एवं रू0 300) जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (रू0 800, रू0 600 एवं रू0 400) तथा राज्य स्तर पर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय (रू0 1500, रू0 1000 एवं रू0 700) का पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिताओं के दौरान विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का विभाग द्वारा चिन्हित कर राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने से पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	खेल प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी युवा (बालक एवं बालिका) प्रतिभाग कर सकते हैं।	• खेल महाकुम्भ का आयोजन सामान्यतः माह अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य होता है। जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है कि किस ग्राम पंचायत/न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगितायें आयोजित होंगी तथा शासकीय विद्यालयों/युवा कल्याण विभाग/खेल विभाग आदि के माध्यम से फॉर्म वितरण करके इच्छुक प्रतिभागियों से प्रतिभाग कराया जाता है। • प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु खिलाड़ी को फोटो पहचान पत्र/जन्म प्रमाण–पत्र, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो अनिवार्य है। • इन दस्तावेजों के साथ खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग तथा खेल महाकुम्भ में ग्राम स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर तथा इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा जनपद स्तर पर तथा जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है।
3.	युवा दलों को आर्थिक सहायता	उत्तराखण्ड राज्य में रोजगारपरक परियोजना/ व्यवसाय आरम्भ करने हेतु कुल 18 व्यवसायों (डेयरी उत्पादन कार्य हेतु रू0 1.00 लाख, टेंट बर्तन दरी कुर्सी किराये हेतु रू0 50 हज़ार, साउण्ड सिस्टम किराये हेतु रू0 50 हज़ार, आटा चक्की संयोजन कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, फोटोकॉपी/फैक्स/लेमीनेशन मशीन क्रय हेतु रू0 1.00 लाख, मशरूम/सब्जी/फूल उत्पादन हेतु रू0 50 हज़ार, रिंगाल/दरी/गलीचा एवं ऊनी वस्त्रों के	विभाग से सम्बद्धीकृत युवक/महिला मंगल दल जिन्हें पूर्व में योजना से लाभान्वित न किया गया हो। सदस्यों का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।	आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवक/महिला मंगल दल द्वारा आवेदन पत्र युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय से प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र के साथ दल के समस्त सदस्यों की सामूहिक फोटो, व्यवसाय जो करना चाहते हैं, उसका विवरण/कार्ययोजना, व्यवसाय के लिए भवन/भूमि की उपलब्धता का विवरण, तथा सम्भावित व्यय के प्रमाणित आगणन, दल का पंजीयन संख्या, दल के समस्त सदस्यों का नाम, जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, दल का बैंक खाता, जो व्यवसाय कर रहे हों उससे सम्बन्धित प्रशिक्षण/अनुभव प्रमाण–पत्र। सभी स्त्रोतों से पारिवारिक मासिक आय का विवरण संलग्न कर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के माध्यम से जिला युवा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		निर्माण हेतु उपकरण क्रय हेतु रू0 50 हज़ार, साहसिक खेल उपकरण क्रय हेतु रू0 4.00 लाख, सिलाई मशीन क्रय /बूटीक/ब्यूटीपार्लर कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, जैविकखाद/पशुचारा उत्पादन कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, फल संरक्षण कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, पशु पालन कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय हेतु रू0 50 हज़ार, इलैक्ट्रानिक्स कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, वाहन मरम्मत कार्य हेतु रू0 50 हज़ार, प्लम्बरिंग कार्य हेतु रू0 10 हज़ार, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कार्य हेतु रू0 12 हज़ार एवं अभिनव कार्य हेतु रू0 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त आर्थिक सहायता विभाग द्वारा अधिकतम प्रस्तावित कार्य योजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत अथवा उक्त में अंकित कार्य के सम्मुख धनराशि, जो भी कम हो, होगी तथा अवशेष धनराशि की व्यवस्था लाभार्थी युवा दलों द्वारा स्वयं के स्तर पर की जायेगी।		कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति सहित उक्त प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। लाभार्थी युवा दलों के चयन तथा अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित लाभार्थी युवा दलों की सूची संस्तुति सहित निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्रत्येक जनपद से न्यूनतम 02 लाभार्थी युवा दलों का चयन करते हुए बजट सीमा के अन्तर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि का भुगतान दल के बैंक खाते में किया जायेगा।
4	युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना	दलों को स्वावलंबी बनाने हेतु सामुदायिक उपयोग की आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु रू0 14,268.00 की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	विभाग से सम्बद्धीकृत युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल।	दलों द्वारा ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्ताव पास करवाकर पी.आर.डी. कार्यालय को भेजा जाता है। प्रस्ताव के साथ सभी सदस्यों का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं दल का बैंक खाता विवरण संलग्न करना होता है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव उचित पाये जाने पर संस्तुति सहित जिला युवा कल्याण अधिकारी को भुगतान हेतु निर्देशित किया जाता है तथा उसके उपरान्त दल के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
5	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (पी.आर.डी.) विभाग की कई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने तथा किसी भी व्यवसाय को समूह में करने हेतु अनिवार्य है।	राज्य की ग्राम पंचायतों के इच्छुक महिला/पुरूष जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पात्र होंगे।	महिला मंगल एवं युवक मंगल दल का गठन–प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला मंगल एवं एक युवक मंगल दल का गठन किया जाता है। यदि किसी को महिला मंगल दल/युवक मंगल दल का सदस्य बनना हो तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम सभा से पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
6	ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना	युवा वर्ग को स्वस्थ्य रहने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) की स्थापना हेतु रू0 17,960.00 की धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।	राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत।	ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम निर्माण हेतु स्थान का चयन कर ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करवाकर क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरान्त धनराशि मंगल दलों को आवंटित की जाती है।
7	युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण	राज्य के युवाओं को विभिन्न साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे व्हाईट वॉटर रिवर राफि्टंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन एवं आपदा बचाव कार्य, फर्स्टएड, बर्मा ब्रिज, ट्रैकिंग आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (ह्रदय रोग, अस्थमा, मिरगीदौरा, हाथ–पैरो में रॉड लगा हो, पात्र नहीं होगा।)	उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, युवा (पुरूष एवं महिला), जिनकी आयु–15 से 30 वर्ष के मध्य (01 मार्च, 2023 को) न्यूनतम 8वी पास, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। प्रशिक्षण हेतु पीआरडी स्वयंसेवक, एनएसएस, एनसीसी, युवक /महिला मंगलदल के सदस्य/ पदाधिकारी को प्राथमिकता दी जायेगी।	विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन पत्र पी0आर0डी0 कार्यालय से प्राप्त कर दस्तावेजों (शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, आधारकार्ड, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र) के साथ उक्त कार्यालय में जमा करना होगा। दस्तावेज सही पाये जाने के उपरान्त जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

37वें गोवा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान करते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

एशियन जूनियर एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2018

खेल विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन / चयन प्रक्रिया
1.	**खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन**	विभाग द्वारा प्रचलित खेलों में निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाता है :– **समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन** (खेल– फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुश्ती, खो–खो, कराटे, कबड्डी, वुशू, ताईक्वांडो, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल, जु–जित्सु, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बेसबॉल, सेपकटाकरा), जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। **स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल संचालन।** (संचालित खेल–फुटबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वालीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो एवं क्रिकेट) जिसमें न्यूनतम शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाता है। राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रू0 500/– तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर रू0 300/– का पुरस्कार दिया जाता है।	राज्य के 08 से 16 वर्ष तक आयु के युवा खिलाड़ी। शौकीय 16 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी।	समस्त जनपदों में स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों में मार्च माह में विज्ञप्ति जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय से जारी कर प्रचार–प्रसार कर आवेदन ऑफलाईन प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में जमा करना पड़ता है। प्रतिवर्ष चयन ट्रायल्स माह अप्रैल, मई में प्रारम्भ किये जाते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल हेतु चयन जनपद स्तर पर प्राथमिक चयन/ट्रायल्स आयोजित कराये जाते हैं चयनित होने पर फाईनल ट्रायल्स राज्य स्तर पर आयोजित कराकर मेरिट लिस्ट के आधार पर रिक्त सीटों के सापेक्ष चयनित किया जाता है। जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों में एवं शौकीय खिलाड़ियों हेतु सशुल्क **(चार्ट संलग्न)** सीधा प्रवेश।
2.	**खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने**	जिन खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की जाती है, उन्हें एवं उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार की धनराशि प्रदान की जाती है। न्यूनतम रू0 10,000/– से लेकर अधिकतम रू0 2.00 करोड़ तक की धनराशि पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। **पुरस्कार**	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं उनके प्रशिक्षक।	**01 जनवरी से 30 जून** तक के खेलों के माह जुलाई में एवं **01 जुलाई से 31 दिसम्बर** तक के खेलों के पुरस्कार वितरण हेतु माह जनवरी में ऑफलाईन आवेदन (वर्ष में 02 बार) खेल निदेशालय द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ खिलाड़ी को आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रतियोगिता जिसमें पदक प्राप्त किया हो, उसका सम्पूर्ण

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन / चयन प्रक्रिया
	पर नकद पुरस्कार धनराशि	**विवरण विभाग की वेबसाईट https://sports.uk.gov.in में भी उपलब्ध है।**		विवरण एवं प्रमाण–पत्र, उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षक का 01 वर्षीय खेल डिप्लोमा या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र, रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित विवरण (जिसके द्वारा खिलाड़ी का नियमित रूप से मेडल प्राप्ति से एक वर्ष पूर्व से कम से कम 180 दिन अथवा अधिक अवधि तक प्रशिक्षण दे चुके हों), प्रशिक्षक का बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, नेशनल स्कूल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा, विश्व/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा, खेलों इण्डिया, भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता/राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव के पदक विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताएं/विश्व पुलिस/फायर गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड पुलिस विभाग से खेल प्रमाण–पत्रों को सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा आवेदन प्रारूप को विभाग/संस्था/मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ की संस्तुति करके खेल निदेशालय को निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। खेल निदेशालय द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त पुरस्कार धनराशि खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक को प्रदान की जाती है।
3.	**राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार**	राज्य के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता प्रदान करने पर **खेल रत्न** (01 खिलाड़ी–रू0 5.00 लाख), **हिमालय रत्न** (06 खिलाड़ी–रू0 1.00 लाख प्रति खिलाड़ी) एवं **द्रोणाचार्य**	राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक।	आवेदन वर्ष में एक बार आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें मानकानुसार अर्ह खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन / चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पुरस्कार (02 प्रशिक्षक–रू0 3.00 लाख प्रति प्रशिक्षक) प्रदान किया जाता है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना</td><td>08 से 14 की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 150–150 बालक–बालिकाओं (08 से 09 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 09 से 10 वर्ष के 25–25 खिलाड़ियों, 10 से 11 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 11 से 12 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी 12 से 13 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25–25 खिलाड़ी) को रू0 1500 प्रतिमाह एक वर्ष तक (छात्रवृत्ति) दी जाती है।</td><td>आयु 08 से 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो।
(Physical and Sports Aptitude Test) शारीरिक दक्षता (Strength, Flexibility, Endurance Speed, Coordination etc) आदि के परीक्षण हेतु में विभिन्न चरणों के बाद अंतिम रूप से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले बालक एवं बालिकाएं ही खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।</td><td>खेल निदेशालय द्वारा विज्ञापन के माध्यम से चयन का कार्यक्रम यथासंभव माह अप्रैल में प्रकाशित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष 15 मई से 15 जून के मध्य सम्पन्न कर ली जाती है और स्थल एवं तिथियों की जानकारी संबंधित जिला क्रीडाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
प्रत्येक विद्यालय (शासकीय / अशासकीय / प्राइवेट सभी) के अधिकतम 02 बालक / बालिकाएं प्रत्येक आयुवर्ग में प्रतिभाग कर सकेंगे। इन बालक–बालिकाओं का चयन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जायेगा। विद्यालय स्तरीय चयन हेतु (Physical and Sports Aptitude Test) की बाध्यता नहीं होगी, फिर भी व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से उन्हें इस पद्धति की जानकारी दी जायेगी, ताकि खिलाडियों को प्रारम्भिक स्तर पर जानकारी मिल सके। आगे की प्रक्रिया – जनपदों द्वारा न्याय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर निम्नवत चयन प्रक्रिया करायी जाती है।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>स्तर</th><th>प्रतिभागी स्रोत</th><th>अगले चरण हेतु चयनित संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>न्याय पंचायत / नगर पंचायत</td><td>समस्त विद्यालयों से – 02 बालक एवं बालिकाएं प्रतिभागी</td><td>विकासखण्ड स्तर हेतु– 02 बालक एवं 02 बालिकांए प्रति आयुवर्ग</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>(क) नगर निगम / नगर पालिका स्तरीय चयन समिति</td><td>समस्त विद्यालयों से– 02 बालक एव 02 बालिकाएं प्रतिभागी</td><td>जनपद स्तर हेतु–
(क) नगर पालिका से– 03 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयु वर्ग (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका– 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग)
(ख) नगर निगम से 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयु वर्ग</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>(ख) प्रत्येक विकासखण्ड से</td><td>न्याय पंचायत / नगर पंचायत से – 02 बाल एवं 02 बालिकांए प्रति आयुवर्ग</td><td>जनपद स्तर हेतु– विकास खण्ड से –06 बालक एवं 06 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड– 10 बालक एवं 10 बालिका प्रति आयुवर्ग)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPL

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन / चयन प्रक्रिया
				शारीरिक दक्षता के परीक्षण हेतु 06 प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, (1. 30 meter flying Run, 2. standing broad jump, 3. forward bend & reach, 4. 6X10 shuttle run, 5. medicine ball put, 6. 600 meter run.) जिला स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक आयु वर्ग में मैरिट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले 25 छात्र एवं 25 छात्राओं की अन्तिम सूची जारी की जायेगी, जो खेल छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छात्रवृत्ति खिलाडियों को डी०बी०टी० के माध्यम से उनके खाते में दी जाती है। **दस्तावेज :–** न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है, जिसका आवेदन प्रारूप खेल विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, आवेदन प्रारूप के साथ खिलाडी को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता एवं पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य होता है।
5.	**खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना**	14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष P-SAT (Physical and Sports Aptitude Test) के आधार पर चयन कर प्रति जनपद 100–100 बालक– बालिकाओं का चयन कर प्रतिमाह रू0 2000/– छात्रवृत्ति एवं वर्ष में एकबार रू0 10,000/– खेल उपकरण हेतु प्रदान किया जाता है।	राज्य के आयुवर्ग 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ी। अन्य पात्रता **क्रमांक–4** के अनुसार। प्राथमिकता के आधार पर निम्न खेलों में ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है :– (1)एथलेटिक्स(2) बैडमिंटन (3) बॉक्सिंग (4) ताईक्वांडा (5) कबड्डी (6) फुटबॉल (7)वॉलीबॉल(8) बास्केटबॉल (9)हॉकी (10) टेबल टेनिस (11) कराटे (12) जूडो	इसमें विद्यालय/न्याय पंचायत स्तर से चयन नहीं होता है। खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से सीधे नगरपालिका, नगर निगम/ वि0ख0 में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तथा मैरिट के आधार पर चयन किया जाता है। अन्य प्रक्रिया **क्रमांक–4** के अनुसार।
6.	**राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/**	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता उत्तराखण्ड प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित /अराजपत्रित पदों (लेबल–3 से लेबल–10 तक) पर आउट ऑफ टर्न	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों यथा– ओलम्पिक /पैरालम्पिक खेल, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप, एशियनगेम्स, कामनवेल्थ गेम्स,	शासनादेश संख्या–728/VI-3/2023-33(7)2014, दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभागों से रिक्तियां प्राप्त करके पात्र खिलाड़ियों को नियुक्त किये जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा सम्बन्धित श्रेणी

PROGRAMME IMPLEMENTATIO

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन/चयन प्रक्रिया
	खिलाड़ियों को नौकरी	सेवायोजन/नौकरी प्रदान की जाती है।	एशियनचैम्पियनशिप, कामनवेल्थ चैम्पियनशिप, सैफ गेम्स, नेशनल खेल में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता राज्य के खिलाड़ी। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग एवं क्याकिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, लॉन टेनिस, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, टेबिल–टेनिस, ताईक्वांडो, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, बेसबॉल, शतरंज, क्रिकेट, कबड्डी, कराटे, खो–खो एवं मलखम्ब। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी एवं आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के लिये सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया हो, उस वर्ष एवं उस प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल गेम्स में किया गया हो, तभी अर्ह माना जायेगा।	के खिलाड़ियों के सीधे आवेदन निदेशक, खेल निदेशालय कार्यालय में प्राप्त होने पर समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते हुये अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाड़ियों को अधिसंख्यक पद पर नियुक्ति 04 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। सेवायोजन हेतु खिलाड़ियों को पद के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित होनी चाहिए परन्तु भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण दिये जाने पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय यदि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारित नहीं की गयी है, तो सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएं अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा। पदक विजेता खिलाड़ी सफलता के पश्चात सीनियर द्वारा 02 वर्ष एवं जूनियर द्वारा 03 वर्ष के भीतर खेल कार्यालयों में आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ पदक विजेता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित करने होंगे। शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 12 माह की अवधि तक, 10 वर्ष पूर्व के तथा उसके उपरान्त 05 वर्ष पूर्व के पदक विजेता खिलाड़ी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
7.	**विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति**	विभाग द्वारा 10 माह के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं, जिन्हें न्यूनतम रू0 12,000/– से अधिकतम रू0 45,000/– तक का मानदेय दिया जाता है।	राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/	जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय/खेल निदेशालय द्वारा माह मार्च, अप्रैल में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है, जिसमें ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किया जाता है। प्रशिक्षक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षिक योग्यता, खेल योग्यता/ डिप्लोमा/पुरस्कार,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन / चयन प्रक्रिया
			स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होता है। चयन समिति द्वारा समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
8.	**भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता / पेंशन**	राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को प्रत्येक माह वित्तीय आर्थिक सहायता / पेंशन न्यूनतम रू0 4000 / – एवं अधिकतम रू0 10,000 / – जीवन भर के लिए प्रदान की जाती है।	ओलम्पिक खेल, विश्व कप / विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो–एशियन खेल, सैफ खेल, पैरा ओलम्पिक / स्पेशल ओलम्पिक (अंतर्राष्ट्रीय) मानसिक / शारीरिक दिव्यांग खिलाड़ी, विश्व मैराथन शारीरिक / मानसिक (दिव्यांग) / पैरा ओलम्पिक, अंतर्राष्ट्रीय वेटरन(मास्टर) चैम्पियनशिप के ऐसे भूतपूर्व पदक विजेता / प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाड़ी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो तथा जो कहीं अन्य सेवायोजित न हों अथवा निजी साधनों से होने वाली आय रू0 20,000 / –प्रतिमाह से अधिक न हो, पात्र होंगे।	खेल निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा सम्बन्धित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने / पदक प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जन्म प्रमाण–पत्र के साथ खेल निदेशालय में आवेदन जमा करना पड़ता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**रिमोट सेंसिंग व जी.आई. एस. एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग / क्षमता विकास कार्यक्रम / शोध कार्य**	➢ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं में शोधार्थियों को चयन कर रिमोट सेंसिंग व जी. आई. एस. ऐप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण **निःशुल्क** होता है। चयनित शोधार्थियों (JRF/SRF/Project scientist) को सम्बंधित वित्त पोषित संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत fellowship (HRA सहित) प्रदान की जाती है। भोजन व आवास की व्यवस्था शोधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।	➢ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी।	➢ परियोजना में आवश्यकता होने पर यू–सैक के पोर्टल (www.u-sac.in) पर सूचना प्रदान की जाती है तथा निर्धारित अवधि में वाक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाता है। जिस हेतु विद्यार्थियों के स्नातकोत्तर उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणी) एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज, अनुभव यदि हो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। इंटरव्यू में सफल होने पर शोधार्थियों को शोध मानदेय (fellowship) दिया जाता है।
		➢ राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर अंतिम छमाही / वर्ष के विधार्थियों को Dissertation व स्नातक के विद्यार्थियों को internship कार्य के माध्यम से रिमोट सेंसिंग व जी. आई. एस. ऐप्लीकेशन कार्य हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण **निःशुल्क** होता हैं । इस अवधि में भोजन व आवास की व्यवस्था विधार्थियों द्वारा स्वयं की जाती है।	➢ भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों (प्राइवेट / राजकीय / केन्द्रीय) के स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही / वर्ष के विद्यार्थी ।	➢ विश्वविद्यालय के कुलपति / डीन / रजिस्ट्रार / विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर (मुख्यतः विज्ञान वर्ग) अंतिम छमाही / वर्ष के छात्र, छात्राओं के पक्ष में, यू–सैक के निदेशक को केंद्र में Dissertation/internship के लिए अनुरोध पत्र दिया जाता है। जिस हेतु निदेशक यू सैक को छात्र, छात्राओं के पक्ष में पत्र प्रेषित कर व निदेशक यू–सैक से संस्तुति प्राप्ति के आधार पर, प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता है। प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण के लिए प्रशिक्षणार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
		➢ आवश्यकतानुसार समय–समय पर विभिन्न रेखीय विभागों के लिए रिमोट सेंसिंग व जी. आई. एस. में क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उपरोक्त हेतु रिमोट सेंसिंग व जी.आई . एस. में आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम हेतु	➢ केन्द्र सरकार के कार्मिक व राज्य के विभिन्न रेखीय विभाग के कार्मिक।	➢ विभागीय कार्मिक अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यू-सैक द्वारा समय–समय पर रेखीय विभागों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसमे विभागाध्यक्ष द्वारा अधिकृत, विभिन्न स्तर के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		रेखीय विभागों से प्रतिभाग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता हैं। इस अवधि में भोजन आवास की सुविधा सम्बंधित विभाग द्वारा यू –सैक के सहयोग से किया जाता है। ➢ समय–समय पर अनुरोध पर व आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों / स्कूलों में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित करना तथा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करना। यू –सैक द्वारा एक दिवसीय **प्रशिक्षण निशुल्क** दिया जाता है, जिसमे भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था निशुल्क की जाती है, यू –सैक द्वारा इसमें आवास की व्यवस्था नहीं की जाती है।	➢ राज्य में स्थित प्राइवेट / राजकीय / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों / कॉलेज के मुख्यतः स्नातक व उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी	अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है इसके अतिरिक्त रेखीय विभागों के अनुरोध पर उनकी आवश्यकतानुसार समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। व्यक्ति विशेष हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई हैं । ➢ संस्थानों / डिग्री कॉलेज के प्राचार्य विभागाध्यक्ष, डीन द्वारा, यू–सैक के निदेशक को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है तथा यू–सैक प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित कर अवगत कराता है तथा संबंधित कॉलेज / विद्यालय अपने विद्यार्थियों को विजिट हेतु ला सकते हैं।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू0–सर्क)

क्र	शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	E-Content का विकास एवं प्रसारण	ऑनलाईन शिक्षा प्रदाता कम्पनियों यथा (बायजूस, वेदांतु जैसे प्लेटफार्मों) से भी उच्चस्तर की ई–पाठ्य सामग्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में व्याख्यान निःशुल्क द्विभाषीय ऑफलाइन/ऑनलाइन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र–छात्राए	विद्यार्थी यूसर्क की वेबसाइट userc.in पर जाकर कुछ ई–सामग्रियों को देख सकते है। परन्तु पूरे कोर्स हेतु गूगल प्ले स्टोर से Vidya saar ऐप डाउनलोड कर अपना मो0 नं0 पंजीकृत कर निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं तथा जहां इंटरनेट नहीं है, ऐसे विद्यालयों में यूसर्क द्वारा विद्यालय में एक डिवाइस प्रदान की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को पूरा कोर्स ऑफलाईन माध्यम से पढ़ाया जा सकता है।
2	STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन।	प्रदेश के समस्त जनपदों के माध्यमिक एवं डिग्रीस्तर के विद्यार्थियों के विज्ञान प्रयोगात्मक स्तर के सुदढ़ीकरण तथा Hands-on-Activities हेतु विभिन्न विद्यालयो में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु प्रायोगिक विज्ञान हेतु अद्यतन प्रदेशभर में 41 स्टैम लैब स्थापित की जा चुकी है, जिसमें छात्र–छात्राएं विज्ञान संबंधी प्रयोग करते हैं।	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के साथ ही निकट क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के छात्र–छात्राएं	STEM प्रयोगशाला वाले विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राएं स्कूल में स्थापित प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सकते हैं तथा जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला न हो वह ऐसे नजदीकी विद्यालय से सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
3	विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन।	प्रदेश मे विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान के अनुसंधानों द्वारा उनके लाभों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु छात्र–छात्राओं, अध्यापको तथा आमजन तक वैज्ञानिक चेतना का विकास एवं वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कार्यक्रमो के आयोजन की सूचना का प्रसार विभिन्न सोशल मीडिया साइट के माध्यमों तथा यूसर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों (जोकि राज्य में वर्तमान में कुल 200 हैं।) व उच्च शिक्षा में कार्यरत यूसर्क नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाता हैं।	समस्त छात्र छात्राए एवं आमजन	आउटरीच कार्यक्रमों की कोई अवधि निर्धारित नहीं है कुछ कार्यक्रम एक दिवसीय, कुछ बहुदिवसीय होते है। प्रतिभाग करने के लिए सर्वप्रथम यू–सर्क द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं तथा उसके उपरांत समस्त छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकती हैं। ऑफलाईन माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों में आयोजन स्थल के आसपास के विद्यालयों के छात्र–छात्रायें तथा आमजन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसकी सूचना सम्बन्धित आयोजन स्थल संस्था अथवा यू–सर्क विज्ञान चेतना केन्द्रों द्वारा दी जाती है।
4	Experiential Learning के अन्तर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट	प्रदेश के शोधार्थियों, प्राध्यापकों एव विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर निःशुल्क आवासीय One week Hands-on training (Certificate programme) प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी	प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों (निजी और राजकीय दोनों) से स्नातक,	इसमें आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम छात्र–छात्राओं को अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय से अग्रसारित कराकर गूगल फॉर्म के माध्यम से यू–सर्क में जमा कराते है। यू–सर्क द्वारा चयन प्रक्रिया (प्रशिक्षण सम्बन्धी वांछित विषय एवं योग्यता युक्त पूर्ण भरे

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		जनपदों के उच्च शिक्षण संस्थानों के UG/PG/Researchers/ Teachers द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान भोजन, भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राएं, शोधार्थी एवं प्राध्यापक	आवेदनों को पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर चयन) के उपरांत चयनित छात्र–छात्राएं निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

****

PROGRA MENT

विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट), उत्तराखण्ड

यूकॉस्ट, परिसर, विज्ञान धाम, झाझरा में तीन दिवसीय 17वाँ उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस –2023 के अन्तर्गत 'प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस' के शुभारम्भ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास यात्रा एवं विज्ञान पर चर्चा पुस्तकों का विमोचन किया।

दिनांक 10 फरवरी 2023

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**आंचलिक विज्ञान केंद्र**	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून में घूमने एवं प्रवेश हेतु आमजनमानस हेतु अधिकतम शुल्क रू0 110, पब्लिक स्कूलों हेतु रू0 90 (छात्र संख्या 25 से अधिक) एवं सरकारी विद्यालय हेतु रू0 55 (छात्र संख्या 25 से अधिक) है। दिव्यागंजन/सैनिक जो कि वर्दी में हो, हेतु निःशुल्क एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में निःशुल्क व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। स्कूली छात्र–छात्राओं हेतु कैन्टीन की व्यवस्था है। केन्द्र के अंदर कई वैज्ञानिक गतिविधियों/ प्रदर्शिनी/फोटोग्राफ्स को डिजिटल माध्यम से दर्शाया गया हैं, ताकि आम व्यक्ति भी विज्ञान को आसानी से समझ सके।	राज्य और बाहरी राज्यों के सभी आगंतुक।	आंचलिक विज्ञान केन्द्र, झाझरा देहरादून की स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से की गयी है, जो कि 2016 से क्रियाशील है। विज्ञान और विज्ञान आधारित गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्र और अन्य लोग न्यूनतम निर्धारित शुल्क देकर केंद्र का भ्रमण कर सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की ईमेल rscdehradun@gmail.com पर अग्रिम बुकिंग कर सकते है।
2	**आर्टिफिशिल इंटेलीजेन्स**	यूकॉस्ट, आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा इंटेल के सहयोग से एआई फॉर यूथ के तहत एआई स्किल्स लैब की स्थापना की गई है। जिसमें राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी एआई कोडिंग कैंप आयोजित कर, प्रयोग कर सकते हैं।	कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/ छात्राएं (राजकीय/ निजी समस्त स्कूलों के)	शिविर और प्रदर्शन के लिए स्कूल अपना पंजीकरण कराएंगे। ए0आई0 जागरूकता व्याख्यान के लिए पंजीकरण एआई पंजीकरण फॉर्म भरकर और ई–मेल यानी rscdehradoon@gmail.com और cc से r scdoonai@gmail.com पर सूचित करके किया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म के अलावा कोई अलग दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
3	**राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस**	राज्यभर के बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान आधारित शोध परियोजना को प्रदर्शित करने एवं वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का विशेष अवसर प्रदान करना। विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा छः से बारहवीं तक के छात्र एवं छात्राएं।	राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है। बच्चों का आवेदन सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा करवाया जाता है। आवेदन के दौरान विद्यार्थियों का फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, एवं बैंक खाता की आवश्यकता होती है। ब्लॉक स्तर पर कक्षा छः से बारहवीं तक के सभी छात्र एवं छात्राऐं प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र–छात्राए क्रमशः जनपद एवं राज्य स्तर पर प्रतिभाग करते हैं एवं अंत में राज्य से चयनित छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रतियोगिता का कोई भी सिलेबस नहीं होता है।

क्र	कार्यक्रमों का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4	**शोध अनुसंधान एवं विकास**	राज्य हित में विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक शोध के माध्यम से निदान हेतु शोध अनुसंधान को बढाने के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्यभर के सरकारी/ गैर सरकारी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/शाोधसंस्थान के शैक्षणिक वैज्ञानिक संवर्ग/तकनीकी संस्थान/शोधार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।	वैज्ञानिक/ शोधार्थी।	प्रस्ताव परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करने के उपरान्त परिषद स्तर पर गठित परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति की अनुशंसा पर। आवश्यक दस्तावेज–प्रस्ताव संस्था (विश्वविद्यालय, कालेज) के अध्यक्ष से अग्रसारित करना जरूरी है।
5	**यात्रा अनुदान**	शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली वैज्ञानिक कार्यशालाओं आदि कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये परिषद द्वारा यात्रा अनुदान भी दिया जाता है। यात्रा का आधा खर्च (अधिकतम धनराशि रू0 25,000) इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों को दिये जाने की व्यवस्था है।	राज्य के शोधकर्त्ताओं तथा वैज्ञानिकों	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रारूप (परिषद की वेबसाईट https://ucost.uk.gov.in/पर उपलब्ध) के अनुसार देना होगा एवं विभागाध्यक्ष से अग्रसारित भी कराना होगा।

*****

जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड)

क्र०	कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**कौशल विकास कार्यक्रमः–** **1. पादप उत्तक संर्वधन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** **2. हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **3. पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **4. आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।** **5. हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।**	जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कौशल विकास के अन्तर्गत स्वरोजगार को बढावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि स्नातक /स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 30/45 से लेकर 90 दिन और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 180 दिन (शोध प्रबंध कार्यक्रम– डिजरटेशन) है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, चयनित छात्र, परिषद की आधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपने शोध व प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्लांट टिशू कल्चर, आणविक जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, हाइड्रोपोनिक्स और मृदा रहित कृषिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित लाभार्थी अपना व्यवसाय/स्वरोजगार/ कृषि कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान, बीटेक बायोटेक्नोलोजी इत्यादि विषय से स्नातक/ परास्नातक स्तर के विद्यार्थी, शोधार्थी एवं किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	(शोध प्रबंध कार्यक्रम–डिजरटेशन) प्रत्येक वर्ष माह जनवरी से जून तक संचालित होता है जबकि 30/45 से लेकर 90 दिन का प्रशिक्षण छात्र/छात्राएं, शोधार्थी अपने अनुकूल समय व सुविधानुसार वर्ष में कभी भी कर सकते हैं – **35/45 से 90 दिन के प्रशिक्षण के लिए** आवेदन अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट www.ucb.ac.in से आवेदन पत्र व अन्य दिशा–निर्देश डाउनलोड कर व विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी या साफ्ट कापी) को सक्षम प्राधिकारी/प्रिंसिपल/एचओडी के संस्तुति उपरांत परिषद के पते पर भेज सकते हैं। मेरिट के आधार पर चयन उपरांत सम्बंधित क्षेत्र/प्रयोगशाला में छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जबकि **छह माह के प्रशिक्षण (शोध प्रबंध कार्यक्रम–डिजरटेशन) के लिए** परिषद अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करती है और आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मेरिट के आधार पर अधिकतम छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ आधार कार्ड, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक व अन्य सभी समतुल्य डिग्रियों के प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र, स्थाई निवास व जाति–प्रमाण (यदि उपयुक्त हो तो) दस्तावेजों की छाया–प्रति की आवश्यकता होती है।
2	**जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।**	प्रदेश के युवाओं को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं स्टार्टअप प्रारम्भ करने हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी देना एवं आवश्यकतानुरूप मार्गदर्शन प्रदान करना।	जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आण्विक और आनुवंशिक जीव विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान आदि विषय से स्नातक/परास्नातक एवं पी0एच0डी0 स्तर के विद्यार्थी एवं शोधार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।	परिषद् द्वारा उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना बेवसाइट के साथ समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व संबंधित संस्थानों को ई–मेल अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म इत्यादि के माध्यम से अवगत कराया जाता है। आवेदन पत्र गूगल फॉर्म के माध्यम

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				से प्राप्त किये जाते हैं।
3	**कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठी**	परिषद् कृषक–वैज्ञानिक संगोष्ठियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों को विषय–विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन देकर जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण एवं पशुपालन में आ रही समस्याओं को निराकरण करती है। साथ ही हाईड्रोपोनिक, मृदा रहित खेती एवं कीवीफल के कृषिकरण, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करके उनको स्वरोजगार के साथ उनके आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत् है।	युवा, किसान, स्वयं सहायता समूह एवं पशुपालक।	परिषद् द्वारा समय–समय पर ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। प्रतिभाग हेतु विभिन्न क्षेत्रों के किसानों, युवाओं एवं कृषि से जुड़े छात्र–छात्राओं को प्रकाशित विवरणिका, लिफ्लेट एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से अवगत कराकर इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण कराया जाता है, तदोपरान्त प्रशिक्षण/ संगोष्ठी सम्पादित की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में जे के टायर लिमिटेड कम्पनी तथा यस बैंक द्वारा सीएसआर के तहत लगाये गये हैल्थ एटीएम का लोकार्पण किया।
दिनांक 06 अप्रैल, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**ईजा–बोई शगुन योजना**	जच्चा–बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु प्रसव उपरान्त सरकारी अस्पताल में 48 घण्टे तक रूकने वाली सभी पात्र प्रसूताओं को रू0 2000/– प्रोत्साहन धनराशि के रूप में दी जाती है।	प्रसूता महिला उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी अनिवार्य है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव किया हो।	प्रसूता महिला का सरकारी अस्पताल में प्रसव होने के उपरांत संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रसूता महिला के आधार कार्ड, बैंक खाता मांगा जाता है तथा चिकित्सालय द्वारा महिला को रू0 2000/– की धनराशि भुगतान करने की कार्यवाही की जाती है, जो बाद में महिला के खाते में आती है।
2	**कैंसर डे केयर सेंटर**	कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में पता लगाने और उपचार शुरू करने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में सामान्य कैंसर (ओरल, ब्रेस्ट और सीए सर्विक्स) की निशुल्क जांच की जा रही है।	सभी कैंसर रोगी	कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी, दर्द प्रबंधन और अन्य डे केयर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी 13 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अतिथि तक उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर डे केयर यूनिट की स्थापना की गई है। संबंधित चिकित्सालय में जाकर उक्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
3	**संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।**	सभी जनपदों में विषेशतः आपदाकाल में मार्ग बाधाओं के दृष्टिगत चिन्हित क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से ही 15 दिन पूर्व जिला चिकित्सालय के नजदीक Birth Waiting Room के रूप में संचालित **"One Stop Centre"** (महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं) में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण के समन्वय से की जा रही है, जिससे आपदाकाल में प्रसव की स्थिति होने पर प्रसूता को निकटवर्ती चिकित्सालय में भर्ती कराकर संस्थागत प्रसव की सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। प्रत्येक जनपद में एक "One Stop Centre" स्थापित है।	सभी गर्भवती महिलाएं	नजदीकी आशा/आंगनबाड़ी /एएनएम से सम्पर्क कर, उक्त सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
4	**चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने**	दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु तथा विभिन्न समाज कल्याण की पेंशन, छात्रवृति, सेवायोजन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।	दिव्यांग व्यक्ति	दिव्यांग व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने हेतु सर्वप्रथम अपने जनपद के जिला चिकित्सालय में बुधवार को जाना पडता है, वहां पर पंजीकरण फार्म न्यूनतम शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है। उसके उपरांत जिस अंग से दिव्यांग हो, संबंधित डाक्टर एवं

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	हेतु)			अन्य डाक्टरों को दिखाना पडता है। दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेगा। प्रत्येक बुधवार को जिला चिकित्सालयों में सामान्यतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होते हैं तथा उनके द्वारा, डाक्टरों की जांच आख्या के आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं संबंधित दिव्यांग को उपलब्ध कराया जाता है। यदि तत्समय प्राप्त न हो तो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5	**दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0आई0डी0 कार्ड) बनाने की प्रक्रिया।**	दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की पेंशन, छात्रवृति तथा आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा यू0आई0डी0 कार्ड को अनिवार्य किया गया है।	देश के समस्त ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जिनका दिव्यांग चिकित्सा प्रमाण पत्र बना हो, पात्र होंगे।	दिव्यांग व्यक्ति को यू0आई0डी0 कार्ड बनाने हेतु स्वयं https://www.swavlambancard.gov.in/ पर आवेदन कर सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर एवं चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत यू0आई0डी0 कार्ड जांच हेतु संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ऑनलाइन आता है उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में सही पाये जाने पर भारत सरकार को ऑनलाइन भेजा जाता है तथा भारत सरकार के स्तर से यह कार्ड जारी कर संबंधित व्यक्ति के पते पर भेजा जाता है। व्यक्ति इस कार्ड को उक्त पोर्टल से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम				

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(JSSK)**	निःशुल्क प्रसव की सुविधा, जिसके अन्तर्गत नॉर्मल सिजेरियन डिलीवरी, दवाईयॉ एवं अन्य जॉचे (रक्त, पेशाब जॉच तथा अल्ट्रासोनोग्राफी आदि) ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर) दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा (सामान्य प्रसव में 3 दिन तथा सिजेरियन प्रसव में 7 दिन तक) तथा घर से चिकित्सालय तक जाने की सुविधा, यदि अस्पताल द्वारा अन्यत्र रैफर किया जाता है तो उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाती है। बीमार नवजात शिशु के लिए (जन्म के बाद एक वर्ष तक) निःशुल्क उपचार, दवाईयॉ जॉचे तथा निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा (आवश्यकता होने पर)घर से स्वास्थ्य संस्थान जाने, रैफरल के समय एक संस्थान से दूसरे संस्थान जाने तथा घर वापस आने के लिए निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा।	गभर्वती महिलाओं के लिएः सरकारी चिकित्सालयों मे प्रसव पूर्व (ANC)/ प्रसवोरांत (PNC) जॉच कराने वाली राज्य की सभी गभर्वती महिलाओं, नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) को यह सुविधा दी जाती है।	गभर्वती महिला (नवजात शिशु (जन्म के बाद एक वर्ष तक) का किसी भी सरकारी चिकित्सालय मे पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने की प्रक्रिया एवं दस्तावेजः– जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गभर्वती महिलाओं के अलग से पंजीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रदेश की किसी भी गर्भवती महिला को गर्भधारण करने के उपरांत प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेवा प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओ का RCH पोर्टल https://rch.nhm.gov. in/RCH/ पर पंजीकरण आशा/एएनएम/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा RCH ID एवं MCP Card ANM कार्यकत्री द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का सम्पूर्ण विवरण होता है।
2.	जननी सुरक्षा योजना **(JSY)**	गर्भवती महिलाओं को राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र की महिला को रू0–1000 एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला को रू0 –1400 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।	गभर्वती महिलाऐं	सरकारी चिकित्सालयों मे पंजीकरण करवा कर प्रसव कराने पर प्रसवोरांत प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। **पंजीकरण की प्रक्रियाः–** आशा कार्यकत्री के माध्यम से अथवा आशा कार्यकत्री न होने की दशा में गर्भवती महिलाएं स्वयं भी अपना पंजीकरण प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में करवा सकती है, जिसके लिए गर्भवती महिला का बैंक खाता, आधार संख्या, मोबाईल नंबर, आदि देना होता है। प्रसव करवाने के उपरांत लगभग एक माह के भीतर धनराशि का भुगतान महिला के खाते में हो जाता है।
3.	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान **(PMSMA)**	सरकारी चिकित्सालयों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं एवं उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलाओ की प्रसव पूर्व जांच के दौरान ANC से सम्बन्धित समस्त जांचें एवं Ultrasound की सुविधा सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क प्रदान की जाती है।	गभर्वती महिलाऐं	गर्भवती महिलाओं को सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन पंजीकरण करवाने पर यह सुविधा प्रदान की जाती है। पंजीकरण संबंधित चिकित्सालय के एएनएम/आशा/जीएनएम द्वारा किया जाता है तथा पंजीकरण हेतु महिला का आधार कार्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य होता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना / कार्यक्रम का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रतिरक्षण कार्यक्रम</td><td>कई जानलेवा बीमारियों से शिशुओं के बचाव हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू0आई0पी0) के अन्तर्गत निःशुल्क टीकाकरण निम्नवत निर्धारित अवधि में किया जाता है:–
<table>
<tr><th colspan="3">National Immunization Schedule</th></tr>
<tr><th>Vaccine</th><th>Dose</th><th>Vaccination Age</th></tr>
<tr><td>BCG</td><td>1 dose</td><td>At birth, Upto one year</td></tr>
<tr><td>OPV</td><td>5 doses</td><td>At birth, 6 week,10 week,14 week and 16-23 months</td></tr>
<tr><td>FIPV</td><td>3 doses</td><td>6 week,14 week, & 9 month</td></tr>
<tr><td>Hepatitis-B</td><td>1 dose</td><td>At birth</td></tr>
<tr><td>Pentavalent</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>RVV</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>PCV</td><td>3 doses</td><td>6 week,10 week,14 week</td></tr>
<tr><td>MR</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-23 month</td></tr>
<tr><td>JE(In endemic districts only)</td><td>2 doses</td><td>9 month & 16-23 month</td></tr>
<tr><td>DPT</td><td>2 doses</td><td>16-23 month & 5-6 year</td></tr>
<tr><td>Td</td><td>2 doses</td><td>10 year, 16 year</td></tr>
</table></td><td>0–16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे जिनकों टीकाकरण की आवश्यकता हो।</td><td>टीकाकरण की सुविधा समस्त सामु0स्वा0 केन्द्र, प्रा0स्वा0 केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसवोत्तर केन्द्र, नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है जिसका लाभ 0–16 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे पंजीकरण करवा कर प्राप्त कर सकते है। पंजीकरण हेतु बच्चे को संबंधित राजकीय चिकित्सालयों में ले जाना पडता है तथा बच्चे का जन्म संबंधी प्रमाण / एएनएम द्वारा जारी कार्ड की आवश्यकता होती है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</td><td>बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0–5 वर्ष तक के बच्चों को चिकित्सा सेवाएं एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0आर0सी0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आशा / ऑगनबाडी कार्यकत्रियों / ANM द्वारा Vitamin A, IFA Surup 0-5 Month तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है।</td><td>0–5 वर्ष तक के बच्चे</td><td>राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एस0एन0सी0यू0, एन0बी0एस0यू0 एवं एन0बी0सी0सी0 संचालित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में पंजीकरण कराकर सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक</td><td>किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक में निःशुल्क परामर्श प्रदान की जाती है।</td><td>राज्य के समस्त किशोर (10 से 19 वर्ष)</td><td>राज्य के 13 जिला चिकित्सालयों, 02 उप जिला चिकित्सालयों तथा 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण करवाने पर निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है।</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
7.	सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण	राज्य के सभी राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक सोमवार को सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण का कार्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है।	छात्र या छात्रा	समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्रप्त विद्यालयों में पंजीकृत छात्र–छात्राओं को उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
8.	सैनिटरी नैपकीन वितरण	किशोरियों को प्रजनन तंत्र संक्रमण के बचाव एवं माहवारी स्वच्छता की आदत विकसित करने हेतु वर्तमान में रू0 6/– भुगतान करने पर सैनिटरी नैपकीन आशा द्वारा प्रदान किया जाता है।	राज्य की 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियां	सैनिटरी नैपकीन सभी आशाओं के पास उपलब्ध होते हैं।
9.	निःशुल्क जांच योजना	जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांचें प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत 266 जॉचें निःशुल्क की जाती है।	राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण करने के उपरांत कोई भी निःशुल्क जांच करवा सकता है।	राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब उपलब्ध है। इन चिकित्सा इकाईयों में निर्धारित समय, जो कि उस चिकित्सालय के CMS/Hospital Incharge द्वारा निर्धारित किया जाता है, के पश्चात् आने वाले रोगियों की अनुबन्धित फर्म के कार्मिक द्वारा निःशुल्क जांचें की जाती है।
10.	**108,** आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा	किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मरीजों को चिकित्सालय तक पहुॅचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाना । इस सेवा का लाभ 272 एम्बुलेन्सों के माध्यम से राज्य वासियों को दिया जा रहा है।	दुर्घटना के पीडित व्यक्ति एवं आपातकालीन सेवा हेतु।	108 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11.	खुशियों की सवारी सेवा	गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरान्त नवजात शिशु सहित निशुल्क चिकित्सालय से घर तक पहुचाना, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड हेतु घर से चिकित्सालय तक आने –जाने की निःशुल्क सुविधा 128 वाहनों के माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है।	गर्भवती महिलाऐं एवं 0 से 01 साल तक के नवजात शिशु हेतु।	102 नम्बर पर कॉल करके सेवाओं का लाभ निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
12.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम	राज्य में निम्नलिखित 14 डायलिसिस केंद्रों पर सभी को निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 1. बेस अस्पताल, अल्मोडा, 2. जिला अस्पताल, बागेश्वर, 3. ट्रामा सेंटर कर्णप्रयाग, चमोली, 4. जिला अस्पताल, चंपावत, 5. संयुक्त अस्पताल, रुडकी, हरिद्वार, 6. जी0बी0पंत अस्पताल, नैनीताल, 7. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, पौडी गढवाल, 8. जिला अस्पताल, पिथौरागढ, 9.	बी0पी0एल0 कार्डधारक रोगी, गोल्डन कार्डधारक रोगी एवं अन्य रोगी।	जनपद के निकटतम डायलिसिस केंद्र में भ्रमण कर स्वयं को पी0एम0एन0डी0पी0 पोर्टल पर रजिस्टर करवाने पर रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते है। रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु रोगी को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोबाईल, जिस पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा, की आवश्यकता पडती है। रजिस्टर किये गये रोगी डायलिसिस उपचार हेतु पात्र हो जाते हैं। राज्य की 19 चिकित्सा इकाईयों,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जिला अस्पताल, रुद्रप्रयाग, 10. उप जिला अस्पताल, नरेंद्रनगर, टिहरी गढवाल, 11. उप जिला अस्पताल, खटीमा, उधम सिंह नगर, 12. जिला अस्पताल, उत्तरकाशी, 13. जिला अस्पताल, पौडी गढवाल, 14. दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। राज्य के 05 डायलिसिस केंद्रों ;कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून, मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौडी गढवाल, जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य के आयुष्मान कार्डधारक रोगियों, राज्य खाद्य सुरक्षा योजाना के बी0पी0एल0 कार्ड धारक रोगियों को निःशुल्क एवं अन्य रोगियों को निम्नलिखित रियायती दरों पर डायलिसिस सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। रु0 1028 / — प्रति डायलिसिस सेशन की दर से मेला अस्पताल, हरिद्वार, बेस अस्पताल, कोटद्वार, पौडी गढवाल एवं जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर डायलिसिस केंद्रों में। रु0 1290 / — प्रति डायलिसिस सेशन की दर से कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून एवं बेस अस्पताल, हल्द्वानी, नैनीताल डायलिसिस केंद्रों में।		जो कॉलम 3 में अंकित हैं, में रोगियों को डायलिसिस उपचार की सुविधा वर्तमान में प्रदान की जाती है।
13.	निःशुल्क रक्त	योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती समस्त रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है।	राजकीय चिकित्सालय में भर्ती समस्त रोगी जिन्हे रक्त की आवश्यकता हों।	रक्त की आवश्यकता होने पर राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती रोगी को राजकीय रक्तकोषों द्वारा रक्त निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की कुल 23 चिकित्सा इकाईयों में रोगियों को निशुःल्क रक्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1. जिला चिकित्सालय, अल्मोडा, 2. उप—जिला चिकित्सालय, रानीखेत, 3. जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, 4. जिला चिकित्सालय, चमोली 5. जिला चिकित्सालय, चम्पावत, 6. दून चिकित्सालय, 7. राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, 8. उप—जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, 9. जिला चिकित्सालय हरिद्वार, 10.उप—जिला चिकित्सालय, रूडकी, 11. जिला चिकित्सालय, नैनीताल, 12. बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, 13. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, 14. जिला चिकित्सालय, पौडी,15. बेस चिकित्सालय, कोटद्वार,16. श्रीनगर

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				राजकीय मेडिकल कॉलेज, 17. जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़, 18. जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग,19. जिला चिकित्सालय, टिहरी, 20. जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर, 21. जिला चिकित्सालय, काशीपुर, 22. उप–जिला चिकित्सालय, खटीमा, 23. जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी
14.	हीमोग्लोबिनोपैथी	इस योजना के अन्तर्गत थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी को निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त निःशुल्क उपब्लध कराया जाता है। हीमोफीलिया से ग्रसित को निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर (जीवन रक्षक औषधि) उपलब्ध कराया जाता है।	थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित समस्त रोगी।	थैलीसीमिया से ग्रसित रोगी उपजिलाचिकित्सालय रूडकी, बेस चिकित्सालय अल्मोडा, बेस चिकित्सालय नैनीताल, जिला चिकित्सालय रूद्रपुर ऊधमसिंहनगर में स्थापित DEIC केन्द्र में जाकर पंजीकरण कराना पडता है पंजीकरण हेतु रोगी का आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं चिकित्सक से परामर्श कर उक्त रोग की पुष्टि संबंधी प्रमाण की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत निःशुल्क ब्लड फिल्टर, चिलेटर तथा रक्त की सुविधा प्राप्त कर सकते है। हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी को चिकित्सक के निदान पर्चे और आधार कार्ड के माध्यम से हीमोफीलिया सोसाईटी मे पंजीकरण कराने के उपरान्त अपनी निकटतम् राजकीय चिकित्सा ईकाई से निःशुल्क हीमोफीलिया फैक्टर प्राप्त कर सकते है। **रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया**–हीमोफीलिया से ग्रसित रोगी 104 हैल्पलाईन (निःशुल्क) अथवा हीमोफीलिया सोसाईटी से संपर्क करके अपना पंजीकरण करा सकते है।
15.	एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन 24x7x365 दिन के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सलाह/जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	आम जन मानस	उक्त हेतु 104 नम्बर पर कॉलकर सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16.	राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम	कार्यक्रम अर्न्तगत क्षःय रोग की जाँच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है। सभी क्षःय रोगियों को उपचार अवधि तक निःक्षय पोषण योजना के अर्न्तगत पोषाहार भत्ता रू0– 500 /– प्रतिमाह प्रदान किया जाता है।	राज्य में उपचार ले रहे क्षःय रोग से ग्रसित व्यक्ति।	राष्ट्रीय क्षःय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत सम्बधित क्षेत्र के सीनियर ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर /लैब टेक्नीशियन द्वारा क्षःय रोग से ग्रसित व्यक्तियों को सम्बधित स्वास्थ्य केन्द्र में निःक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण हेतु रोगी का नाम, पता मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आवश्यक होता है।
17.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम **(NTCP)**	तम्बाकू का सेवन कर रहें व्यक्तियों को जिला चिकित्सालयों में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों में तैनात काउंसलर के द्वारा उचित परामर्श व उपचार प्रदान कर तम्बाकू की लत से छुटकारा मिलता है।	समस्त आयु वर्ग के व्यक्ति।	तम्बाकू का सेवन कर रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में तैनात काउन्सलर से संम्पर्क कर पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				वर्तमान में जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के समस्त 12 जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम **(NTCP)** के अन्तर्गत काउंसलर तैनात है।
18.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम **(NPCB)**	समस्त जिला चिकित्सालयों व अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से नेत्र रोग से सम्बन्धित मरीजों की स्क्रीनिंग कर उपचार प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों व स्कूली बच्चों को राजकीय चिकित्सा इकाई के माध्यम से स्क्रीनिंग कर निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त व्यक्ति।	नेत्र रोग से सम्बन्धित समस्त रोगियों द्वारा नजदीकी चिकित्सा इकाई में पंजीकरण कराकर तैनात दृष्टिमितिज्ञ के माध्यम से स्क्रीनिंग के पश्चात उच्च चिकित्सा इकाई में उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
19.	राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम **(NPPC)**	राज्य के जिला चिकित्सालयों में स्थापित पैलियटिव वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से लाइलाज रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है। पैलियटिव वार्ड में निम्न बिमारियों से ग्रसित लाइलाज रोगों से पीड़ित मरीजों का दर्द प्रबन्धन व देखभाल प्रदान की जाती है:– Cancer, Heart Disease, Lung Disease, Kidney Failure, Chronic LiverDisease, Rheumatoid Arthritis, Neurological Diseases, Congenital Anomalies, Dementia, HIV AIDS, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) इत्यादि अथवा कोई भी Chronic Diseases जिसके कारण मरीज Bedridden हों या सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हों या जीवन के अन्तिम दौर से गुजर रहा हो।	लाइलाज रोगों से पीड़ित समस्त व्यक्ति।	राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है। जनपद के 09 जिला चिकित्सालयों में (नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली) पैलियटिव वार्ड क्रियाशील हैं तथा 04 जनपदों– पिथौरागढ, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी में वार्ड का स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
20.	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम **(NPHCE)**	जिरेयटिक वार्ड का मुख्य उददेश्य है कि यदि कोई बीमार वरिष्ठ नागरिक, हॉस्पिटल में भर्ती होने हेतु आता है तो उसको जिरेयटिक वार्ड में बैड उपलब्ध कराया जायेगा। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से निशुल्क फिजियोथेरेपी प्रदान की जाती है।	समस्त 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के व्यक्ति।	राज्य के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 10 बैडेड स्थापित जिरेयटिक वार्ड में प्रशिक्षित चिकित्सकों/ स्टॉफ नर्सों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जाती है। राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में पंजीकरण कराकर प्रशिक्षित चिकित्सकों व स्टॉफ नर्सों के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है।
		राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं		
1	**आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना)**	उत्तराखण्ड प्रदेश में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितम्बर 2018 एवं अटल आयुष्मान 25 दिसम्बर 2019 से लागू है। बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष रू0 5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवार का उत्तराखण्ड में	किसी भी नजदीकी जनसेवा केन्द्रों/यूटीआई केन्द्रों/योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में तैनात आरोग्य मित्रों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बने राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड आदि के सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राशन कार्ड के साथ आधार लिंक मोबाइल नंबर।	पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड तैयार करने हेतु https://beneficiary.nha.gov.in/पर अपना पंजीकरण कर सकता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने एवं आयुष्मान योजना से संबंधित समस्त अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155368 (राज्य में) तथा 1800–180–5368 (राज्य के बाहर) पर कॉल करें अथवा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट https://sha.uk.gov.in/ पर लॉगिन करें।
2	**राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना**	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनरों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य से राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी 2021 से लागू है। जिसमें निर्धारित चिकित्सा उपचार निशुल्क है।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर, जिनके द्वारा गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं एवं प्रतिमाह धनराशि जमा करते हैं।	राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों/पेंशनरों उनके परिवार के सदस्यों एवं स्वायत्तशासी निकाय, निगमों प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों का गोल्डन कार्ड, जन सेवा केन्द्र/यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया/चिन्हित चिकित्सालय में बनाया जाता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 में उल्लिखित है। आश्रित की आयसीमा– आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अनुरूप निर्धारित होगी। नोट – विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।
राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाएं				
1	**मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया**	शासनादेश संख्या–773/XXVIII-4-2019-101/2009, दिनांक 17.09.2019 के सुसंगत प्राविधानानुसार संस्थान में मानसिक रोगी को आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।	संस्थान में देश के समस्त कोने/क्षेत्र से आने वाले मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है।	मानसिक रोगी को संस्थान में वाह्य रोगी विभाग (ओ0पी0डी0) अथवा आकस्मिक विभाग में मनोरोग विशेष/चिकित्सक द्वारा निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त की संस्तुति के आधार पर भर्ती किया जाता है। सामान्यता भर्ती होने वाले मानसिक रोगी के साथ उसका नामित प्रतिनिधि/पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की आवश्यकता होती है। रोगी (निराश्रित को छोड़कर) व पारिवारिक सदस्य/तीमारदार की पहचान आई0डी0 फोटो व दूरभाष नं0 सहित संस्थान में जमा किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मेडिकल/डेण्टल/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण :–

1. मेडिकल

स्नातक पाठ्यकम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0बी0बी0एस0
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 ½ वर्ष (4 ½ वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इर्न्टनशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट यू0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। 4. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, देहरादून। 2. श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईंसेज, देहरादून। 3. गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु** 85% राज्य कोटा (01 सीट सेन्ट्रल पूल कोटा एवं 01 सीट कश्मीरी विस्थापितों हेतु आरक्षित) 15 % केन्द्रीय कोटा **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू0 50,000/– (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू0 1.45 लाख /– (प्रतिवर्ष) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों (श्रीनगर गढ़वाल एवं अल्मोड़ा) में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा एच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु :–** **15 % केन्द्रीय कोटे हेतु** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। **85% राज्य कोटे हेतु** कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। सेन्ट्रल पूल कोटे की सीट पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा सीट आवंटन किया जाता है। **राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु)	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0डी0/एम0एस0, पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0, पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0, पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा
नियामक परिषद	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	• एम0डी0/एम0एस0 – (03 वर्ष) • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा – (02 वर्ष) • पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0 – (02 वर्ष) • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0 – (03 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट पी0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**राजकीय मेडिकल कॉलेज :–** 1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल। 2. राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। 3. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून। **निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज :–** 1. हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, देहरादून। 2. श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ, साईंसेज, देहरादून।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सीटों का विभाजन	**<u>राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु</u>** • एम0डी0 / एम0एस0 **(50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0 **(50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0 **(50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा)** • पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा **(50% राज्य कोटा तथा 50 % केन्द्रीय कोटा)** **<u>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</u>** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
शिक्षण शुल्क	**<u>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0डी0 / एम0एस0 (क्लीनिकल विषयों) हेतु :–</u>** 1. बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू0 60,000 / – (प्रतिवर्ष) 2. नॉन बॉण्डेड छात्रों हेतु :– रू0 5 लाख / – (प्रतिवर्ष) **<u>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0डी0 / एम0एस0 (नॉन–क्लीनिकल विषयों) हेतु :</u>–** रू0 01 लाख / – (प्रतिवर्ष) **<u>राजकीय मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु :</u>–** भारत सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (बॉण्ड अनिवार्य) राजकीय मेडिकल कॉलेजों में छात्रों हेतु रियायती दरों पर मेडिकल शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बॉण्ड सुविधा मात्र एम0डी0 / एम0एस0 (क्लीनिकल विषयों) में ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध है। **<u>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</u>** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**<u>राजकीय मेडिकल कॉलजों हेतु</u>** **1. <u>एम0डी0 / एम0एस0 हेतु</u>** **<u>50% केन्द्रीय कोटे हेतु</u>** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मेडिकल कॉउन्सिल कमेटी द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। **<u>50% राज्य कोटे हेतु</u>** कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **2. <u>पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0 / पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0 / पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा</u>** **<u>50% केन्द्रीय कोटे हेतु</u>** अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित आयुर्विज्ञान में_राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कॉउन्सिलिंग के माध्यम से। **<u>50% राज्य कोटे हेतु</u>** कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **<u>राज्य स्थित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों हेतु</u>** समय–समय पर जारी शासनादेशों के निर्देशानुसार कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्था (केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)	1. **एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु** हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून 2. **पोस्ट डिप्लोमा डी0एन0बी0 /पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डी0एन0बी0/पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु** आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई0डी0	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011, Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com **आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।** मेडिकल एन्कलेव, अन्सारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड़, नई दिल्ली– 110029, Website:- www.natboard.edu.in,

2. डेण्टल पाठ्यक्रम :–

स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	बी0डी0एस0
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	5 वर्ष (4 वर्ष + 01 वर्ष की अनिवार्य रोटेट्री इर्न्टनशिप)
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट यू0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
वर्तमान में संचालित संस्थान	**निजी डेन्टल संस्थानः–** 1. सीमा डेण्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ऋषिकेश। 2. उत्तराचंल डेण्टल एण्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क।
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई.डी.	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com
परास्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0डी0एस0
नियामक परिषद	भारतीय दन्त परिषद , नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम0डी0एस0 – 03 वर्ष

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित **नीट एम0डी0एस0 पी0जी0** प्रवेश परीक्षा
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय दन्त परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
सीटों का विभाजन	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
शिक्षण शुल्क	**राज्य स्थित निजी डेण्टल कॉलेजों हेतु** उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधित) अधिनियम, 2010 एवं 2018 के अन्तर्गत गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राज्य स्थित निजी मेडिकल संस्थानों हेतु** 50% राज्य कोटे तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई0डी0	**हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।** न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011, Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

3. नर्सिंग पाठ्यक्रम :–

डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम का नाम	ए0एन0एम0 (डिप्लोमा), जी0एन0एम (डिप्लोमा), बेसिक बी0एस0सी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग,
नियामक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	ए0एन0एम0 (डिप्लोमा) – 02 वर्ष जी0एन0एम (डिप्लोमा) – 03 वर्ष 06 माह बेसिक बी0एस0सी नर्सिंग – 04 वर्ष * पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग– 02 वर्ष
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 50% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिग संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय नर्सिग संस्थानों हेतु** ए0एन0एम0 (डिप्लोमा) – रू0 4427/– प्रति वर्ष

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	जी0एन0एम (डिप्लोमा) – रू0 6713/– प्रति वर्ष बेसिक बी0एस0सी नर्सिंग – रू0 11813/– प्रति वर्ष पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग– रू0 11813/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु** ए0एन0एम0 (डिप्लोमा) – रू0 41800/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 52800/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) जी0एन0एम (डिप्लोमा) – रू0 44000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 55000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) बेसिक बी0एस0सी नर्सिंग – रू0 61600/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 72600/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग– रू0 61600/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 72600/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50% प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्था	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून/स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

नोटः– * बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा एवं कॉउन्सिलिंग समय–समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है।

परास्नातक पाठ्यकम	
पाठ्यक्रम का नाम	एम0एस–सी0 नर्सिंग, एन0पी0सी0सी0
मानक परिषद	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम अवधि	एम0एस0सी नर्सिंग (02 वर्ष), एन0पी0सी0सी0 (02 वर्ष)
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100% राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु :– 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी नर्सिंग संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम0एस–सी0 नर्सिंग– रू0 39175/– प्रति वर्ष **निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु**–एम0एस–सी0 नर्सिंग – रू0 70000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं रू0 75000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	भारत सरकार/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** –50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों हेतु**–50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार।
सम्बद्ध विश्वविद्यालय	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता, ई–मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम :–

डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक पाठ्यकम	
पाठ्यक्रम का नाम	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के द्वारा अधिसूचित पाठ्यक्रम
नियामक परिषद	उत्तराखण्ड पैरा चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम अवधि	उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–672/XXIV(3)/2017-07(07)2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017/नियामक परिषद एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।
प्रवेश परीक्षा	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** :– 100 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु :–** 50 प्रतिशत राज्य कोटे की सीटों हेतु सम्बन्धित शैक्षणिक सत्र हेतु हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा **तथा** 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार **अन्य** निजी पैरामेडिकल संस्थानों को राज्य सरकार के एक्ट के अनुसार स्वंय के विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को केवल अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते है।
शुल्क	**राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** –पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 45000/– प्रति वर्ष **निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु** • पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु– रू0 35000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 50000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 45000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 60000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा) • पैरामेडिकल पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु –रू0 55000/– प्रति वर्ष (राज्य कोटा) एवं 70000/– प्रति वर्ष (प्रबन्धकीय कोटा)
शैक्षिक योग्यता/अर्हता	नियामक परिषद/स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अद्यतन मानकानुसार
सीटों का विभाजन	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –100% राज्य कोटे के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटा तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटा
आरक्षण व्यवस्था	राज्य कोटे की सीटों में राज्य में लागू आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) व्यवस्था के अनुसार।
कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया	**राजकीय पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** :–100% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से। **राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों हेतु** –50% राज्य कोटे की सीटों हेतु कुलपति, हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित राज्य केन्द्रीयकृत कॉउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से तथा 50 % प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारिण विनियम) नियमावली के प्राविधानानुसार
सम्बद्ध विश्वविद्यालय/ संस्थान	हे0न0ब0उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून /स्टेट मेडिकल फैकल्टी
सम्बद्ध विश्वविद्यालय का पता एवं ई–मेल आई0डी0	न्यू सेन्ट्रल होप टाऊन, बॉया खाला, शीशमबाड़ा, देहरादून–248011 Website:- www.hnbumu.ac.in, E-mail- info.hnbumu@gmail.com

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 'होम्योकॉन– 2023' के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 14 मई, 2023

होम्योपैथी विभाग

क्र	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 रा0 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन0एच0एम0 विंग, 05 आर0सी0एच0 तथा 04 त्वचा केन्द्र	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सिद्धान्तों पर आधारित रोग, निवारक, उपचारामत्क एवं दुष्परिणाम रहित स्वास्थ्य सेवायें राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में **निःशुल्क** प्रदान की जाती है। शहरी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच कैम्प के माध्यम से निःशुल्क हौम्योपैथी उपचार तथा औषधियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न मौसमी रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए आउटरीच स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
2	27 राजकीय होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना	हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क हौम्योपैथिक औषधियों का वितरण एवं निम्न सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं :– योगाभ्यास (प्रत्येक एच0डब्ल्यू0सी0 में 01–01 योग अनुदेशक पुरूष / महिला के द्वारा प्रातः कालीन योगाभ्यास कराया जा रहा है।) रैपिड किट आधारित सामान्य पैथोलॉजिकल जांचें (हीमोग्लोबिन, शुगर, प्रैग्नेन्सी टेस्ट, यूरिन इत्यादि की जांचे) तथा हर्बल गार्डन (आमजनमानस को औषधियां पौधों की जानकारी के लिये हर्बल गॉर्डन स्थापित किए गये है तथा आशाओं के माध्यम से औषधीय पौंधों को आमजनमानस को वितरित कर उक्त की जानकारी प्रदान की जा रही है।	आम जनमानस	समस्त जिला होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपचार एवं होम्योपैथिक औषधियां प्रदान की जा रही है।
3	होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना	होम्योपैथिक औषधि के थोक एवं फुटकर लाईसेन्स प्राप्त कर औषधियों के विक्रय हेतु पात्र हो जाता है तथा लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है।	बी0एच0एम0एस0 / फार्मेसी डिप्लोमाधारी / पंजीकृत होम्योपैथिक क्लीनिक में 01 वर्ष कार्य का अनुभव / होम्योपैथिक फुटकर या थोक लाइसेंस धारक के साथ 1 वर्ष का अनुभव	नवीन लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु ई–सर्विस पोर्टल से आवेदन करते है तथा होम्यौपैथी औषधि निर्माण लाईसेन्स एवं नवीनीकरण के लिए ऑफलाईन भी आवेदन करते है। आवेदन के दौरान निर्धारित आवेदन फॉर्म डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, आदि संलग्न करने होंगे। उक्त विक्रय फुटकर एवं थोक लाईसेन्स हेतु प्रति लाईसेन्स रू0 250 /– शुल्क निर्धारित है तथा उक्त लाईसेन्स 05 वर्ष के लिये वैध होता है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग

क्र.	स्वास्थ्य सुविधाओं का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र–** आयुष्मान भारत योजना	राज्य में कुल 300 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केन्द्र संचालित हैं, जिनमें रोगानुसार औषधि वितरण, रोगानुसार योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। **प्रकृति परीक्षण एवं ऋतुचर्या**–दिनचर्या के अनुसार काउन्सलिंग, गैर–संक्रामक रोगों जैसे–डायबिटिस, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जॉच एवं निदान किया जाता है। **औषधीय पौधौं का वितरण।** इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0 डी0 शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयु वर्ग	लाभार्थी जिसने राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी, हौम्योपैथी औषधालय/ चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।
2	**आयुर्विद्या–** आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली	आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवनशैली का विकास करना, रोगानुसार औषधि वितरण करना। यह सुविधा निःशुल्क है।	स्कूली बच्चे	राजकीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चे
3	**सुप्रजा**– आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ	आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। रोगानुसार औषधि वितरण करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 10.00 ओ0पी0डी0 शुल्क निर्धारित है।	मातृ एवं नवजात शिशु	03 आयुर्वेदिक कॉलेजों (आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कैम्पस, ऋषिकुल एवं गुरूकुल) में उपचार हेतु पंजीकृत लाभार्थी।
4	**योग वैलनेस केन्द्र**	रोगानुसार योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना एवं काउन्सलिंग प्रदान करना। इस हेतु प्रति व्यक्ति रू0 1.00 ग्रामीण क्षेत्र एवं रू0 2.00 शहरी क्षेत्र में ओ0पी0 डी0 शुल्क निर्धारित है।	कोई भी आयुवर्ग	लाभार्थी जिसने चिन्हित राजकीय आयुर्वेदिक, चिकित्सालय में पंजीकरण करवाया हो।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)**	विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत रू0 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रू0 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। श्रेणी–ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा–अधिकतम 2.50 लाख), व श्रेणी–बी व बी+ हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 5 लाख एवं सेवा–अधिकतम 2 लाख), श्रेणी–सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा–अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्पल, आर्किड, पशुपालन एवं एग्री बेस्ड पर भी वित्त पोषण की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिये।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), प्रोजक्ट रिपोर्ट, शपथ–पत्र, शिक्षा का प्रमाण–पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, दिव्यांग प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।
2.	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम	ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के छोटे उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मजबूत बनाने हेतु अति सूक्ष्म उद्यमों/व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु अधिकतम रू0 50 हजार तक बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण दिया जाता है। स्थापित उद्यमों को बढ़ाने के लिये भी यह वित्तीय सहायता उपलब्ध है। श्रेणी–ए के जनपदों हेतु 35 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी– अधिकतम रू0 17500/– एवं 40 प्रतिशत –विशेष श्रेणी–अधिकतम रू0	आवेदक की आयु आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है, आवेदक राज्य का स्थाई/मूल निवासी होना चाहिये। आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना	**आवेदन एवं चयन प्रक्रिया मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुसार होगी परंतु** योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 01 वर्ष के निरन्तर संचालन के उपरान्त ही निर्धारित देय उपादान अनुमन्य हो सकेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		20,000/–) व श्रेणी–बी व बी+ हेतु 30 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी–अधिकतम रू0 15000/– एवं 35 प्रतिशत–विशेष श्रेणी–अधिकतम रू0 17500/–), श्रेणी–सी व डी हेतु 25 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी–अधिकतम रू0 12500/– एवं 30 प्रतिशत –विशेष श्रेणी–अधिकतम रू0 15000/–) सब्सिडी दी जाती है। श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।	चाहिये। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।	
3.	स्टार्टअप नीति–2023	मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स या छात्र उद्यमियों के स्टार्टप्स को रू. 15,000 प्रतिमाह का, एक वर्ष तक मासिक भत्ता तथा महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को रू. 20,000 प्रतिमाह का, मासिक भत्ता दिया जाता है। मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को रू. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। महिला/अनुसूचितजाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को रू. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता। पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट रू. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर रू. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, यथाः विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निशुल्क सहायता। नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रू. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रू. 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए रू. 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।	राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकि तंत्र के विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन्क्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, पूंजी तथा बाजार तक पंहुच को बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति–2023 प्रख्यापित की गई है। नीति में स्टार्ट–अप की परिभाषा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट–अप परिभाषा के अनुसार रखी गयी है। अनुलग्नक–2 पर संलग्न है। नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होकर पांच वर्ष या नई नीति लागू होने तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेगी। इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच वर्षों में 1000 स्टार्टप्स को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www. startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जाता है तथा ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेजों का विवरण https://www.startup uttarakhand.com/attachments/ 164006819441.pdf पर उपलब्ध है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
4.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023	उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, विशेषकर स्टार्टप्स, स्थानीय कच्चेमाल पर आधारित उत्पाद, नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। विनिर्माणक क्षेत्र में अनुमन्य क्रियाकलाप / गतिविधियों के लिये नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायताओं का विवरण अनुलग्नक–3 पर संलग्न है एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए क्षेत्रों का वर्गीकरण अनुलग्नक 4 पर संलग्न है।	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करके इनवेस्ट करना चाहता है, पात्र होंगे।	योजना में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण निम्नवत लिंक के मैनुअल में उपलब्ध है। https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/uploads/User_Manual_Registration.pdfतत्पश्चात् प्राप्त आवेदनों को गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति / राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।
5.	मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी–2021	अचल पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं का वर्गीकरणः **लार्ज प्रोजेक्टस**– रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक। **मेगा प्रोजेक्टस**–रू. 75 करोड़ से अधिक एवं रू. 200 करोड़ तक। **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस**– प्लान्ट व मशीनरी में रू. 200 करोड़ से अधिक एवं रू. 400 करोड़ तक। **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– प्लान्ट व मशीनरी में रू. 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश। **वित्तीय प्रोत्साहनः** सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की प्रचलित दरों में छूट / रियायत (केवल विनिर्माणक उद्योगों को) :– लार्ज प्रोजेक्टस– 15 प्रतिशत। मेगा प्रोजेक्टस– 25 प्रतिशत। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस– 30 प्रतिशत। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 30 प्रतिशत। **ब्याज उपादान** : 5 वर्ष तक बैंक से लिये गये सावधि ऋण के ब्याज पर प्रतिपूर्ति सहायताः– लार्ज प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत,	कोई भी व्यक्ति, जो राज्य में ''मेगा इंडस्ट्री एवं इनवेस्टमेंट पॉलिसी'' के तहत इनवेस्टमेंट करना चाहता है, पात्र होगें।	नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभार्थ निवेशकों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित पोर्टल पर www.investuttarakhand.gov.in में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण तथा किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी वेबसाइट में उपलब्ध है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख प्रतिवर्ष। **एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु):** स्वनिर्मित माल / वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के बाद 5 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्तिः– लार्ज प्रोजक्टस– 30 प्रतिशत। मेगा प्रोजक्टस / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स / सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– 50 प्रतिशत। **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता (केवल विनिर्माणक उद्यमों हेतु):** उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत प्रतिपूर्ति सहायताः– लार्ज प्रोजेक्ट्स– रू. 50 लाख प्रतिवर्ष। मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 75 लाख प्रतिवर्ष। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष। सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स– रू. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष। **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति।** **स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः** भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति। **भूमि क्रय विलेख पत्र / लीज डीड के निबन्धन** के पंजीकरण शुल्क पर प्रति रू. 1000 पर रू. 999 की दर से प्रतिपूर्ति। **ई0टी0पी0 पर उपादानः** ETP संयंत्र की स्थापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50.00 लाख का पूंजीगत उपादान। **बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance:** Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। निर्दिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500 /– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700 /– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।		

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6.	उत्तरा खण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार	उत्तराखण्ड राज्य के 25 शिल्पियों को प्रतिवर्ष ''उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार'' से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में चयनित उत्कृष्ट शिल्पी को एक लाख रूपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी, जिसकी आयु 45 वर्ष से कम न हो तथा जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो। राष्ट्रीय / राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता। शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान दिया हो। शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता / उत्कृष्ठता के आधार पर। शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो। कोई भी शासकीय / अर्द्धशासकीय / सहकारी संस्था /संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।	आवेदन पत्र, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है तथा बेबसाइट https://investuttarakhand.uk.gov.in/themes/backend/acts/act_english1541412900.pdf के लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org/mysite/home पर भी देखा जा सकता है। आवेदन प्रारूप के साथ आधार कार्ड, जन्मप्रमाण पत्र / जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, गुरू / शिक्षक का संक्षिप्त ब्यौरा, जिसने शिल्प सिखाया हो, शैक्षणिक / वोकेशनल योग्यता, संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई हो, शिल्प में योगदान का विवरण, शिल्प निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रमाण पत्र, युवा शिल्पियों को प्रशिक्षित करने का विवरण, मुख्य प्रदर्शिनियों का विवरण, जिनमें प्रतिभाग किया हो, औसतन प्रतिमाह आय का विवरण आदि उपलब्ध कराना होगा तथा शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया हो। (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न करने होंगे)। उसके उपरांत आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना पडता है। चयन प्रक्रिया–ऐसे उत्कृष्ठ शिल्पियों का आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संस्तुति के उपरान्त प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति को भेजे जाते हैं। तत्पश्चात् राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों / आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
7.	उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना	<u>पुरस्कार का स्वरूपः</u> 1–राज्य स्तरीय पुरस्कार • हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ठ हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000 / –, द्वितीय पुरस्कार रू0 10000 / – एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000 / – दिया जाता है। • हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ठ बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 15000 / –, द्वितीय पुरस्कार रू0 10000 / – एवं तृतीय पुरस्कार रू0 7000 / – दिया जाता है। 2–जनपद स्तरीय पुरस्कार • हस्तकला क्षेत्र के उत्कृष्ठ हस्तशिल्पियों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 6000 / – द्वितीय पुरस्कार रू0 4000 / – दिया जाता है। • हथकरघा(सूती एवं ऊनी वस्त्र) क्षेत्र के उत्कृष्ठ बुनकरों हेतु प्रथम पुरस्कार रू0 6000 / – द्वितीय पुरस्कार रू0 4000 / – दिया जाता है।	बुनकर / हस्तशिल्पी अथवा उसका उद्योग, जो उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा) / (हस्तशिल्प), भारत सरकार के अधीन हथकरघा बुनकर / हस्तशिल्पी के रूप में पंजीकृत हो। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पंजीकृत हस्तकला / हथकरघा के निजी दस्तकार तथा सहकारी समितियां तथा पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं के हस्तशिल्पी एवं बुनकर पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। बुनकर / हस्तशिल्पी, जिसकी सहकारी समिति / संस्था किसी भी प्रकार के विभागीय / बैंक ऋण के डिफाल्टर न हों, पात्र होंगें। एक बार पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी / बुनकर की प्रविष्ठि को क्रमागत आगामी तीन वर्षों तक पुनः पुरस्कार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, अन्य हस्तशिल्पी / बुनकर संबंधी दस्तावेज / फोटो / प्रमाण पत्र निर्धारित प्रार्थना पत्र पर निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र तीन प्रतियों में निर्धारित रूप पत्र के साथ रू0 50 / – का डिमाण्ट ड्राफ्ट महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पक्ष में देय होगा। चयन प्रक्रिया– जिला स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के माध्यम से पुरस्कारों का चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8.	हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना	चयनित महिला कर्मकारों को हथकरघा / पेंटलूम / फ्रेमलूम एवं अन्य उपकरणों आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकतम कुल रू0 25000 / – का 90 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा तथा अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।	ऐसी महिला कर्मकार, जिनका पैतृक व्यवसाय बुनकरी / कताई–बुनाई है। ऐसी महिला कर्मकार, जिन्हें हथकरघा क्षेत्र का अनुभव है, परन्तु करघा न होने की स्थिति में बुनाई कार्य सम्पादित नहीं कर पा रही हैं, को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। भारत सरकार / राज्य सरकार से पंजीकृत महिला कर्मकार।	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https:// doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, यदि भारत / राज्य सरकार में पंजीकृत हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य हस्तशिल्पी / बुनकर संबंधी दस्तावेज / फोटो / प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। चयन प्रक्रिया–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर पात्र महिला कर्मकारों का मानकों के अनुसार चयन कर सूची सहित विवरण अनुमोदन हेतु उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा, उसके उपरांत 90 प्रतिशत धनराशि महिला कर्मकारों के खाते में भेजी जाती है।
9.	शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के ऐसे शिल्पी, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें रू0 400 / – का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।	शिल्पी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित होना चाहिये। यदि किसी शिल्पी का पुत्र अथवा पौत्र 20 या उससे अधिक आयु का है, किन्तु वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो अभ्यर्थी शिल्पी पेंशन हेतु पात्र होगा। राज्य के ऐसे शिल्पी, जो परम्परागत रूप से विभिन्न हस्तशिल्पों यथा पत्थर, लकड़ी, ताम्र, लोहा, ऐंपण, रिंगाल, बांस एवं प्राकृतिक रेशे से	आवेदन पत्र, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, वृद्धा वस्था पेंशन प्राप्त करने संबंधी प्रमाण, बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्मतिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र / आधार, परिवार परिभाषित करने हेतु परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शिल्पकार होने संबंधी प्रमाणपत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			उत्पाद विकास आदि एवं जिन शिल्पों को शासन द्वारा समय–समय पर अनुमोदन किया जायेगा, उन शिल्पों में कार्य कर रहे शिल्पी योजना के पात्र होंगे।	जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र शिल्पियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर पेंशन हेतु चयनित किया जाता है। चयन के उपरांत, अतिरिक्त प्रोत्साहन पेंशन का भुगतान त्रैमासिक रूप से बैंक / डाकघर खाते में किया जाता है।
10.	थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)	प्रशिक्षण प्रोत्साहन :– थारू बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रचलित शिल्पों के साथ–साथ बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो माह की होगी, जो एक माह में अधिकतम 25 दिन स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन 5 घण्टे के अनुसार कुल प्रशिक्षण अवधि 250 घण्टे होगी। विपणन प्रोत्साहन–जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले परम्परागत मेलों, प्रदर्शनियों एवं जिला हथकरघा प्रदर्शनियों में प्राथमिकता पर प्रतिभाग के अवसर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से समय–समय पर राज्य / देश में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम / प्रदर्शनियों / भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिल्पियों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त प्रदर्शनियों / मेलों में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को आने–जाने का न्यूनतम किराया, उत्पादों को लाने एवं ले जाने हेतु अधिकतम रू0 1000 / – माल भाड़ा प्रति शिल्पी एवं स्टॉल किराया भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।	राज्य में शिल्प क्षेत्र में कार्य करने वाली थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिला शिल्पी प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु पात्र होंगी।	आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा विभागीय वेबसाइट https://doiuk.org से भी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाईल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, शिल्पकार होने संबधी प्रमाण, एवं प्रार्थना पत्र जिसमें प्रशिक्षण लेने अथवा मेलों में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया हो, अथवा उद्योग कार्यालय में पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त पात्र शिल्पियों के चयन हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। उक्त के उपरांत संबंधित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एवं मेलों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

अनुलग्नक–1

श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण

1	श्रेणी 'ए'	• जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	श्रेणी 'बी'	• जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) • जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी 'बी +' के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
3	श्रेणी 'बी+'	• जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र • जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड • जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
4	श्रेणी 'सी'	• जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र • जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड
5	श्रेणी 'डी'	• जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र • जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी, 'बी', 'बी +' और 'सी' श्रेणी में शामिल नहीं हैं)

अनुलग्नक–2

स्टार्टअप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को "स्टार्टअप" माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैः–_ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में होः

- विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए; और
- निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है; और
- किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए और
- इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, या यदि यह रोजगार सृजन या धनोत्सर्जन की उच्च क्षमता वाला एक मापनीय व्यवसाय मॉडल हो; या समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टप्स के मानदंडों के अनुसार

PROGRAMME IMPLEMENTATION AGREEMENT

अनुलग्नक–3

वित्तीय प्रोत्साहन सहायता–

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने एवं अन्य प्रदेशों के सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन निम्नानुसार वित्तीय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करेगीः–

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) सहायता – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म उद्यमों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी. आर.) तैयार करने हेतु सहायता दी जायेगी। इसके लिये उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकारों (Consultants) का मनोनयन (Empanelment) किया जायेगा। राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों द्वारा मनोनीत सलाहकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, शुल्क के रूप में होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बंधित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त, दावा प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

2. स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्तिः ए, बी, सी व डी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने/क्रय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की निम्नवत् प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति प्रतिशत
श्रेणी –ए	100 प्रतिशत
श्रेणी– बी	100 प्रतिशत
श्रेणी– सी	75 प्रतिशत
श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

3. पूंजीगत उपादानः प्रदेश में स्थापित होने वाले, चिन्हित श्रेणी के, नये अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को, उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, निम्नानुसार पूंजीगत उपादान सहायता देय होगीः–

इकाई श्रेणी ►	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
जनपद/क्षेत्र श्रेणी ↓	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 01 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 01 करोड़ से अधिक, रू. 05 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपस्कर में रू. 05 करोड़ से अधिक, रू. 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में रू. 10 करोड़ से अधिक, रू. 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी–ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 50 लाख)	रू. 50 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)	रू. 1.50 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.50 करोड़)	रू. 2.50 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 करोड़)

	श्रेणी–बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)	रू. 40 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 16 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)	रू. 02 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 03 करोड़)
	श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)	रू. 30 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 12.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 80 लाख)	रू. 80 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.20 करोड़)	रू. 1.20 करोड़ + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 02 प्रतिशत (अधिकतम रू. 02 करोड़)
	श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत (अधिकतम रू. 20 लाख)	रू. 20 लाख + रू. 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 60 लाख)	रू. 60 लाख + रू. 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 90 लाख)	रू. 90 लाख + रू. 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1.50 करोड़)

- इस नीति के अंतर्गत ''प्राथमिकता श्रेणी'' के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की राज्य में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत ''अति–प्राथमिकता श्रेणी'' के रूप में चिन्हित नये विनिर्माणक उद्यमों की श्रेणी–ए अथवा बी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 10 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 10 लाख, लघु उद्यम– रू0 15 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 20 लाख) तथा श्रेणी–सी व डी के जनपद/क्षेत्र में स्थापना पर 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी के नयी एंकर (**Anchor**) इकाई एवं न्यूनतम 7 सहायक (**Ancillary**) इकाईयों की राज्य में स्थापना पर एंकर इकाई तथा सभी नयी सहायक इकाईयों (यदि वे चिन्हित उद्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं) को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- इस नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग के स्वामित्व वाली इकाईयों को 5 प्रतिशत (अधिकतम ,सूक्ष्म उद्यम– रू0 5 लाख, लघु उद्यम– रू0 10 लाख तथा मध्यम उद्यम– रू0 15 लाख) अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।
- किसी भी उद्यम द्वारा, इस नीति के अंतर्गत वर्णित विशिष्ट श्रेणी में से, एक श्रेणी का ही लाभ लिया जा सकेगा।
- पूंजीगत उपादान सहायता की गणना हेतु स्थायी पूंजी निवेश के लिए कार्यशाला भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी में कुल पूंजी निवेश को आंगणन में लिया

PROGRAMME IMPLE

जायेगा, परन्तु इकाई की पात्रता श्रेणी (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) का निर्धारण मात्र संयंत्र एवं मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। स्थायी पूंजी निवेश के रूप में ''भूमि एवं भूमि विकास'' में किये गये निवेश को पूंजी उपादान के लिये आंगणन में नहीं लिया जायेगा।

- विनिर्माणक क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म उद्यम, जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएमएफएमई (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है, को सर्वप्रथम इन योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। यदि ये इकाईयां एमएसएमई नीति–2023 की अनुमन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो बैंकों द्वारा अनुमोदित परियोजना के कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर मद के लिए स्वीकृत/संवितरित बैंक ऋण पर अनुमन्य मार्जिन मनी (अनुदान) को, एमएसएमई नीति–2023 में अनुमन्य कुल पूंजीगत उपादान में से घटाकर अवशेष धनराशि टॉप–अप सहायता के रूप में दी जायेगी।

- यदि भारत सरकार द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों के लिये कोई नयी नीति जारी की जाती है तो, उक्त नीति में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन/उपादान को एमएसएमई नीति–2023 में देय वित्तीय प्रोत्साहन से समायोजित किया जायेगा।

- पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण –
- सूक्ष्म उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त्, आगामी 2 वर्षों में, 2 समान किश्तों में।
- लघु एवं मध्यम उद्यम – वाणिज्यिक उत्पादान प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त्, आगामी 5 वर्षों में, 5 समान किश्तों में।

2. ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति – प्रदेश में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर निम्नवत् ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय होगी–

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा/सीमा		
	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
ए	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 7 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
डी	4 प्रतिशत (अधिकतम रू0 2 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 3 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)	2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

3. विद्युत ड्यूटी पर छूट – राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि0वा0 हो, को 5 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी में छूट दी जायेगी।

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति– राज्य में स्थापित होने वाले चिन्हित श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेंट/क्वालिटीमार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराईट/एफ.एस.एस.ए.आई.

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	/प्रदूषण नियंत्रण/जेड–Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय होगी।
5.	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक निम्नवत् देय होगी–

जनपद/क्षेत्र की श्रेणी	मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति मात्रा
श्रेणी–ए	50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
श्रेणी–बी	50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 3 लाख, प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

अनुलग्नक–4

श्रेणी–ए :

- जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

श्रेणी–बी

- जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
- जनपद नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।

श्रेणी–सी

- जनपद टिहरी का मैदानी भाग (ढालवाला, तपोवन, मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
- जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
- जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।

श्रेणी–डी

- जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
- जनपद नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम **(PMEGP)**	विनिर्माण क्षेत्र के लिये रू0 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये रू0 20 लाख तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। सामान्य श्रेणी हेतु (स्वयं का योगदान–10 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी(सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत), विशेष श्रेणी हेतु (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग, आकांक्षी जिले, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा सूचित किए गये के अनुसार) हेतु स्वयं का योगदान 5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु–25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	आवेदक की उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक हो, आय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। रू0 5 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं। विर्निर्माण क्षेत्र की रू0 10 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5. 00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं (पति अथवा पत्नी) शामिल है।	योजना का संचालन भारत सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल www.kviconline.gov.in अथवा PMEGP-E-PORTAL से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं।योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज–आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र(ग्राम प्रधान द्वारा), रोजगार संख्या के साथ प्रोजैक्ट रिपोर्ट, शिक्षा(ईडीपी) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), अन्य कोई लागू दस्तावेज (समस्त दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाना है) लाभार्थियों की पहचान राज्य / जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियां और बैंकों द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी। लाभार्थियों को 100 अंकों का स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर चयन उपरान्त चयनित बैंक से वित्त पोषण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषण किया जाता है। स्थापित परियोजना 3 वर्ष के निरन्तर संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित मार्जिन मनी उपादान अनुमन्य होगा।
2.	**खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना**	गांधी जयन्ती से 26 जनवरी तक खादी वस्त्रों पर 10 प्रतिशत् छूट ग्राहक को दी जाती है।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) में पंजीकृत उत्तराखण्ड के उत्पादन / बिक्री केन्द्रों को दी जाती है। उनके द्वारा संबंधित ग्राहकों को दी जाती है।	खादी ग्रामोद्योग के उत्पादन / बिक्री केन्द्रों पर समस्त उपभोक्ताओं को वस्त्रों की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

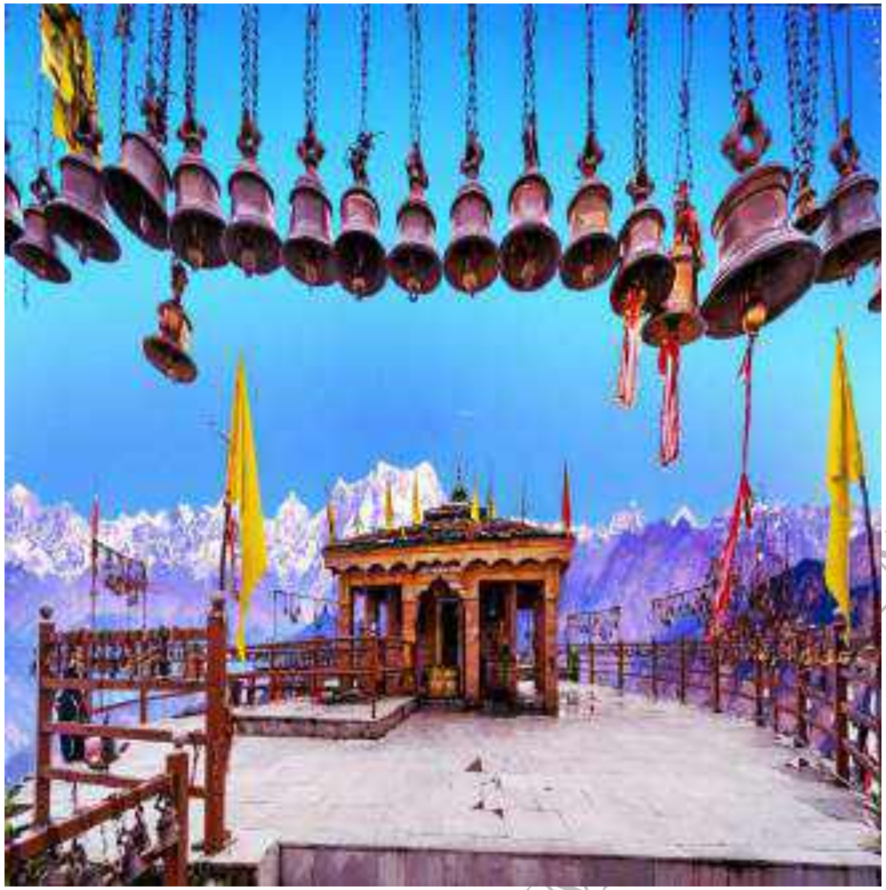

कार्तिक स्वामी मंदिर, जनपद—रूद्रप्रयाग

वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में पाया पहला स्थान—मानसखण्ड झांकी, उत्तराखण्ड

पर्यटन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम– स्टे) विकास योजना**	प्रदेश के स्थायी / मूल निवासियों को होम–स्टे निर्माण हेतु ऋण लिये जाने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का अधिकतम रू0 1.50 लाख तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 25% अधिकतम रू0 7.5 लाख साथ ही प्रथम पांच वर्षों हेतु रू0 1.00 लाख अनुदान धनराशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। ऋण लेते समय लाभार्थी का अंशदान 12.50 प्रतिशत होता है। ऋण लेने पर ही सब्सिडी दी जाती है। नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आर्थिक साज–सज्जा, उनका विस्तार / नवीनीकरण / सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये उक्तानुसार धनराशि / सब्सिडी दी जाती है।	यह लाभ नगर निगम / नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होमस्टे बनाने पर अनुदान दिया जाता है। आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो। भवन स्वामी, जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, अतिथियों के लिये न्यूनतम एक एवं अधिकतम छः कक्षों का निर्माण कर सकता है। होम स्टे बनने पर या पहले से बने गृह आवास की मरम्मत करने के उपरांत पंजीकरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अन्तर्गत कराया जाना होगा। पारम्परिक / पहाड़ी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	आवेदक ऑनलाईन msy.uk.gov.in > दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना में आवेदन करेगा। आवेदन करने के दौरान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। उसके उपरांत जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि / भवन संबंधी प्रमाण पत्र, योजना का आंगणन, नगरपालिका में जमीन न होने संबंधी प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र खरीदने / अग्निशमन विभाग की एनओसी, प्राधिकृत विभाग / संस्था द्वारा नक्शा पास तथा अनु० जाति / अनु० जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। संलग्न करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक को इंटरव्यू हेतु बुलाया जाता है। जिलाधिकारी के समक्ष इंटरव्यू होता है, समिति द्वारा सही पाये जाने पर प्रस्ताव उस बैंक को भेजा जाता है, जहां से आवेदक लोन लेना चाहता है। बैंक को प्रस्ताव ऑनलाइन जाता है, फिर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अपनायी जाती है, ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक पर्यटन अधिकारी को अवगत कराता है तथा संबंधित आवेदक के खाते में ऋण

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
				धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा होमस्टे निर्माण / मरम्मत का कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक पर्यटन अधिकारी को लिखकर देगा कि कार्य हो गया। उसके बाद अपने नये आवास को होमस्टे में पंजीकरण करायेगा तत्पश्चात जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त जांच आख्या जमा करने के बाद होमस्टे में आगन्तुकों के स्टे करवाने का कार्य शुरू करेगा तथा विभाग द्वारा सब्सिडी बैंक के ऋण खाते में दी जाती है।
2.	**ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम– स्टे अनुदान योजना**	वर्ष 2020 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गांव, इस योजना से लाभान्वित किये जाते हैं। चिन्हित रूट पर शौचालय युक्त भवन निर्माण हेतु रू0 60,000 /– प्रति कक्ष तथा यदि भवन की मरम्मत की जानी है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष रू0 25,000/– अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है।	यह लाभ केवल पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर से 02 किमी0 की परिधि में आने वाले गांवों पर ही लागू होती है तथा यह गांव शहरी क्षेत्रों से अलग हों। इसमें ऋण लेने की बाध्यता नहीं है। आवेदक ट्रैक्शन सेंटर के पास पड़ने वाले गांव का मूल निवासी हो। आवेदक स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो या करेगा। अतिथियों हेतु न्यूनतम एक एवं	विभाग द्वारा अधिसूचित गावों के निवासियों द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र से प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ जन्मतिथि / आयु प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, अनु0 जाति / अनु0जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), उत्तराखण्ड के मूल निवासी, उसी क्षेत्र का होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, भूमि / भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केन्द्र में आवेदन जमा करने के उपरांत, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होती है, गठित समिति द्वारा संबंधित आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तथा इंटरव्यू में सही पाये जाने पर आवेदकों का चयन किया जाता है तत्पश्चात सम्बन्धित आवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण करने पर जिला द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई है। होम–स्टे का विभाग में पंजीकरण हो अथवा नया बनाने पर पंजीकरण कराना होगा। पारम्परिक पहाड़ी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।	निरीक्षण / परीक्षण किये जाने के उपरान्त सही पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के पश्चात विभाग द्वारा होम स्टे बनाने एवं मरम्मत की धनराशि संबंधित व्यक्ति के खाते में भुगतान की जाती है। **ग्रामों का चिन्हीकरण–** जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी (जिसमें जिला पर्यटन विकास अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं) गांवो को स्वतः चिन्हित करते हैं अथवा यदि कोई गांव टैक्रिंग रास्ते के 02 किमी की परिधि के आसपास विकसित हो रहे हों तो संबंधित ग्रामप्रधान / ब्लाक प्रमुख / विधायक पत्र / प्रस्ताव विभाग को भेजते हैं तथा उसके उपरांत पर्यटन अधिकारी जांच करता है जांच के दौरान, ट्रैकिंग ट्रैक्शन रूट के लिए संबंधित गांव पात्र होंगे, को निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाती है। बैठक कार्यवृत्त तथा प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को भेजा जाता है। परिषद द्वारा संबंधित ग्रामों की जांच की जाती है, सही पाये जाने पर परिषद संबंधित ग्रामों को अधिसूचित करता है।
3.	**अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण**	इसके अंतर्गत राज्य के ऐसे भवन स्वामी जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराने का इच्छुक हों, को पर्यटन विभाग के होमस्टे में पंजीकृत कर, किसी भी अतिथि को रात्रिविश्राम–भोजन की व्यवस्था, शुल्क प्राप्त कर, उपलब्ध करायी जाती है। इसका मुख्य उददेश्य पर्यटकों को आवास–भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना तथा सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। पंजीकरण के उपरांत संबंधित आवास, विभाग की वेबसाइट पर होम स्टे की सूची में आ जाता है जिससे कोई भी अतिथि विभागीय वेबसाइट से उक्त जानकारी प्राप्त कर, रात्रि विश्राम कर सकता है।	शहरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। आवासीय इकाई पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा भवन स्वामी अपने परिवार सहित उसमें	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम– स्टे) में पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in> Trade > Homestay Registration में करना होता है जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर उल्लिखित शपथ–पत्र, पैनकार्ड, स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति (नक्शा), होम–स्टे की फोटो (होम–स्टे का नाम सहित, कमरों की साज–सज्जा, शौचालय, किचन की फोटो), भू–स्वामित्व की प्रति (खाता, खतौनी / रजिस्ट्री अभिलेख), पेइंग गेस्ट हाऊस का पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पुरानी इकाई की दशा में), पंजीकरण शुल्क– 500 रू०

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			निवास करता हो। अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा अधिकतम छः कक्षों की व्यवस्था की गई हो। आवासीय इकाई में शौचालय अनिवार्य रूप से हो। आवसीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों से संरक्षित तथा सुदृढ़ ढंग से निर्मित होनी चाहिये।	NEFT/ऑनलाइन/ऑफलाइन, जिला प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फायर डिपार्टमेन्ट NOC/Fire Extinguisher bill (जिला पर्यटन विकास अधिकारी के स्तर पर निर्धारित) संलग्न करना होगा। उसके उपरांत बिभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण संख्या आवेदक को उपलब्ध करायी जाती है, पंजीकरण के पश्चात अतिथियों को आवास में शुल्क लेकर रात्रिविश्राम करा सकता है।
4.	**वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना**	इस योजना के अंतर्गत वाहन मद (साधारण बस, टैक्सी, मैक्स, इलेक्ट्रिक बस) तथा गैर वाहन मद (होटल/पेंइग गेस्ट योजना, मोटरगैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्ट फूड सैन्टर्स की स्थापना, साधना कुटीर योग ध्यान केन्द्रों की स्थापना, साहसिक क्रियाकलाप, पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त आधुनिक पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना, टैन्टेज आवासीय सुविधाओं का विकास, स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्रों की स्थापना, बेकरी को स्थापित किया जाना, लॉन्ड्री की स्थापना, पर्यटन हेतु टेरेन बाइक्स, स्टार गेंजिग एवं बर्ड वाचिंग हेतु उपकरणों का क्रय, हर्बल टूरिज्म, क्याकिंग/नाव का क्रय एवं संचालन, कैरावैन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरणों का क्रय, स्मरणीय वस्तु (मैमोरबिलिया) युक्त संग्रहालय का निर्माण एव मैमोराबिलिया/ स्मारिका केन्द्र की स्थापना, फ्लोटिंग होटल का निर्माण, ट्रेकिंग उपकरणों सूट, जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों की स्थापना, उपरोक्त योजनाओं	यह योजना सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू है। इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक/बेरोजगार राज्य का मूल/स्थाई निवासी हो, यदि योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि अपेक्षित हो तो भूमि का स्वामी हो अथवा भूमि आवेदक के निकट सम्बन्धी के नाम होने पर भूमि को प्राथमिकता प्रतिभूति के पक्ष में बन्धक स्वरूप स्वीकार्य है, परन्तु यदि भू–स्वामी आवेदक के साथ	योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन ऑनलाईन MSY Portal- https://msy. uk.gov.in/ पर किया जायेगा तथा आवेदन के दौरान आवेदक के पास आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान प्रमाण, शपथ पत्र, जिस कार्य को करना चाहता है तत्संबंधी प्रमाण, प्रस्तावित निवेश प्रमाण, शिक्षा प्रमाण, बैंक खाता प्रमाण, (जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो), राशन कार्ड वाहन खरीदने की स्थिति में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, गैरवाहन कार्य करने हेतु प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज आदि अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पास जायेगा। जि.प.वि.अ. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आयोजित करने हेतु तिथि नियत करेगा तथा उस तिथि को संबंधित आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के आकर्षणों एवं विशेषताओं के अनुरूप कोई अभिनव परियोजना भी किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।) हेतु निम्नवत अनुदान / सब्सिडी दी जाती है :– (क) गैर वाहन मदः– पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। (ख) वाहन मदः– पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 10.00 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है, परन्तु पुश बैक–30 एवं 42 सीटर–2*2 बस / इलेक्ट्रिक बस एवं पुश बैक 26–28 सीटर एवं 42 सीटर 2*2) इलैक्ट्रिक बस / वातानुकूलित बस हेतु 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू0 20.00 लाख की राजकीय सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यह व्यवस्था केवल बस / इलैक्ट्रिक बस जो कि निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं पर अनुमन्य होगी तथा बस / इलैक्ट्रिक बसों की संख्या किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50 होगी। योजना में अनुदान का लाभ लिए जाने हेतु कुल लागत का 12.5% Margin Money (आवेदक का अंशदान) होना आवश्यक है।	सहऋणी अथवा जमानती के रूप में सहभागी बने तो अनुदान की राशि केवल आवेदक को देय होगी, परन्तु पट्टे की भूमि पर भी आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है यदि पट्टा विलेख की अवधि ऋण अदायगी की अवधि से अधिक हो, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। बेरोजगार से तात्पर्य– "बेरोजगार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो तत्समय किसी व्यापार, उद्यम या वृत्ति में न लगा हो।	है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिए जाने के उपरान्त स्वीकृत प्रस्ताव को सम्बन्धित बैंक शाखा, जिससे आवेदक ऋण लेने का इच्छुक है, को ऑन लाईन प्रेषित किया जाता है। उसके उपरान्त बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की प्रकिया प्रारम्भ की जाती है। ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में बैंक जिला पर्यटन अधिकारी को इस विषय पर सूचित कर संबंधित आवेदक के खाते में ऋण धनराशि उपलब्ध कराता है। आवेदक द्वारा वाहन क्रय / गैर वाहन संबंधी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदक सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को कार्य पूर्ण होने / वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में सूचित करेगा। तद्उपरान्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने का प्राविधान है। कार्य पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त विभाग द्वारा नियमानुसार अनुमन्य अनुदान लाभार्थी के सम्बन्धित बैंक शाखा को उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक, कभी भी आवेदन कर सकता है। योजना हेतु बैंक द्वारा ऋण, निर्धारित ब्याज दरों एवं बैंक नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।
5.	**उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।**	उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अन्तर्गत निवेशकों को निम्नवत् अनुदान अनुमन्य है :– **पूंजीगत अनुदान** (Capital Subsidy) प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में पूंजीगत निवेश कर स्थापित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं हेतु निम्नवत् पूंजीगत अनुदान अनुमन्य होंगे :– ❖ आवासीय परियोजनाओं में अधिकतम पूंजीगत अनुदान श्रेणी अ– 25 प्रतिशत तक श्रेणी ब– 35 प्रतिशत तक	पर्यटन नीति के उल्लिखित विभिन्न एन0आई0सी0 कोड़ के अन्तर्गत चिन्हित पर्यटन परियोजनाओं, उत्पादों एवं सेवाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम निवेश एवं अवस्थापना विकास कार्य।	निवेशक सर्वप्रथम, सिंगल विंडो सिस्टम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत http://investuttarakhand.uk.gov.in पर सैद्धान्तिक सहमति हेतु (Inprinciple Approval) हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु निवेशक द्वारा अपना विवरण, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी, जमीन की जानकारी तथा किस योजना के तहत लाभान्वित होना चाहता है, का विवरण भरा जायेगा। निवेशक को निवेश करने से पूर्व किन

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		श्रेणी स– 50 प्रतिशत तक *अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा।* **a)** अनुसार अधिकतम पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 10 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, **अथवा** **b)** इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। *आवासीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन* **i.** विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन–(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) **ii.** प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन–(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक) **iii.** ब्याज अनुदान –(अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) **iv.** अपशिष्ट उपचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) **v.** राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी / प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 0.25 प्रतिशत की सीमा तक) ❖ पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए पूंजीगत अनुदान– पूंजीगत परिसम्पति का अधिकतम 100 प्रतिशत तक *अनुदान निम्न विवरण के अनुसार दिया जायेगा।* **a)** पूंजीगत अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन (Comercial Operation Date) की तिथि से 05 समान वार्षिक किश्तों में अर्थात पूंजीगत अनुदान का 20 प्रतिशत	कोई भी वैद्य इकाई / निवेशक जो नियमानुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक हो तथा पर्यटन नीति 2023 तथा पर्यटन नीति की ऑपरेशनल गाईड लाईन के अनुरूप नियत पात्रता धारित करता हो, नीति में प्राविधानित अनुदान प्राप्त कर सकता है। परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि की आवश्यकता की स्थिति मे निवेशक के पास भूमि उपलब्ध हो, अथवा भूमि क्रय / लीज कर परियोजना क्रियान्वित की जा सकती है।	दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, का विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध रहता है। एम0एस0एम0ई0 50 करोड़ तक अथवा उससे कम के प्रस्ताव (MSME) की स्थिति में महाप्रबंधक, उद्योग विभाग जिला उद्योग केन्द्र को अग्रसारित होता है। जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति एवं टिप्पणियों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति / असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। गैर–एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) वाले प्रस्ताव सिंगल विण्डों पोर्टल पर नोडल अधिकारी उद्योग निदेशालय स्तर पर जाते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय सम्बन्धित रेखीय विभागों को सैद्धान्तिक सहमति / असहमति की टिप्पणीयों हेतु अग्रसारित किया जाता है। सम्बन्धित रेखीय विभाग प्रारम्भिक रूप प्रोजेक्ट पर अपनी सहमति / असहमति कारणों सहित उद्योग विभाग को ऑनलाईन भेजा जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अनुसार एमएसएमई परियोजनाओं (50 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर निवेश अथवा समय–समय पर संशोधित) हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन जनपद स्तर पर गठित जिला प्राधिकृत समिति (DLEC) द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार गैर एम0एस0एम0ई0 परियोजनाओं के निवेश हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिवर्ष, **अथवा** **b)** इकाई द्वारा पिछले 12 महीनों के लिए भुगतान किया गया नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर (SGST) का 75% + अतिरिक्त प्रोत्साहन, में से जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। *पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन* **i.** विपणन और प्रचार के लिए प्रोत्साहन (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) **ii.** प्रशिक्षण और कौशल के लिए प्रोत्साहन– (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) **iii.** ब्याज अनुदान – (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 02 प्रतिशत की सीमा तक) **iv.** राज्य द्वारा विकसित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी / प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग (अधिकतम पूंजीगत अनुदान के 01 प्रतिशत की सीमा तक) **टर्न ओवर (Turnover) लिंक्ड प्रोत्साहन**– पूर्व से संचालित व पूंजीगत अनुदान न प्राप्त करने वाली स्तरीय पर्यटन परियोजनाओं हेतु टर्नओवर अनुदान का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान अनुमन्य हैं:– a) प्रीमियम आवासीय इकाई–पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम b) विदेशी पर्यटकों के प्रवास पर प्रोत्साहन –पात्र टर्न ओवर का 1 प्रतिशत अधिकतम c) एम0आई0सी0ई0, कला, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों मेलों और त्यौहारों का संगठन –पात्र कारोबार का 1 प्रतिशत अधिकतम **हेली–परिवहन के लिए प्रोत्साहन**–सहस्त्रधारा, जौलीग्राण्ट तथा पंतनगर हैलीपैड से आवास के निकट		गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) द्वारा किया जाता है। सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक विभिन्न विभागीय अनापत्तियों यथा–भू उपयोग परिवर्तन, फायर, पर्यावरण, विद्युत, पेयजल एवं भवन प्लान स्वीकृति हेतु सिंगल विण्डों पोर्टल अथवा सम्बन्धित विभागीय सेवाओं हेतु आवेदन किया जाता है। निर्माण से पूर्व की इन विभागीय अनापत्तियां / स्वीकृतियां प्राप्त होने के उपरान्त निवेशक अपना प्रोजेक्ट पर निर्माण प्रारम्भ करता है। प्रस्तावित परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद, परियोजना संचालन से पूर्व (Consent to Operate) की विभागीय अनापत्तियों / स्वीकृतियों / पंजीकरण हेतु सम्बन्धित विभागों यथा– पर्यावरण, विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग के ट्रैवल ट्रैड पंजीकरण तथा ऑक्यूपैंन्सी सर्टिफिकेट आदि हेतु आवेदन किया जाता है। सभी प्रकार की अनापत्तियां / पंजीकरण / सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ किया जाता है। इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) प्रारम्भ करने के उपरान्त ही पर्यटन नीति मे उल्लेखित अनुदान हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकता है। पर्यटन नीति मे प्राविधानित अनुदान हेतु कोई भी पात्र पर्यटन इकाई का व्यवसायिक संचालन (Commercial Operation) के उपरान्त विषयगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 150 दिनों के भीतर नियमावली मे निर्धारित अभिलेखों के साथ सिंगल विण्डो पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। अनुदान हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा सिंगल विण्डों

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
		हैलीपैड तक हेलीकॉप्टर परिवहन के लिए इकाई को प्रति व्यक्ति 500 रूपये प्रति फेरा (Per Leg) अनुदान **विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की प्रतिपूर्ति**– नई पात्र पर्यटन इकाईयों को नीति अवधि तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। **स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति**– नई पात्र पर्यटन इकाईयों को लागू स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति 05 समान किस्तों में। ➢ पर्यटन नीति 2023 के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु नई परियोजना/विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम निवेश अलग– अलग विधाओं हेतु पृथक–पृथक है, जो कि 01.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक है, साथ ही निवेशक को न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं, विशिष्ट शर्तो एव गाईडलाईन मे निर्धारित अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। विस्तृत विवरण ऑपरेशनल गाईडलाइन मे उपलब्ध है।		पर पूर्व मे आवंटित कैफ (CAF) आई0डी0 के माध्यम से ही ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑन लाईन अनुदान आवेदन पत्र पर्यटन विभाग के प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसके प्रमाण पत्रों की जांच, स्थलीय निरीक्षण के लिए संबंधित जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यटन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट ऑन लाईन पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगा। प्राप्त रिर्पोट एवं अभिलेखों का परीक्षण कर सम्बन्धित अनुदान प्रस्ताव पर्यटन मुख्यालय मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता मे गठित एकीकृत पर्यटन समिति (आईटीसी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। (आईटीसी) द्वारा अनुदान प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा/टिप्पणियों सहित प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति (SLEC) में प्रस्तुत किया जायेगा। (SLEC) द्वारा प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (SLEC) से अन्तिम वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप नियत अनुदान राशि सम्बन्धित निवेशक/आवेदक को उसके बैंक खातें मे उत्तराखण्ड़ पर्यटन विकास परिषद द्वारा ऑन लाईन हस्तान्तरित की जायेगी। नोट– किसी भी अनुदान हेतु पर्यटन नीति तथा ऑपरेशनल गाईड लाईन्स मे प्राविधानित नियमों/उपबन्धों एवं इस हेतु समय–समय पर संशोधित नियमों के अधीन होगें।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

****

ऊर्जा विभाग (उरेडा), उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**राष्ट्रीय बायो इनर्जी कार्यक्रम**	बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त गैस का उपयोग कुकिंग के लिये किया जा सकता है तथा उच्च कोटि की खाद (कम्पोस्ट खाद) प्राप्त की जा सकती है। निम्नानुसार अनुदान देय होगाः– 1 घनमीटर –रू0 17,000/– 2–4 घनमीटर –रू0 22,000/– 6 घनमीटर –रू0 29,250/– 8–10 घनमीटर –रू0 34,500/– 15 घनमीटर –रू0 63,250/– 20–25 घनमीटर –रू0 70,400/– छोटे बायोगैस प्लान्ट में अनुमानित धनराशि रू0 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से रू0 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।	प्रदेश के पशुपालक बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु पात्र होंगे। बायोगैस संयंत्र हेतु लाभार्थी का पशुपालक होना आवश्यक है। बायोगैस लगाये जाने हेतु 4X3=12 वर्ग मी0 भूमि तथा 03 पशुओं की आवश्यकता होगी।	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल https://biogas.mnre.gov.in/ पर ऑनलाईन या जनपद स्तरीय उरेडा कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संयत्र की स्थापना के लिये ऑनलाईन आवेदन करने हेतु, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाते की आवश्यकता होगी। पी0सी0बी0 की एन0ओ0सी0 या अन्य किसी विभाग की एन0ओ0सी0 की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन आवेदन न कर पाये तो ऑफ लाईन भी आवेदन जमा कर सकता है। उरेडा का जनपद स्तरीय कार्यालय सहयोग करेगा।
2.	**मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना**	योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को 20/25/50/100 एंव 200 कि0वा0 क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 20 किलोवाट हेतु रू0 10 लाख एवं 25 किलोवाट हेतु 12.50 लाख तथा 300 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। 50 किलोवाट हेतु 700–1000 वर्ग मी0, धनराशि लागत रू0 25. 00 लाख है। 100 किलोवाट हेतु 1500–2000 वर्ग मी0 धनराशि लागत रू0 50.00 लाख। 200 किलोवाट हेतु 3000–4000 वर्ग मी0, धनराशि लागत रू0 100.00 लाख। (चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य/जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा एमएसएमई नीति–2023 के अंतर्गत अनुमन्य लाभ/प्रोत्साहन देय है।आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्षो के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत को टैरिफ दरों के अनुसार	उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होगें तथा 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाता है। आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाईटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।	योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण– पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवेदन शुल्क, शपथ पत्र , प्रस्तावित भूमि विवरण संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तद्पोरान्त पोर्टल पर प्राप्त आवेदन को यू0पी0सी0एल0 को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा, यू0पी0सी0एल0 द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन को वापस उरेड़ा को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये संस्तुति उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यू0पी0सी0एल0 द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।		
3.	**ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना**	एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार की रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत ही पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 कि0वा0 से 03 कि0वा0 तक की श्रेणी वाले संयत्रों हेतु रू0 17000.00 प्रति कि0वा0 की दर से एंव 03 कि0वा0 से 10 कि0वा0 तक की क्षमता के संयत्रों हेतु रू0 51,000.00 नियत लाभ अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा।	सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा संचालित ''ग्रिड कनेक्टिड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना'' के अन्तर्गत एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https:// solarrooftop.gov.in पर आवेदन किया गया हो एंव संयत्र स्थापना केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत/निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।	एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान किया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा करने पडते हैं। सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
4.	**Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित**	घर की छत पर सोलर रूफ़टॉप प्लांट लगाने से अपने विद्युत बिल की धनराशि को सोलर प्लांट द्वारा जनित विद्युत के उपयोग से कम कर सकते है तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसके सापेक्ष भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते है। एकल घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भारत सरकार द्वारा 3KW क्षमता तक सोलर प्लांट हेतु रू 17662/KW एवं तदुपरान्त 10KW क्षमता तक रू 8831/KW का अनुदान सीधे उपभोक्ता को उनके खाते में दिया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 3KW क्षमता तक के सोलर प्लांट हेतु रू 17000/KW का अनुदान अनुमन्य किया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेज़िडेन्शियल वेलफ़ैर एसोशिएशन हेतु 10 KW क्षमता तक रू. 8831/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है ।	समस्त घरेलू उपभोक्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेज़िडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन।	MNRE भारत सरकार के पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर पंजीकरण उपरान्त ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिस हेतु UPCL द्वारा NOC भी ऑनलाइन ही जारी की जाती है। उपभोक्ता द्वारा UPCL के किसी भी पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया जा सकता है। प्लांट स्थापना के उपरान्त UPCL द्वारा Net Meter स्थापित कर प्लांट को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है एवं समस्त संबंधित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर दिये जाते है। अंत मे उपभोक्ता द्वारा अपने बैंक एकाउंट का विवरण उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाता है जिसमे अनुदान की धनराशि सीधे अवमुक्त की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमि0 (यू0पी0सी0एल0) उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस का निरीक्षण किया। दिनांक 28 फरवरी 2023

PROG... MENT

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू0पी0सी0एल0)

क्रं	विद्युत सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	**नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया एल०टी० संयोजन एच०टी० संयोजन**	विद्युत कनेक्शन– बिजली/विद्युत को संबंधित आवास/भवन में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन लेना होता है।	कोई भी व्यक्ति जो नया विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा अस्थायी विद्युत संयोजन लेना चाहता है अथवा संयोजन में भार वृद्धि/कमी करना चाहता है, आवेदन कर सकता है।	विद्युत संयोजन के आवेदन हेतु आवेदक, विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर सकते हैं या सम्बन्धित क्षेत्र के यूपीसीएल कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग की वेबसाइट (www-upcl-org) पर ऑन लाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन के साथ ID Proof (आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि में से कोई भी एक), Ownership Proof (sale deed, lease deed, registered general power attorney, Municipal tax receipt, Letter of allotment आदि में से कोई एक) । यदि Ownership Proof में इंगित उक्त दस्तोवज में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न होने तो तीन गुणा प्रतिभूति धनराशि जमा करने का भी प्रावधान उपलब्ध है। आवेदन पत्र व उपरोक्त दस्तावेज ऑन लाईन माध्यम से अथवा सम्बन्धित कार्यालय में जमा किये जा सकते है। आवेदन व दस्तावेज की जांच करने के उपरान्त आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। तदोपरान्त विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, जिसके अनुसार आवेदक को निर्धारित धनराशि ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से भुगतान करनी होती है। सम्पूर्ण औपचारित्तायें पूर्ण होने के उपरान्त विद्युत संयोजन का मीटर संबंधित भवन/ क्षेत्र में लगाया जाता है। यह प्रक्रिया वर्तमान में विभागीय वेबसाइट www.upcl.org के माध्यम तथा अपणि सरकार पोर्टल माध्यम एवं वाणिज्य/औद्योगिक संयोजन हेतु सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से भी संचालित है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र**	राज्य में फिल्मों की शूटिंग।	फिल्म निर्माता	फिल्म शूटिंग की अनुमति हेतु ''सिंगल विण्डो सिस्टम ''https://investuttarakhand.uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश, Production house dk registration/ production house द्वारा अधिकृत दस्तावेज और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। फिल्म निर्माण की अनुमति से पूर्व निर्माता को ''सिंगल विण्डो सिस्टम'' https://investuttarakhand .uk.gov.in/filmshooting/ पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने होते है। आवेदन के लिए निर्माता को आधार कार्ड, फिल्म का सारांश (Synopsis) Production house का registration Certificate/GST या किसी Line Producer से फिल्म निर्माण कराने की स्थिति में Line Producer के लिए अधिकार पत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के फार्म को भर के online attach करना होता है। विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत फिल्म अनुमति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सम्बंधित विभागों को स्वतः ही पोर्टल से मेल हो जाती है। विभागों की सूची निम्नवत है :– 1.To the Office of District Magistrate 2.To Senior Superintendent of Police / Superintendent of Police 3. To the concerned DFO / Ranger / Forest 4. To the concerned Kotwali / Police Station / Outpost in-charge यदि फिल्म का निर्माण केंद्र संचालित वन विभाग में होना है तो फिल्म विकास परिषद् द्वारा मुख्य वन संरक्षक अधिकारी (CCF) और सम्बंधित प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को अनापत्ति जारी करने विषयक पत्राचार किया जाता है। फिल्म शूटिंग की अनुमति निःशुल्क 14 दिन के अन्दर **E-mail: ufdc2015@gmail.com** के माध्यम से भी फिल्म निर्माता को प्रदान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	**फिल्मों को अनुदान**	• उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग की गई हो, क्षेत्रीय भाषाओं / बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख। • अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू015 लाख। • हिन्दी फिल्मों को फिल्म उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिए फिल्मों की 75 प्रतिशत राज्य में शूटिंग की जानी होगी।	ऐसे फिल्म निर्माता, जिन्होंने फिल्मों के 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग राज्य में की हो।	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज / प्रदर्शन के उपरांत अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद्, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा। तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय / खर्चो, अनुबन्ध, बीजक तथा अन्य अभिलेख (अन्य अभिलेख जैसे–CA certificate, Bank Statement) यदि फिल्म पार्टनरशिप में बनी है तो सम्बंधित दस्तावेज प्राप्त किये जाने होते है। इत्यादि विभाग में जमा कराने होते है। जिस पर फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा0 मुख्यमंत्री / अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ / स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि फिल्म निर्माता के खाते में भुगतान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाईन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में करना होगा

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

चौबट्टाखाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 07 अप्रैल, 2023

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)**	ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। योजना में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कुशल श्रमिक को लोक निर्माण विभाग में प्रचलित SOR के अनुसार मजदूरी दी जाती है जो वर्तमान में विभिन्न जनपदों में रु० 450 –600/– प्रतिदिन के बीच है। अकुशल श्रमिक को 1 अप्रैल 2023 से रु० 230/ – प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है।	जॉब कार्ड धारक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य	**जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं प्राप्तिः** कोई भी ग्रामीण परिवार, जो अकुशल श्रम रोजगार करने का इच्छुक हो, जॉब कार्ड हेतु आवेदन कर सकता है। जॉब कार्ड बनाने हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड/बैंक पासबुक/वोटर आईडी/ आधार कार्ड नहीं होने पर राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होती है। छानबीन समिति द्वारा आवेदन सही एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर 30 दिन के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। एक जॉब कार्ड में परिवार के 6 सदस्य दर्ज हो सकते हैं। **कार्य की मांगः** जॉब कार्ड प्राप्त हो जाने के उपरान्त जॉब कार्ड में दर्ज कोई भी सदस्य निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत/विकासखण्ड कार्यालय में कम से कम 14 दिन के अंदर कार्य की मांग कर सकता है। यदि मांग किये जाने के 15 दिन तक कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक विकासखण्ड कार्यालय में जाकर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है।
2	**दीनदयाल अन्त्योदय– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)**	योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं, की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को संगठित कर, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) बनाये जाते हैं ताकि वह आजीविका में सुधार के लिए समूह के माध्यम से कार्यो को शुरू कर सकें। समूह बनने के बाद समूह सदस्यों को प्रशिक्षण,तकनीकी सहायता विभाग द्वारा दी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनाने के उपरांत उसका बैंक खाता खोला जाता है तथा प्रत्येक समूह की न्यूनतम 1.5 लाख कैश क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा दी जाती है, जिससे समूह जब भी कोई कार्य करना चाहे, उक्त धनराशि कभी भी ऋण के रूप में ले सकता है। सरकार द्वारा समूह के	''सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे '' (SECC-2011) एवं सहभागिता के आधार पर गरीबों का चयन किया जाता है तथा समूह बनाते समय उनको प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य रूप से गरीब महिलाओ, दलित और आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक ग्राम मे एक से अधिक समूह बना सकते है। सदस्यों की उम्र 18–65 वर्ष के बीच हो । लक्षित वर्ग की महिलाए (पर्वतीय क्षेत्र की दशा में	**समूह बनाने की प्रक्रिया–** ग्राम में सी0आर0पी0 (Community Resource Person के माध्यम से ग्राम स्तर पर जाकर पात्र महिलाओं/परिवारों को समूह से जुडने हेतु मोटिवेट किया जाता है तथा समूह में काम करने हेतु इच्छुक होने तथा बैठकों में समय देने के लिए तैयार होने पर उनका समूह गठित किया जाता है। समूह हेतु पहाड़ी इलाकों मे कम से कम 5 महिलाओ और मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 10 महिलाओ का होना अनिवार्य है इसमे उनके आधार कार्ड, पहचान–पत्र ,समूह की महिला का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर मे दर्ज होना चाहिए। उसके बाद समूह की बैठक आयोजित करने पर एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। समूह गठित होने पर विभाग द्वारा भारत सरकार के एनआरएलएम पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाती है। इसके बाद, समूह सदस्यों को, जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		ऋण लेने पर, ऋण ब्याज की धनराशि पर सब्सिडी दी जाती है।	5–10 तथा मैदानी क्षेत्र की स्थिति में 10–15 महिलाए)	ही समूह के सदस्यों द्वारा एक निर्धारित धनराशि भी समूह के खाते में जमा की जाती है। समूह की सप्ताहिक बैठक का दिन एवं समय भी निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक समूह में छोटी–छोटी गतिविधियों के संचालन हेतु रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि दिया जाता है। समूह को वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक या वित्तीय संस्था से जोड़ा जाता है। समूह का खाता खोलने, बैंक से जोडने के दौरान विभागीय कार्मिक सहयोग करते हैं।
3	**दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY)**	ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, यूनिफार्म एवं किताबें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।	ग्रामीण युवा जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष हो। महिला,कमज़ोर जनजातीय समूह, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयुसीमा निर्धारित है। बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवार अथवा पी.आई.पी. के माध्यम से चिन्हित परिवार। मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक परिवार। एन.आर. एल.एम. स्वंय सहायता समूह के परिवार। एस.सी.सी.सी. –2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु आरक्षण निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक लाभार्थी www.kaushal panjee.nic.in में जाकर candidate registration अपना पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है तथा उसके उपरांत को प्रवेश परीक्षा पास नहीं करनी होती है। विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से संबंधित आवेदक को प्रशिक्षण कहां पर आयोजित कराया जा रहा है, की सूचना उपलब्ध कराते हैं। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवां राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत, जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करायेगा।
4	**प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G)**	चयनित पात्र लाभार्थियों को आवास बनाने हेतु 1 लाख 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी कन्वर्जेंस के तहत शौचालय निर्माण हेतु रू0 12,000/– की धनराशि मनरेगा/स्वजल से एवं 95 मानव दिवस का श्रम रोजगार मनरेगा से प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा आवास पूर्ण होने पर	**''सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे''**(SECC-2011) एवं आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची से आवास हेतु पात्र लाभार्थी का चयन।	योजना अन्तर्गत पृथक से आवेदन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। समय–समय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास हेतु **''सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना –2011 सर्वे''** के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। एस0ई0सी0सी0 2011 सर्वे में छूटे हुए ऐसे परिवार जो पीएमएवाई–जी आवास की पात्रता धारित करते थे ऐसे परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक आवास

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		किचन बर्तन खरीद हेतु मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत धनराशि रू0 6,000/– की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।		प्लस सर्वे मोबाईल एप्प के माध्यम से कराया गया। आवास प्लस सर्वे सूची के आधार पर स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की गई जिसके आधार पर वर्ष 2020–21 से भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र लोगों को धनराशि सीधे उनके खाते में आवंटित की जा रही है।
5	**रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (RBI)**	ग्राम्य विकास विभाग की एक अभिनव पहल है। ऐसे उद्यमियों को तकनीकी, व्यवसायिक, कानूनी सलाह, विपणन सहयोग आदि हेतु इन्क्यूबेटर के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड के ऐसे निवासी जो, किसी भी व्यवसाय को करने हेतु इच्छुक हों तथा 18 वर्ष से अधिक आयुसीमा के हो योजना हेतु पात्र हैं। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, जो व्यापार करना चाहते हों। ऐसे व्यक्ति जो पहले से चल रहे व्यवसाय को बढाना चाहते हों। तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हों। बिज़नेस प्लान तैयार करने में सहायता चाहते हों। जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन चाहते हों। बाजार तक प्रोडक्ट एवं सर्विसेज की बेहतर पहुंच चाहते हों।	यदि राज्य का कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है परंतु उसको व्यवसाय करने की कोई जानकारी नहीं है जैसे–बैंक ऋण कहां से लेगा, सरकार से क्या सहायता मिलेगी, मार्केटिंग कैसे करेगा। वह जिला मुख्यालय में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स कार्यालय में जाकर व्यवसाय से संबंधित जानकारी/सहयोग तथा इन्क्यूबेटर्स की अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट https://ukrdd.uk.gov.in पर ऑनलाइन पर आवेदन भी कर सकता है या ईमेल rbiuttarakhand@gmail.com या फोन नंबर 7060463021 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के बारे में जनता को अवगत कराये जाने हेतु समय समय पर विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते है। रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स के पास फोन प्राप्त होने/आवेदन मिलने के उपरांत इन्क्यूबेटर्स कार्यालय द्वारा आवेदक से संम्पर्क किया जाता है। आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदक के उपस्थित होने पर उससे व्यवसाय/प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता संबंधी विषय पर पत्रावली तैयार की जाती है तत्पश्चात जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर संबंधित क्रिया कलाप से सम्बन्धित को हार्ट्स के अन्तर्गत आर0बी0आई0 द्वारा इन इन्क्यूबेटीज को सहयोग प्रदान किया जाता है । रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेर्स योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना एवं बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करना तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। राज्य के जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग (कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				जनपद पौड़ी के कोटद्वार (गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु) में आर0बी0आई0–हब की स्थापना की गयी है। शेष अन्य 11 जनपदों में आर0बी0आई0–स्पोक (वर्तमान में यह कार्यालय, जनपद के मुख्यालय में स्थापित कार्यालयों के साथ चल रहे हैं।) की स्थापना की गयी है। इस कार्यालय में यह सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैः– स्वरोजगार हेतु सहयोग, विशेषज्ञ परामर्श, बिज़नेस प्लानिंग सहयोग, मार्केटिंग सहयोग, व्यापार प्रशिक्षण, व्यापार पंजीकरण, बिज़नेस निवेश सहयोग, बिज़नेस हेतु कानूनी अनुपालन
6	**बी0पी0एल0 सूची में नाम जोडने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया**	**बी0पी0एल0 सूची में नाम जोडने एवं संशोधन करने एवं हटाने की प्रक्रिया**–शासनादेश सं0 76/ग्रा.वि.वि/2002 दिनांक 02 मई, 2003 द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसमें **गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गणना हेतु 13 सूचकॉक निर्धारित थे,** जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का बी0पी0एल0 सर्वे कराकर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं में उनको लाभान्वित करने हेतु पात्र परिवारों के निर्धारण की कार्यवाही करना था। बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 निर्धारित समय सारिणी के अनुसार माह मई 2003 से माह सितम्बर 2003 तक सम्पन्न किया गया और शासन द्वारा अनुमोदित सूची विकास खण्ड मुख्यालय में उपलब्ध होते हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन 196 आफ 2001 दिनांक 17.2.2006 में दिये गये निर्णय **"Provisions will be made to allow new names to be added and ineligible names deleted from the BPL list 2002 on a continuous basis during the period that the list will be applicable"** एवं शासन के पत्र सं0 190/दिनांक 02 मार्च, 2007 में **अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाया जायेगा तथा नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया जायेगा,** के एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्र सं0 4667/दि0 10.03.2008 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में **समय सारणी निर्धारित कर** तहसील स्तर पर आपत्तियॉ प्राप्त की गयी, जिसमें उनका निराकरण कर अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाकर नये पात्र व्यक्तियों को सूची में सम्मिलित किया गया था। जिनका प्रकाशन भी कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर वर्तमान में ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीपीएल में नाम जोडने एवं हटाने की प्रक्रिया 2008–09 के बाद नहीं की गयी है। **बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया**–खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण–2002 सूची में सम्मिलित ग्रामीण पात्र परिवारों को बी0पी0एल0 परिचय पत्र जारी किये गये। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 प्रारम्भ की गयी, जिसके आधार पर ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।		
7	**सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची**	सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 **(SECC)** में भारत सरकार द्वारा की गयी थी, जिसमें मानक निर्धारित कर, सर्वे किया गया था, मानक के अनुसार पात्र परिवारों को **(SECC)** में जोडा गया, जिसकी सूची ग्राम्य विकास विभाग के मुख्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं ग्राम विकास अधिकारी के पास उपलब्ध होती है। इस सूची में नाम जोडने एवं हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भविष्य में पुनः सर्वे के उपरांत ही परिवारों को हटाया/जोडा जा सकता है।		

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जन औषधि केन्द्र एवं राज्य की समस्त बहुद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। दिनांक 30 मार्च 2023

सहकारिता विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना**	योजनान्तर्गत **कृषि कार्य** हेतु रू0 1.00 लाख तथा **कृषियेत्तर कार्य** (यथा पशुपालन, दुग्ध, मुर्गी पालन, मत्स्य, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, मसाला, मशरूम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी,कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस आदि) हेतु रू0 3.00 लाख तक एवं **स्वयं सहायता समूह** को रू0 5.00 लाख तक का **ब्याज रहित ऋण दिया जाता है।**	सामान्य, लघु, सीमान्त कृषकों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्य एवं स्वयं सहायता समूह, को जो उस क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्य अथवा जिला सहकारी बैंक में बचत खाताधारक हो। परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा। (**लघु कृषक** का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो। **सीमान्त कृषक** का तात्पर्य उन कृषकों से है जिनके पास 2.50 एकड़ तक असिंचित भूमि अथवा 1.25 एकड़ तक सिंचित भूमि उपलब्ध हो।) योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा। वर्तमान में योजना में कृषकों के लिये आय सीमा निर्धारित नहीं है।	रू0 1 लाख से 3 लाख तक का ऋण हेतु आवेदक को सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है तथा सीधे बैंक से ऋण लेने की स्थिति में बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनना पड़ेगा। आवेदक सबसे पहले बैंक/समिति से आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं कार्य योजना, वार्षिक आय/व्यय का विवरण तथा यदि कहीं से ऋण लिया हो तो तत्संबंधी जानकारी उल्लिखित करेगा। आवेदक के पास उपलब्ध चल/अचल सम्पत्ति जैसे जमीन, जमाधनराशि आदि। ऋण लेने हेतु 2 जमानतियों का होना आवश्यक है, जिनकी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण भी मांगा जाता है। आवेदन पत्र के साथ जमीन संबंधी प्रमाण पत्र/खाता खतौनी, किसान कार्ड, के साथ उक्त फार्म संबंधिक बैंक/समिति में जमा करने के उपरांत गठित विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजना से आच्छादित कर ऋण प्रदान किया जाता है। रू0 5 लाख तक के ऋण हेतु समूह द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ प्रस्ताव जमा करना पडता है तथा यह ऋण व्यक्तिगत न मिलकर समूह को दिया जाता है। समूह का, सहकारी बैंक में खाता होना अनिवार्य है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित योजना से आच्छादित क्रिया–कलापों हेतु पंजीकृत होना चाहिए। उक्त योजनान्तर्गत वितरित अल्पकालीन ऋण रू0 1 लाख (फसली ऋण) हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक। मध्यकालीन ऋण रू0 3 लाख हेतु भुगतान की अवधि ऋण वितरण की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक भुगतान करना होगा तथा इस हेतु भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जाता है। ऋण लेने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत किये गये अल्पकालीन कृषि ऋणों का फसल बीमा कराया जाना आवश्यक होगा। कृषि ऋणों का बीमा सहकारी बैक स्वयं करवाता है। यदि किसी कृषक को किसी वर्ष ऋण नहीं मिलता है तथा उसे आगामी वर्ष में यदि आवश्यकता हो तो, आगामी वर्ष में विभाग उसके पूर्व में प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार करेगा। **सहकारी समिति में सदस्य बनने की प्रक्रिया**–इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित समिति कार्यालय में सदस्यता हेतु आवेदन पत्र भरते हुये रू0 108/– सदस्यता शुल्क के रूप

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				में जमा कर समिति सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। संचालक मण्डल सम्बन्धित समिति द्वारा सदस्यता हेतु किये गये आवेदन पर विचार कर सम्बन्धित आवेदक की सदस्यता स्वीकार / अस्वीकार की जाती है। सदस्य बनने हेतु उसी क्षेत्र में जमीन संबंधी प्रमाण पत्र, पटवारी से प्रमाणित किसान कार्य संबंधी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
2.	**मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना**	उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को **हरा मक्का के साथ पोषक तत्व मिलाते हुये पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशुआहार तैयार कर रू 2.75 प्रति किग्रा की दर से** उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत सायलेज के विक्रय मूल्य रू0 9.00 प्रति किग्रा पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा परिवहन लदान ढुलान आदि व्ययों पर रू0 3.00 प्रति किग्रा की दर से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप **लाभार्थी को रू 2.75 प्रति किग्रा की दर से सायलेज उपलब्ध हो रहा है।**	पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त पशुपालक / महिलाएं योजना मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में ही लागू है।	पशुपालक / महिला, सायलेज की मांग हेतु सीधे सम्बन्धित समिति के सचिव को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के रूप में अवगत कराते हुये सायलेज की मांग करेंगे। **प्रार्थना पत्र के साथ** पशुपालकों को समिति क्षेत्र में निवासरत् रहने से सम्बन्धित अभिलेख, आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने पड़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सहकारी समितियां काफी दूर होती हैं, दूरस्थ होने की स्थिति में महिलाओं द्वारा उक्त के उपरान्त आगामी मांग दूरभाष / व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इस योजना में सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उक्त मांगानुसार पशुपालक / महिलाएं, सहकारी समितियों के कार्यालयों / केन्द्र में निर्धारित शुल्क जमा कर, सायलेज / टोटल मिक्स राशन / चारा प्राप्त करेंगे।
3	**मोटर साईकिल टैक्सी योजना**	आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक / यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व छोड़ने हेतु स्कूटर अथवा मोटर साईकिल को क्रय करने हेतु 2 वर्ष तक, कुल धनराशि का 75	आवेदक उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम हो। आवेदक के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध लाईसेन्स हो। आवेदक किसी वित्तीय	आवेदक स्कूटर अथवा मोटर साईकिल, खरीदने हेतु संबंधित क्षेत्र के सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कोटेशन तथा उसमें मोटरसाइकिल की एक्सशोरूम कीमत, ड्राइविंग लाइसेंस, दो जमानतियों का विवरण, संलग्न करेगा तथा संबंधित बैंक में ही जमा करेगा। आवेदन पत्र जमा होने के बाद जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रतिशत अथवा रू0 1.75 लाख जो भी कम हो, प्रति स्कूटर / मोटर साइकिल पर ब्याजमुक्त ऋण दिया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि आवेदक के पास होनी चाहिए। आवेदक अधिकतम 10 स्कूटर / मोटरसाइकिल खरीद सकता है।	संस्था / सहकारी संस्था का बकायेदार न हो, आवेदक का न्यूनतम सिविल (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।	स्तरीय कमेटी के सम्मुख चयन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जायेगें। सम्बन्धित शाखाओं द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये ऋण स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुये, स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था / फर्म को प्रेषित की जायेगी, जिससे मोटर साईकिल वाहन क्रय किया जाना है। ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह 35 समान किस्तों में की जायेगी।
4	**ई–रिक्शा कल्याण योजना**	बेरोजगार युवक / युवतियों को ई–रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बचत खाता में मूल्य 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर 02.00 लाख रू0 के सुरक्षा बीमा का लाभ प्राप्त होगा। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के लाभार्थी बचत खाते पर मूल्य 330 रू0 प्रीमियम जमा करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से लाभान्वित हो सकते हैं।	योजना के लिये स्थानीय बेरोजगार पात्र होगें। उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो। पात्र व्यक्ति का स्वयं का वैध ड्राईविंग लाईसेन्स। लाभार्थी की आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।	आवेदक, ई–रिक्शा खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए क्षेत्र के नजदीकी, सहकारी बैंक में जाकर आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा तथा आवदेक का सम्बन्धित सहकारी बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तथा आवेदक एवं 2 गारंटरों का बैंक का नाममात्रिक सदस्य बनाया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रारूप के साथ जिस डीलर का कोटेशन, दो गारंटरों का विवरण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संबंधित बैंक का बैंक खाता विवरण, वोटर आई0डी0 जिसमें स्थानीय पता अंकित हो अथवा बिजली का बिल, पानी का बिल, जो पात्र व्यक्ति से सम्बन्धित हो प्रस्तुत करना होगा एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा। प्रदेश के ऐसे बेरोजगार जो शहरी अथवा अर्द्धशहरी / ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हों तथा किराये पर हों उन्हें किरायेनामे का प्रमाण पत्र तथा उत्तराखण्ड स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र सही पाये जाने पर, बैंक द्वारा धनराशि सीधे डीलर को प्रदान की जाती है तथा उसके उपरांत प्रतिदिन की किस्त / प्रतिमाह की किस्त बनाकर आवेदक 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि जमा करता रहेगा।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

गांव क्षेत्र में मंडुवे की खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में 'लाइन शोइंग' विधि से मडुआ की बोआई करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।
दिनांक 11 जून, 2023

जनपद टिहरी में मा0 मुख्यमंत्री जी पॉवर वीडर (आधुनिक कृषि यंत्र) के माध्यम से खेत की जुताई करते हुए

कृषि विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (**PM-Kissan**)	इसके अन्तर्गत किसानों के बैंक खाते में सालाना 6 हजार रूपये (रू0 6000/–) ट्रांसफर किये जाते हैं। प्रति 4 माह में रू0 2000/– दिये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त भूमि धारक किसान, जिनके नाम पर राजस्व अभिलेखों में जमीन हो। आर्थिक रूप से सम्पन्न निम्न वर्ग के लोग इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होगें :– सभी संस्थागत भूमिधारक, ऐसे किसान जिनके परिवार का कोई भी सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत है, पात्र नहीं होंगे :– (क)संवैधानिक पदों पर पूर्व में कार्यरत रहे तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति। (ख) पूर्व तथा वर्तमान मंत्री/ राज्यमंत्री, पूर्व तथा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा सदस्य/विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य, पूर्व तथा वर्तमान मेयर/नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।(ग) केंद्र सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/ विभागों/क्षेत्रीय इकाईयों के समस्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्र / राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सम्बद्ध कार्यालयों,	आवेदक/पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट/ पोर्टल पर www.pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो, राशन कार्ड संख्या। उक्त योजना में पंजीकरण करने के उपरांत विभागीय स्तर से जांच की जाती है, जांच में दस्तावेज सही पाये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है। यदि कोई किसान स्वतः पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण करने में असमर्थ हो तो नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी/

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			राज्य / केंद्र के अन्तर्गत स्वायत उपक्रम के अधिकारी / कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर (घ) सभी सेवानिवृत्त / अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके पेंशनधारी जिनकी पेंशन प्रतिमाह रु0 10,000 अथवा रु0 10,000 से अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी अथवा श्रेणी घ को छोड़कर)। (च) गत वर्ष के आयकार दाता। (छ) प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे– डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टेड एकाउण्टेन्ट तथा आर्किटेक्ट जो किसी पेशेवर उपक्रम (प्रोफेशन बॉडी) में पंजीकृत हों तथा पेशे से सम्बन्धित प्रैक्टिस कर रहे हों।	जनपदीय कृषि अधिकारी कार्यालय में समस्त दस्तावेज ले जाकर ऑनलाइन आवेदन करने में विभाग द्वारा सहयोग किया जाता है। पीएमकिसान हेल्पलाइन नं0 155261 एवं 011– 24300606 के टोलफ्री नंबर पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (**PM-KMY**)	पुरूष और स्त्री दोनों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कम से कम 3000.00 (रू0 तीन हजार) प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। परंतु इस हेतु 18 से 40 वर्ष की उम्र के भीतर पंजीकरण करना होता है एवं रू0 55 से 200 प्रतिमाह पेंशन निधि में अंशदान (किसान द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि) कुल 60 वर्ष तक जमा करना होता है तथा उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाती है।	सभी छोटे एवं मझौले किसान (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जी जमीन हो) तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि होनी चाहिए एवं किसान का नाम अभिलेखों में दर्ज हो। किसान आयकर दाता न हो।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी किसान वेबसाइट www.pmkmy.gov.in पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र (C.S.C.) में सम्पर्क कर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण करने हेतु आधार संख्या एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है, यदि आधार लिंक मोबाइल नंबर न हो

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पंजीकरण कराया जाता है। पंजीकरण के उपरांत निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–किसान के नाम पर जमीन होने संबंधी दस्तावेज (खसरा खतौनी में संबंधित किसान का नाम होना अनिवार्य है।), बैंक खाता जो आधार से लिंक हो तथा आधार सीड हो। पंजीकरण करने के उपरांत एक नोमिनेशन फार्म भरना होता है, जिसको प्रिंट करने के उपरांत पुनः अपलोड करना पडता है साथ ही खाते से प्रतिमाह अंशदान कटौती की अनुमति देनी होती है। प्रथम किस्त उसी समय भुगतान की जाती है। अंतिम रूप में पंजीकरण होने पर किसान मानधन पेंशन नंबर जारी होता है तथा पेंशन नंबर भविष्य में पेंशन प्राप्त करने का आवश्यक दस्तावेज है। प्रतिमाह जो अंशदान धनराशि है वह किसान के खाते से कटौती होती है और उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा भुगतान की जाती है। धनराशि की कटौती 60 वर्ष तक होती है। 60 वर्ष पूरे होने पर रू0 3000/– पेंशन की धनराशि मिलने लग जाती है। भविष्य में पेंशन हेतु पेंशन निधि प्रबंधन और पेंशन भुगतान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम उत्तरदायी है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (**PMFBY**)	प्राकृतिक आपदाओं जैसे –बारिश, ओलावृष्टि, आकाश बिजली, बाढ़, सूखा, कीट पतगों, चक्रवात एवं भूस्खलन से फसलों की बुवाई से कटाई तक नुकसान की भरपाई की जाती है। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक (चक्रवात, चक्रवाती बारिस, बेमौसमी बारिस और ओलावृष्टि) आपदा से हुए नुकसान पर भी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। जानवरों से होने वाला फसल नुकसान इस योजना में सम्मिलित नहीं है। क्षतिपूर्ति बीमित क्षेत्रफल का भुगतान और बीमित धनराशि पर निर्भर करता है। प्रीमियम की धनराशि– रबी में किसान को अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना पडता है तथा खरीफ की फसलों पर अधिकतम 2 प्रतिशत भुगतान करना पडता है। अन्य समस्त धनराशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।	खेती करने वाले प्रदेश के सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के साथ–साथ बटाईदार किसान (जो किसी अन्य की खेती पर खेती करते हों) इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान निम्न फसलों का बीमा करा सकते हैं :– i. खरीफ–चावल, मण्डुवा (समस्त जनपद) ii. रबी–गेहूं (समस्त जनपद), मसूर (जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पिथौरागढ़)	फसल बीमा करने हेतु सर्वप्रथम पात्र किसान PMFBY वेबसाइट www.pmfby.gov.in पंजीकरण कर सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0 तथा जमीन संबंधी दस्तावेज, बटाइदार होने की स्थिति में इकरारनामा / एफिडेविट अपलोड करने होंगे। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हों तो, जन सेवा केन्द्र (C.S.C.) / नजदीकी बैंक / पोस्ट ऑफिस / बीमा कम्पनी एजेन्ट के माध्यम (AIDE ऐप) उक्त दस्तावेजों को ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत किसान को बीमित धनराशि के सापेक्ष प्रीमियम धनराशि भुगतान करनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इश्योरेंश लि0 (टोल फ्री नं0– 18005723013) एवं अपने जनपद के कृषि एवं राजस्व विभाग को सूचित करें। उसके उपरांत उक्त तीनों विभागों द्वारा जांच की जाती है। जांच में नियमानुसार फसल क्षति पाये जाने पर, भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाता है। बीमा का लाभ लेने

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				हेतु समय पर बीमा प्रीमियम का भुगतान, फसल बीमा में उल्लेखित सभी शर्तो और नियमों का पालन करें।
4	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (**SMAE**)	किसानों को समय–समय पर आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि प्रदर्शनी, मेले, कृषक गोष्ठी का आयोजन एवं किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाया जाता है। कृषक वैज्ञानिक संवाद कराया जाता है। फार्म स्कूल–जिसमें प्रदर्शनी हेतु कृषक को निःशुल्क बीज, खाद तथा रसायन उपलब्ध कराया जाता है तथा वहां पर 30 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रगतिशील कृषक जो खेती–बाड़ी में अच्छा कार्य कर रहें हैं उन्हें पुरूस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र के साथ निम्नानुसार धनराशि दी जाती है– विकासखण्ड स्तर रू0 10,000 (दस हजार मात्र)–किसान श्री जनपद स्तर रू0 25,000 (पच्चीस हजार मात्र) किसान भूषण राज्य स्तर रू0 50,000 (पचास हजार मात्र)– किसान रत्न	प्रदेश के किसान को इस योजना का पात्र माना जायेगा। किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा किसान का नाम भूमि संबंधी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए।	किसान यदि प्रशिक्षण / एक्सपोजर विजिट / कृषि वैज्ञानिक संवाद प्राप्त करना चाहता है तो अपने जनपद के न्याय पंचायत या सहायक कृषि अधिकारी, विकासखण्ड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, इकाई स्तर पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी / परियोजना निदेशक (आतमा) के नाम से प्रशिक्षण हेतु पत्र लिखकर आवेदन कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरांत विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र / अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किसान पुरस्कार प्राप्त करने हेतु जनपद के कृषि कार्यालयों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तथा विज्ञापन के उपरांत एडीओ कृषि / विकास खंड कृषि कार्यालय / जनपद स्तरीय कृषि कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित अवधि के भीतर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0, कृषि क्षेत्र में उल्लेखीय कार्य

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, राज्य के बाहर विजिट करने संबंधी प्रमाण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड / पशुनस्ल सुधार कार्ड, यदि किसान क्रेडिट कार्ड लिया हो तो तत्संबंधी विवरण, फसलबीमा / पशु बीमा कराया हो तो तत्संबंधी प्रमाण, स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो, किसी समिति / संगठन के सदस्य हों तो, उसका विवरण, तथा फसल उत्पादन, उससे होने वाले लाभ, जमीन आदि विवरण संलग्न कर जनपद स्तरीय कार्यालय में जमा करना पडता है। जमा करने के उपरांत कृषकों का चयन ब्लॉक स्तर पर गठित कृषक सलाहकार समिति की खुली बैठक में विभागीय अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है तथा अन्तिम अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित Governing body Board Meeting (आतमा शासी निकाय की बैठक) में किया जाता है।
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (**NFSM**)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खेती के रकबे का विस्तार, चावल, गेहूं, दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना अैर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा प्रबन्धन, यंत्र वितरण, कृषक प्रशिक्षण	प्रदेश के किसान को ही इस योजना का पात्र माना जायेगा। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन तथा कस्टम हायरिंग हेतु सहायता दी जाती है।
योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान कृषकों को देय है :–
क्लस्टर प्रदर्शन–
• रु0 9000 प्रति है0 (धान,गेहूँ व दलहन)
• 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन)
• रू० 3000 प्रति है0, (तोरिया / सरसों / राई / तिल)
<table>
<tr><th>क0</th><th>कार्य मद</th><th>अनुदान के मानक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्रॉपिंगसिस्टम बेस्ड प्रदर्शन</td><td>रु0 15000 प्रति है0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बीज वितरण</td><td>हाइब्रिड–राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10,000 / कुंतल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सोयाबीन / तोरिया / सरसों / राई–मूल्य का 50% या रु0 4000 / कुंतल जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियॉ)</td><td>अरहर, मूंग, उडद, चना, गहत, मसूर आदि– मूल्य का 50 % या रू0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो
रागी / मण्डुवा / सांवा / झंगोरा –मूल्य का 50 % या रू0 3000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो
तिलहन– आधारीय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)
प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पौध एवं मृदा प्रबन्धन</td><td>सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण–मूल्य का 50% या रु0 500 / हैक्टेयर जो भी कम हो</td></tr>
<tr><td>5</td><td>यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र–</td><td>अ) मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50% / एस0एम0ए0एम0 मानक के अनुसार</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कृषक प्रशिक्षण–</td><td>रू0 3500 / सत्र या रु0 14,000 प्रति प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td>7</td><td>लोकल इनसियेटिव–</td><td>50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानको के अनुसार) रु0 2.50 लाख / है0</td></tr>
<tr><td>8</td><td>स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन</td><td>रु09900 / है0</td></tr>
</table></td><td></td><td>कराया जाता है एवं विभाग संबंधित किसान को बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र आदि दिये जाते हैं।

यदि किसान किसी ग्राम सभा / जनप्रतिनिधि के माध्यम से न जाना चाहे, तो वह संबंधित न्यायपंचायत के कृषि निवेश केन्द्र से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।</td></tr>
</table>

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (**R.K.V.Y.**)	योजनान्तर्गत मुख्य रूप से बीज उत्पादन (सभी फसलों के 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), फसल उत्पादन (सभी फसलों के बीज 50 प्रतिशत सब्सिडी पर), जैविक खेती (वर्मी कम्पोस्ट खाद, जैविक पिट, 50 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं बहुउद्देशीय जल संरक्षण टैंकों का निर्माण किया जाता है, इसमें भी 50 प्रतिशत धनराशि सब्सिडी में दी जाती है।	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में नाम होना अनिवार्य है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकता है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत संबंधित किसान को बीज, वर्मी कम्पोस्ट खाद, टैंक निर्माण आदि किये जाते हैं। तदोपरांत विभाग द्वारा जांच करने के बाद, किसान बीज न्याय पंचायत स्तर के कृषि निवेश केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं तथा टैंक निर्माण विभाग द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी के आधार पर स्वयं करवाया जाता है।
7	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (**S.H.C.**)	प्रदेश के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना। किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है। सभी 13 जनपदों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें संचालित हैं। किसानों को यह जानकारी प्रदान की जाती है कि उनके खेत की मिट्टी के अन्दर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग जाना जाता है। कृषकों की मिट्टी का नमूना जांच निःशुल्क है।	प्रदेश के समस्त भूमिधर कृषक जो कृषि कार्य से जुड़े हो।	सबसे पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी का नमूना लेना होता है, जिसकी प्रक्रिया निम्न है :– किसान अपने खेत में 6 जगह निर्धारित करे, जहां से वह नमूना लेना चाहते हैं उसके बाद जिस जगह से नमूना लेना है वहां साफ कर लें जैसे–मिट्टी की ऊपर की घास आदि। मृदा जांच हेतु सूखी मिट्टी प्रयोग में लायी जाती है। यदि एकत्रित किया गया मृदा नमूना नमीयुक्त हो तो उसे छांव में सूखा लिया जाता है, जिससे नमूना वायु शुष्क हो जाये।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर अथवा इससे कम तक की कृषि जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा मैदानी क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर तक की जमीन के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तथा यह कार्ड 03 वर्ष तक वैध होता है।		नमूना लेने के लिए फावड़े या खुरपी से 6 इन्च गहरा, 6 इन्च लम्बा और 4 इन्च चौड़ा वी0 आकार का गड्डा बना लें। अब इस गड्डे के किनारे–किनारे दीवार से ऊपर से नीचे लगभग 1–2 इंच मिटटी इकठ्ठा कर लें इस इकठ्ठा की गयी मिट्टी को निकाल कर साफ जगह पर रख लें। इस तरह से खेत के 6 जगह से मिट्ट इकठ्ठी करनी है। मिट्टी इकठ्ठा कर ले तो सभी को अच्छी तरह मिल ले और उनमें से कंकड़ पत्थर या घास य जड़ हो तो उसे हटा दे। अच्छी तरह मिलायी गयी मिट्टी को चार बराबर भागों में बांट दें और 2 भाग को बाहर निकाल कर फेंक दें और बचे दो भाग को रख लें। बचे हुए 2 भाग को फिर से अच्छी तरह मिला दे और फिर उन्हें चार बराबर भागों में बांट दें और फिर 2 भाग को हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक करनी है, जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। आधा किलो मिट्टी जांच के लिए सही नमूना है। इस आधा किलो मिट्टी के नमूनें को साफ थैले में रखकर, थैले में एक पर्ची डालनी है जिसमें किसान का नाम–पूरा पता–खसरा नम्बर–मो0नं0–कौन सी फसल लेना चाहते हैं उसकी जानकारी– उल्लिखित करनी होगी तथा नमूने के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मो0नं0 आदि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				होने चाहिए इस नमूनें को किसान अपने जनपद के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्वयं अथवा अपने न्याय पंचायत के सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते है। जमा करने के बाद जब इस नमूने की जांच हो जाती है तो किसान को उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके हिसाब से वह खेती कर सकता है और खाद, उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। सुदूर जनपद में यदि किसान मुख्यालय नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने न्याय पंचायत के कृषि विभाग के प्रभारी से सम्पर्क कर मृदा परीक्षण सुविधा का लाभ उठा सकता है, तथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं मो0 नबंर की आवश्यकता होगी।
8	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (**NMSA-RAD**)	योजना का संचालन कलस्टर आधारित (किसानों के समूह, जिसमें न्यूनतम 2 से 5 किसान होने अनिवार्य हैं अधिकतम कितने किसान भी हो सकते हैं।) है, यह मात्र एक किसान के लिए नहीं है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से जुडी गतिविधियों जैसे–मुर्गी पालन, मौन पालन, पशुपालन एवं जैविक खेती, पालीहाउस आदि समूह बनाकर की जाती हैं। कृषि एवं कृषि से जुडी गतिविधियों यथा समेकित कृषि प्रणालियों का विवरण एवं अनुदान / लाभ के मानक निम्नवत हैं – उद्यान आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों की	प्रदेश का किसान होना चाहिए। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए तथा जमीनी दस्तावेजों में किसान का नाम आवश्यक है। किसान को योजना का लाभ लेने हेतु, संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा गठित क्लस्टर का सदस्य होना चाहिए अथवा सदस्य न होने की स्थिति में कृषि विभाग द्वारा क्लस्टर से जोडा	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव पास होने पर (जिसमें सभी किसान जो, कॉलम 2 में अंकित कार्यो को करने हेतु इच्छुक हों, का समूह बनाया जाता है।) संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		आजीविका अधिक से अधिक उद्यान आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। पशुधन उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–कृषकों की आजीविका पशुपालन पर आधारित हो, इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। दुग्ध उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 40000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। मत्स्य उत्पादन आधारित फसल प्रणाली–जहाँ कृषकों की आजीविका मत्स्य उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 25000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली– जहाँ कृषकों की आजीविका वृक्ष उत्पादन पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली– जहां कृषकों की आजीविका कृषि वानिकी पर आधारित हो। इसके अन्तर्गत प्रति है० रू० 15000.00 या कृषि आगातों के मूल्य का 50% अनुदान की सुविधा है। (ख) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण के अन्तर्गत अनुदान मानक– ग्रीनहाउस एवं लो–टनल पॉलीहाउस (ट्यूबलर) का निर्माण – संरचनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत का 50% या रू० 530.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो।	जाता है। यह योजना राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों, जहां पर बारिश नहीं होती / कम होती है, वहां पर लागू की जाती है।	करने के उपरांत जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तथा संबंधित किसानों को समेकित कृषि प्रणालियों (जो कॉलम 02 में अंकित हैं) का कार्य सम्पन्न होने के बाद क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाता है। किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://nmsa.dac.gov.in पर जाकर कर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0) के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान का आधार कार्ड, बैंक खाता, कृषि जमीन संबंधी दस्तावेज जिसमें किसान का नाम अंकित हो, उल्लेख करना होगा। उसके उपरांत विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा किसान को संबंधित समूह मे जोडा जाता है। कृषि समेकित कार्यो को करने के उपरांत लाभ संबंधित क्लस्टर के अध्यक्ष के खाते में डीबीटी होता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		मौन पालन– मौन पालन कॉलोनी हेतु लागत का 40% या रू० 800.00 प्रति कॉलोनी जो भी कम हो। साइलेज इकाई का निर्माण– इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का शत्–प्रतिशत या अधिकतम रू० 1.25 लाख प्रति कृषक परिवार। पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज– इसके लिए लागत मूल्य का 50% या रू० 4000.00 प्रति वर्ग मीटर एक इकाई हेतु अनुदान की सीमा रू० 2.00 लाख / इकाई। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस– इलेक्ट्रिक / डीजल इकाईयों हेतु मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 15000.00 प्रति इकाई। वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें– संरचना निर्माण लागत मूल्य का 50% या अधिकतम रू० 125.00 प्रति घन फीट, स्थायी वर्मी कम्पोस्ट संरचना हेतु अधिकतम सहायता सीमा रू० 50,000.00 प्रति इकाई, जबकि एच०डी०पी०ई० वर्मीशेड हेतु अधिकतम रू० 8,000.00 प्रति इकाई राज सहायता देय है।		
9	परम्परागत कृषि विकास योजना (**P.K.V.Y.**)	यह योजना जैविक खेती को प्रोत्साहन करने हेतु है, जिसमें जैविक खेती करने के लिए जैविक बीज, कम्पोस्ट, हरी खाद, बायोफर्टीलाइजर बायोपेस्टिसाइड, नीम ऑयल, प्रोम, बर्मी कम्पोस्ट, वेस्ट डिकम्पोजर आदि के लिए किसानों को रू0 9000 प्रति है0 की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।	प्रदेश के सभी मूल निवासी किसान नागरिक इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं। केवल किसान श्रेणी के नागरिक (जिनके पास भूमि हो, तथा जमीनी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित हो) ही योजना में आवेदन करने पात्र माने जायेंगे।	इस योजना का लाभ लेने हेतु किसान का चयन ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में विभागीय अधिकारियों व मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है, संबंधित किसान अपने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव दे सकते है तथा प्रस्ताव पास होने पर संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा विभाग को अवगत कराया जाता है एवं विभाग द्वारा जांच करने के उपरांत तथा किसान द्वारा जैविक खेती में उपयोग किये जाने वाले जैविक खाद, बीज आदि कृषि

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निवेश केन्द्रों से खरीदने के उपरांत लाभ दिया जाता है। लाभ लेने हेतु किसानों को प्रस्ताव के साथ स्थायी / मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मो0नं0, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कृषि जमीन की खसरा खतौनी तथा किसान नागरिक की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। किसान वेबसाइट http://pgsindia-ncof.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु उक्त दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जैविक निवेश करने के उपरांत सब्सिडी धनराशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (**PMKSY**)	प्रदेश के समस्त जिलों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने हेतु है। इस योजना में नये जल स्त्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्त्रोतों को सुदृढीकरण करना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण तथा परम्परागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाये जाते हैं। किसान इस योजना के अन्तर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब, सूक्ष्म सिंचाई के साधन जैसे फव्वारा (स्प्रिंक्लर) सिंचाई, बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) के उपकरण प्राप्त कर सकते हैं।	प्रदेश का किसान नागरिक होना चाहिए। यह राज्य के समस्त जनपदों हेतु है। खेती योग्य भूमि होनी चाहिए एवं कृषि भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों में किसान का नाम अंकित होना अनिवार्य है।	किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो विभागीय अधिकारियों एवं मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है, में प्रस्ताव लायेगा तथा प्रस्ताव पास होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कॉलम 3 में अंकित कार्यो के निर्माण / लागत विवरण संबंधी प्रस्ताव, किसान के साथ मिलकर, तैयार किया जाता है तथा जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जाता है।

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उक्त कार्यो को करने हेतु भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न अनुदान दिया जाता है– सामूहिक जल टैंक– मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख रू. अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है परंतु कमांड क्षेत्रफल (सिंचित होने वाला क्षेत्रफल) 01 है0 होना चाहिए। सामूहिक चैक डैम–मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम 2.50 लाख / संरचना 01 है0 जल पम्प– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई गहरी एवं उथली टयूबेल–मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 25,000 / इकाई गहरी टयूबेल– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1,00,000 / इकाई जल संरक्षण का पुर्नउद्वार एवं मरम्मत– मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 15,000 / इकाई मिनी स्प्रिंक्लर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 64,7,17 / है0 माइक्रो स्प्रिंक्लर सेट– मूल्य का 55 प्रतिशत या अधिकतम रू0 44,7,57 / है0 पोर्टबल स्प्रिंक्लर सेट– मूल्य का 45% या अधिकतम रू0 26,3,13 / है0		कार्य सम्पन्न होने के बाद किसान से संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मो0नं0, कृषि जमीन संबंधी राजस्व अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं एवं बाद में कॉलम 3 में अंकित सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाता है।
11	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**)	योजना के तहत् प्रदेश के सभी किसानों को खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु एस.सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए, 50 प्रतिशत एवं बडे किसानों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान / आर्थिक सहायता दी जाती है, विवरण निम्नवत है :–	किसान उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्तएस.सी. / एस.टी. / लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों (सभी जाति की) के लिए है।	सर्वप्रथम कृषि विभाग / जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त यंत्रों की सब्सिडी पर खरीद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के भीतर ही इस योजना का लाभ पाने के लिए

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ</th><th>पात्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>क्र</td><td>यंत्र का नाम</td><td>अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार</td></tr>
<tr><td>1</td><td>पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम</td><td>50% या अधिकतम रू० 65000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक</td><td>50% या अधिकतम रू० 85000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से कम</td><td>50% या अधिकतम रू० 25000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक</td><td>50% या अधिकतम रू० 35000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक</td><td>50% या अधिकतम रू० 63000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>चैफ कटर (power /drawn below 3 hp)</td><td>50% या अधिकतम रू० 20000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>चैफ कटर (power /drawn below 3 to 5 hp)</td><td>50% या अधिकतम रू० 28000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>चैफ कटर मानव चालित</td><td>50% या अधिकतम रू0 6300.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>ब्रश कटर</td><td>50% या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित)</td><td>50% या अधिकतम रू० 750.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित)</td><td>50%या अधिकतम रू0 3800.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली0 क्षमता</td><td>50%या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>मल्टीक्रॉप थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)</td><td>50%या अधिकतम रू० 100000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)</td><td>50%या अधिकतम रू० 100000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>पेडी थ्रैसर/(5 एच0 पी0 से कम)</td><td>50%या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>थ्रैसर(5 एच.पी. से कम)</td><td>50% या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।</td></tr>
</table>
</td><td>पात्र किसान का नाम, खेती योग्य जमीन के राजस्व अभिलेखों में अंकित हो।</td><td>किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वयं अथवा नदजीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता तथा जमीन संबंधी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (यदि किसी जाति विशेष से हो) अपलोड करने होते हैं। सभी दस्तावेज उसी जनपद के होने चाहिए जिस जनपद में कृषि जमीन हो। यदि किसान को ऑनलाईन आवेदन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में कृषि विभाग के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात, पंजीकरण संख्या/प्रमाण संबंधित किसान को प्राप्त होता है। फिर किसान कृषि विभाग के अंतर्गत पैनल फर्म से, जो वेबसाइट में उल्लिखित हों, उससे संबंधित यंत्र खरीदेगा उसके उपरांत बिलों को, जो पंजीकरण संख्या प्राप्त हुई है उसी में अपलोड करेगा। तदोपरांत कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बिलों की जांच की जाती है तत्पश्चात डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे कृषक के खाते में किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में ''पहले आओ पहले पाओ'' की व्यवस्था</td></tr>
</table>

क्र.	योजना का नाम	लाभ			पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		17	ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख जो भी कम हो।		लागू है, इसमें प्रत्येक जनपद में टारगेट निर्धारित हैं, टारगेट पूरा होने पर किसान को आगामी वर्ष में पुनः आवेदन करना पडेगा।
		18	ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू० 4.25 लाख जो भी कम हो।		
		19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख जो भी कम हो।		
		20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.30 लाख जो भी कम हो।		
		21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रू० 2.00 लाख जो भी कम हो।		
		22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.05 लाख जो भी कम हो।		
		23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.213 लाख जो भी कम हो।		
		24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.241 लाख जो भी कम हो।		
		25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.448 लाख जो भी कम हो।		
		26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.476 लाख जो भी कम हो।		
		27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.504 लाख जो भी कम हो।		
		28	पलवराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम रू० 35000.00 जो भी कम हो।		
		29	वाटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच.पी. तक	50% या अधिकतम रू० 18000.00 जो भी कम हो।		
		30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।		
		31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।		
		32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।		
		33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 1200.00 जो भी कम हो।		
		34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।		

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
12	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर / बडे किसानों हेतु। (**SMAM**)	कस्टम हायरिंग सेन्टर (ऐसे कृषकों के समूह जो मात्र कृषि यंत्रों की खरीद / किराये पर देने / बेचने का कार्य करते हों) के अन्तर्गत कृषक समूह / सहकारिता समूह / एफ.पी.ओ. / स्वयं सहायता समूह / कृषक, जो रू0 10.00 लाख से लेकर रू0 100.00 लाख तक के यंत्र अनुदान पर क्रय कर सकता है। जिस पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के बडे कृषकों (जिनके पास 5 हेक्टेयर या उससे अधिक जमीन हो), सहकारिता समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कस्टम हायरिंग सेंटरों के लिए है। पात्र किसान / समूहों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। व्यक्तिगत बडे किसान की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में नाम होना चाहिए तथा समूह की स्थिति में समूह के सदस्यों का कृषि जमीन संबंधी दस्तावेजों में नाम होना चाहिए।	समस्त प्रक्रिया क्रमांक 11 के अनुसार होगी परंतु समूह के आवेदन करने की स्थिति में समूह / कस्टम हायरिंग सेंटर का बैंक खाता, समूह के अध्यक्ष की फोटो, समूह के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, समस्त सदस्यों के जमीन के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
13	इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (**eNAM**) कृषि विभाग – उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	किसान पहले अपनी फसल को कटाई के बाद नजदीकी मंडी में ले जाते हैं एवं अपनी जगह का एक निर्धारित आढत मंडी समिति को देने के बाद, फसल या तो स्वयं मंडी में बेचते हैं या किसी बिचौलिए को औने–पौने दामों में बेचकर घर आ जाते हैं, परंतु किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके इस हेतु ई–नाम नामक एक ऑनलाइन मण्डी / बाजार किसानों के लिए तैयार किया है, जिसमें किसान अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करने हेतु, फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसमें किसान किसी बिचौलिये को अपनी फसल न देकर स्वयं बेच सकता है, स्वयं देख सकता है कि उसकी फसल के कितने रूपये किस क्षेत्र / जनपद / राज्य से ज्यादा मिल रहा है, फिर उसी को बेच सकते हैं। इसमें किसान की कृषि उपज की गुणवत्ता परख प्रयोगशाला में निर्धारित की	राज्य के समस्त किसान, जो अपनी फसल को ई–नाम के माध्यम से बेचना चाहता है, पात्र होगे।	किसान / विक्रेता कभी भी स्वयं / मंडी समिति के सहयोग से ई–नाम (eNAM) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है, जिसमें किसान / विक्रेता का मूल विवरण, मांगा जाता है। मुख्यतः आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाता एवं जमीन संबंधी दस्तावेज अनिवार्य हैं, पंजीकरण के उपरांत इसकी संस्तुति (approval), समिति द्वारा की जाती है। किसान अपनी फसल को ऐसी मंडी समिति जो ई–नाम में पंजीकृत है, उसके पास ले जायेगा उसके उपरांत किसान / विक्रेता की कृषि उपज का लाट (ढेरी संख्या) मंडी समिति द्वारा जारी की जाती है, लाट की परख करके, ग्रेड निर्धारित करके, मंडी

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		जाती है, जिसके फलस्वरूप, विक्रेता / किसान को उपज का प्रतिस्पर्धात्मक / अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा आनलाईन विक्रय की गयी कृषि उपज का भुगतान सीधे विक्रेता / किसान के बैंक खाते में प्राप्त होता है। उत्तराखण्ड राज्य में 16 मंडी समितियों में ई–नाम योजना संचालित की जा रही है। आगामी माहों से 20 मण्डी समितियों में ई–नाम योजना संचालित हो जायेगी।		टैक्नीशियन द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, विक्रेता की सहमति से न्यूनतम बिड / बोली की धनराशि एवं बिड / बोली अवधि निर्धारित की जाती है एवं बिड का आनलाईन संचालन मंडी समिति द्वारा किया जाता है। आनलाईन माध्यम से प्राप्त अधिकतम बोली / बिडिंग की धनराशि से, विक्रेता की संन्तुष्टि उपरान्त, बोली की घोषणा की जाती है। सर्वोत्तम बोली वाले क्रेता एवं विक्रेता के बीच में, अनुबंध पत्र / सेल बिल डाउनलोड किया जाता है जोकि क्रेता / विक्रेता / समिति क्रेता द्वारा अपनी ई–नाम आई0डी0 से, विक्रेता से क्रय की गयी कृषि उपज की धनराशि, मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की धनराशि का भुगतान का चालान प्रिंट करकें, भुगतान आनलाईन माध्यम से सीधे विक्रेता के बैंक खाते में किया जाता है अथवा नकद धनराशि के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसके उपरांत फसल संबंधित विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य संबंधित मंडी समिति द्वारा किया जाता है।

*****

PROO

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

उद्यान विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उद्यान कार्ड**	उद्यान विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यान कार्ड अनिवार्य है।	राज्य के सभी किसान, जो उद्यान गतिविधियां करना चाहते हैं तथा उनके पास अपनी निजी / लीज की जमीन हो, पात्र होंगे।	उद्यान कार्ड, उद्यान सचल दल केन्द्र से बनाया जाता है, उद्यान कार्ड बनाने हेतु उद्यान कार्ड का प्रपत्र, सचल दल केन्द्र से प्राप्त करना पडता है, प्रपत्र पर कृषक को अपने परिवार एवं उद्यान से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भरकर, आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं जमीनी दस्तावेजों की प्रति के साथ अपने गांव के प्रधान के हस्ताक्षर कराने होते हैं उसके बाद केन्द्र में ही जमा करना होता है। जमा करने के बाद सचल दल केन्द्र कार्मिक द्वारा संबंधित किसान को उद्यान कार्ड दिया जाता है। **उद्यान सचल दल केन्द्र** – विकास खण्ड स्तर पर योजनाओं की जानकारी एवं किसानों को निवेश, बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्यान कार्यालय है, जहाँ पर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक / उद्यान निरीक्षक / सहायक विकास अधिकारी, उद्यान नियुक्त रहते हैं, जोकि समय–समय पर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। राज्य के सभी जनपदों में कुल 319 उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं।
2	**फल क्षेत्रफल विस्तार**	नये उद्यानों की स्थापना कर उत्पादन में वृद्धि करना। कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता पर फलों के पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। उद्यान विकसित किये जाने हेतु निर्धारित पौधे आम, अमरूद, अनार, सेब, लीची, प्लम, आडू, खुबानी, अखरोट, नींबू प्रजाति, माल्टा, कीवी, ड्रैगन फ्रूट आदि फल पौध कृषकों को दिये जाते हैं। (**उदा0** स्वरूप एक अखरोट का पौधा 400 / – रू0 का है तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू. 200 / – जमा करने होते हैं तथा रू0 200 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त पौधा रू0 200 / – में मिल जाता है।)	ऐसे कृषक जिनकी अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। अपनी जमीन हो तो अधिकतम 04 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 0.02 हैक्टेयर भूमि प्रति लाभार्थी जमीन होनी चाहिए। अधिकतम निर्धारित एरिया 04 हैक्टेयर है।	**उद्यान सचल दल केन्द्रों (उ0स0द0के0)** में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शीतकालीन पौधों को लगाने के लिए सितम्बर–अक्टूबर माह में आवेदन करना होगा एवं वर्षाकालीन पौधों को लगाने के लिए अप्रैल–जून माह में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र **उ0स0द0केन्द्र** में जमा करना पडता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ0स0द0केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। **केन्द्रपोषित योजनाओं** से सम्बन्धित आवेदन हेतु, प्रस्ताव जमा करने के उपरांत उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से इसी प्रकार के समस्त कृषकों के आवेदन राज्य स्तर, राज्य स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, भारत सरकार से कार्ययोजना स्वीकृत होने के उपरान्त निदेशालय

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				स्तर से कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य जनपद स्तर को उपलब्ध करा दिये जाते है। **राज्य पोषित–योजनाओं** से सम्बन्धित आवेदन, उ0स0द0केन्द्र से जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेशानुसार स्वीकृति / कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ0स0द0केन्द्र से फलों की पौध 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।
3	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को सब्जी उत्पादन को बढावा देने हेतु मौसम के अनुसार सब्जियों के बीज 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक को मौसमी सब्जी लगाने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। (उदा0 स्वरूप लौकी के बीज का पैकेट रू0 200 / – रू0 का है तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.100 / – जमा करने होते हैं तथा रू0 100 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज रू0 100 / – में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। (अधिकतम 02 हैक्टेयर) भूमि।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मौसमी सब्जी बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
4	मसाला क्षेत्रफल विस्तार	कृषकों को मसाला उत्पादन में बढावा देने हेतु मसाला बीज एवं कंद (अदरक, मिर्च, हल्दी, लहसुन) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात रू. 15 हजार प्रति हैक्टेयर, के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। यह बीज अधिकतम 04 हैक्टेयर तक की जमीन हेतु ही उपलब्ध कराये जाते हैं। (उदा0 स्वरूप अदरक 01 किलो रू0 200 / – रू0 का है तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.100 / – जमा करने होते हैं तथा रू0 100 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त कंद	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक हो।	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को मसाला बीज एवं कंद उपलब्ध कराये जाते हैं। हल्दी, अदरक के लिए फरवरी–मार्च माह में उद्यान सचल दल केन्द्र में आवेदन कर देना चाहिए। अन्य फसलों के लिए भी बुआई की तिथि से 01 माह पूर्व आवेदन कर देना चाहिए।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		रू0 100 / – में मिल जाता है।)		
5	**पुष्प क्षेत्रफल विस्तार**	कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब / पौधे / बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 04 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात खुले पुष्प अधिकतम 20 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। डंडीयुक्त पुष्प अधिकतम 50 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। बल्बयुक्त पुष्प अधिकतम 75 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (उदा0 स्वरूप गेंदे के बीज 1 किलो रू0 200 / – रू0 का है तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.100 / – जमा करने होते हैं तथा रू0 100 / – की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज रू0 100 / – में मिल जाता है।)	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब / पौधे / बीज) उपलब्ध कराये जाते हैं।
6	**मशरूम उत्पादन**	मशरूम उत्पादन को बढावा देने के लिए **व्यक्तिगत क्षेत्र** हेतु (किसान / मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक व्यक्ति के लिए) 40 प्रतिशत राजसहायता की धनराशि दी जाती है। मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 20 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। स्पॉन उत्पादन इकाई की स्थापना अधिकतम 15 लाख प्रति इकाई का 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कुल लागत का राजकीय क्षेत्र (सरकारी विभाग, संस्थानों / कृषि / औद्यागिक विश्वविद्यालय आदि) हेतु 100 प्रतिशत धनराशि की राज सहायता दी जाती है।	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक कृषक के पास अपनी जमीन / लीज की जमीन होना अनिवार्य है। एक किसान को 01 ही यूनिट मिलता है। ऋण न लेने की स्थिति में राजसहायता / सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र / प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित जनपद के उद्यान कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो प्रदेश के जनपद देहरादून एवं ज्यूलीकोट इण्डोडच मशरूम कार्यालय के विभागीय कार्मिकों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पडता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करना पडता है, जिसमें बैंक को जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकखाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय होगी का विवरण, कितना व्यय होगा का विवरण, आय के अन्य स्त्रोंतो का विवरण एवं जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने पडते हैं। बैंक ऋण संबंधी प्रक्रिया अपनाकर ऋण स्वीकृत करता है। ऋण स्वीकृति के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना पडता है। आवेदन के साथ भू– अभिलेख, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, परिवार रजिस्ट्री की नकल / राशन कार्ड,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				स्थायी निवास / खाता खतौनी, खसरा एवं खतौनी, मशरूम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, गोल खाता होने की स्थिति में निर्धारित जमीन होने का शपथ पत्र, मांगे जाते हैं। यदि कोई अभिलेख, आवेदक द्वारा आवेदन के समय उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे मौखिक / लिखित में अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कहा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूंल्याकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम यूनिट स्थापित करने का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी दो किस्तों में सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है। दी जाती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है।
7	**ट्यूबैल स्थापना / पौण्ड निर्माण**	सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कृषकों को नये ट्यूबैल / पौण्ड निर्माण हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अर्थात 90 हजार प्रति इकाई (अधिकतम 01 नग) की दर से धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। संबंधित क्षेत्र में पानी है या नहीं इसकी पुष्टि कृषक करेगा। एक कृषक को 01 टयूबवैल / पौण्ड निर्माण की सब्सिडी दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत कृषक टयूबवैल निर्माण / पौण्ड निर्माण का कार्य शुरू करता है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
8	**ग्रीन हाउस निर्माण**	ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम / नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस / सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री हेतु **कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है,** जिसका विवरण निम्नवत है :– विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम / नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री (बीज / पुष्प बल्ब / पौधे) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रीन हाउस निर्माण– फेन एण्ड पैड सिस्टम पालीहाउस, ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि देय है। एन्टी हेल नेट लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता अर्थात कुल 75 प्रतिशत राजसहायता देय है।** **प्लास्टिक मल्चिंग**– नमी को रोकने एवं जड़ों में Micro Flora को बढावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। **संरक्षित खेती के लिये रोपण सामग्री की व्यवस्था**–पॉलीहाउस के अन्तर्गत रोपण सामग्री (पुष्पों / सब्जियों के बीज) कुल लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं यदि कृषक विभाग को छोडकर, बाहर से खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है। **ग्रीन हाउस में एरिया भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार 4000 हजार / 500 वर्ग मी0 तक**	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। यह सहायता समूह में कार्य करने पर, नहीं दी जाती है।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्ट्री की नकल / राशन कार्ड, प्रशिक्षण पत्र भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ पॉलीहाउस बनाने वाली, विभाग के साथ सूचीबद्ध कम्पनियो की सूची दी जाती है। किसान अपने खर्चे पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास धनराशि न हो तो, किसी बैंक से लोन लेकर कर सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत करायेगा तथा विभागीय अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके अपनी आख्या देंगे जिसके बाद समुचित राजसहायता / सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		उपलब्ध कराया जाता है। 500 वर्ग मी0 के पॉलीहाउस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।		
9	**मौन पालन**	मौनवंश (मधुमक्खी के बक्से) व मौन कॉलोनी (मधुमक्खियां, रानी मक्खी सहित), **40 प्रतिशत की राजसहायता** (अधिकतम लागत मौन बॉक्स रू0 2000, मौनवंश रू0 2000) पर उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 मौन बक्से एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 मौन बक्से दिये जाते हैं। (उदा0 स्वरूप मधुमक्खी का एक बक्सा एवं मधुमक्खियां रू0 200 / — की हैं तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.120 / — जमा करने होते हैं तथा रू0 80 / — की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बक्से रू0 120 / — में मिल जाता है।) **यदि कोई किसान अपने उद्यानों में मौनवंश रखना चाहता है तो रू0 350 प्रति मौनवंश की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है।** **किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है** तो 07 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण विभाग द्वारा **निशुल्क** दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के साथ संबंधित किसान को रू0 100 प्रति दिन की दर से रू0 700 तथा रू0 50 प्रति दिन की दर रू0 350 प्रति लाभार्थी को देय है। कुल 1050 रू0 भी दिये जाते हैं।	मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक	संबंधित किसान मौन बक्से हेतु अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, मौन बक्से और मधुमक्खियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा उसमें अपना पता, मो0 नम्बर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके बाद उ0स0द0के0 कार्मिक प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय या ज्यूलीकोट सेंटर को भेजेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर संबंधित किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा स्वीकृति पत्र भी भेजा जाता है। संबंधित किसान मौन बक्से एवं मधुमक्खियां ज्यूलीकोट सेंटर या जनपदीय कार्यालय से **40 प्रतिशत सब्सिडी** पर प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें अपना पता, मो0नं., आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके उपरांत प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय में भेजा जाता है। जनपद में इसी प्रकार लगभग 10–30 किसान, मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर उनका समूह बनाकर विभाग द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा किसान उस तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1050 रू0 भी खाते में भुगतान / नकद दिया जाता है।
10	**तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन**	पैक हाउस (9 मी0 / 6 मी0), प्री कूलिंग इकाई (6 मै0टन क्षमता), (मोबाइल प्री कूलिंग इकाई (5 मै0टन क्षमता), कोल्ड रूम (30 मै0टन क्षमता), कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफरवेन / कन्टेनर (6 मै0टन क्षमता), राईपनिंग चैम्बर (300 मै0टन क्षमता) आदि	इच्छुक उद्यमी / कृषक। अपनी जमीन हो अथवा 25 से 30 वर्ष तक लीज पर	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।आवेदन प्रारूप / प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण पत्र भी

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		यूनिट की स्थापना **ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी** के माध्यम से **35 से 50 प्रतिशत तक** की धनराशि/सब्सिडी भुगतान की जाती है।	ली हो।	चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उसी के साथ–साथ संबंधित उद्यमी/कृषक, बैंक में ऋण हेतु आवेदन करेगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों/उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश प्रदान किया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक/उद्यमी को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच कृषक/उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में, तुडाई उपरांत प्रबंधन के कार्यो को किया जाता है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित राजसहायता/सब्सिडी कृषक के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
11	**खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन**	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु 50 प्रतिशत **(अधिकतम रू0 400.00 लाख/4करोड़) की राज सहायता/सब्सिडी** की धनराशि दी जाती है। पूर्व में पारित किसी प्रस्ताव को मॉडल के रूप में विभागीय साइड में एम0एस0एम0ई0 की तर्ज पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है ताकि प्रस्ताव बनाने में इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर को आसानी हो।	खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने हेतु इच्छुक कम्पनी/फर्म/ प्रमोटर।	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ चैकलिस्ट में उल्लिखित 29 बिंदुओं (निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र, डीपीआर, प्रमोटर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, संस्था का बायोडाटा, इकाई क्षेत्र का पता, परियोजना प्रस्ताव को अप्रेजल करने वाला बैंक/संस्था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अप्रेजल का साक्ष्य, अग्निशमन विभाग की एनओसी, भूमि अभिलेख जो संस्था के नाम हों, भू–परिवर्तन संबंधी प्रमाण पत्र, कम्पनी/संस्था का बॉयलाज, कच्चे माल का उपार्जन, इकाई द्वारा क्या उत्पाद तैयार किये जायेगे का विवरण, कृषकों से अनुबंध, साइट प्लान, एफएसएसएआई का प्रमाण, रोजगार सृजन प्रमाण, सिविल कार्यो का विवरण सिविल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित, प्लांट मशीनरी एवं उपकरणों का आपूर्तिकर्ता के साथ कोटेशन जो चार्टड मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित हों, मशीनरी क्रय हेतु आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन, उत्पादन हेतु विपणन की रणनीति, प्रोसेस फ्लो चार्ट, इकाई क्रियान्वयन का विवरण, रू0 100/– का शपथ पत्र, वित्त पोषण, परियोजना लागत एवं योग्यता)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				के दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। परियोजना में आवेदन करने से पूर्व उद्यमी / संस्था बैंक में ऋण संबंधी अप्रेजल प्रस्तुत करेगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को सीधे मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा उद्यमियों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत उद्यमी को स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। इस अवधि के बीच उद्यमी को ऋण स्वीकृत करवाना होता है जिसमें विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरांत सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होती है। विभागीय अधिकारियों की तकनीकी सहायता एवं उपस्थिति में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के उपरांत समुचित सब्सिडी उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है।
12	**टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंक्लर**	पौधो की आवश्यकतानुसार ड्रिप सिंचाई, पोर्टेबल स्प्रिंक्लर, माइक्रो स्प्रिंक्लर, मिनी स्प्रिंक्लर, रेन गन के माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत 4 हैक्टेयर तथा अधिकतम 05 हैक्टेयर के क्षेत्रों हेतु **45 से 55 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी** धनराशि देय है। राज्य के कृषकों को टॉप ऑप के रूप में **25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता / सब्सिडी धनराशि प्रदान की जा रही है।**	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाईल नं0 भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाईन है।
13	**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)**	छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों (जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, बेकरी, कनफेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट, मछली प्रोडक्ट आदि) की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र के **लिए 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10 लाख**, प्रति इकाई अनुदान / धनराशि भुगतान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए **उक्त 35 प्रतिशत धनराशि के अतिरिक्त 25** प्रतिशत भी भुगतान की जाती है। **पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15 लाख**	मौजूदा या नये सूक्ष्म खाद्य उद्यम जैसे कि स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत / भागीदार फर्म / एफ0पी0ओ0 / एन0जी0ओ0 / सहकारिता / एस0एच0जी0 / प्राईवेट लि0 कं0	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा भारत सरकार के पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करना होता है, आवेदन करने के लिए, आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाईल नं, संबंधित उद्यमी / संस्था के समस्त सदस्यों का, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के उपरांत आवेदन पत्र संबंधित जनपद के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स परसन के पास जाता है, संबंधित अधिकारी किसान / उद्यमी / संस्था से बात कर प्रस्ताव तैयार करायेगा तथा ऑनलाइन ही बैंक को प्रेषित करेगा। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर संबंधित उद्यमी / किसान, प्रसंस्करण इकाई निर्माण का कार्य शुरू करेगा तथा कार्य विभगीय

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		की धनराशि प्रति इकाई, उपलब्ध कराई जाती है।	आदि। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। **यदि आवेदक ने सरकार की अन्य सब्सिडी से जुडी योजना में बैंक ऋण लिया हो तो वह इस योजना के तहत भी बैंक ऋण के लिये एवं ब्याज सबवैंशन तथा टॉप अप कनवर्जेन्स के लिये पात्र है।**	अधिकारियों की देखरेख में होगा तथा विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम स्थलीय निरीक्षण करेगी। कार्य शुरू होने के बाद संबंधित उद्यमी उक्त पोर्टल पर कार्य शुरू होने की सूचना अपडेट करेगा तथा बाद में सब्सिडी धनराशि कृषक / उद्यमी के ऋण खाते में भुगतान की जाती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होगा। इस योजना के लिये ''परिवार'' में स्वयं पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होंगे। मौजूदा इकाईयों के उन्नयन / विस्तार हेतु बैंकों द्वारा पुर्नगठन के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले आवेदन भी योजना अन्तर्गत पात्र है।
14	**उद्यानों की घेरबाड़ की योजना**	जंगली जानवरों से फल–पौधे / उद्यान फसलों एवं बगीचों को बचाने हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु कुल लागत का **50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर)** धनराशि सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।	उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक को घेरबाड संबंधी प्रार्थना पत्र देना पडता है। प्रार्थना पत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। प्रार्थना पत्र लिखने में दिक्कत होने पर संबंधित उ0स0द0केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रार्थना पत्र को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उद्यानों की घेरबाड की जाती है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।
15	**मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना**	मशरूम उत्पादन हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है :– पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट कुल लागत की **50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 50 कुन्तल**	मशरूम उत्पादन हेतु इच्छुक कृषक	इस योजना का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम आवेदक, आवेदन पत्र / प्रस्ताव का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in/ से डाउनलोड करेगा अथवा संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		प्रति लाभार्थी उपलब्ध करायी जाती है तथा स्पान (बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता अधिकतम 25 कि0ग्रा0 स्पॉन प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है। पाश्चुराईजड कम्पोस्ट / स्पान विभाग द्वारा दिया जाता है। मशरूम उत्पादकों हेतु 07 दिवसीय **प्रशिक्षण** (रू0 1050 प्रति लाभार्थी) जिसमें 700 रू0 डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी के खाते में तथा रू0 350 प्रशिक्षण सामग्री आदि पर व्यय किया जाता है। यदि कोई मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजनान्तर्गत उत्पादन करता है तो कृषक / मशरूम उत्पादकों को **स्थानीय बाजार / मण्डी में मशरूम विक्रय किया जाता है।**		आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में संबंधित कृषक तैयार करेगा यदि प्रस्ताव बनाने में दिक्कत हो तो उ0स0द0के0 कार्मिक सहयोग करेंगे। आवेदन के साथ जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मशरूम कार्य करने से कितनी आय होगी का विवरण तथा पूर्व में प्रशिक्षण लिया हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होगे। उसके उपरांत प्रस्ताव इसी कार्यालय में जमा करना पडता है। उसके बाद इच्छुक किसान को बैंक में लोन हेतु आवेदन करता है (यदि किसान के पास अपना पैसा न हो तो), उसके उपरांत आवेदन प्रारूप सीधे बागवानी मिशन को भेजा जाता है। प्रस्ताव का समिति द्वारा मूल्याकन किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित इच्छुक कृषक को निदेशक बागवानी मिशन / मुख्य मशरूम विकास अधिकारी के कार्यालय से स्वीकृति पत्र एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा इच्छुक कृषक अपना मशरूम हेतु पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट / स्पान संबंधित जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में ऑफलाइन है। पात्र लाभार्थी को 50 कुन्तल कम्पोस्ट एवं 25 कि0ग्रा0 स्पान बजट उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। **प्रशिक्षण हेतु** उ0स0द0केन्द्र में प्रार्थना पत्र देना पडता है तथा प्रार्थना पत्र के उपरांत प्रशिक्षण की तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर किसान को दूरभाष पर अवगत कराया जाता है। जिसके बाद किसान निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
16	**वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना**	वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों (गडडा बनाने एवं केंचुए उपलब्ध कराने) की स्थापना हेतु राजसहायता रू0 33,300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत दिया जाता है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक। समस्त महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की इस हेतु पात्र होंगे।	इसमें सम्पूर्ण प्रक्रिया ''उद्यानों की घेरबाड'' के अनुसार अपनायी जाती है।
17	**सेब की अति सघन बागवानी योजना**	सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित किये जायेंगें। जिसमें क्रमशः एम–9 हेतु 900 पौध प्रति एकड़ (रू0 12.36 लाख), एम एम–111 हेतु 540 पौध प्रति एकड़ (रू0 7.86 लाख)	सेब की अति सघन / सीडलिंग बागान स्थापित करने हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 02 नाली (0.04 है0) से	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		तथा सीडलिंग हेतु 440 पौध प्रति एकड़ (रू0 3.34 लाख) होगी। राजसहायता की गणना आवेदक द्वारा स्थापित अति सघन सेब बागानों एवं पौधों की संख्या के अनुपातिक आधार (Prorata basis) पर की जायेगी।	अधिकतम 100 नाली (02 है0) प्रति लाभार्थी / समूह आदि को देय होगा।	
18	**मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना**	फल के पौधों, खुले क्षेत्र हेतु सब्जी के बीज, मसाला के बीज, पुष्प बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, बीज / पौधे सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कीट व्याधिनाशक रसायनों (दवाईयां) आदि पर कृषकों को 60 प्रतिशत सहायता। इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, दवाइयां सब्सिडी पर दिये जाते हैं। कूल हाउस (क्षमता–30 मै0टन) पर कुल लागत रू0 15.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है। रैफ्रिजरेटेड वैन (क्षमता–9 मै0टन) पर कुल लागत रू0 26.00 लाख का 50 प्रतिशत राजसहायता / सब्सिडी धनराशि भुगतान की जाती है।	कृषकों की अपनी भूमि / लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक	उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी / कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है। आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पौध लगाने एवं दवाईयां लेने से लगभग 02 माह पूर्व आवेदन करना होता है। आवेदन प्रारूप के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। उक्त दस्तावेजों के साथ किसान को अपना आवेदन पत्र उ0स0द0केन्द्र में जमा करना पडता है, आवेदन पत्र के प्रारूप में प्रस्ताव उल्लिखित होता है, प्रारूप को भरने में किसान को यदि कोई दिक्कत हो तो, संबंधित उ0स0द0केन्द्र का कार्मिक सहयोग करता है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। उ0स0द0केन्द्र कार्मिक किसान के प्रस्ताव को जनपद स्तर, तथा जनपद से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति / कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है, उसके उपरांत कृषक संबंधित उ0स0द0केन्द्र से फलों की पौध / बीज / दवाईयां 50 प्रतिशत सब्सिडी पर खरीद सकता है। रैफ्रिजरेटर वैन एवं कूल हाउसिंग की स्थिति में किसान द्वारा संबंधित वैन खरीदने / कूल हाउसिंग निर्माण के उपरांत, विभागीय अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के बाद सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। संबंधित योजना में लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार, बजट की उपलब्धता पर किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उद्यान विभाग (जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रदेश में जड़ी–बूटी कृषि करण को प्रोत्साहित करने हेतु सामाग्री का वितरण, विशेष प्राविधान–सीमान्त जनपद के कृषकों अनुसूचित जाति / जनजाति के कृषकों एवं बी0पी0एल0 कृषकों को औषधीय पादपों के बीज / पौध 03 नाली तक तथा सगन्ध पादपों के बीज / पौध का 05 नाली तक निशुल्क वितरण करने की योजना (नोट वर्तमान में समस्त इच्छुक कास्तकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है)। जड़ी–बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी–बूटी के पौधरोपण सामाग्री–निवेशों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना।	औषधीय पादप अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वन ककड़ी, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, कोलियस, सर्पगन्धा, शतावर, सिलिबम, पिपली मण्डूकपर्णी / ब्राह्मी, अमीमेजस, स्टीविया तथा तिलपुष्पी, की 03 नाली तक बीज / पौध तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों जैसे फरण, कालाजीरा, बड़ी इलायची, रोजमैरी, जिरेनियम, लेमनग्रास, कैमोमाईल तेजपात व अमीमेजस की 05 नाली तक निःशुल्क बीज / पौध वितरित कर कृषकों को औषधीय व सगन्ध पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा अनुमन्य कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना , प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रसंस्करण व्यवस्था का लाभ देना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण / डाटा बेस तैयार करना।	प्रदेश के जिन काश्ताकरों के नाम विधिवित नाप भूमि उपलब्ध है तथा वे जड़ी–बूटियों के कृषिकरण के इच्छुक हों वे समस्त काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक का चयन भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक जनपद के संबंधित विकासखण्ड में तैनात जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा किया जाता है, इच्छुक कृषक को बीज पौध प्राप्त करने के लिए भूमि का खसरा एवं आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर चयनित कृषकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है।
2	जड़ी–बूटी कृषकों का पंजीकरण	औषधीय एवं सगन्ध पादपों का कृषिकरण कर रहे कृषकों की पंजीकरण व्यवस्था तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण एवं वन क्षेत्रों से अवैध विदोहन को नियंत्रित करना।	औषधीय व सगन्ध पौध उत्पादक काश्तकार पात्र माने जाते हैं जो नाप भूमि में स्वयं के संसाधन अथवा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रोत्साहित काश्तकार या किसी अन्य संस्था / संस्थान / विभाग / स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रोत्साहित कृषक लाभार्थी होते हैं।	संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त वास्तविक कृषिकरण क्षेत्र का पंजीकरण किया जाता है, सर्वेक्षक सहायक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण प्रपत्र तैयार कर आवेदक के आधार कार्ड एवं भूमि का खसरा संलग्न कर निर्देशक जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को प्रेषित किया जाता है। निदेशक की अनुमति के उपरान्त संबंधित जिला समन्वयक द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
3	जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण	कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति प्रतिपादित की गयी है अपनी नाप भूमि से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक, वन विभाग द्वारा संचालित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।	नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक के पास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था, भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा, भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।
4	निर्यात के लिए औषधीय पादप उत्पादकों को वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (legal production Certificate) LPC जारी करना।	कतिपय संकटग्रस्त व साइटीस (CITES) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कूठ, कुटकी, इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।	स्वयं की नाप भूमि में संकटग्रस्त पादपों जैसे कूठ, कूटकी इत्यादि का वैधानिक कृषिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।	कृषक द्वारा किसी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र व, भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है संस्थान द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग भषेज विकास इकाई, एवं जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यान के उपरान्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

चाय बागान कौशानी, बागेश्वर

PROGRAMME

उद्यान विभाग (उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम	• उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में पलायन कर जाने के कारण अधिकांश रूप से कास्तकारों की भूमि निष्प्रोज्य/बंजर पड़ी रहती है, जिसमें चाय विकास कार्यक्रम संचालित करने से उक्त भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। • बोर्ड द्वारा संचालित चाय विकास योजना एक रोजगारपरक योजना है, जिसके अन्तर्गत चाय बागानों में कास्तकारों/श्रमिकों को चाय प्लान्टेशन के सात वर्षो तक बोर्ड द्वारा वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बागान से पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तियॉ प्राप्त होने पर उनकी बिक्री कर कास्तकार आय अर्जित कर अपनी आजीविका चला सकता है। • वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में फलों, सब्जियों तथा फसलों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुॅचाया जा रहा है, जबकि चाय पौधों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नही पहुॅचाया जाता है। • पर्वतीय क्षेत्रों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परम्परागत खेती में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि चाय बागानों में प्रारम्भिक स्तर पर ही सिचाई की आवश्यकता होती है, प्रतिकूल मौसम का चाय बागानों पर कोई खास असर नही पड़ता है। • एक बार चाय पौधारोपण के उपरान्त उचित देखरेख में 100 वर्षो तक चाय पौधों से उत्पादन लिया जा सकता है। चाय पौधों पर आलोवृष्टि से मात्र एक सप्ताह के उत्पादन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • वनों का अन्धाधुन्ध कटान, आपदा व भारी वर्षा में भू–स्खलन का खतरा बना रहता है, जबकि चाय पौध रोपित क्षेत्रों में भू–स्खलन का कोई खतरा नही होता है, यानी चाय बागान भू–स्खलन रोकने में सहायक सिद्व होते है। • चाय पौधारोण पर्यावरण सुरक्षा एवं पूर्णरूप से प्रदूषण मुक्त उद्योग है। • चाय बागानों में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। • चाय उद्योग स्थानीय कास्तकारों के आर्थिक आधार हेतु सुदढ़ स्तम्भ बन सकता है। • चाय विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ है, जिस कारण इसकी मॉग हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है। • प्रति हैक्टेयर औसतन 15000 चाय पौध रोपित की जाती है, जिससे भूमि कटाव भी रूकता है। • वर्तमान में बोर्ड द्वारा 9 जनपदों के 30 विकास खण्डों में 1370 है0 क्षेत्रफल में	•कास्तकार के पास स्वयं की नाप भूमि उपलब्ध हो। •चिन्हित क्षेत्र के अन्तर्गत 20 किमी0 की परिधि में कम से कम 60 हैक्टेयर चाय प्लान्टेशन हेतु भूमि उपलब्ध हो। •चिन्हित भूमि के आसपास प्रारम्भिक स्तर पर चाय पौध नर्सरी स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो।	• वर्तमान में बोर्ड द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों को चिन्हित किया जा रहा है जहॉ पर कास्तकारों की मॉग के अनुसार लगभग 60 से 100 हैक्टेयर जमीन चाय बागान हेतु उपलब्ध हो। • कास्तकार द्वारा अपनी नाप भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा को चाय प्लान्टेशन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त बोर्ड द्वारा कास्तकार की भूमि का मृदा परीक्षण करवाया जाता है। मृदा परीक्षण में भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर विकास खण्ड से प्राप्त समस्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रशासन/शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। जिला प्रशासन/शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त क्षेत्र में चाय प्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाता हैं • उपलब्ध भूमि का मृदा सांराश 4.5 से 6.00 प्रतिशत तक होना चाहिए जिसकी जॉच बोर्ड द्वारा अपनी मृदा प्रयोगशाला में करवाई जाती है। • कास्तकार की नाप भूमि में ही बोर्ड द्वारा चाय प्लान्टेशन किया जाता है। • कास्तकार द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि के अतिरिक्त बंजर व निष्प्रोज्य भूमि में भी चाय प्लान्टेशन किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		4011 कास्तकारों से भूमि लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किये गये है। ● वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 श्रमिक प्रतिमाह कार्यरत है, जिसमें 2279 महिला श्रमिक कार्यरत है।		
2	टी टूरिज्म	● बोर्ड द्वारा वर्तमान में चाय बागान घोड़ाखाल, (नैनीताल) चम्पावत व कौसानी (बागेश्वर) में टी टूरिज्म से सबन्धित गतिविधियॉ संचालित की जा रही है, जिसमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे है। ● राज्य में भ्रमण करने वाले पयर्टकों द्वारा अन्य रमणीय स्थलों का भ्रमण करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागानों, चाय फैक्ट्रियों का भी भ्रमण किया जा रहा है। ● बागान भ्रमण पर आने वाले पयर्टकों से बोर्ड द्वारा न्यूनतम प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। ● पयर्टकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि उसी बागान में टी टूरिज्म को विकसित करने में व्यय की जा रही है। ● बोर्ड द्वारा बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बागान भ्रमण एवं चाय टेस्ट करवाकर प्रतिवर्ष 75.00 लाख की आय अर्जित की जा रही है। ● पयर्टक सीजन में प्रतिदिन लगभग 500–600 पयर्टकों द्वारा चाय बागानों व चाय फैक्ट्रियों का भ्रमण किया जा रहा है। ● बोर्ड द्वारा संचालित टी टूरिज्म से स्थानीय स्तर पर लोगो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।	● टूरिज्म के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के अनुभव प्राप्त फर्मो / व्यक्तियों का ई–निविदा के माध्यम से चयन किया जाता है। ● चयनित फर्म / व्यक्ति के साथ 5 वर्ष का अनुबन्ध सम्पादित किया जाता है।	● बोर्ड द्वारा चाय बागान चम्पावत में टी टूरिज्म हेतु निर्मित टी कैफेटेरिया, व टूरिस्ट कॉटेजों को ई–निविदा के माध्यम से चयनित फर्मो से लीज के आधार पर संचालित करवाया जा रहा है। ● चाय बागान घोड़ाखाल के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से टी कैफेटेरिया का संचालन करवाया जा रहा है। ● जनपद–बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा चाय विकास बोर्ड की भूमि में स्थापित चाय फैक्ट्री के समीप टी कैफेटेरिया का निर्माण कर बोर्ड को हस्तान्तरित किये जा चुके है, जिसको लीज के आधार पर संचालित करने हेतु ई–निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
3	चाय फैक्ट्रियों की स्थापना।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5.92 लाख हरी पत्तियों को प्रस्संकृत करते हुए 1.25 लाख चाय निर्मित की गई है। वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत निम्न जनपदों के अन्तर्गत स्वयं की चाय फैक्ट्रियॉ स्थापित की गई है:– 1. चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल (नैनीताल) – जैविक 2. चाय फैक्ट्री चम्पावत – जैविक 3. चाय फैक्ट्री भटोली (चमोली) – जैविक 4. चाय फैक्ट्री कौसानी (बागेश्वर)–अजैविक 5. चाय फैक्ट्री हरिनगरी (बागेश्वर)– अजैविक 6. उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा वर्तमान में निम्न जनपदों में छोटी चाय फैक्ट्रिया स्थापित की जानी प्रस्तावित है :– ● चाय फैक्ट्री धौलादेवी (अल्मोड़ा) ● चाय फैक्ट्री डीडीहाट (पिथौरागढ़)	बोर्ड द्वारा स्थापित उक्त चाय फैक्ट्रियों को भविष्य में पीपीपी मोड / निजी क्षेत्र में संचालित करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु पात्रता / नीति तैयार की जा रही है।	बोर्ड द्वारा स्थापित चाय फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को कार्यनियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन कास्तकारों द्वारा बागान वापस प्राप्त कर स्वयं संचालित किये जा रहे है उन कास्तकारों से रू0 40.00 प्रतिकिलोग्राम की दर से हरी पत्तियॉ क्रय कर फैक्ट्री को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका भुगतान मासिक आधार पर कास्तकारो के बैंक खातों में बोर्ड स्तर से किया जा रहा है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उद्यान विभाग (भेषज विकास इकाई)उत्तराखण्ड

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	2	3	4	5
1	भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी–बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)	कूठ प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1000 कुटकी प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 660, बड़ी इलायची प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1120 (चौथे वर्ष से), सर्पगंधा प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 तथा तेजपता प्रजाति की खेती से प्रति नाली प्रति वर्ष रू0 1200 (दस वर्ष पश्चात) का लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ भी होती है।	स्थानीय बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास पांच नाली भूमि उपलब्ध हो, अपना आधार कार्ड हो और जड़ी–बूटी खेती से रोजगार के अवसर प्राप्त करने का इच्छुक हो।	चयनित विकास खण्ड के चयनित ग्राम / पट्टी के निवासी जो क्लस्टर (2–3ग्राम के सम्मिलित 10 कृषक) में कार्य करने के इच्छूक हो। जलवायु एवं ऊचांई के आधार पर जड़ी–बूटी की खेती करना चाहते हो को प्रशिक्षण कैम्प के माधयम से जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई चयनित करते है। उनकी क्लस्टरवार सूची मुख्यालय को कार्ययोजना के सापेक्ष पौध की मांग हेतु प्रेषित करते है। तद्पश्चात इन चयनित व्यक्तियों को जुलाई–अगस्त (वर्षाकाल) में पांच नाली मानक के अनुसार चयनित नर्सरी से आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाति है। रोपित किये गये पौधों का जिला भेषज समन्वयक द्वारा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर से पंजीकरण करवा कर फसल निकालने से 03 माह पूर्व उस प्रजाति की बिक्री किसी भी मण्डी / फार्मेसी हेतु जिला भेषज समन्वयक द्वारा रवन्ना निःशुल्क निर्गत किया जाता है।

******

PROGRAMME

संगन्ध पौधा केन्द्र, सैलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में सगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।   दिनांक 22 फरवरी 2023

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1.	**सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम**	सगन्ध पौधों एवं उसकी खेती से होने वाले लाभ की जानकारी आमजनमानस तक पहुचाना। कृषि जलवायु के अनुसार फसलों की जानकारी देना।	इच्छुक व्यक्ति	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) द्वारा फील्ड स्तर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति जोकि, सगन्ध खेती से सम्बंधित जानकारियों अथवा खेती का इच्छुक हो, प्रतिभाग कर सकता है।
2.	**सगन्ध कृषक पंजीकरण।**	सगन्ध पौधा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों का सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) में पंजीकरण अनिवार्य है। उसी के उपरांत कैप द्वारा कृषकों को राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधायें, तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, उत्पाद की निकासी आदि सुविधाएं दी जाती हैं।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा संबंधित कृषकों का सगन्ध खेती से जुडा होना अनिवार्य है।	सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में निदेशक, कैप को आवेदन करना होगा। पंजीकरण का प्रारूप कैप की वेबसाइट https://www.capuk.in/index.php/services# से डाउनलोड कर सकता है या फील्ड कार्मिकों से प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड, संलग्न करके कैप में जमा करेगा या फील्ड कार्मिक को देगा।उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की सगन्ध खेती का स्थलीय निरीक्षण करेगा एवं पंजीकरण हेतु संस्तुति करेगा। संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा पंजीकरण किया जाता है तथा कृषक को पंजीकरण संख्या आवंटित करते हुए संबंधित कृषक को पंजीकरण प्रपत्र की प्रति डाक द्वारा / कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3.	**सगन्ध कृषिकरण**	**निःशुल्क बीज पौध सामग्री दी जाती है–** प्रति कृषक 05 नाली (0.1हे0) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज–पौध सामग्री, कृषक के निकटवर्ती मोटरमार्ग तक / कैप कार्यालय तक पहुंचायी जाती है। निःशुल्क तकनीकी सहायता / परामर्श / अनुश्रवण।	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो तथा सगन्ध खेती के इच्छुक हो।	जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन की स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर फसल चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। उसके उपरांत निदेशक, कैप द्वारा संबंधित आवेदक के जिले के समन्वयक को, बीज, पौध सामग्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। जिला समन्वयक जनपद के सभी किसानों की डिमांड बनाकर, निदेशक को प्रेषित करते हैं। संस्तुति के उपरांत कृषक हेतु गुणवत्तायुक्त बीज,

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				पौध सामग्री प्राप्त कर, कृषक द्वारा चयनित भूमि के निकटतम सडक मार्ग तक, बीज, पौध सामग्री पहुंचायी जाती है।
4.	**कृषिकरण अनुदान योजना**	कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित 09 फसलों (सगन्ध घासें–(लेमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोज, खस आदि) डेमस्कगुलाब, मिन्ट (जापानी मिन्ट को छोडकर), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तेजपत्ता, तिमूर, चन्दन) की खेती करने पर किसी एक कृषक के लिए अनुदान की वित्तीय **सीमा रू0 1. 00 लाख या अधिकतम् 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि (पौधों की जीवितता के आधार पर) में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी ।**	जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो। अनुदान हेतु चयनित 09 प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण किया हो।	अनुदान योजना में कृषिकरण हेतु कृषक निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र के नाम से प्रार्थना पत्र लिखेगा या स्वयं मुख्यालय में आकर प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र के साथ भू–अभिलेख, आधार कार्ड एवं मोबाइल नबंर संलग्न करेगा। उसके बाद कैप का फील्ड कार्मिक संबंधित व्यक्ति की जमीन का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु के आधार पर अनुदान हेतु चयनित 9 सगन्ध फसलों में से उपयुक्त फसलों का चयन कर संस्तुति निदेशक, कैप को प्रस्तुत करेगा। स्वीकृति उपरान्त कृषक चयनित प्रजातियों का स्वयं के व्यय पर कृषिकरण कार्य शुरू करेगा। सगन्ध कृषिकरण प्रारम्भ करने के 3 माह के अन्तर्गत कृषक को कैप कार्यालय में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण प्रक्रिया **क्रमांक 2** में अंकित है। कृषक पंजीकरण प्रपत्र / पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के 6 माह के भीतर, कैप कार्यालय में अनुदान की प्रथम किस्त हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा तथा आवेदन पत्र के साथ बैंक खाता विवरण संलग्न करेगा। प्रारूप कैप की वेबसाईट www.capuk.in से डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन के उपरांत जिला समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कृषक के खेत का स्थलीय निरीक्षण, कृषक की उपस्थिति में किया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। उसके उपरांत निदेशक स्तर पर अनुदान स्वीकृत समिति के द्वारा प्राप्त अनुदान प्रपत्रों पर जांचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंत में कैप द्वारा सीधे कृषक के खाते में स्वीकृत धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है तथा सगन्ध खेती करने के तीसरे वर्ष में शेष 25 प्रतिशत धनराशि, पौध जीवितता के आधार पर भुगतान की जाती है। शेष 25 प्रतिशत के लिए भी उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन करना होगा।
5.	**मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण**	मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण करने पर खेती की तैयारी आदि पर, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है तथा किसान	ग्रामीण क्षेत्रों के सगन्ध कृषिकरण के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि	सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप, सेलाकुई को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित फसल का वित्तीय इस्टीमेट / आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है फिर आगणन खण्ड विकास अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		को मजदूरी का भुगतान नहीं करना पडता है। कैप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध सामग्री। निःशुल्क तकनीकी सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण दिया जाता है।	भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो।	किया जाता है, प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानों को पौध सामग्री निकटतम स्थल/सडक मार्ग तक निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया जाता है। संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध खेती संबधित कार्य इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।
6.	**राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/ संस्थाओं/ समूहों को उनके उत्पाद के तुडाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा।**	सगन्ध पौधों के ड्राईंग, भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर रू0 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में **75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान** धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कलस्टर के अन्य कृषकों को आसवन (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।	कृषक/संस्था/ समूह कैप में पंजीकृत हो कलस्टर में सयंत्र /यंत्र उपकरण आदि क्षमतानुसार /आवश्यकतानुसार सगन्ध कृषित क्षेत्रफल हो।	कटाई/तुडाई उपरांत प्रसंस्करण हेतु किसान द्वारा सर्वप्रथम आसवन(प्रसंस्करण) संयंत्र स्थापना संबंधी आवेदन पत्र कैप वेबसाइट/फील्ड कार्मिक से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ फोटो, भूमि अभिलेख/लीज संबंधी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, आसवन संयंत्र का विवरण, देना होगा। कृषक/संस्था/समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा/फील्ड कार्मिक को देगा। उसके बाद जिला समन्वयक स्थलीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरांत संबंधित कृषक को आसवन संयंत्र स्थापना की अनुमति, निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा कृषक उसके बाद अपने आसवन संयंत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा अनुमति पत्र के साथ संलग्न विशिष्टियों के अनुसार स्वयं के व्यय पर करेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत राजसहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट से/फील्ड कार्मिक से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन संयंत्र की फोटो,जमीन संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, के साथ मास्टर ट्रेनर/तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित, निदेशक, कैप को देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं जिला समन्वयक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा एकमुश्त सब्सिडी का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।
7.	**गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट**	कृषक को उसके उत्पाद/सगन्ध तेल के गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट। कृषकों को उनके तेल की गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर तेल का बाजार में उचित मूल्य मिलने में सहायता	सगन्ध खेती कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक द्वारा उत्पादित तेल का सेम्पल निर्धारित शुल्क सहित, कैप को उपलब्ध कराना होगा, जिसके परीक्षण उपरान्त कृषकों को गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक को सैम्पल के साथ कैप कार्यालय आना अनिवार्य है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		मिलती है।		
8.	**सगन्ध तेलों/ उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य।**	कृषक 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को निर्धारित मूल्य पर **कैप में विक्रय** कर सकता है। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित सगन्ध तेलों का उचित मूल्य एवं बाजार सुनिश्चित किया जाता है।	सगन्ध कृषिकरण कर रहे पंजीकृत कृषक।	कृषक चिन्हित 25 प्रजातियों के सगन्ध तेलों/उत्पाद को यदि निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (मूल्यों का विवरण वेबसाइट में उपलब्ध है।) विक्रय करने का इच्छुक है, तो कैप, सेलाकुई से सम्पर्क उपरान्त उत्पादित तेल स्वंय के व्यय पर लेकर आयेगा। तेल के सम्बधित फसल के पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति, बैंक विवरण आदि भी लाना होगा। कैप कार्यालय द्वारा तेल की गुणवत्ता परीक्षण अपनी गुणवत्ता प्रयोगशाला में करवाया जाता है। जांचोपरान्त ही सगन्ध तेलों/उत्पाद क्रय हेतु स्वीकार किये जाते हैं। क्रय संबंधी धनराशि कृषक के खाते में भेजी जाती है। जांच के दौरान गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाये जाने पर, कृषक का तेल क्रय नहीं किया जायेगा।
9.	**सिडकुल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन**	एरोमा पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज उपादान, एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट तथा कम दर पर विद्युत आपूर्ति **(संलग्नक–1)**।	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी/ व्यक्ति	एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना हेतु, SIIDCUL अपनी वेबसाईट https:@esiidcul-com@eprocure@ home के माध्यम से विज्ञापन द्वारा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करता है। एरोमा पार्क में रिक्त भूखंडों के लिए निश्चित अवधि के लिए आवेदन किया जाता है। रिक्त भूखंडों के सम्बन्ध में SIIDCUL वेबसाईट पर प्लॉट के आकार और ईएमडी की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। आवेदक प्लॉट के आकार की पसंद के आधार पर पसंदीदा प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ईएमडी राशि जमा कर सकता है। विशेष भूमि/भूखंडों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद यहां निर्धारित प्रक्रिया/प्रक्रिया के आधार पर, उपलब्धता के अधीन, औद्योगिक भूमि/भूखंड आवंटित किए जाएंगे। SIIDCUL द्वारा ऑनलाइन बोली लगाई जाती है, अधिकतम बोली लगाने वाले को प्लॉट सौंपा जाता है। प्लॉट के आवंटी को आवंटन पत्र दिया जाता है। खाली प्लॉट और विज्ञापन के बारे में अधिक जानकारी www-siidcul-com से प्राप्त की जा सकती है। कैप द्वारा एरोमा पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी सहायोग प्रदान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

(संलग्नक–1)

क्रं सं0	मानदण्ड	स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रोत्साहन
1	**निवेश प्रोत्साहन सहायता**	उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर **40 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40 लाख)**
2	**ब्याज उपादान**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक उद्यम के कार्यशाला भवन निर्माण तथा प्लांट व मशीनरी क्रय करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज का **10 प्रतिशत (अधिकतम रू0 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)**
3	**एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष तक कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय किया गया हो, का **शत् प्रतिशत।**
4	**स्टाम्प शुल्क में छूट**	उद्यम स्थापना हेतु भूमि के विक्रय पत्र विलेख/लीज–डीड के निबन्धन (त्महपेजतल) में देय **स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्ण छूट।**
5	**मण्डी शुल्क में छूट**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये कच्चे माल पर **मण्डी शुल्क की शत् प्रतिषत छूट।**
6	**कम दर पर विद्युत आपूर्ति**	उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिये सिंचाई, ट्यूबवैल हेतु लागू विद्युत दर के अनुसार (**वर्तमान में 1.55 प्रति यूनिट**) और निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

कालसी फार्म, देहरादून।

PROGRAMME ... ENT

पशुपालन विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**बकरी पालन**	इच्छुक लाभार्थियों को बकरी पालन एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर बकरी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का कुल लागत रू. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।	इच्छुक लाभार्थी को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव रखना होगा। प्रस्ताव पास होने के उपरांत, लाभार्थी अपना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी / पशुधन प्रसार अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को देगा, अथवा ग्राम पंचायत स्वतः अपने स्तर से देगा। ग्राम स्तरीय चयन समिति की संस्तुति के उपरांत, विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाता है तथा उसके उपरांत पशुपालन विभाग को भेजा जाता है। चयन के उपरांत लाभार्थी को बकरी खरीदने हेतु एक से दो माह के भीतर धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रस्ताव के साथ आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
2	**भेड़ पालन**	भेड़ पालन हेतु एक इकाई (10 मादा 01 नर) 10 से 14 माह तक की उपलब्ध कराकर भेड़ पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना की कुल लागत रू. 70,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 63,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 7,000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक–1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर भेड़ दिये जाते हैं।
3	**गौ पालन**	गौ पालन की योजना में चतुर्थ व्यात तक की एक दुधारू गाय उपलब्ध कराना। योजना की कुल लागत रू. 40,000.00 में से 90 प्रतिशत धनराशि रू. 36,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है तथा 10 प्रतिशत धनराशि रू. 4000.00 लाभार्थी द्वारा वहन की जानी है।	अनुसूचित जाति व जनजाति के SECC वर्ग के इच्छुक लाभार्थी	**आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार है। बकरी के स्थान पर गाय दी जाती है।** इस योजना में विभाग द्वारा धनराशि गाय खरीदते समय डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

4	**महिला बकरी पालन**	पात्र महिलाओं को 12 से 18 माह तक की बकरियों की एक इकाई (03 मादा 01 नर) उपलब्ध करायी जाती है। योजना की पूर्ण लागत रू. 35,000.00 राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।	परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही एवं आपदा प्रभावित महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी।	**चयन प्रस्ताव** "पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाता है।
5	**कुक्कुट वैली की स्थापना**	परियोजना में प्रत्येक किसान 3 चक्रों में प्रतिवर्ष 750 चूजों का पालन करेगा। 500 एक दिवसीय चूजे पशुपालन विभाग राज्य सेक्टर के बजट से MPACS के माध्यम से उपलब्ध करायेगा व आखिरी 250 चूजों का बैच किसान स्वयं वहन करेगा। सहकारिता विभाग ब्याज मुक्त ऋण पोल्ट्री शेड व चूजों के पालन–पोषण हेतु उपलब्ध कराएगा।	लाभार्थी का सहकारी समिति एम–पैक्स का सदस्य होना अनिवार्य है। महिला लाभार्थी को वरीयता। लाभार्थी पर एम–पैक्स या किसी भी बैंक का ऋण नहीं होना चाहिए तथा न ही बकायादार होना चाहिए। चयनित लाभार्थी दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना का एमटी एवं एसटी लोन लेने के पात्र हो। पात्र उम्मीदवार के पास अपनी जमीन या पटट्े की जमीन होनी चाहिए।	लाभार्थी को आवेदन सहकारिता विभाग व पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से करना पड़ेगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी खाता खतौनी/दाखिल खारिज/रजिस्ट्री/पटटे संबंधी दस्तावेज, किसी बैंक से बकायेदार न होने का प्रमाण पत्र /शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
6	**ब्रायलर फार्म की स्थापना**	रू. 15 प्रति पक्षी अनुदान 6 बैच हेतु कुल सब्सिडी रू. 45,000.00 प्रति लाभार्थी बाडा निर्माण हेतु रू. 15,000.00 अनुदान प्रति लाभार्थी कुल सब्सिडी रू. 60,000.00 प्रति लाभार्थी। न्यूनतम 500 ब्रायलर पक्षियों के साथ, इकाई लागत 3.05 लाख आती है।	सभी जातियों के लिए उपलब्ध है। महिला/स्वयं सहायता समूह को वरीयता। अपनी जमीन या पट्टे की जमीन। के.वाई.सी होना चाहिए।	पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी लाभार्थी की पहचान करेगा तथा आवेदनों को एकत्रित करेगा। आवेदन के साथ, लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी प्रमाण पत्र, उपलब्ध कराने होंगे। पशुचिकित्सा अधिकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। पशुपालक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में जमा करेगा। सभी आवेदन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा होगें। जनपदीय कार्यकारी समिति जांच करने के उपरांत चयन कर सब्सिडी का भुगतान करेगी।
7	**पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान**	पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत (सैक्स सार्टेड सीमेन) के माध्यम से गाय एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार हेतु 400/–प्रति डोज अनुदान	समस्त गाय/भैंस पालक	निकटवर्ती पशुचिकित्सालय, पशुसेवा केन्द्र, उपसा केन्द्र पर सम्पर्क करने के उपरांत उनके कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न की जाती है। पशुपालक को कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

8	**गौसदनों की स्थापना**	पशुपालक द्वारा छोड़े गये व स्वच्छन्द विचरण करने वाले अलाभकर पशुधन को उचित शरणस्थली प्रदान करने के लिए आवेदक संस्था को अनावर्तक व्ययों यथा : गोसदन हेतु मुख्य भवन का निर्माण, भण्डारण कक्षों, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुऔषधालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख होगी।	गौसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निम्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे – गोवंश एवं अन्य पशुओं के कल्याण कार्यो हेतु पंजीकृत, बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश कल्याण हेतु गठित धर्मार्थ संस्था, अथवा बिना कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता। ऐसे आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि हो अथवा 30 वर्ष तक लीज पर ली हो। भरण पोषण अनुदान की पात्रता हेतु पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम–25 एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम–50 शरणागत निराश्रित, अलाभकारी, गोवंशीय पशु संख्या वाले गोसदन।	संबंधित संस्था उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा। आवेदन पत्रhttps://ahd.uk.gov.in/files/Gau_Sadan_Recognition_Application_Form.pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे • राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख। • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण। • संस्था की सेवानियमावली में अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने का संकल्प या प्राविधान। • संस्था की प्रबन्ध कार्यकरिणी के नाम, पदनाम पता एवं दूरभाष संख्या। • स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका /अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। • चाटर्ड एकाउन्टेट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट। • संस्था का बैंक खाता। • संस्था का चयन होने के उपरांत राजकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 05 वर्षो हेतु प्रभावी अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

डेयरी विकास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना।**	दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को गाय/भैंस खरीदने हेतु निम्नवत लाभ दिया जाता है। **सामान्य जाति के सदस्यों हेतु :–** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु क्रय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड काफ सहित, मिल्क वैन आदि) हेतु 50 अनुदान एवं 40 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू. 80,000/– तीन पशुओं हेतु रू. 1,23,250/– एवं पांच पशुओं हेतु रू. 2,03,625/– की अनुदान ही दी जायेगी। **अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला सदस्यों (किसी भी जाति की) हेतु–** 02, 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना (पशु क्रय, बीमा, परिवहन व्यय, कैटल शेड काफ सहित, मिल्क वैन आदि) के लिये 75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण जिला सहकारी बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। डेयरी विभाग द्वारा 2 पशुओं हेतु रू. 1,20,000/– तीन पशुओं हेतु रू. 1,84,875/– एवं पांच पशुओं हेतु रू. 3,05,438/– धनराशि ही दी जायेगी। न्यूनतम	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों अथवा जो सदस्य नही है उनको सदस्य बनाकर, गाय (12 ली0 /दिन) एवं भैंस (10 ली0/दिन) क्रय हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। सामान्य जाति एवं अनु0जाति0/ जनजाति/महिला सदस्य पात्र होंगे। गाय/भैंस का क्रय राज्य के बाहर से किये जाने की बाध्यता है। न्यूनतम 2 पशु खरीदने ही होंगे तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।	आवेदक, समिति का सदस्य होना अनिवार्य है, संबंधित ग्राम पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष से उपर का सदस्य, नजदीकी समिति सचिव के पास रू0 25.00 का सदस्यता शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त कर सदस्यता ली जा सकती है, इसके लिए पशुपालक होना अनिवार्य नहीं है। आवेदक, आवेदन पत्र दुग्ध सहकारी समिति अथवा नजदीकी जिला सहकारी बैंक से प्राप्त करेगा। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो, सहकारी समिति की सदस्य संख्या, चल/अचल सम्पति/जमीन प्रमाण पत्र, उक्त व्यवस्था न होने पर 02 जमानती जो दुग्ध समिति के सदस्य हों, की जमानत उपलब्ध करायी जायेगी। किसी संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण, कितने पशु लेने हैं, का विवरण, के साथ दुग्ध सहकारी समिति में जमा करना होगा। उसके उपरांत समिति सचिव प्रमाणित करते हैं। तथा प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 एवं सहायक निदेशक डेयरी द्वारा जांच के उपरांत संस्तुति दी जाती है।संस्तुति के उपरांत आवेदन पत्र बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, बैंक द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत, लाभार्थी का मानक के अनुसार, ऋण स्वीकृत किया जाता है तथा ऋण धनराशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद, दुग्ध सहकारी समिति/ डेयरी विभाग की क्रय समिति द्वारा संबंधित लाभार्थी को अवगत कराया जाता है तथा राज्य के बाहर, विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध डेयरी फार्मो से पशु खरीदने हेतु क्रय

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		2 पशु खरीदने ही होंगे तथा सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऋण लेना अनिवार्य है।		समिति साथ में जाती है। पशुओं का चयन कर क्रय करती है एवं पशुओं की स्वास्थ्य की जांच कर, पशुपालक के घर तक छोडती है। इसके लिए पशुपालक को, विभागीय कार्मिकों को कोई धनराशि नहीं देनी पडती है। यदि किसी लाभार्थी को सूचीबद्ध फर्म के पशु पसंद नहीं आते हैं तो उस स्थिति में लाभार्थी, संबंधित जनपदीय प्रबंधक को लिखित में सूचित करेंगे एवं अनुमति मिलने के उपरांत राज्य के बाहर से क्रय समिति के साथ ही पशु उपलब्ध करायेंगे।
2	**दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना**	दुग्ध सहकारी समितियों को दूध उपलब्ध कराने वाले पशुपालकों को दूध का मूल्य प्रदान करने के साथ ही मानक के अनुसार रू0 04.00/ली0 अथवा रू0 03.00/ली0 की प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के ऐसे सदस्य जो दूध उपलब्ध करवा रहे हों।	दुग्ध समिति को दुग्ध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को निर्धारित मानक (7.50 से 7.99 प्रतिशत वसा रहित ठोस) पर रू0 03.00/ली0 एवं 08.00 प्रतिशत व इससे अधिक वसा रहित ठोस पर रू0 4.0/ ली0 प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान दुग्ध समिति सदस्यों को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। इसके लिए दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पशुपालक को सहकारी समिति में अपना बैंक खाता विवरण देना होगा।
3	**साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना**	दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों पर्वतीय एवं मैदान के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त मिनिरल मिक्चर एवं प्रोबाइटिक्स वर्तमान दरों में साईलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जा रहा है, जिसमें लाभार्थी को प्रति किग्रा. रू0 2.00रू. अपफ्रन्ट अनुदान सहित मिलता है। काम्पैक्ट फीड ब्लाक 50 प्रतिशत, जो वर्तमान में रू0 8/कि0ग्रा0 में लाभार्थी को मिलता है।	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों को, जो दुग्ध सहकारी समिति को दूध उपलब्ध कराते हों।	समिति को दुग्ध उपलब्ध कराने वाले पोरर सदस्य द्वारा चारा की मांग का प्रार्थना पत्र समिति के सचिव के नाम पर लिखना होता है तथा सम्बन्धित समिति सचिव सदस्य की आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय दुग्ध संघ को मांग प्रेषित कर सदस्य को दुग्ध सहकारी समिति में ही पशुपोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

रेशम विभाग, उत्तराखण्ड

रेशम विभाग

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**रेशम वृक्षारोपण**	कलस्टर में चयनित किसानों को रेशम वृक्षारोपण हेतु रू0 17,244 की धनराशि अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 2– रेशम वृक्ष, विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।	पात्रता हेतु लाभार्थियों का कल्स्टर / समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर हेतु न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। समूह के लाभार्थियों के पास न्यूनतम 300 पौधों के रोपण हेतु भूमि उपलब्ध हो। चॉकी कीटपालन कार्य विभागीय देखरेख में किया जाता है। इसलिए कल्स्टर का चयन विभागीय रेशम फॉर्मों के 15–20 किमी के दायरे के अन्तर्गत / इससे अधिक दूरी होने पर चयनित समूह, सामुहिक चॉकी केन्द्र हेतु एक एकड़ भूमि उपलब्ध करवाये तथा चॉकी कीटपालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर, चॉकी कीटपालन कार्य कर सकते हैं। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वाले या जिन किसानों के पास शहतूत भौज्य पौध उपलब्ध हों उनको प्राथमिकता। शहतूती रेशम कार्य 4000 फीट की ऊँचाई वाले क्षेत्र तक किया जा सकता है, लेकिन इस कार्य के लिए गरम घाटी वाले क्षेत्र उपयुक्त होते है। रेशम कीट पालन हेतु विभाग द्वारा इस प्रकार के कोई क्षेत्र विशेष चयनित नहीं किये हैं, लेकिन अधिकांश राजकीय रेशम फार्म पूर्व में उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहां पर शहतूती रेशम का कार्य आसानी से किया जा सकता है।	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों / रेशम स्वयं सहायता समूहों एवं केन्द्र / रेंज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में आयोजित प्रचार–प्रसार गोष्ठियों / बैठकों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण / कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं, स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरांत विभागीय कार्मिकों के तकनीकी सहयोग से शहतूत वृक्षारोपण व अन्य कार्य योजना की गाइड लाईन के अनुरूप किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु वोटर आईडी / राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसके जमीन संबंधी दस्तावेज फोटो प्राप्त किये जाते हैं। उसके उपरांत विभागीय कार्मिकों की देख रेख में वृक्षारापेण व अन्य कार्य सम्पन्न किये जाते हैं और सम्पादित किये कार्यों के अनुरूप ही किसानों को अनुदान धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
2.	**कीटपालन उपकरण**	चयनित लाभार्थियों को कीटपालन कार्य हेतु रू0	पात्रता हेतु लाभार्थियों का क्लस्टर / समूह होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर हेतु	चॉकी केन्द्रों से सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों / रेशम स्वयं सहायता समूहों एवं केन्द्र / रेंज प्रभारियों द्वारा क्षेत्र में

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		40,000 की सहायता (80:10:10) आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु भुगतान की जाती है। उक्त धनराशि में से 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं से व्यय करते हुए लीफ चैम्बर की स्थापना करनी होती है तथा अन्य कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।	न्यूनतम 25 किसान एवं मैदानी क्षेत्रों में 50 किसान होने अनिवार्य। संबंधित लाभार्थी कीटपालन करने हेतु इच्छुक हों। पूर्व से कीटपालन कार्य करने वाले या जिन किसानों के पास शहतूत भौज्य पौध उपलब्ध हों उनको प्राथमिकता। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों की खेतों की मेड़ों पौध रोपण किया जाता है जिसका मानक 300 पौध/एकड़ निर्धारित है। चयनित कलस्टर में सभी किसानों को पौध रोपण की अनिवार्यता है।	आयोजित प्रचार–प्रसार गोष्ठियों / बैठकों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन किया जाता है। क्षेत्र विशेष में कलस्टर का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विशेषज्ञ कमेठी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है कि संबंधित क्षेत्र रेशम वृक्षारोपण / कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं, स्थलीय निरीक्षण की संस्तुति के उपरांत विभागीय कार्मिकों की तकनीकी सहयोग में शहतूत वृक्षारापेण व अन्य कार्य योजना की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाता है। चयनित लाभार्थियों की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु वोटर आईडी /राशन कार्ड, बैंक खाते विवरण, जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसके जमीन संबंधी दस्तावेज फोटो प्राप्त किये जाते हैं। लीफ चैम्बर की स्थापना किसान द्वारा की जाती है अन्य कीटपालन सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षण का प्राविधान होता है जिसमें कलस्टर में चयनित सभी किसानों को वृक्षारोपण/कीटपालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो लाभार्थी योजनान्तर्गत चयनित नहीं होते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।
3.	**कीटपालन कक्ष**	कीटपालन कक्ष हेतु रू0 1 लाख की आर्थिक सहायता (80:10:10) उपलब्ध करायी जाती है। रू0 10,000 किसान द्वारा स्वयं वहन करते हुए कीटपालन कक्ष की नींव का निर्माण कार्य पूर्ण करना। राज सहायता मद में रू0 90,000 की सहायता दो समान किश्तों में।	योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थी जिनकों वृक्षारोपण मद में सहायता उपलब्ध कराई गई है और जिनके पास कीटपालन हेतु 300 शहतूत पौध उपलब्ध हों	सिल्क समग्र योजना के अन्तर्गत किसानों का चयन कलस्टर मोड में किया जाता है जिसके के लिए विभागीय कमेठी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है तथा क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर योजना का संचालन किया जाता है जिसमें किसान की पी0आई0एस0 तैयार करने हेतु पूर्व उल्लिखित दस्तावेजों का संकलन किया जाता है। कीटपालन कक्ष निर्माण में किसान द्वारा स्वयं की धनराशि पर कीटपालन कक्ष की नींव का निर्माण किया जाता है। निर्माण कार्य की प्रगति एवं योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप कलस्टर प्रभारी की संस्तुति पर राज सहायता धनराशि किसान के खाते में भुगतान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

मत्स्य विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**पर्वतीय क्षेत्रो में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना**	पर्वतीय क्षेत्रो में जलापूर्ति संसाधनो का बेहतर उपयोग कर समस्त जाति वर्ग के व्यक्तियो हेतु तालाब के कलस्टर (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य हैं) बनाकर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश यथा मछलियों के बच्चे एवं आहार हेतु 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। 10 तालाब एक व्यक्ति भी बना सकता है एवं कुछ लोग मिलकर भी बना सकते हैं। उच्च वृद्धि दर वाली मछलियो के पालन हेतु तकनीकी सहायता भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर तक के तालाब के लिए ही अनुदान दिया जायेगा। अधिकतम 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। समिति/समूह/महासंध/फैडरेशन/मंगल दल हेतु 1000 घन मीटर हेतु अधिकतम 5 लाख का अनुदान दिया जाता है। अतिरिक्त 50 प्रतिशत धनराशि व्यक्ति को स्वयं के पास से लगाना पडता है अथवा बैंक से लोन लेना पड़ता है।	राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त जाति वर्ग, महिला एवं पुरूष, जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों, या मछली उत्पादन कर रहे हों एवं जिनके पास भूमि/लीज की भूमि हो एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता है, पात्र होंगे। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी/समूह को प्रार्थना पत्र, जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा– खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, यदि समूह आवेदन करेगा तो तत्संबंधी पंजीकरण प्रमाण पत्र/भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाता है। यदि लाभार्थी के पास 50 प्रतिशत धनराशि की उपलब्धता न हो तो, तत्संबंधी क्षेत्र के नजदीकी सहकारी बैंक/बैंक से ऋण ले सकता है, ऋण लेने की स्थिति में विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बैंक संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद धनराशि स्वीकृत करता है। उसके उपरांत निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सब्सिडी भुगतान की जाती है, ऋण की स्थिति में सब्सिडी बैंक के माध्यम से लाभार्थी को जाती है। तकनीकी सहायता विभाग से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी लाभार्थी को प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, तो तत्संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाता है तथा मछलियों की मार्केटिंग हेतु लाभार्थी या तो बाजार में बेचने हेतु स्वतन्त्र होगा या विभाग द्वारा स्थापित उत्तराफिश के माध्यम से भी विक्रय कर सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
2.	**अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति उपयोजना**	अनुसचित जाति / जनजाति वर्ग के व्यक्तियो हेतु तालाब के कलस्टर (न्यूनतम 10 तालाब एक ही स्थान पर बनाने अनिवार्य हैं) बनाकर, तालाब निर्माण करने एवं प्रथम वर्षीय निवेश यथा मछलियों के बच्चे एवं आहार हेतु 60 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। एक ग्राम में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें। व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 500 घन मीटर हेतु अनुदान, अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के समिति / समूह / महासंध / फैडरेशन / मंगल दल हेतु 1000 घन मीटर हेतु अनुदान, अधिकतम 6 लाख का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 1 हैक्टेयर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रू. 8 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू. 5 लाख 10 हजार का अनुदान। मैदानी क्षेत्र में 0.05 से 0.50 हेक्टेयर तक के तालाब निर्माण किये जायेगें।	पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रो के अनुसचित जाति / जनजाति वर्ग के समस्त व्यक्ति, जो मछली उत्पादन करने हेतु इच्छुक हों, या मछली उत्पादन कर रहे हों। पात्र व्यक्ति / समूह के पास स्वयं / लीज पर जमीन एवं जमीन के पास जलस्त्रोत होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।	लाभार्थी को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अन्य प्रक्रिया क्रमांक 1 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी।
3.	**मत्स्य पालन विवधीकरण (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) योजना**	जिन मत्स्य पालकों के पास पहले से ही तालाब हो, उनके तालाब में मरम्मत / सुधार करने, तालाब के साथ बत्तख पालन / मुर्गी पालन अन्य समन्वित गतिविधियों हेतु 60 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाती है। भूमिहीन व्यक्तियो को मत्स्य प्रसंस्करण / विपणन व्यवसाय से जोडने हेतु मोबाईल फिश स्टॉल की लागत रू 2 लाख 50 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 1 लाख 50 हजार का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर के तालाब सुधार की लागत रू 70 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 42	उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो पहले से ही मत्स्य उत्पादन कर रहे हों, अथवा उक्त जाति के ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हों परंतु मत्स्य प्रसंस्करण / विपणन व्यवसाय करना चाहते हों, पात्र होंगे।	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को प्रार्थना पत्र (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन अथवा मत्स्य प्रसंस्करण व्यवसाय हेतु) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ (तालाब सुधार, समन्वित मत्स्य पालन की स्थिति में) आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, तालाब का विवरण, संलग्न करेगा। मत्स्य प्रसंस्करण / विपणन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रो में 1.0 हैक्टेयर के तालाब सुधार की लागत रू 5.0 लाख के सापेक्ष रू 3.0 लाख का अनुदान। पर्वतीय क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण (मुर्गी/बत्तख/केला, पपीता,) की लागत रू 1 लाख 39 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 83 हजार का अनुदान दिया जाता है। मैदानी क्षेत्र में 01 समन्वित यूनिट निर्माण की लागत रू 6 लाख 60 हजार के सापेक्ष 60 प्रतिशत रू 3 लाख 96 हजार का अनुदान दिया जाता है।		से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए तालाब मरम्मत/सुधार कार्य, समन्वित गतिविधियां एवं फिश स्टॉल का कार्य पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के आधार पर सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जाता है।
4.	**राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना**	ऐसे मत्स्य पालक, जो पहले से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं, उनको मत्स्य निवेश जैसे कि मत्स्य आहार, दवाईयां आदि की कुल धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। 100 वर्ग मीटर तालाब हेतु 1 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । 500–2000 वर्ग मीटर तालाब हेतु 6 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । आर.ए.एस./बायोफ्लॉक हेतु 7 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । ट्राउट फार्मिंग हेतु 10 कुन्तल मत्स्य आहार का अनुदान । मत्स्य पालन हेतु इनपुट (निवेश) की आवश्यक सामग्रियॉ जैसे हैण्डनेंट, हापा, जाल एवं मिनीकिट पर मार्केट दर की कुल लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान । प्रति मत्स्य पालक 1 जाल/हैण्डनेंट/ हापा एवं मिनीकिट हेतु 50 प्रतिशत अनुदान।	**उत्तराखण्ड के समस्त जाति वर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला आदि के कार्यरत मत्स्य पालक ।**	योजना का लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र (तालाब हेतु आहार, दवाईयां एवं इनपुट निवेश आदि) जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, तालाब का विवरण, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात मत्स्य पालक द्वारा बीज/आहर/दवाईयां मार्केट से क्रय की जाती हैं, मत्स्य पालक बिलों को फील्ड कार्मिकों को उपलब्ध करायेगा। फील्ड कार्मिक संबंधित बिल को वैरिफाईड करने के उपरांत 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान सीधे मत्स्य पालक के खाते में भुगतान कराने हेतु संबंधित जनपदीय अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त सब्सिडी भुगतान की जाती है।
5.	**प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना**	तालाब निर्माण, ट्राउट रेसेवेज, रियरिंग यूनिट, आर०ए०एस०, बायोफ्लॉक यूनिट,	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा	योजना का लाभ लेने हेतु को प्रार्थना पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		केज कल्चर, कोल्ड स्टोरेज, मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स, फिश कियॉस्क, आरनोमेंटल फिशरीज, फीड मिल, हैचरी आदि की लागत के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत का अनुदान जबकि अन्य सभी वर्गो हेतु 40 प्रतिशत का अनुदान, लार्ज आर0ए0एस0 के लिए 20 प्रतिशत का अनुदान **(तालिका 01)**	सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला आदि जिनके पास भूमि एवं जलापूर्ति स्रोत की उपलब्धता हो।	कार्यालय में देगा। प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खसरा खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मो0 नंबर, संलग्न करेगा। भविष्य में आवेदन करने की प्रक्रिया अपणिसरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रार्थना पत्र जमा करने के उपरांत मत्स्य निरीक्षक/फील्ड कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात फील्ड कर्मियों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता देते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है, उसके उपरांत सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान किया जाता है।
6.	**दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)**	अपरिहार्य स्थितियो हेतु वार्षिक बीमा कवरेज मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रू 5.0 लाख, आंशिक अपंगता (दोनो पैर/हाथो की उंगलिया खोना, आंख/कान/गला से देखना/सुनना/बोलना का आंशिक खोना, आदि) की स्थिति में रू 2 लाख 50 हजार, अस्पताल में भर्ती पर रू 50 हजार, धनराशि का भुगतान किया जाता है। मत्स्य पालक को बीमा की किस्त का भुगतान नहीं करना पडता है। सम्पूर्ण किस्तों का भुगतान विभाग वहन करता है।	**उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग यथा सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला आदि कार्यरत मत्स्य पालक/मछुवारे जिनकी आयु 18–70 वर्ष हो ।**	योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी मत्स्य विभाग के फील्ड कार्मिकों के माध्यम से बीमा का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ मत्स्य पालक/मछुआरे का आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जन्म प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नॉमिनी डिटेल्स एवं आधार कार्ड के साथ फार्म जमा करना पडता है। मत्स्य पालन की बीमा किस्त का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। मत्स्य पालक का बीमा होने के उपरांत बीमा संबंधी प्रमाण पत्र विभाग उपलब्ध करायेंगे। दुर्घटना/मृत्यु होने/अस्पताल में भर्ती होने की दशा में, तत्काल मत्स्य विभाग के संबंधित क्षेत्र के फील्ड कार्मिकों/अधिकारियों को, लाभार्थी के परिवार द्वारा अवगत कराना पडता है तथा दुर्घटना की दशा में क्लेम फार्म एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल में एडमिट होने संबंधी प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना पडता है, उसके उपरांत क्लेम धनराशि भुगतान कराई जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारूप संलग्नक –1

गतिविधि / मद	यूनिट लागत प्रति हैक्टेयर	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला / अनु. जाति / जनजाति)	अधिकतम लिमिट / अनुदान सीमा
नये तालाब निर्माण एवं निवेश	11 लाख (प्रति हैक्टेयर)	4 लाख 40 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 20 हैक्टेयर समिति / समूह आदि
ट्राउट रेसवेज एवं निवेश (संख्या) 50 वर्गमीटर, प्रति यूनिट	5 लाख 50 हजार	2 लाख 20 हजार	3 लाख 30 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति / समूह आदि
लार्ज आर.ए.एस. (8 टेंक) / लार्ज बायोफ्लॉकय यूनिट (50 टैंक)	50 लाख	10 लाख	12 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
मीडियम आर.ए.एस. (6 टेंक) / मीडियम बायोफ्लॉक यूनिट (25 टैंक)	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
लघु आर.ए.एस. (1 टेंक) / लघु बायोफ्लॉक यूनिट (7 टैंक)	7 लाख 50 हजार	3 लाख	4 लाख 50 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
ट्राउट हैचरी की स्थापना	50 लाख	20 लाख	30 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
शीतजल आर.ए.एस. यूनिट	20 लाख	8 लाख	12 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
फिश कियॉस्क	10 लाख	4 लाख	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

गतिविधि / मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला / अनु. जाति / जनजाति)	अधिकतम लिमिट / अनुदान सीमा
मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स	75 हजार	30 हजार	45 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
थ्री विलर विद आईस बॉक्स	3 लाख	1लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 1 यूनिट
रेफरीजरेटेड / इन्सयुलेटेड वाहन	25 लाख	10 लाख	15 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
कोल्ड स्टोरेज क्षमता 10 टन	40 लाख	16 लाख	24 लाख	अधिकतम 1 यूनिट
केज की स्थापना	3 हजार प्रति घन मी.	1 हजार 2 सौ	1 हजार 8 सौ	अधिकतम 1800 घन मीटर व्यक्तिगत एवं 7200 घन मीटर समिति / समूह आदि
बैकयार्ड ऑरनामेंटल यूनिट	3 लाख	1 लाख 20 हजार	1 लाख 80 हजार	अधिकतम 4 यूनिट व्यक्तिगत एवं 20 यूनिट समिति / समूह आदि
फीड मिल क्षमता 2 टन प्रतिदिवस उत्पादन	30 लाख	12 लाख	18 लाख	अधिकतम 1 यूनिट

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

वन विभाग, उत्तराखण्ड

राजाजी पार्क

जिम कार्बेट पार्क

वन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**महिला नर्सरी**	महिला समूह को नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रजातिवार बीज सिल्वाहिल अथवा सिल्वासाल से उच्च गुणवत्ता के बीज प्राप्त कर सम्बन्धित महिला समूहों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा नर्सरी में उपयोग में आने वाले संसाधनों को भी निर्धारित अनुदान धनराशि देकर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। महिलाओं द्वारा नर्सरी में उगाये गये पौधों को वन विभाग **अनुबन्ध** के आधार पर खरीदता है।	महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, स्थानीय महिला समूह।	महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगलदल, स्थानीय महिला समूह का प्रभागीय वनाधिकार कार्यालय में पंजीकरण किया जायेगा। महिला किसान पौधालय विकसित करने के लिये नर्सरी मैनुवल की प्रति एवं तकनीकी की जानकारी दी जाऐगी। पंजीकरण हेतु प्रस्तावित महिला नर्सरी स्थल की खतौनी, महिला समूह की बैठक का प्रस्ताव, मो0न0 एवं आधार कार्ड, बैंक पास बुक की आवश्यकता होती है। नर्सरी में पौध तैयार होने पर, स्वयं सहायता समूहों एवं वन विभाग द्वारा अनुबन्ध के अनुसार वन विभाग, समूह से प्रजातिवार पौधों का क्रय करता है। नर्सरी सृजित करने में उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री को समूह द्वारा क्रय किये जाने पर विभाग द्वारा किस्तों के रूप में अनुदान का स्वयं सहायता समूहों के खाते में भुगतान किया जाता है।
2.	**हमारा स्कूल हमारा वृक्ष**	समस्त सरकारी, गैरसरकारी स्कूलों में वृक्षारोपण करने हेतु निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं तथा वृक्षारोपण के उपरांत वन विभाग द्वारा स्कूलों को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है।	समस्त सरकारी, गैर सरकारी स्कूल	स्कूल का प्रबन्धक/प्रधानाचार्य प्रभागीय वनाधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में (जो वनक्षेत्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है) स्कूल में पूर्व में किये वृक्षारोपण अथवा उपलब्ध वृक्षों का विवरण व वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल की सूचना के साथ आवेदन करेंगे। वन विभाग द्वारा महिला नर्सरी, उद्यान विभाग की नर्सरी आदि से पौधे क्रय कर, स्कूलों को निशुल्क वितरित किये जाते हैं।
3.	**हमारा पेड़ हमारा धन**	निजी भूमि पर ईंधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहन के रूप में रू0 300/- प्रति पौध की दर से एफ0डी0आर0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम बन्धक रखा जायेगा। पौधे की सफलता/जीवितता के आधार पर 03 वर्ष के पश्चात् एफ0डी0आर0 के रूप में संरक्षित धनराशि संबंधित व्यक्ति को मिलेगी। एक आवेदक/परिवार को अधिकतम 100 पौधों की सीमा तक ही पौध प्रतिवर्ष मान्य होगी।	उत्तराखण्ड के निवासियों हेतु, जिनकी अपनी निजी भूमि हो अथवा संयुक्त खातेदार हों। भूमि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसकी बाध्यता नहीं है।	आवेदन हेतु प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय अथवा वन विभाग की वेबसाइट https://forest.uk.gov.in/ से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आवेदन प्रपत्र में आवेदन का नाम, पता, भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल की स्थिति, इच्छुक प्रजातियों की पौध प्रजाति का विवरण होगा। आवेदन पत्र को संबंधित क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा तथा आवेदकों के साथ रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। उसके उपरांत आवेदक पौध वन विभाग, उद्यान विभाग अथवा अन्यत्र जैसे पंजीकृत महिला पौधशाला, किसान पौधशाला आदि से रियायती दरों पर खरीदेगा। पौधों को स्थल तक आवेदक स्वयं के व्यय पर ले जायेगा। पौधे लगाने हेतु वन विभाग से तकनीकी सहायता ली जा सकती है। पौधे लगाने एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होती है। पौधे रोपित किये जाने के तीन वर्ष के पश्चात ग्राम प्रधान, संबंधित वन पंचायत का सरपंच, वन क्षेत्राधिकारी तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के संयुक्त निरीक्षण से स्वस्थ पौधों की जीवितता का प्रतिशत का मूल्यांकन किया जायेगा। निरीक्षण रिपोर्ट में जितने पौधे स्वस्थ/जीवित होंगे, उसके आधार पर वन क्षेत्राधिकारी द्वारा धनराशि का भुगतान संबंधित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				आवेदक के खाते में किया जाता है।
4.	**वन क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा जानमाल की क्षति में मुआवजा (मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि)**	**1–वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में वन्यजीवों के आक्रमण से मानव क्षति** (मृत्यु व घायल / दिव्यांग) अधिकतम रू0–4 लाख तथा न्यूनतम रू0 50 हजार तक सहायता। **2– वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा पालतू पशु क्षति** की दशा में अधिकतम् अनुदान रू0 40 हजार और न्यूनतम रू0 3 हजार प्रति पशु। **3– वन क्षेत्र तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में जंगली हाथी, जंगली सूअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति** होने पर अधिकतम रू0 25 हजार एवं न्यूनतम रू0–8 हजार प्रति एकड़। **4–जंगली हाथियों द्वारा मकान / कच्चा मकान / चाहर दीवारी / झोपड़ी आदि की क्षति** पहुंचाने की स्थिति में अधिकतम रू0–95 हजार न्यूनतम रू0–9,00 तक। **परंतु** जंगली जानवरों द्वारा मानव क्षति पर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति के लाभ / प्रलोभन में पारिवारिक सदस्यों द्वारा	(1) बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ / घड़ियाल, साँप के **आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर।** **(2)** बाघ, तेंदुआ हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड), तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ / घड़याल, साँप द्वारा **पालतू पशुओं को मारे**	**(1) वन्यजीवों के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर** – वन्यजीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने पर पीड़ित व्यक्ति / सम्बन्धित आश्रित की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा किसी वर्तमान में पदासीन जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में पीड़ित व्यक्ति / सम्बन्धित आश्रित को जानमाल की क्षति की घटना की सूचना प्राप्त होने से सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़ते हुये अधिकतम 48 घंटे के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। मुआवजा धनराशि भुगतान हेतु संबधित पीडित व्यक्ति / आश्रित व्यक्ति का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण होना आवश्यक है। वन्यजीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में, पीडित व्यक्ति / आश्रित द्वारा राज्य के चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र बनवाया जायेगा तथा उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक कार्यालय में दिया जायेगा जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव प्रतिपालक के अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने अथवा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ निश्चित रूप से सूचना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के 15 दिन के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। अनुग्रह राशि का अंतिम भुगतान करने से पूर्व मृतक होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित पीडितों अंतिम जांच रिपोर्ट में वन्यजीवों द्वारा सम्बन्धित

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		अथवा परिवार से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य(मेडिकल अनफिट), विकलांग अथवा मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को अकेले जंगल में छोड़ दिये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा।	**जाने की क्षति।** **(3)** जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, साँबर, चीतल तथा बंदरों **द्वारा फसलों की क्षति, तथा** **(4) जंगली हाथियों द्वारा मकान की क्षति।**	व्यक्ति के मारे जाने / अपंग करने / घायल करने की पुष्टि नहीं होती है, तो सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति / आश्रित को प्रदान की गई अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। **(2) वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर** – वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं / मवेशी के मारे जाने पर प्रथमतः इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़–छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी। मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप में देनी होगी। वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं / मवेशी के मारे जाने की पुष्टि प्रथमतः घटना क्षेत्र के ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित क्षेत्र के वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दिये जाने के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा अपने पास उपलब्ध निधि से घटना विशेष में आंकलित कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में मवेशी के स्वामी को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष धनराशि अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर देय होगी। वन्य जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने का प्रमाण पत्र संबधित रेंज अधिकारी द्वारा दिया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक / वन्य जीव प्रतिपालक की अन्तिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक को देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा सूचना विवरण के साथ सूचना

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। अंतिम जाँच रिपोर्ट घटना के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अन्तिम जाँच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। **(3) वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर** – घटना की सूचना दो दिन के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार / पटवारी व स्थानीय वन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आकलन कर जांच रिपोर्ट रेंज अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक / वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक / वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। **(4) जंगली हाथियों के आक्रमण से मकान क्षति होने पर–** घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि वन दरोगा अथवा उप वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जायेगा। क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक / वन्य

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
				जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जाँच करते हुये अन्तिम जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

नोट– वन विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर –**18008909715 इस नंबर पर प्रदेश के किसी भी स्थान पर मानव वन्यजीव की कोई दुर्घटना/आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की उपस्थिति से संबंधित सूचना/जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संलग्नक–1

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती हैः–

क्षति का प्रकार	कुल देय धनराशि(रू0 लाख में)	राज्य आपदा मोचन निधि(SDRF) का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	**4.00 लाख**	4.00 लाख	0.00
आंशिक रूप से अपंग	**1.00 लाख**	59,100	40,900
पूर्ण रूप से अपंग	**2.00 लाख**	2.00 लाख	.
साधारण रूप से घायल	**15.00 हजार**	4,300	10,700
गम्मीर रूप से घायल	**50.00हजार**	12,700	37,300

2. वन्यजीवों के आक्रमण से पशुक्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

पशु क्षति का प्रकार	देय धनराशि	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
दुधारू पशु–भैंस/गाय/ ऊँट/याक/मिथुन आदि (प्रति पशु)	30 हजार	30 हजार	.
कृषि व ढुलाई वाले पशु– ऊँट, घोड़ा,	40 हजार	25 हजार	15 हजार
खच्चर प्रति पशु	40 हजार	16 हजार	24 हजार
बैल (प्रति पशु)	25 हजार	25 हजार	.
बछिया/गधा/टट्टू (प्रति पशु)	16 हजार	16 हजार	.
भेड़/बकरी/सुअर (प्रति पशु)	3 हजार	3 हजार	.

3. वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

कृषि फसल का प्रकार		देय धनराशि (प्रति एकड़)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	25,000/	25,000/
धान/गेहूं/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	15,000/	15,000/
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	8,000/	8,000/

4. जंगली हाथियों द्वारा मकान क्षति होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है :–

मकान का प्रकार	(अ) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन	देय धनराशि(प्रति मकान रू0 में)	राज्य आपदा मोचन निधि का अंश (प्रति मकान रू. में)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का अंश (प्रति मकान रू0 में)
कच्चा मकान पक्का मकान (पूर्ण रूप से)	(i) पक्का भवन (ii) कच्चा भवन	95000/–	95000/–	.
कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	कच्चा मकान (आंशिक रूप से)	20,000/–	.–	20,000/–
पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति तथा पक्के मकान की आंषिक क्षति	(ब) आंशिक क्षतिग्रस्त भवन (i) पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिषत क्षति हो।	15,000/–	5,200/–	9,800/–
	(ii) कच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15 प्रतिषत क्षति हो।	3200/–	3,200/–	–
झोपड़ी, टट्र से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर	(स) क्षतिग्रस्त/नश्ट झोपड़ी	5,000/–	4,100/–	900/–

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आवास विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काशीपुर में 28.63 करोड़ की 24 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी आधारित नवनिर्मित 335 आवासों का लोकार्पण कर प्रतीकात्मक रूप से पांच लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की। दिनांक 22 जुलाई 2023

आवास विभाग

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक**	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है :– 1. **ऋण से जुडी सब्सिडी।** 2. **भागीदारी में किफायती आवास।** 3. **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार।** **उक्त बिंदु 2 ''भागीदारी में किफायती आवास घटक'' का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है –** उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास कर रहे निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को 30 वर्ग0मी0 तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे– विद्युत, पेयजल, आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुल 21 परियोजनाओं में 17304 ई0डब्ल्यू0 एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रू0 6.00 लाख निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई रू0 1.50 लाख, राज्य सरकार द्वारा रू0 1.00 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रू0 3.50 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है।	लाभार्थी की वार्षिक आय रू. तीन लाख से हो तथा भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास कर रहा हो (निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा) एवं भारत में कोई पक्का आवास न हो। पंजीकरण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in/ पर होना चाहिए। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निगम कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय अथवा परियोजना के विकासकों /प्राधिकरणों/परिषद् के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत वही लोग आंवटन हेतु पात्र होते हैं, जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनको Unique identification नम्बर निर्गत हो गया हो।	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन फार्म पर वांछित सूचना एवं रू0 5000.00 की बुकिंग धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/ परिषद् कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकासक के ऑफिस एवं बैंक तथा ब्लॉक कार्यालयों में फार्म जमा कराये जाते है। आवेदन के साथ लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, उत्तराखण्ड में निवास की तिथि से सम्बन्धित दस्तावेज तथा देश में कंही भी आवास न होने संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। प्राप्त आवेदनों की प्रथम दस्तावेजों की जांच सम्बन्धित प्राधिकरणों अथवा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के माध्मय से पूर्ण करते हुए परियोजना सम्बन्धित जिले के नगर निगम कार्यालय को स्थलीय सत्यापन/ जांच हेतु प्रेषित किये जाते है, जहां पर संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित प्राधिकरण/परिषद् को लॉटरी से आवंटन हेतु प्रेषित की जाती है। उक्त सूची पर लॉटरी किये जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है। वर्तमान में सी०एस०सी० सेन्टर भी आवेदन जमा किये जा सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 06 नवम्बर 2023 को स्मार्ट सिटी के निरीक्षण के दौरान ग्रीन बिल्डिंग

PROGRAMME ... NT

शहरी विकास विभाग

क्र.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0 एल0एम0)	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीबी रेखा से निवासरत शहरी बेरोजगारों को आजीविका संबंधी कार्यो को करने हेतु रू0 2.00 लाख का ऋण 7 प्रतिशत Interest Subsidy पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।	शहरी गरीब एवं बेरोजगार, जिनकी वार्षिक आय रू0 3.00 लाख से कम हो।	लाभार्थी को आवेदन हेतु आधार कार्ड, आय प्रमाण–पत्र और किस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जा रहा है विवरण सहित आवेदन नगर निकाय में करना होता है। आवेदन नगर निकायों के माध्यम से चयन टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थियों के साक्षात्कार के उपरातं आवेदन पत्रों को बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। बैंक से लोन प्राप्त करने से पूर्व लाभार्थी के पास अंशदान होने की बाध्यता नहीं है। बैंक से लोन प्राप्त करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
2.	पी0एम0 स्वनिधि	फेरी व्यवसायियों को अपने रोजगार बढ़ाने हेतु प्रथम चरण में रू0 10,000/– द्वितीय चरण में रू0 20,000 एवं तृतीय चरण में रू0 50,000/– का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण की ऋण अवधि एक वर्ष, द्वितीय चरण की ऋण अवधि एक से डेढ़ वर्ष एवं तृतीय चरण की ऋण की अवधि डेढ़ वर्ष है। उक्त ऋण ब्याजमुक्त है।	शहरी फेरी व्यवसायी	आवेदन हेतु ऑफलाईन प्रारूप उपलब्ध नहीं है। आवेदन सीधे नगर निकायों एवं सी0एस0सी0 के माध्यम से ऑनलाईन वेबसाईट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in किया जाता है। आधार कार्ड, बचत खाता एवं मोबाईल न0 तथा एल0ओ0आर0 एव वेण्डिंग सर्टिफिकेट, तहबजारी शुल्क रशीद। (यदि है तो) ऑनलाइन अपलोड करना पडता है। वैण्डर सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया – इस हेतु वैण्डर को निकाय में आवेदन करना होता है, निकाय द्वारा परीक्षणोपरान्त वैण्डर को वैण्डिंग लाईसेन्स जारी किया जाता है। वेंडर सर्टिफिकेट हेतु आवेदन का प्रारूप उत्तराखड फैरी नियमावली, 2016 में उल्लेखित हैं, इस हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :– लाभार्थी का आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाते की पास बुक तथा लाभार्थी का आधार लिंक मोबाईल नम्बर।
3.	प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (शहरी)	समस्त शहरी आवासहीन परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना।	• भारत वर्ष में अपने अथवा अपने परिवार के सदस्य के नाम पक्का आवास न होना। • लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय रू0 3.00 लाख अथवा उससे कम होना।	1. लाभार्थी नगर निकाय/सी०एस०सी० सेन्टर के माध्यम से योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेगा। 2. आवदेन हेतु लाभार्थी को अपना व परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, 10 रु० के स्टांप पर स्वघोषित आय तथा भारत वर्ष में आवास न होने का प्रमाण पत्र व 17 जून 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र में रहने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। 3. नगर निकाय लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का सत्यापन कर लाभार्थी की सूचना राज्य स्तर पर State level Nodal Agency (SLNA) को उपलब्ध करायेगा, जिसे राज्य स्तर पर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित State level Sanctioning and Monitoring committee (SLSMC) से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। 4. भारत सरकार से स्वीकृति उपरांत चयनित लाभार्थी की सूची योजना पोर्टल पर दर्ज कर दी जाती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण– शौचालय निर्माण)**	शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के उपरान्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 12000 प्रति शौचालय, प्रति लाभार्थी परिवार को दिया जाता है।	शौचालय विहीन गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों, लघु एवं सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, महिला प्रमुख परिवार।	व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम अथवा स्वयं ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से जनपद स्तरीय जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तदोपरान्त जनपदीय इकाई द्वारा पात्रता सम्बन्धी मानकों का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में बी0पी0एल0 परिवार द्वारा बी0पी0एल0, आई0डी0 के साथ राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आवेदन पत्र पर लाभार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो तथा ए0पी0एल0 परिवार द्वारा बी0पी0एल0आई0डी0 को छोड़ कर उपरोक्त समस्त अभिलेखों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग और महिला प्रमुख परिवार होने के प्रमाण का दस्तावेज तथा बैंक पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना होता है। ऑफ–लाईन आवेदन पत्र पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक है। तदोपरान्त जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर पर सत्यापन उपरान्त परियोजना प्रबन्धक द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑन–लाईन आवेदन भारत सरकार की वेबसाइट sbm.gov.in पर किया जा सकता है जिसमें आवेदनकर्ता का आधार संख्या एवं बैंक की पासबुक का पृष्ठ अपलोड किया जाना होता है।
2	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण– अपशिष्ट प्रबन्धन)**	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों यथा सार्वजनिक कूड़ादान, सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र, तथा सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलैक्सों का निर्माण ग्राम पंचायत मे आवश्यकतानुसार प्रवासी एवं अस्थायी जनसंख्या के लिए अभिसरण के माध्यम से बनाये जाते है, जिसकी लागत रू0 3.00 लाख है। (70% स्वच्छ भारत मिशन तथा 30% 15वें वित्त आयोग), ग्राम पंचायतों को देती है।	ग्राम पंचायत द्वारा जनपदीय इकाई को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ साधारण आवेदन पत्र के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु कोई निश्चित प्रारूप नहीं है।	सम्बन्धित कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव जनपदीय इकाई को प्राप्त होता है जो कि इकाई स्तर से भारत सरकार के मानकों का परीक्षण करने के उपरान्त स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों यथा सार्वजनिक कूड़ादान, सोकपिट, कम्पोस्ट पिट, कूड़ा संग्रहण केन्द्र, हेतु प्रत्येक गांव की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति की दर से मानक निम्नानुसार निर्धारित है :– 1. **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु:–** 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में– 60 रू0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में– 45 रू0 प्रति व्यक्ति। 2. **तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु:–** 5000 तक की आबादी वाले ग्राम में – 280 रू0 प्रति व्यक्ति एवं 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम में – 660 रू0 प्रति व्यक्ति। उपरोक्त गतिविधियों हेतु न्यूनतम रू0 एक लाख प्रति ग्राम। 3. **अभिसरण (70: स्वच्छ भारत मिशन तथा 30: 15वां वित्त आयोग)।** 4. **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–रू0 16 लाख प्रति विकासखण्ड।** 5. **बायोगैस संयंत्र– रू0 50 लाख (प्रति जनपद में 01 मॉडल इकाई हेतु)** बायोगैस संयंत्र के बजट का भुगतान कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित ग्राम पंचायत को दिया जाता हैं। वर्तमान मे एक जनपद में एक सामुदायिक या कलस्टर बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराया जाना है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

ENT

PROGRAMME I

पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था**	ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से निजी घरेलू सयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निजी जल संयोजन में संयोजन शुल्क रूपये 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रूपये 25.00 जमा कराकर घरेलू जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासारत परिवार ऑनलाईन विभागीय वैबसाईट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट पहचान पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (मानचित्र भवन निर्माण हेतु आवेदित संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं है।), रू0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर, जहां पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व/अध्यासी हेतु विक्रय पत्र, लीज पत्र, स्वामित्व प्रमाण–पत्र (फर्द), जमीन का पट्टा, वोटर आई0डी0 कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण–पत्र, किरायेदार अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक, ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व/अध्यासी प्रमाण–पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी, विभागीय रजिस्टर्ड पलम्बर, जिसके माध्यम से आवेदन द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु जाति/अनु0 जनजाति/ निराश्रित/ भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवायें/विभाग का कार्मिक है, तो उसका प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जॉच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
2.	**राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी. एल./निर्धन परिवारों को रू0**	धनराशि रू० 100 में जल संयोजन दिया जाता है।	राज्य के ऐसे निर्धन परिवार, जिनके पास 100 वर्गमीटर से अनधिक माप तक ही भूखण्ड उपलब्ध है	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी. एल./निर्धन परिवारों को ऑनलाईन विभागीय वैबसाईट www.ujs.uk.gov.in के माध्यम से तथा ऑफलाईन सीधे निकटवर्ती विभागीय कलैक्शन सेंटर से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	100 में जल संयोजन		तथा उनके द्वारा इसी माप के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है,कराया जाना है, करा रहे हो, को ही धनराशि रू० 100 में जल संयोजन दिया जायेगा।	लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को एम0एम0एस0 से प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदन स्वीकृत होता है तो आवेदक द्वारा संयोजन शुल्क दिया जायेगा। सयोजन शुल्क ऑनलाईन www.ujs.uk.gov.in पर Online Service पर क्लिक कर New Connection payment लिंक पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश कार्ड से दिया जा सकता है अथवा सीधे कलैक्शन सेंटर पर भी जमा किया जा सकता है। आवेदक को रू0 25 आवेदन शुल्क, रू0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 100 का घरेलू जल संयोजन शुल्क जमा किये जाते हैं एवं आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा आवास संबंधी कागजातों की भी आवश्यकता होती है। यदि 15 एम0एसएम0 एवं 20 एम0एम0 पेयजल या किसी भी साईज का व्यक्तिगत सीवर आवेदन है तो 15 दिवस के अंतर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 25 एम0एम0 से 40 एम0एम0 पेयजल का आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम0 एम0 पेयजल या कॉलोनी/इंस्टिट्यूशन का सीवर आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। यदि 50 एम0एम0 या इससे अधिक का पेयजल आवेदन है तो 30 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा तकनीकी रूप से दृष्टिगत् करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्थलीय निरीक्षण सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति का पानी का कनेक्शन शुरू हो जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड

दिनांक 22 अगस्त 23 को पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक ।

सुदूर क्षेत्र विकास खण्ड देवाल के घेस ग्राम पंचायत में बीडीसी की बैठक का आयोजन

पंचायती राज विभाग

क्र.	प्रमाण पत्र/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया/संस्तुति प्रक्रिया
1	**जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र**	जन्मतिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आधार कार्ड बनाने में उम्र को प्रमाणित करने, स्कूल में एडमिशन के दौरान, छात्रवृत्ति के दौरान, परिवार रजिस्टर में नाम चढाने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्में समस्त व्यक्ति, जिनका जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु बच्चे के माता–पिता/अभिभावक/आवेदक को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **बच्चे का जन्म होने पर, जन्म होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर,** जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में बच्चे का नाम तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, ए0एन0एम0/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मोहर के साथ), माता–पिता का आधार कार्ड, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बच्चे का जन्म होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम पत्र एवं नोटरीकृत शपथ पत्र तहसीलदार के नाम लिखना होगा तथा जन्म की सूचना का प्रपत्र, स्वप्रमाणित आधार कार्ड, माता–पिता का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **बच्चे के जन्म होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण–पत्र न बनाने की स्थिति में** 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी के नाम लिखना होगा तथा नोटरीकृत शपथ पत्र (एस0डी0एम0 के नाम) लिखना होगा तथा ए0एन0एम0/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मोहर के साथ), माता–पिता का स्वप्रमाणित आधार कार्ड, पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोर्टल की आईडी में स्वतः ही प्रमाण पत्र आ जाता है तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
2	**मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र**	किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि को प्रमाणित करने का मूल	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में	मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु मृतक के माता–पिता/अभिभावक/आश्रित को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	प्रमाण पत्र / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया / संस्तुति प्रक्रिया
		प्रमाण पत्र है। इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमीनी दस्तावेजों में नाम हटाने एवं अन्य पैतृक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।	मृत हुए समस्त व्यक्तियों के आश्रित, जिनके परिवार के सदस्यों का मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र, न बना हो, इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र होंगे।	ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि से 30 दिन के भीतर आवेदन करने पर**, जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम पर मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में श्मशान रसीद / लकड़ी खरीद की मूल रसीद, आवेदक का आधार कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान / सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण, आवेदन के दौरान अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने के 30 दिन के बाद और 01 वर्ष के भीतर, आवेदन करने पर**, आवेदन पत्र (तहसीलदार के नाम) लिखना होगा तथा श्मशान / कब्रिस्तान की लकड़ी की खरीद आदि की मूल रसीद, आवेदक का पहचान पत्र, पते से सम्बन्धित साक्ष्य, मृतक का आधार कार्ड, प्रधान / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 07 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। **मृतक व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 01 वर्ष तक भी प्रमाण पत्र न बनाने की स्थिति में 01 वर्ष के उपरान्त, कभी भी आवेदन करने पर,** आवेदन पत्र (उप–जिला मजिस्ट्रेट के नाम), शपथ पत्र (उप–जिला मजिस्ट्रेट के नाम) नोटरीकृत, स्वप्रमाणित आधार कार्ड (आवेदक), मृतक (आधार कार्ड / वोटर कार्ड, / खतौनी / परिवार रजिस्टर कॉपी), पते से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत संबंधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा जांच करने के उपरांत एवं जांच में सही पाये जाने पर 15 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदक की अपणिसरकार पोर्टल की आईडी में स्वतः ही आ जाते हैं तथा जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर से आवेदन किया हो, वह संबंधित सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
3	**परिवार रजिस्टर**	परिवार रजिस्टर, परिवार की परिभाषा को प्रमाणित करने का मूल अभिलेख है, जिसका उपयोग आय प्रमाण पत्र, विभिन्न पेंशन योजनाओं, स्थायी	उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में निवास कर रहे, स्थायी निवासी, परिवार रजिस्टर में	परिवार रजिस्टर में नाम जोडने, पृथककरण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। **परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करने पर** प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा तथा आवेदन करने के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी प्रूफ (आधार / वोटर कार्ड) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	प्रमाण पत्र / सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया / संस्तुति प्रक्रिया
		निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।	नाम जोडने, पृथककरण करने, संशोधित करने एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।	भीतर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार पृथककरण हेतु** प्रार्थना पत्र संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, नोटरीकृत शपथ पत्र–जिसमें परिवार पृथककरण का उल्लेख हो, भूमि रजिस्ट्री की प्रति (15 वर्ष से लगातार निवास की पुष्टि), नवीनतम बिजली / पानी का बिल, आईडी प्रूफ, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार पृथककरण संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है। **परिवार संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र** संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम लिखना होगा। आवेदन के दौरान प्रार्थना पत्र, आईडी प्रूफ, ग्राम प्रधान द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर परिवार संशोधन संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
4	निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण पूर्ण अनुमति आवश्यक है।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, ऐसे परिवार जो अपना मकान बनाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रजिस्ट्री कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र, आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।
5	शौचालय प्रमाण–पत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में किसी परिवार का शौचालय होने को प्रमाणित करता है, जिससे वह स्वजल एवं अन्य योजनाओं में शौचालय निर्माण में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके।	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत, ऐसे परिवार जो अपना शौचालय निर्माण करवाना चाहते हों।	पात्र व्यक्ति को अपणिसरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov. in/ के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ घर के कागज, आवेदक के घर में शौचालय नहीं होने पर ग्राम प्रधान द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पानी के कनेक्शन का कागज या नवीनतम बिल, आवेदक का फोटो (शौचालय के निकट) संलग्न करना होगा। आवेदन के उपरांत 03 दिन के भीतर प्रमाण पत्र संबंधित आवेदक की आईडी में प्रेषित की जाती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। दिनांक 15 जुलाई 2023

राजस्व विभाग

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
1.	**स्थाई निवास प्रमाण पत्र**	उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने को प्रमाणित करता है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिभाग करने एवं आरक्षण / प्रतिभाग का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य / सेना में भर्ती आदि हेतु।	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी परिवार, जिनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने से पूर्व 15 साल निवास सम्बन्धित जमीनी दस्तावेज हो, पात्र होंगे।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https:// eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर / ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर, चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज मांगे जाते हैं :– **अनिवार्य दस्तावेज**– भूमि की रजिस्ट्री / खतौनी / स्वयं या परिवार की (निवास से सम्बन्धित दस्तावेज जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती हो), आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर (नगर निकाय क्षेत्र के आवेदकों जहॉ पर परिवार रजिस्टर नहीं होता है, हेतु आवश्यक नहीं) **वैकल्पिक दस्तावेज**–हाऊस टैक्स एवं बिजली बिल या पानी बिल और ईमेल आईडी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन, आवेदन किया जाता है उसके उपरांत सीधे ऑनलाईन उप जिलाधिकारी / तहसीलदार के पास जाता है वहां से राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन / डिजीटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
2.	**उत्तरजीवी / पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र**	संबंधित सदस्य, मृतक का उत्तरजीवी / आश्रित है, इसको प्रमाणित करने हेतु, इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग जमीन संबंधी	उत्तराखण्ड के ऐसे स्थाई निवासी, जो मृतक के आश्रित हों।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ''स्थायी निवास प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का एवं समस्त परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, आवेदक का मोबाईल नंबर, मृतक आश्रित होने संबंधी शपथ पत्र, मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड एवं वोटर आईडी। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन / डिजिटली उत्तरजीवी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		प्रकरणों, पेंशन योजनाओं आदि में होता है।		
3.	**पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र**	रोजगार / विभिन्न राजकीय सेवाओं / सेना में भर्ती आदि हेतु	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ''स्थायी निवास प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– **अनिवार्य दस्तावेज**–पहाड़ी क्षेत्र की सूची (ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित), निवास से संबंधित दस्तावेज (जिससे पर्वतीय क्षेत्र में निवास होने की पुष्टि होती हो) / स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधित दस्तावेज। **वैकल्पिक दस्तावेज** –बिजली बिल या पानी बिल, राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर (पारिवारिक संबंधों के मिलान हेतु) आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
4.	**चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु)**	ठेकेदारी व्यवसाय एवं होमस्टे खोलने / नौकरी / अन्य व्यवसाय हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ''स्थायी निवास प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आवेदन के उपरान्त 10 दिन के भीतर चरित्र प्रमाण–पत्र (ठेकेदारी / सामान्य हेतु) जारी किया जाता है।
5.	**हैसियत प्रमाण पत्र**	ठेकेदारी व्यवसाय व व्यवसायिक लाईसेंस हेतु (आवेदन के आधार पर)	उत्तराखण्ड राज्य में भूमि / अचल सम्पत्ति के आधार पर	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 ''स्थायी निवास प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :–भूमि रजिस्ट्री / खतौनी (नवीनतम), नगर निगम / PWD का मूल्यांकन, पहचान पत्र / आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर, निवास का प्रमाण यथा बिजली बिल / हाउस टैक्स रसीद / पानी बिल / वोटर आईडी आदि। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
6.	**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र**	विभिन्न शासकीय सेवाओं में आरक्षण एवं व्यावसायिक गतिविधियों में आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक है।	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता सग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया उपरोक्त क्रमांक–1 ''स्थायी निवास प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पट्टा, आवेदक का आधार कार्ड तथा पहचान पत्र, निवास का प्रमाण, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
7.	**स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी का उत्तरा धिकारी**	उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रथम	राज्य की सीमा में स्थायी रूप से निवास करने वाले स्वतन्त्रता	राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन समुचित साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने पर परिचय पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र पर ऑफलाइन जारी किये जाते हैं। यह परिचय पत्र

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
	होने, संबंधी परिचय पत्र	पीढी की पुत्रवधू को कुटुम्ब पेंशन दिये जाने हेतु व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित तथा अविवाहित) और पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पोत्री (पुत्र की पुत्री) को स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र।	संग्राम सैनानियों के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित सेनानी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण पत्र देना होता है।	जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते हैं। सत्यापन के संबंध में 2 पेंशन प्राप्त, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र को आधार मानकर परिचय पत्र जारी किया जाता है।
8.	**आय प्रमाण पत्र** **(आय प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।)**	समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, स्वरोजगारपरक योजनाओं, शैक्षणिक संस्थाओं / विद्यालयों में फीस में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल <u>https://eservices.uk.gov.in/</u> पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर / ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लागइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आय प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं :– **अनिवार्य दस्तावेज**–स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्रों में आवश्यक नहीं), निजी / पारिवारिक सदस्यों के विवरण / आय आदि के संबंध में स्व–घोषणा पत्र (जिसका प्रारूप अपणिसरकार पोर्टल से डाउनलोड कर या किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील स्तर से प्राप्त कर सकते हैं) **वैकल्पिक दस्तावेज**–वेतन पर्ची (सेवायोजित होने की दशा में), ई–श्रमिक कार्ड / मनरेगा कार्ड (असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर 100 दिन की वार्षिक मजदूरी <u>आगणित</u> की जायेगी अर्थात किसी असंगठित क्षेत्र के

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया गया जिनकी मजदूरी का निर्धारण मनरेगा दरों यथा वर्तमान में प्रतिदिवस रू0 182 हो तो उसकी वार्षिक आय 100X182.00=18200 आगणित की जायेगी), कृषि संबंधी आय प्रमाण (कृषक होने की दशा में उसके पास उपलब्ध कृषि भूमि (है0में) X प्रति है0 औसत उत्पादन–औसत लागत =वास्तविक आय के आधार पर आय का आगणन किया जायेगा इसके अतिरिक्ति यदि सेवायोजित है तो वहां से प्राप्त वार्षिक आय को सम्मिलित करते हुए आय का आगणन किया जायेगा। **पेंशन लेने वाला व्यक्ति** (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा वृद्धा, विधवा, विकलांग एवं अन्य प्रकार के पेंशन से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर आगणन किया जायेगा तथा परित्यक्ता की दशा में उसको प्राप्त होने वाले भरण–पोषण भत्ता के आधार पर एवं ऐसा न होने पर उसकी आय का आगणन अकुशल मजदूर की आय के अनुसार किया जायेगा।), निजी व्यवसाय (व्यवसाय होने की दशा में व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी आईटीआर, डाक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड एकाउंटेंट, मध्यम एवं बडे व्यवसाय न होने की दशा में यदि आयकरदाता नहीं है तो, ऐसी स्थिति में स्वघोषणा प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय के आधार पर सक्षम स्तर से कुल वार्षिक आय का आगणन किया जाता है। आवेदनकर्ता द्वारा अन्य स्त्रोतों की आय भी स्वघोषणा पत्र में उल्लिखित करनी होगी। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र सीधे ऑनलाईन तहसीलदार के पास जाता है जो सीधे राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन/डिजीटली प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है। आय प्रमाण पत्र में अंकित आय से असंतुष्ठ होने पर आवेदक प्रथम अपील उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
9.	**1 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र** **2. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र**	विभिन्न राजकीय सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं छात्रवृत्ति की योजनाओं में आरक्षण	उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अधिसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ''आय प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– परिवार के सदस्यों/आवेदक की भूमि रजिस्ट्री/खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत/निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र जहॉ पर परिवार रजिस्ट्रर नहीं होता है,के आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं) वैकल्पिक दस्तावेज –बिजली

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
	3. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु। **(अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है।)**	का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणित करने हेतु अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड राज्य में ओ.बी.सी. के रूप में अधिसूचित जाति / वर्ग के व्यक्ति। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत / निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	बिल या पानी बिल, हाउस टैक्स, राशन कार्ड । आवेदन के उपरान्त 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजिटली संबंधित जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।
	4. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु **(यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है।)**	भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु	भारत सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूची में ओ.बी.सी. के रूप में अधिसूचित जाति / वर्ग के व्यक्ति। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत / निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया "आय प्रमाण पत्र" के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :–परिवार के सदस्यों / आवेदक की भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत / निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र जहॉ पर परिवार रजिस्ट्रर नहीं होता है,के आवेदकों हेतु आवश्यक नहीं), आय का शपथ–पत्र। वैकल्पिक दस्तावेज–बिजली बिल या पानी बिल, हाउस टैक्स, राशन कार्ड। आवेदन के उपरान्त 15 दिन के अंदर संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजिटली अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी किया जाता है।
10.	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र (EWS)** **(यह प्रमाण पत्र जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए वैध होता है।)** **वित्तीय वर्ष– दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होता**	राज्य के सामान्य जाति के नागरिकों को राजकीय सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु, संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य है।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जोकि सामान्य जाति / सामान्य जाति प्रमाण पत्र धारक हों। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से कम हो, आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो में चिन्हित हैं। परिवार की आय में सभी स्त्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https:// eservices.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर / ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरांत संबंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है। जिसमें लागइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र पर चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– आवेदक का आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सामान्य जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पहचान पत्र, आयकर रिर्टन / आय प्रमाण पत्र, खाता खतौनी की प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल(नगर निकाय क्षेत्रों को छोडकर), स्वघोषणा पत्र। जैसे ही आवेदक द्वारा ऑनलाइन किया जाता है उसके उपरांत सीधे ऑनलाईन तहसीलदार के पास जाता है, वहां से राजस्व उप निरीक्षक को जांच कराये जाने हेतु भेजा जाता है तथा राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता को आवास, आदि की जांच हेतु भेजते

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
	है।		प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी : परंतु यह कि जिनके पास निम्न सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे – कृषि भूमि 5 एकड या उससे अधिक, आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, निर्मित क्षेत्रफल, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड वाले पात्र नहीं होंगे।	हैं, पटवारी एवं कनिष्ठ अभियंता की जांच सही पाये जाने के उपरान्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत संबंधित तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजीटली प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन / डिजीटली प्रमाण पत्र, निर्गत किया जाता है। जिसका मैसेज मोबाइल फोन में या ईमेल में आ जाता है।
11.	**सामान्य जाति प्रमाण पत्र**	सेना में भर्ती आदि हेतु एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनाने हेतु।	उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी जो कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हों। उत्तराखण्ड में, 1985 से निवासरत / निवास कर रहे हों, ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे।	समस्त आवेदन एवं चयन प्रक्रिया ''आय प्रमाण पत्र'' के अनुसार होगी परंतु निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं :– परिवार के सदस्यों / आवेदक की भूमि रजिस्ट्री / खतौनी की प्रति (1985 से निवासरत / निवास कर रहे से संबंधित दस्तावेज), आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल (नगर निकाय क्षेत्र हेतु आवश्यक नहीं), राशन कार्ड। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन / डिजीटली सामान्य जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
12.	**विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में।)**	जमीनी दस्तावेजों में, पारिवारिक हक के लिए विरासत दर्ज कराना।	उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो। मृतक व्यक्ति का आश्रित / परिवार का सदस्य हो।	आवेदक द्वारा विरासतन दर्ज करने का प्रार्थना पत्र संबंधित क्षेत्र के पटवारी / कानूनगो को मृत्यु प्रमाण–पत्र, मृतक का एवं परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल के साथ देना होता है। उसके उपरांत संबंधित पटवारी प्रपत्र प / क – 11 भरकर जांच की रिपोर्ट लगाकर कानूनगो द्वारा स्वीकृत करने के बाद 7 दिन के अंदर खतौनी में विरासत दर्ज करना होता है।
13.	**दाखिल खारिज (क्रय–विक्रय)**	जमीन खरीदने के उपरांत दाखिल खारिज करना अनिवार्य होता है, जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार जमीन पर अपना हक स्थापित करवाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जो राज्य के भीतर जमीन क्रय–विक्रय करते हों यथा खरीदना, बेचना, गिफ्ट देना, दान देना आदि। करते हो, वह दाखिल खारिज कर सकते हैं।	वर्तमान में भूमि क्रय–विक्रय के उपरांत रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही, आर.सी.एम.एस. पोर्टल https://rcms.uk.gov.in/ के माध्यम से की जा रही है तथापि आवेदक द्वारा आफलाइन दाखिल खारिज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम पर दिया जाता है। उसके साथ रजिस्ट्री की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। उसके बाद तहसीलदार द्वारा 35 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आपत्ति आमंत्रित की जाती है और फिर सुनवाई की जाती है। आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का निस्तारण किया जाता है, किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में दाखिल खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज दर्ज के उपरान्त भूलेख पोर्टल में नाम देख सकते हैं।
14.	**खाता खतौनी में संशोधन**	खाता खतौनी में नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, या अन्य विवरण त्रुटिवश गलत होने पर सही किया जाना अनिवार्य होता है, ताकि जमीन संबंधित अधिकारों में आपत्ति न हो।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो तथा खसरा खतौनी में उनका नाम दाखिल हो, परंतु नाम या अन्य विवरण में कोई त्रुटि हो।	आवेदक द्वारा खाता खतौनी में कोई भी त्रुटि होने पर (यथा नाम, विवरण आदि में) प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम दिया जाता है। उसके साथ खाता खतौनी की कॉपी, जिसमें संशोधन करना है, आधार कार्ड की कॉपी एवं जो विवरण त्रुटिवश गलत हुआ है उसका अभिलेखीय साक्ष्य / प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। अभिलेखीय साक्ष्य / प्रमाण पत्र जमा करने के उपरांत संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाती है। जांच सही पाये जाने पर असिस्टेंट कलेक्टर / परगनाधिकारी द्वारा संशोधन किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम, 1901 की धारा –39 के अंतर्गत वार्षिक रजिस्टर में किसी भूल या लोप के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देने या संज्ञान होने पर, तहसीलदार जांचोपरांत आवश्यक प्रतीत हो और तब मामले को असिस्टेंट कलेक्टर के पास निर्दिष्टि कर देगा, जो धारा – 40 के उपबंधों के अनुसार विवाद का निर्णय करके, उसका निस्तारण करते हैं।
15.	**जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) करने की प्रक्रिया / खेत**	संबंधित व्यक्ति की वास्तविक जमीन कहां पर है, स्पष्ट हो जाती है।	जमीन का डिमार्केशन करने के लिए राज्य क्षेत्र के भीतर जमीन होनी अनिवार्य है।	आवेदक द्वारा सीमांकन करने का प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी / तहसीलदार को देना पडता है प्रार्थना–पत्र के साथ जिस जमीन का सीमांकन कर रहे हों, उसका खसरा नकल, सजरा नकल एवं खाता खतौनी संलग्न करनी होती है। उसके बाद

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
	की पैमाईश, नापजोख हेतु।	पर्वतीय क्षेत्रों में गोल खाता अधिक होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है। साथ ही जमीन क्षेत्र को सरकार द्वारा लेने की स्थिति में मुआवजा मिलना आसान होता है, किसान क्रेडिट कार्ड या जमीन लोन लेने में आसानी होती है तथा कई जमीनी विवादों से बचा जाता है।	सीमांकन करने के लिए निर्धारित शुल्क आवेदक अथवा विवाद के पक्षकारों से जैसा भी न्यायालय निश्चित करे, (सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य में लगाये गये समय के अनुसार उ0प्र0 राजस्व अधिनियम की धारा –41 में निर्धारित दरों / प्राविधानों के अनुसार) शुल्क जमा करना अनिवार्य है।	उपजिलाधिकारी द्वारा जमीन के सीमांकन करने हेतु संबंधित क्षेत्र के पटवारी / कानूनगो / तहसीलदार की टीम गठित कर आदेश दिया जाता है। आदेश जारी करने के उपरांत संबंधित आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। शुल्क जमा करने के बाद टीम द्वारा जमीन के सीमांकन की तिथि निर्धारित की जाती है तथा उस तिथि को संबंधित आवेदक भी उपस्थित होना अनिवार्य है। उस तिथि में टीम के सभी सदस्य एवं आवेदक जमीन के समस्त दस्तावेजों के साथ जमीन का सीमांकन करवाते हैं। सीमांकन की जांच होने के पश्चात सीमांकन का प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से जारी किया जाता है, जिसे आवेदक एक माह के भीतर प्राप्त कर सकता है।
16.	**खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रकिया**	इसका उपयोग कई प्रमाण पत्रों को बनाने, कई योजनाओं का लाभ लेने तथा उत्तराखण्ड का निवासी होने, को प्रमाणित करने हेतु किया जाता है।	ऐसे समस्त व्यक्ति जिनकी जमीन उत्तराखण्ड में हो तथा खसरा खतौनी में उनका नाम दाखिल हो।	खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबधित क्षेत्र के तहसील जाना पडता है तथा सामान्य प्रार्थना पत्र एवं निर्धारित शुल्क देकर उक्त नकल प्राप्त की जाती है।
17.	**नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू–मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना।**	जमीन का प्रमाण, प्राप्त करना।	जमीन आवेदक / परिवार के सदस्यों के नाम होनी आवश्यक है।	आवेदक द्वारा संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी / तहसीलदार को प्रार्थना पत्र लिखकर एवं उसमें जिस खसरा / सजरा की आवश्यकता हो, उसका विवरण उल्लेख कर तथा आधार कार्ड की प्रति लगाकर, निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जाता है। रिकार्ड अत्यधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित जनपद / क्षेत्र के रिकार्ड कार्यालय, जो जिलाधिकारी कार्यालय में स्थित होते हैं, के प्रभारी अधिकारी (अभिलेखागार) के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखकर एवं निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जाता है।
18.	**दैवीय आपदा आर्थिक सहायता**	दैवीय आपदा में कोई भी नुकसान होने पर रू0 10 हजार तक तहसीलदार, रू0 50	राज्य का आपदा पीडित व्यक्ति / परिवार।	आपदा आने की स्थिति में राजस्व प्रशासन प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लिये जाने पर अथवा पीड़ित व्यक्ति / आपदा प्रभावित क्षेत्र के व्यक्ति / जनप्रतिनिधित्व द्वारा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों यथा पटवारी / कानूनगो / तहसीलदार, आपदा विभाग के अधिकारियों यथा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	प्रमाणपत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		हजार तक उपजिलाधिकारी एवं रू0 50 हजार से अधिक जिलाधिकारी द्वारा भुगतान किया जाता है।		जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सूचित करेंगे। उसके उपरांत उपजिलाधिकारी / तहसीलदार के द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थलीय जांच कराये जाने के उपरांत क्षति का आंकलन कर, संबंधित आपदा पीडित व्यक्ति / परिवार को नियमानुसार अनुमन्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की जाती है। पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों के चिन्हीकरण के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी के स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि एवं 01 अवर अभियंता को नामित किया जायेगा। समिति द्वारा जो भी भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये जायेंगे ऐसे सभी भवनों की अनुमन्य राहत राशि नियमानुसार स्वीकृति उपरांत संबंधित व्यक्ति / परिवार को अनुमन्य की जायेगी। तहसीलदार स्तर से दैवीय आपदा आर्थिक सहायता रू0 10 हजार के अंतर्गत होने की दशा में प्रस्ताव तहसीलदार स्तर पर स्वीकृत, 10 हजार से अधिक किंतु 50 हजार के अंतर्गत होने से उपजिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत व रू0 50 हजार से अधिक होने पर, जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वर्तमान में दैवीय आपदा आर्थिक सहायता वितरण की प्रक्रिया ऑफलाइन है। यद्यपि कार्यालय स्तर पर स्वीकृत की कार्यवाही हेतु यह प्रक्रिया अपणिसरकार पेार्टल के माध्यम से ऑनलाइन की गयी है। जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृति प्रदान होने पर धनराशि उपजिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार को एवं तहसीलदार संबंधित पटवारी को भेजते हैं तथा राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) संबंधित क्षेत्र के आपदा पीडित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवाता है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी / लेखपाल) के माध्यम से दैवीय आपदा पीडित व्यक्ति / परिवार को उक्त धनराशि मुहैया करवायी जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।

परिवहन विभाग

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पत्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वाहनों का पंजीयन कार्य</td><td>वाहन के पंजीयन के उपरान्त सार्वजनिक स्थान पर वाहन का संचालन किया जा सकता है।</td><td>भारत के समस्त नागरिक</td><td>

1. **आवेदन**–वाहन विक्रय करने वाले अधिकृत डीलरशिप द्वारा वाहन स्वामी के निवास या कारोबार के स्थान से संबंधित संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय में किया जाता है।

2. **आवेदन का माध्यम**– वाहन पंजीयन हेतु फार्म–20 में ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice में डीलर प्वाईट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन किया जाता है।

3. **आवश्यक प्रपत्र/प्रक्रिया** पंजीयन हेतु आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र आवश्यक हैं :–

1. विक्रय पत्र प्रारूप–21 में।
2. वैध बीमा प्रमाण पत्र।
3. निवास का प्रमाण (आधार/निर्वाचक पहचान पत्र/बीमा प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/पे–स्लिप)।
4. अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
5. प्रारूप–22 में विनिर्माता द्वारा जारी सड़क उपयुक्तता प्रमाण पत्र।
6. निर्धारित फीस एवं मोटरयान कर।

आवेदनों की स्क्रूटनी संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में की जाती है एवं समस्त प्रविष्टियां उपयुक्त पाए जाने पर वाहन का पंजीयन अनुमोदन किया जाता है। पंजीयन उपरान्त पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित डीलरशिप को उपलब्ध कराया जाता है, जहां से वाहन स्वामी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

4. **फीस–(नियम 81 के अंतर्गत)**

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>पंजीयन शुल्क (रू0 में)</th><th>नवीनीकरण शुल्क (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मोटर साईकिल</td><td>300</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>थ्री–व्हीलर</td><td>600</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हल्का मोटर यान</td><td>1000</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मध्यम माल/ यात्री वाहन</td><td>1000</td><td>6000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>भारी माल/यात्री वाहन</td><td>1500</td><td>6000</td></tr>
</table>

नोटः– पंजीयन के समय पंजीयन फीस के अतिरिक्त वाहन की श्रेणी हेतु निर्धारित मोटरयान कर भी देय होगा।

5. **वैधता**–निजी वाहनों हेतु–पंजीयन तिथि से 15 वर्ष
व्यवसायिक वाहनों हेतु–फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता तक।

6. **नवीनीकरण**–नवीनीकरण हेतु ओवदन फार्म 25 में ऑनलाईन मोड के माध्यम से
</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
				ऑनलाईन पोर्टल https://vahan. parivahan.gov.in/ vahanservice में वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2	**चालक / परिचालक लाइसेंस**	चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से चालक वाहन का चालन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक **व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति** प्राप्त कर, अनुमन्य श्रेणी के वाहन की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर, रोजगार प्राप्त कर सकता है।	भारत के समस्त नागरिक	1. **आवेदन–** शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति / चालन अनुज्ञप्ति / व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति / नवीनीकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov .in/vahanservice के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। 2. **पात्रता आयु–** शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु–16 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति हेतु– 18 वर्ष व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति हेतु–20 वर्ष 3. **आवश्यक प्रपत्र–** **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप 2 में आवेदन। 2. प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. परिवहन यान हेतु आवेदन की दशा में आवेदक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति 5. निवास का प्रमाण (आधार / निर्वाचक पहचान पत्र / बीमा प्रमाण पत्र / पासपोट / पे–स्लिप)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। **स्थायी अनुज्ञप्ति हेतु :–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन। 2. शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की प्रति। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–03 4. प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. निवास का प्रमाण (आधार / निर्वाचक पहचान पत्र / बीमा प्रमाण पत्र / पासपोट / पे–स्लिप)। 6. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 7. निर्धारित फीस। 8. व्यवसायिक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की दशा में फार्म 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहॉ से आवेदक ने अनुदेष / प्रशिक्षण प्राप्त किया है। **चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए:–** 1. प्रारूप–2 में आवेदन

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
				2. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो 3. चालन अनुज्ञप्ति 4. व्यवसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण और आवेदक के 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में प्रारूप–1 क में चिकित्सा प्रमाण पत्र। 5. भारी माल / यात्री वाहन के नवीनीकरण की दशा में फार्म 5 क पर मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण स्कूल से जारी प्रमाणपत्र, जहॉ से आवेदक ने अनुदेष / प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 6. निवास का प्रमाण (आधार / निर्वाचक पहचान पत्र / बीमा प्रमाण पत्र / पासपोट / पे–स्लिप)। 7. आयु का प्रमाण (स्कूल का प्रमाणपत्र / जन्म प्रमाणपत्र / सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र)। 8. निर्धारित फीस। 4. <u>वैधता</u>– <u>चालन अनुज्ञप्ति का प्रकार</u> <u>वैधता</u> **1.शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति** जारी होने की तिथि से 06 माह **2.चालक अनुज्ञप्ति** 1. व्यवसायिक वाहन की दशा में –जारी / नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष 2. खतरनाक एवं परिसंकटमय माल के परिवहन हेतु व्यवसायिक वाहन की दशा में – 03 वर्ष **3.अन्य चालन अनुज्ञप्ति** i यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाले व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि को 30 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति व्यक्ति की आयु 40 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। ii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि / नवीनीकरण को 50 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 10 वर्ष तक वैध रहेगी। iii यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, परन्तु अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि / नवीनीकरण को 55 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से धारक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक वैध रहेगी। iv यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त (मूल या नवीनीकरण के माध्यम से) करने वाला व्यक्ति ने 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, तो चालन अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगी

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पत्रता/लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
4. <u>फीस</u>–(नियम 32 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>अनुज्ञप्ति का प्रकार</th><th>शुल्क (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा/पुनर्परीक्षा</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चालन <u>परीक्षण/पुनर्परीक्षण</u> (प्रत्येक श्रेणी के लिए)</td><td>300.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>चालन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु शुल्क</td><td>200.00</td></tr>
</table>
ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित परीक्षा के लिए पृथक से उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से स्लॉट बुक किया जाना आवश्यक है। निर्धारित स्लाट के अनुसार निर्धारित समय एवं दिवस को कार्यालय में उपस्थिति होकर शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति/चालन अनुज्ञप्ति हेतु परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवष्यक है।
शिक्षार्थी अनुज्ञपित हेतु परीक्षा ऑनलाईन होती है, जिसमें 15 प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय पद्धति के अनुसार निर्धारित समय मे देने होते हैं। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 15 में से 9 प्रश्नों के सही उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हेतु उपरोक्तानुसार ाािनर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आवेदक स्वयं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ऑनलाईन प्रिंट कर सकते हैं। चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित चालन दक्षता परीक्षण कार्यालय अथवा निर्धारित ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक्स पर लिया जाता है, जिसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चालन दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण किए जाने के पश्चात आवेदक कार्यालय अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र</td><td>वैध फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही व्यवसायिक वाहनों का संचालन सार्वजनिक स्थान पर किया जा सकता है।</td><td>पंजीकृत स्वामी</td><td>
1. <u>आवेदन</u>–वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल <u>https://vahan</u>.parivahan.gov. in/vahanservice के माध्यम से निर्धारित फीस जमा कराकर आवेदन किया जा सकता है, इस हेतु पृथक से कोई फार्म निर्धारित नहीं है।
<u>2. फीस</u>–वाहन फिटनेस एवं नवीनीकरण (नियम 81 के अंतर्गत)
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>मैन्युल शुल्क (रू0 में)</th><th>ऑटोमेटेड़ शुल्क (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मोटरसाईकिल</td><td>200</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तिपहिया/ हल्का मोटरयन</td><td>400</td><td>600</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मध्यम/भारी मोटरयान</td><td>600</td><td>1000</td></tr>
</table>
3. <u>वैधता</u>–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नया व्यवसायिक वाहन</td><td>02 वर्ष</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>परिवहन सेवा का नाम</th><th>लाभ</th><th>पत्रता / लाभार्थी</th><th>आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>08 वर्ष की आयु तक के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>02 वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td>08 वर्ष से अधिक आयु के व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>01 वर्ष</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ई–रिक्शा और ई–कार्ट के फिटनेस का नवीनीकरण</td><td>03 र्ष</td></tr>
</table>
4. <u>प्रक्रिया</u>–उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने पश्चात वाहन को परीक्षण किए जाने हेतु कार्यालय अथवा मान्यता प्राप्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ए०टी०एस०) में प्रस्तुत किया जाना होगा। परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 02 दिवस के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी / नवीनीकृत किया जाता है।
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>व्यवसायिक वाहनों के परमिट</td><td>भारत का कोई भी नागरिक वाहन परमिट प्राप्त कर वाहन का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर व्यवसायिक वाहन के रूप में प्रयोग कर व्यवसाय कर सकता है।</td><td>पंजीकृत स्वामी / परमिट धारक</td><td>
1. <u>आवेदन</u>–मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–72, 74, 76 एवं 88 के अन्तर्गत परमिट जारी किए जाते हैं। वाहन स्वामी अपने क्षेत्र से संबंधित संभागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण में परमिट हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं।
विभिन्न श्रेणी के वाहनों हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार हैः–
1. मंजिली गाडी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–20 में
2. ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–21 में
3. निजी (प्राइवेट) सेवायान के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–23 में
4. अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–24 में
5. विशेष परमिट के सम्बन्ध में, प्रपत्र एसआर–25 में।
नोटः–कुछ श्रेणी के व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधित परिवहन प्राधिकरणों द्वारा खुली नीति (Open Policy) से इतर सीमित संख्या / अवसर में जारी किए जाते हैं। ऐसे परमिटों को प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित परिवहन प्राधिकरणों से सम्पर्क किया जा सकता है।
2. <u>फीस</u>–परमिट जारी एवं नवीनीकरण
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>वाहन का प्रकार</th><th>शुल्क (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मंजिली गाडी</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>2</td><td>माल यान</td><td>5800</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोटर टैक्सी, बडी टैक्सी से भिन्न ठेका गाडी</td><td>7200</td></tr>
<tr><td>4</td><td>निजी सेवायान</td><td>3600</td></tr>
<tr><td></td><td>बडी टैक्सी
एक संभागके लिए
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए</td><td>
1800
3600</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मोटर टैक्सी
एक संभाग के लिए
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के</td><td>
900
1800</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
				लिए **वैधता–**अस्थायी परमिटों के सिवा अन्य सभी परमिटों की वैधता– 05 वर्ष **प्रक्रिया–**उपरोक्तानुसार आवेदन किए जाने के पश्चात सभी आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में संबंधित कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने होते हैं। आवश्यक सत्यापन के पश्चात नियमानुसार परमिट जारी किए जाते हैं।
5	**वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण**	वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने से वाहन चालकों की चालन क्षमता की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा उक्त प्रशिक्षण चालकों को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा	उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी योजना हेतु पात्र होंगे।	**आवेदन–**इच्छुक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (आईडीटीआर कार्यालय में उपलब्ध) पर अपना आवेदन Institute of Driving and Traffic Research Institute (IDTR) कार्यालय देहरादून में ऑफलाईप मोड में जमा कराया जाता है। **आवश्यक प्रपत्र–**हल्का मोटरयान (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतुः– 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आठवीं का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. अभ्यर्थी के पास 01 वर्ष पुराना हल्का मोटरयान (नॉनट्रांसपोर्ट) चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। **भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतुः–** 1. आवेदक का आधार। 2. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। 3. आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो–01 4. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट अथवा आठवीं का ट्रान्सफर सर्टिफिकेट 5. भारी वाहन (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु अभ्यर्थी के पास हल्का मोटरयान (ट्रांस्पोर्ट) 6. चलाने का 01 वर्ष पुराना वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher Courses) हेतु :– 1. आवेदक का आधार। आवेदक के पास हल्का अथवा भारी मोटरयान चलाने का वैध लाईसेंस होना आवश्यक है। **वैधता–**समय अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। **नवीनीकरण–**आवश्यकता नहीं। **फीस**–निःशुल्क **प्रक्रिया–**प्राप्त आवेदनों के स्क्रुटनी के उपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला प्रदान करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, जिनका बैच बनाने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाता है।
6	**निजी क्षेत्र में आटोमेटेड़ फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता**	भारत के नागरिक निजी ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेन्टर की स्थापना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में	वाहन स्वामी एवं रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति	विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समय–समय पर निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड़ टेस्टिंग स्टेशन हेतु आवेदन पत्र टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं फीस टेण्डर डॉक्यूमेन्ट में निर्धारित की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
		वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संभागीय / उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वाहन सहित उपस्थित होकर आवेदन करना होता। विभिन्न ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहन स्वामी के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विभिन्न ऑटोमेटेड़ फिटनेस सेन्टर की स्थापना की दशा में वाहनों की सड़क उपयुक्तता पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सकेगा।		
7	**निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता**	निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण संस्थानों का मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कोई भी अर्ह व्यक्ति चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर स्वरोजगार कर सकता है।	लाभार्थी के पास प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र / लीज़ प्रमाणपत्र / किरायानामा होना आवश्यक है।	**1. <u>आवेदन</u>–** चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 12 में किया जाता है। **2. <u>आवेदन का माध्यम</u>–**ऑफलाईन परिवहन आयुक्त कार्यालय में। **3.<u>अर्हताएँ</u>–** <u>1–स्थानः</u>–(i) संचालक का पहचान प्रमाणपत्र, (ii) कम से कम 1000 वर्गफीट (जिसमें कम से कम 03 कमरे+ शौचालय +बाथरुम), (iii) प्रशिक्षण वाहनों को खड़ा करने हेतु पर्याप्त पार्किंग स्थल की उपलब्धता, (iv) स्थान का ब्लूप्रिन्ट (मूल रुप में), (v) प्रस्तावित स्थल का स्वामित्व प्रमाणपत्र / लीज़ प्रमाणपत्र / किरायानामा <u>2–वित्तीय स्थितिः</u>–रुपये 1.00 लाख की बैंकगारन्टी, जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से बन्धक (05 साल के लिये) <u>3–वाहनों की उपलब्धताः</u>–कम से कम 02 वाहन (पीले रंगमें + दोहरी नियन्त्रण प्रणाली से युक्त) (वाहन के वैध प्रपत्रों की प्रति–रजिस्ट्रेशन, जमाकर, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिटनेस) <u>4–मशीनः</u>–(i) 01 सिमुलेटर मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। (ii) 01 बायोमैट्रिक मशीन (इन्वॉइस की प्रति संलग्न की जाये) स्थापित तथा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र.	परिवहन सेवा का नाम	लाभ	पत्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
				क्रियाशील होने के सम्बन्ध में आख्या। 5–प्रशिक्षक के प्रमाण पत्रः–(i) कक्षा–10 की मार्कशीट / सर्टिफिकेट, (ii) कम से कम 05 साल पुराना व्यवसायिक चालक लाईसेन्स (Commercial Licence), (iii) आई0टी0आई0, मोटरमैकेनिक ट्रेड से अथवा सम्बन्धित विषय में उच्चतर शिक्षा, (iv) यातायात चिन्हों और सड़क पर उपयोग करने वाले विनियमों का पूर्णज्ञान, (v) यानों के विभिन्न संघटकों, पुर्जों के कृत्यों का संप्रदर्शन करने और स्पष्ट करने की योग्यता, (vi) हिन्दी का पूर्णज्ञान। **4.फीस–नियम 32 में वर्णित–** आवेदन एवं नवीनीकरण हेतु –रू0 दस हजार द्वितीय प्रति हेतु –रू0 पॉच हजार **5.वैधता**–उपरोक्तानुसार जारी अनुज्ञप्ति की वैधता 05 वर्ष है। **6.नवीनीकरण–** चालक प्रशिक्षण स्कूल की अनुज्ञप्ति के नवीनकरण हेतु ऑफलाईन मोड पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवेदन फार्म 13 में किया जाता है। नोटः–आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित संभागीय / उप संभागीय परिवहन कार्यालय से अर्हताओं का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार केन्द्र)

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया** **(वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016**	आधार अधिनियम 2016 के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार, जीवन चक्र के सभी चरणों के प्रबंधन और संचालन सहित आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने और पहचान संबंधी जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकार्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आधार का अर्थ बुनियाद है, इसीलिए यह किसी भी वितरण व्यवस्था के लिए बुनियाद हो सकता है। आधार ऐसी किसी भी व्यवस्था के संस्थापन में प्रयुक्त हो सकता है, जिसमें निवासी की पहचान प्रमाणित करने की आवश्यकता हो और / या निवासी को निकाय द्वारा सेवाओं / लाभों की सुरक्षित उपलब्धता प्रदान की जानी हो। आधार निम्न योजनाओं के वितरण में उपयोग हो सकता है:–खाद्य एवं खाद्यान्न सार्वजानिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा–जननी सुरक्षा योजना, प्राचीन जनजाति समूह विकास योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, संपत्ति हस्तांतरण, पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि हेतु।	भारत का कोई भी निवासी (नवजात शिशु / नाबालिग सहित) आधार कार्ड के लिए पात्र है। जहां आधार कार्ड वयस्कों के लिए है, वहीं बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाले विदेशी भी आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधार पंजीकरण हेतु उम्र की सीमा नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार पंजीकरण निशुल्क किया जाता है। 5 वर्ष एंव 15 वर्ष की अवस्था में अनिवार्य बायोमैट्रिक निशुल्क है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट कराने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। आधार में दस्तावेजों को अद्यतन रखने से जीवनयापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और सक्षमता में मदद मिलती है ।	आधार पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदक को अपने नजदीकी आधार सेवा केन्द्र पर जाना होगा। सेवा केन्द्र की जानकारी हेतु https://appointments.uidai.gov.in/easearchinternal.aspx अथवा https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/_aadhaar/ पर विजिट करना है। आधार पंजीकरण अथवा नवीनीकरण हेतु स्वीकार्य दस्तावेज की सूची https://uidai.gov.in/_images/commdoc/_26_JAN_2023_AadhaarList_of_documents_English.pdf पर उपलब्ध है। जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी करवाया था और उसके बाद इनमें कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे निवासी सहायक दस्तावेज (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) अपलोड करके अपने आधार को अपडेट रख सकते हैं। दस्तावेज अपडेट किये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल https:// myaadhaar. uidai. gov. in /du का उपयोग या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन अपडेट करवा सकते है। आधार केन्द्र के माध्यम से ऑफलाइन दस्तावेज अपडेट कराने का शुल्क रू0 50 निर्धारित है जबकि ऑनलाइन यह सुविधा 14 दिसम्बर 2023 तक निःशुल्क प्रदान की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नागरिको की सुविधा हेतु टोल फ्री नं0 1947 भी संचालित किया गया है।

*****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

राज्य निर्वाचन आयोग

क्र.	पहचान पत्र का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया**	मत देने के अधिकार में उपयोग करने हेतु अनिवार्य है।	**फॉर्म–6**–कोई भी भारतीय अर्ह नागरिक जो किसी पुनरीक्षण वर्ष की 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई अथवा 01 अक्टूबर को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, का नाम प्रथम बार निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म–6 ए–** पासपोर्ट के आधार पर प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) का नाम नियमानुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म–6 बी** – निर्वाचक नामावली में आधार प्रमाणीकरण हेतु स्वेच्छा से आधार नम्बर की सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म–7–** वर्तमान निर्वाचक नामावली से किसी निर्वाचक का नाम हटाए जाने के लिए, या निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। **फॉर्म–8–** वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करवाने, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने अथवा PWD मार्किंग के लिए अथवा एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से किसी दूसरे बूथ में निवास स्थान बदलने पर अथवा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी दूसरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर आवेदन के रूप में प्रयोग किया जाता है।	निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार तिथियाँ निर्धारित की गयी है –01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर। उक्त तिथि से लगभग 2 माह पूर्व संबंधित जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। उस तिथि से पूर्व ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर तक अथवा उक्त तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, अपने नजदीकी मतदेय स्थलों के बीएलओ के पास, उपजिलाधिकारी / तहसीलदार के पास, जिला निर्वाचन कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के प्रारूप (फॉर्म–6, फॉर्म–6 ए , फॉर्म–6 बी, फॉर्म–7) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट https:// ceo. uk. gov. in/ pages/view/18 download-forms से भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र में अपना सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित करने के साथ ही, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, निवास संबंधी प्रमाण, उपलब्ध कराने होंगे। फार्म 6ए की स्थिति में पासपोर्ट की प्रति अनिवार्य है। सभी फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होनी चाहिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के लिए मांगे जाने पर आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये मूल अभिलेखों को भी प्रस्तुत किया जाना होगा, जिन्हें सत्यापन किये जाने के उपरांत तत्काल लौटा दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आवेदक अपना आवेदन स्वयं ऑनलाइन https://voters.eci.gov. in और Voter Help Line App (VHA) के माध्यम से कर सकता है। आवेदन करने के बाद निर्वाचन कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच / विभागीय कार्यवाही की जाती है तथा मतदाता पहचान पत्र, भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं को प्रेषित किए जा सकते हैं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
(आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड)

सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।   दिनांक 27 जुलाई, 2023

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क0	नीतियां/पोर्टल का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1.	**मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल।** **https://cmhelpline.uk.gov.in/**	आम जनता की शिकायतों/समस्याओं/सुझावों को दूरभाष/ऑनलाइन पोर्टल के साथ–साथ मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज कर निर्धारित अवधि में निस्तारण कर, निस्तारण की सूचना दूरभाष, ऑन–लाईन एवं मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं पर विभागों द्वारा कार्य नहीं किए जाने या कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब/लापरवाही करने इत्यादि की शिकायत कोई भी नागरिक 19005 नं0 डायल कर दर्ज करवा सकता है। यदि शिकायत विस्तृत रूप से की जानी है या शिकयत पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न कर आवश्यकता हो तो शिकायत ऑनलाईन भी दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के उपरांत शिकायतों को ऑनलाईन ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को प्रेषित की जाती है, जिस पर अधिकारी द्वारा निस्तारण	राज्य के समस्त नागरिक। शिकायतें निम्नवत प्रकरणों की नहीं होगी :– ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। किसी सेवा/योजना के सम्बन्ध में जिसका लाभ नीतिगत रूप से तुरन्त नहीं दिया जा सकता अथवा शिकायतकर्ता अपात्र है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासना देश के क्रम में निराकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिसमें शासन के अधिनियम/नियमावली/शासनादेश के क्रम में विधिवत् आवेदन न किया गया हो। ऐसे प्रकरण जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत हो, जिसके लिये पृथक व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे प्रकरण जो किसी भी मा० न्यायालय के आदेश से बाधित हो। आर्थिक सहायता या नौकरी दिये जाने की मांग। सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानान्तरण सहित)।	आवेदक मुख्यमंत्री हैल्पलाईन टोल–फ्री नंबर–1905 पर कॉल कर कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इस प्रयोजन हेतु देहरादून में राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर स्थापित किया जा चुका है। कॉल सेन्टर एक्जीक्यूटिव प्रातः 08 बजे से रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे तथा रात्रि 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक 1905 पर कॉल कर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था है। **आवेदक स्वयं भी** पोर्टल https:// cmhelpline.uk.gov.in/ पर ऑनलाईन अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल न०, आधार कार्ड न० अंकित करना अनिर्वाय होगा। शिकायत दर्ज करने के पश्चात् शिकायत को संबंधित विभागीय अधिकारियों (एल–1,एल–2, एल–3,एल–4) को प्रेषित की जाती हैं। शिकायतें निस्तारण हेतु अधिकतम 36 दिवस का समय निर्धारित है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर दिये गये निराकरण के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि जानने हेतु कॉल किया जाता है एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही शिकायत को निस्तारित माना जाता है। यदि शिकायतकर्ता असन्तुष्ट है, तो शिकायतकर्ता

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		किया जाता है। पोर्टल पर शिकायतों के साथ–साथ मांग/सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। **योजना का मुख्य उद्देश्य "जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण करना है।"**		द्वारा दिये गये फीडबैक के साथ शिकायत को पुनः सम्बन्धित अधिकारी को परीक्षण/ निस्तारण हेतु प्रेषित किया जाता है। शिकायतकर्ता को शिकायत से सम्बन्धित जानकारी/समस्याकर्ता को मोबाइल में मैसेज /ईमेल/दूरभाष एवं मोबाईल पर प्रदान की जाती है। उक्त 1905 पोर्टल की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिमाह किए जाने की व्यवस्था है।
2.	**अपणि सरकार पोर्टल** **https://eservices.uk.gov.in/**	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु "अपणि सरकार" पोर्टल की शुरूआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों एवं पेशन/ छात्रवृतियों के लिए आवेदन किया जाता है। पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने के उपरांत न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पडता है। आवेदक, अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति जांच सकता है तथा सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक के प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई आपत्ति होती है तो विभागीय अधिकारी, रिजेक्ट अथवा आपत्ति	राज्य का कोई भी नागरिक, जो सेवायें पोर्टल में उल्लिखित हों, उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है।	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk. gov.in/ पर पंजीकरण करना पडता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नकदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, आधार संख्या, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आई डी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद आवेदक स्वयं लागइन करके जो प्रमाण पत्र/सेवायें लेना चाहता है, उससे संबंधित विभाग को क्लिक करेगा। संबंधित प्रमाण पत्र/सेवाओं हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/ प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, उसको पी0डी0एफ0/जे0पी0जी0 फार्मेट में अपलोड करना पडता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत एक नंबर जारी हो जाता है, जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। उसके बाद आवेदक अपने प्रमाण–पत्र/सेवाओं की अद्यतन स्थिति

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		के साथ वापस कर देते हैं परंतु लम्बित नहीं रख सकते हैं। लम्बित रखने पर संबंधित व्यक्ति सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां पर संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क का जुर्माना हो सकता है।		जांच कर सकता है। आवेदन करने के उपरांत वह संबंधित विभाग के पास स्वतः ऑनलाइन जाता है। विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया अपनाने के उपरांत सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लाग–इन करके डाउनलोड कर सकता है। यदि सेवाओं में कोई आपत्ति हो तो, उसका भी मैसेज आता है तथा आवेदक को अपना लाग–इन करके आपत्ति सही करके सबमिट करना होता है।
3.	**आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन–2020**	राज्य में आई0टी0 एवं आई0टी0ई0 एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर/ टेलेकॉम सर्विस प्रोवाईडर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, उद्योग विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं एवं नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजनाओं के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना।	आई0टी0,आई0टी0ई0एस0, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर/टेलेकॉम सर्विस प्रोवाईडर एवं आई0टी0 आधारित उद्योग, निवेशक, स्टार्टअप एवं स्थानीय युवा।	राज्य के आई0टी0 विभाग के अन्तर्गत संस्था आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस पॉलिसी में अहर्ता अनुसार कम्पनी सब्सिडी ले सकती है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कॉमन सर्विस सेंटर, उत्तराखण्ड

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रकिया का विवरण।**	कॉमन सर्विस सेंटर खोलने पर, कॉमन सर्विस सेंटर धारक को प्रत्येक आवेदन / सेवा पर, निर्धारित कमीशन का भुगतान किया जाता है, जिससे (CSC) धारक (वी0एल0ई0) स्वरोजगार कर आय प्राप्त कर सकता है। सरकारी सेवाओं को सी0एस0सी0 के द्वारा लोगों के द्वार तक उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में (CSC) के माध्यम से कई प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन, बिलों का भुगतान, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृति, रोजगार हेतु आवेदन आदि किया जाता है, ताकि लोगों को राजकीय कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।	कॉमन सर्विस सेंटर के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 100–150 वर्ग फुट जगह / कमरा / कार्यालय आवश्यक है। संपूर्ण पावर बैकअप के साथ न्यूनतम एक पी0 सी0 / लैपटॉप आवश्यक है। न्यूनतम एक प्रिंटर इंकजेट / लेजर आवश्यक है। बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट के अनुसार ओएस और अन्य सहायक एप्लिकेशन आवश्यक हैं।	कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने / ग्राम स्तरीय उद्यमी (वी0एल0ई0) बनने की प्रक्रिया निम्नवत् है :– आवेदक स्वयं को यूआरएल https://cscentrepreneur.in पर पंजीकृत करेगा। पंजीकरण के लिए व्यक्ति का विवरण, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य है। टी0ई0सी0 पाठ्यक्रम (जो वी0एल0ई0 बनने के लिए अनिवार्य है।) के लिए आवेदक टी0ई0सी0 शुल्क का भुगतान करेगा और ऑनलाइन परीक्षा के लिए पात्र होगा और सफल परीक्षा के बाद उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक अब यू0आर0एल0 https://register.csc.gov.in/register पर ''नया पंजीकरण लागू करे'' के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करेगा। आवेदक, आवेदन प्रकार का चयन करेगा, आवेदक सी0एस0सी0वी0एल0ई0 का चयन करेंगे और इसके बाद वह टी0ई0सी0 नंबर टाइप करें, टी0ई0सी0 प्रमाणन पाठ्यक्रम और छवि मान के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर और आगे की प्रक्रिया के लिए सबमिट करें। इससे आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा और ओ0टी0पी0 प्रवेश करके टेक्स कोर्स के दौरान पंजीकृत अपने मेल आई0डी0 को सत्यापित करेगा। आवेदक फिर से अपने मेल आईडी पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करेंगे। ई0मेल ओटीपी और छविमान डालकर पुष्टि करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए तीन विकल्प होंगे –1. उंगली प्रिंट, 2. ओ0टी0पी0 3. आईरिस। आवेदक किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकता है, इसके बाद एक नया वी0एल आवेदन पत्र खुलता है। आवेदक को अपने पासपोर्ट आकार की फोटो, के0वाई0सी0 विवरण और बैंकिंग विवरण, कियोस्क विवरण और लेट–लांग आदि सब सब्स्कंटेंट को सफल बनाने के बाद आवेदक को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आवेदक को एक एप्लिकेशन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आवेदक का आवेदन हमारे फील्ड स्टाफ (जिला प्रबंधकों) की आई0डी0 में दिखाई देगा जहां उसने आवेदन किया है। क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सफल ढांचे के बारे में पूरक होने के बाद, बुनियादी ढांचे, उपकरणों और हस्ताक्षर बोर्ड द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है या आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं। आवेदक आवेदन के बाद

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

			पर्याप्त डेटा पैक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है। टी0ई0सी0 (टेलीसेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स) प्रमाणित वी0एल0ई0 आवश्यक है।	राज्य क्यूसी पोर्टल में प्रतिबिंबित होगा और क्यूसी स्तर पर सभी क्षेत्रों के सफल सत्यापन के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मेल आईडी में एक सी0एस0सी0आई0डी0 प्राप्त होगा। जिसके उपरांत संबंधित व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर संचालित कर सकता है तथा किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर कॉमन सर्विस सेंटर धारक को आई0टी0डी0ए0 द्वारा न्यूनतम कमीशन सीधे उसके खाते में भुगतान किया जाता है।
2	**प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान**	ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने पर, वी0एल0ई0 को प्रति व्यक्ति रू0 300/— कमीशन/मानदेय के रूप में प्राप्त होती है। इसमें एक व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन से अधिकतम 30 दिन तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण वीएलई समूह के रूप में अथवा एकल रूप में दे सकता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उम्र 14 से 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार के केवल एक सदस्य को प्रशिक्षण देना होगा। लाभार्थी डिजिटल निरक्षर होना चाहिए।	वी0एल0ई0 अपने क्षेत्र के लोगों को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करके उनका प्रशिक्षण करवा सकता है एवं यदि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छुक हो उसका पंजीकरण कर प्रशिक्षण दे सकता है। पंजीकरण करने हेतु https://www.pmgdisha.in/about-pmgdisha/ पर आवेदन करना होता है, जिसमें लाभार्थी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं बेसिक जानकारी की आवश्यकता होती है। वी0एल0ई0 ऑनलाइन सी0सी0टी0वी0 के अधीन प्रशिक्षण देगा। उसके उपरांत कोर्स खत्म होने पर संबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है, जिसको डाउनलोड करके संबंधित व्यक्ति को देगा। प्रशिक्षण समाप्त होने, जांच करने के उपरांत वीएलई के खाते में प्रशिक्षण देने का मानदेय भुगतान किया जाता है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

नागरिक उडडयन विभाग(युकाडा, उत्तराखण्ड)

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून – अल्मोड़ा – पिथौरागढ़ हैली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। दिनांक 26 अगस्त 2022

नागरिक उड्डयन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)**	इस योजना के अंतर्गत निम्न रूट पर हैली सैवा लेने के लिए न्यूनतम प्रति व्यक्ति किराया **एक ओर से** निम्नवत है :– देहरादून से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से श्रीनगर – रू0 3,437.00 श्रीनगर से गौचर – रू0 3,437.00 गौचर से श्रीनगर –रू 3,437.00 श्रीनगर से टिहरी – रू0 3,437.00 टिहरी से देहरादून – रू0 3,437.00 देहरादून से श्रीनगर – रू0 3,992.00 श्रीनगर से देहरादून –रू0 3,992.00 देहरादून से गौचर – रू0 3,649.00 गौचर से देहरादून –रू0 3,649.00 सहस्त्रधारा से गौचर– रू0 4,150.00 गौचर से सहस्त्रधारा – रू0 4150.00 सहस्त्रधारा से चिन्यालीसौंड – रू0 3150.00 चिन्यालीसौंड से सहस्त्रधारा – रू0 3150.00 देहरादून से हल्द्वानी / पंतनगर – रू0 6281.00 हल्द्वानी / पंतनगर से देहरादून – रू0 6281.00 पंतनगर से पिथौरागढ़ – रू0 5111.00 पिथौरागढ़ से पंतनगर – रू0 5111.00 पंतनगर से अल्मोड़ा – रू0 3356.00 अल्मोड़ा से पंतनगर– रू0 3356.00 अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ – रू0 3356.00 पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा – रू0 3356.00	देश के समस्त नागरिक	इसका लाभ लेने हेतु ऑनलाइन / संबंधित हैलीपैड के कार्यालयो में जाकर टिकट बुक किया जा सकता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं किराया भुगतान करना होता है। ऑनलाइन टिकट बुक करने की वेबसाइट https://booking.pawanhans.co.in/ है। इस सम्बन्ध में अद्यतन जानकारियां उत्तराखण्ड नागरिक उडडयन विकास प्राधिकरण की वेबसाइट http://ucada.in/ से प्राप्त की जा सकती हैं।

******

PROGRESS

आपदा प्रबंधन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में बादल फटने के कारण आई बाढ़ का दौरा करते मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सिलक्यारा, उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जानकारी लेते हुए मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

PROGRAMME ... NT

आपदा प्रबन्धन विभाग (उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	**आपदा के कारण मृत्यु उपरान्त अनुदान**	रू0 4.00 लाख अनुग्रह अनुदान मृतक के आश्रित को।	आपदा प्रभावित व्यक्ति/परिवार तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यो से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी पात्र होंगे।	आपदा तथा उक्त से हुयी क्षति की सूचना विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सम्बन्धित पटवारी द्वारा क्षति की पुष्टि की जाती है तथा P-20 फॉर्म पर क्षति को अंकित किया जाता है। पटवारी की आख्या की पुष्टि तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। तत्पश्चात् जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त राहत धनराशि तहसील के स्तर से सम्बन्धित हितधारक के पक्ष में निर्गत की जाती है।
2	**हाथ–पैर, ऑख या ऑखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान**	रू0 74,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान। दिव्यांगता के 60 प्रतिशत से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 2.50 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान की जाती है।	आपदा प्रभावित व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यो से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे। दिव्यांगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय या औषधालय के चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
3	**जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो।**	रू0 16,000 प्रति व्यक्ति अनुग्रह अनुदान (एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में) तथा रू0 5,400 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में)	आपदा के कारण चोट आने पर किसी भी राजकीय चिकित्सालय/गैर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती व्यक्ति तथा राहत या पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यो से जुड़े व्यक्ति भी पात्र होंगे।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
4	**घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से**	रू0 2,500 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान कपड़ो की क्षति के लिये तथा रू0 2,500 प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान बर्तनों या घरेलू सामान की क्षति के लिये दिया जाता है।	यह राहत धनराशि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों को दी जानी प्रस्तावित है, जिनका घर, आपदा के कारण प्रभावित हो गया हो।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये।			
5	**कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता।**	02 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानो की भूमि में नुकसान होने पर तथा रेत या अवसाद की परत के 3 इंच से अधिक होने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिये / मत्स्य पालन जलाशयों से अवसाद हटाने / मरम्मत / पुनर्स्थापना हेतु रू0 18,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रत्येक मद के लिये धनराशि दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 2200 / – देय है। भूस्खलन, हिम–स्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण अधिकांश भूमि को हुयी क्षति के कारण रू0 47,000 प्रति हेक्टेयर, किसान को दी जाती है। उक्त राहत के अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम रू. 5000 / – देय है।	ऐसे किसान / परिवार जिनका आपदा से संबंधित नुकसान हुआ हो। लाभार्थी द्वारा किसी अन्य योजना से लाभ उठाने पर पात्र नहीं होगा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार विधिक रूप से निजी स्वामित्व वाली भूमि की क्षति पर	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
6	**कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में)**	कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिये – रू0 8,500 प्रति हेक्टेयर (असिचित क्षेत्रों)। न्यूनतम रू. 1000 देय है। रू0 17,000 प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में। किसी भी कृषक को देय सहायता की राशि न्यूनतम रू0 2,000 होगी। सदाबहार फसल– रू0 22,500 प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिये अनुमन्य। न्यूनतम रू0 2,500 होगी। **रेशम कृषक** – रू0 6,000 प्रति हेक्टेयर, ईरी, शहतूत व टस्सर के लिये तथा रू0 7,000 प्रति हेक्टेयर, मूंगा के लिये न्यूनतम रू. 1000 देय है।	यह सहायता केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
7	**02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले**	रू0 8,500 / – प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र में। रू0 17,000 / – प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में।	केवल बोये गये क्षेत्र के लिये देय होगी।	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
	किसानों को निवेश अनुदान	रू0 22,500 / – प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार की सदाबहार फसलों के लिए फसल की क्षति के 33 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में यह सहायता अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा तक ही देय होगी		
8	**पशुपालनः– छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता**	दूध, कृषि एवं ढुलाई वाले जानवरों का प्रतिस्थापन– दुधारू पशु– रू0 37500 / – प्रति पशु, (भैंस / गाय / ऊँट / याक / मिथुन) देय । रू0 4000 / – प्रति पशु (भेड़ / बकरी / सुअर) देय होगी। **कृषि व ढुलाई वाले पशु** / रू0 32000 / – प्रति पशु (ऊँट / घोड़ा / बैल) देय होगी। रू0 20000 / – प्रति पशु (बछिया / गधा / टट्टू / खच्चर) देय होगी। **कुक्कुट पालन** कुक्कुट पालन रू 100 / – प्रति पक्षी – रू 10000 / – प्रति लाभान्वित परिवार की सीमा तक देय। सहायता के लिये पक्षियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा द्वारा होनी आवश्यक है।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही इस सहायता को आर्थिक रूप से उत्पादन पशुओं की वास्तविक क्षति तक सीमित रखा जा सकता है। पशुओं की वास्तविक क्षति पर विचार किये बिना किसी एक परिवार को देय सहायता 03 बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 03 बड़े कृषि व ढुलाई वाले पशुओं की सीमा तक देय होगी (क्षति का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना होगा)
9	**मछली पालन**	रू0 6,000 / – आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिये, रू0 3000 / – आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिये। रू0 15,000 / – पूर्णतः क्षतिग्रस्त नौंकाओं के पुनर्क्रय के लिये, रू0 4,000 / – पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के पुनर्क्रय के लिये दी जाती है। मत्स्य बीज फार्म के लिये निवेश अनुदान– रू0 10,000 / – प्रति हेक्टेयर दी जाती है।	मछुवारों को क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत / प्रतिस्थापन व क्षतिग्रत या खो गये जालों के लिये दी जाती है	क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।
10	**हाथकरघा– कारीगरों को सहायता**	क्षतिग्रस्त औजारों व उपकरणों की पुनर्क्रय के लिये– रू 5000 / – प्रति शिल्पकार उपकरणों के पुनर्क्रय के लिय। कच्चे माल या बन रहे या बन गये उत्पाद की क्षति के लिये–रू0 5000 / – प्रति शिल्पकार कच्चे माल के लिये।		क्रमांक–1 की प्रक्रिया के साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षति एवं उक्त के प्रतिस्थापन का विधिवत् सत्यापन किया जाना आवश्यक।
11	**भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन)**	पक्का भवन, कच्चा भवन, तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन, आंशिक क्षतिग्रस्त / नष्ट भवन – रू 1,20,000 / – प्रति भवन मैदानी क्षेत्रों में। रू 1,30,000 / – प्रति भवन एकीकृत कार्य योजना से आच्छादित जनपदों सहित पहाड़ी		क्रमांक–1 की प्रक्रियानुसार।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		क्षेत्रों। पक्का भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो–रू 6,500/– प्रति भवनकच्चा भवन (झोपड़ी के अतिरिक्त) जहाँ क्षति कम से कम 15% क्षति हो– रू 4,000/– प्रति भवन क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी– रू 8,000/– प्रति झोपड़ी। (झोपड़ी का तात्पर्य अस्थाई, स्थानान्तरणीय एवं कच्चे घर से निम्न स्तरीय इकाई से है जिसका निर्माण घास–फूस, मिट्टी, प्लास्टिक आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत आदि से किया गया हो और जिसे परम्परागत रूप से राज्य/ जिला प्रशासन द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त हो) नोट– क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। भवन के साथ जुड़ी पशुशाला– रू 3000/– प्रति पशुशाला।		
12	**सामुदायिक रेडियो स्टेशनो की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति**	नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रो की स्थापना के लिये दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख अथवा सामुदायिक रेडियो स्टेशनो में आने वाली लागत (जो भी न्यूनतम हो) होगी। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 03 वर्षो तक रू0 4.00 लाख (प्रति वर्ष) परिचालन अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	जनपद के ऐसे क्षेत्र/स्थान जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन की गतिविधियों से आच्छादित नही है एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियों केन्द्र की स्थापना को प्राथमिकता दी जायेगी। उक्त योजना केवल नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के लिये है और इस योजना का लाभ लेने के लिये सम्बन्धित संस्था को उत्तराखण्ड में 03 वर्षों का अनुभव होने के साथ ही सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित किये जाने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाईसेन्स प्राप्त होना चाहिये।	**सामुदायिक रेडियो केन्द्रों** की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर इच्छुक संस्थाओ से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रथम किस्त में स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है। **नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन** को प्रारम्भ करने की इच्छुक संस्थाओं को समस्त वांछित अभिलेखों के साथ सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन करना होगा। नये सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

****

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://www.uttarakhandsandesh.com/uic/index/index.php#body

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन / संस्तुति प्रक्रिया
1	**सूचना का अधिकार**	**सूचना का अधिकार का सरल अर्थ है** – जनसामान्य तक सरकारी सूचना की पहुंच सुलभ कराने वाला कानूनी अधिकार। इसका आशय यह है कि सरकारी संगठनों के कार्यों, निर्णयों तथा उनके निष्पादनों से संबंधित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों तक एक औचित्यपूर्ण तथा स्वतंत्र पहुंच प्रत्येक आम नागरिक की होनी चाहिए। कोई भी भारतीय नागरिक किसी राजकीय कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना **रू0 10/–** (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ई–स्टाम्प,नकद धनराशि) जमा कर सम्बधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी से लिखित रूप में या इलैक्ट्रानिक माध्यम से निवेदन कर प्राप्त कर सकता है। यदि वह बी0पी0एल0 है तो उसे निःशुल्क सूचना दी जायेगी। यदि सूचना अधिक पृष्ठों में हो तो प्रति पृष्ठ रू0 2/–की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा कर सूचना दी जाती है।	भारतीय नागरिक	कोई भी भारतीय नागरिक, किसी राजकीय कार्यालय से सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सर्वप्रथम लोक सूचना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखेगा तथा प्रार्थना पत्र में जो सूचना प्राप्त करनी है उसका विवरण लिखेगा। प्रार्थना पत्र के साथ रू0 10/– नकद जमा कर अथवा पोस्टल आर्डर/ई0स्टाम्प/डिमाण्ड ड्राफ्ट/जमा कर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। संबंधित विभाग का लोक सूचना अधिकारी, सूचना उपलब्ध/धारित होने पर, सूचना कितने पृष्ठों में है, की धनराशि प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित करेगा तथा उसके बाद धनराशि जमा करने पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायेगा, उक्त सूचना 30 दिन के भीतर देनी होती है। यदि सूचना उपलब्ध न हो, तो सूचना धारित न होने की सूचना से भी अवगत करायेगा। यदि सूचना ''पर व्यक्ति'' (किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना) से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी, उस व्यक्ति से 10 दिनों में अनापत्ति प्राप्त करने पर ही सूचना देगा। यदि आवेदक प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हो तो, वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष तीस दिन के अन्दर अपील कर सकते है, जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा 30 से 45 दिन के भीतर किया जाना होता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की दशा में मा0 सूचना आयोग, जिसका पता उक्त लिखित है, के समक्ष 90 दिनों के अन्तर्गत द्वितीय अपील योजित कर सकते हैं, जिसमें आयोग सूचना उपलब्ध कराने/विभागीय लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी पर जुर्माना लगाने/अन्य आदेश दे सकते हैं।

******

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTM

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पो0आ0–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड। https://urtsc.uk.gov.in

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन / संस्तुति प्रक्रिया
1.	**सेवा का अधिकार**	सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत, राजकीय विभागों द्वारा दी जाने वाली नागरिक केन्द्रित सेवाओं (जिन्हें अधिसूचित किया गया है उदा० स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि) हेतु समयावधि निश्चित की गयी है, ये समय–सीमाएं सेवाओं की प्रकृति एवं उनके विस्तार पर आधारित हैं। कतिपय सेवाएं आवेदन की तिथि को ही प्राप्त कराई जा सकती हैं और किसी सेवा के विषय में कुछ दिवस लगने की भी संभावना होती है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर संबंधित विभागीय कार्मिक /अधिकारी पर शास्ति लगाये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। जैसे राजस्व विभाग द्वारा स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में अधिसूचना द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थायी निवास प्रमाण, जाति प्रमाण–पत्र आदि किस अधिकारी द्वारा कितने समय में जारी किया जायेगा। इससे जन सामान्य को सेवा देने वाले अधिकारी एवं सेवा हेतु लगने वाले समय की स्पष्ट जानकारी हो जाती है।	**राज्य के समस्त नागरिक**	यदि पदाभिहित अधिकारी निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में विफल हुआ है अथवा उसने आवेदन को त्रुटिपूर्ण / त्रुटिवश निरस्त / खारिज किया है, तो आवेदक, संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील योजित कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील को ग्राह्य करते हुए आदेश पारित कर सकेगा अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेगा। वह अपील को लिखित रूप में खारिज करने के आदेश जारी कर सकता है। परन्तु इस दशा में वह खारिज करने के कारणों से आवेदक को संसूचित करेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निर्णित करेगा। आदेश से संतुष्ट न होने पर आवेदक सेवा का अधिकार आयोग में अपील प्रस्तुत कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग) द्वारा अपील प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील निर्णित की जायेगी। सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर आयोग स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। आयोग के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु आयोग की वेबसाईट, टोल फ्री नंबर 18002709818 एवं वाट्स एप नं. 7617579050, 7617579040, 7617579041, 7617579071 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार, वेबसाइट– https://psc.uk.gov.in/

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया, चयन/संस्तुति प्रक्रिया
1	**उत्तराखण्ड राज्य में समूह "ख" व "ग" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।**	राज्य के किसी भी राजकीय विभाग/ संगठन/ आयोग/ संस्था के **समूह ख एवं समूह ग** की (जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की परिधि में है) सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की सर्वोच्च संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा संबंधित पदों की सेवानियमावली के अन्तर्गत रिक्तियों का अधियाचन **(अधियाचन का सामान्य अर्थ है** कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां हैं तथा संबंधित रिक्तियां किन–किन श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, के अनुसार तैयार कर) आयोग को भेजा जाता है। आयोग, अधियाचन का परीक्षण कर पदों पर चयन हेतु परीक्षा (प्रारम्भमिक /मुख्य/ कम्प्यूटर/साक्षात्कार) आयोजित करने के लिए राज्य के समस्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है, आवेदन हेतु न्यूनतम शुल्क जमा करना होता है।	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि अंतर्गत समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/ वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है : **(क)** अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। **(ख)** अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास–प्रमाण पत्र धारक हो। **(ग)** अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/ वांछित योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं। कतिपय पदों में, राज्य के बाहर के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं।	आयोग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन अथवा **https://psc.uk.gov.in/** वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों से सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, जिसमें आवेदक स्वयं अथवा किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी के पास आधार नंबर, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र (जाति/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित /अनाथ आदि), आवश्यक होते हैं तथा उक्त प्रमाण पत्र वैध होने आवश्यक हैं **(उदा0 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र–उसी वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) तक ही वैध होता है, जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया हो, यदि किसी व्यक्ति ने मार्च में उक्त प्रमाण पत्र बनाया तथा अप्रैल में विज्ञापन प्रकाशित हुआ और उसने वह प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान जमा किया तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह प्रमाण पत्र सिर्फ 31 मार्च तक ही वैध है।)** साथ ही नाम, उम्र, जाति या अन्य विवरण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बार आवेदन करने के बाद उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है तथा गलत जानकारी डालने पर कई बार, परीक्षा में पास होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। आवेदन में सही विवरण डालने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन सबमिट करना होता है। संबंधित परीक्षाएं (प्रारम्भिक/मुख्य/ कम्प्यूटर परीक्षा/इंटरव्यू, जैसा भी हो) आयोजित करने हेतु आयोग, द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है और निर्धारित तिथि से पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाता है, जिसे संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने तथा भविष्य के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना पडता है। परीक्षा में पास होने पर अथवा मैरिट लिस्ट में आने पर आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने पर अंतिम रूप से पदों पर ज्येष्ठता के क्रम में चयन की संस्तुति संबंधित विभाग को प्रेषित करता है, जिसके उपरान्त विभाग द्वारा चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों की विभागीय स्तर से भी जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। **कोई भी अभ्यर्थी जो, सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय–समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को भी निशुल्क डाउनलोड कर, पाठ्यक्रम देखकर, तैयारी कर सकते हैं।**

PROGRAM IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून– वेबसाइट– https://sssc.uk.gov.in/

क्र	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं संस्तुति / चयन प्रक्रिया
1	**उत्तराखण्ड राज्य में समूह ''ग'' की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।**	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन में आयोग, राज्य के किसी भी राजकीय विभाग / संगठन / आयोग / संस्था के लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह–'ग' की (जो परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में है) सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य की संस्था है। राजकीय विभागों द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु संबंधित पदों की सेवानियमावली के अंतर्गत रिक्तियों का अधियाचन (अधियाचन का सामान्य अर्थ है कि संबंधित पद हेतु कितनी रिक्तियां है तथा संबंधित रिक्तियां किन–किन श्रेणी के लिए आरक्षित है, के अनुसार तैयार कर) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाता है। आयोग द्वारा अधियाचन के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु राज्य के समस्त पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा जमा करना होता	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :– **(क)** अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। **(ख)** अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास–प्रमाण पत्र धारक हो। **(ग)** अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गयी हो। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य / वांछित योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं।	सम्पूर्ण प्रकिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है। तथापि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग से इतर साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट https://sssc-uk-gov.in में आवेदन करना होता है। कोई भी अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय–समय पर देखते रहे ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सके। साथ ही तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आयोग द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को निःशुल्क डाउनलोड कर पाठ्यक्रम देखकर तैयारी कर सकते है।

****

PROGRESS DOCUMENT

प्रेरणा एवं प्रयास

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, जिसको न तो शासन स्तर पर बजट आबंटित हुआ है और न ही इसका कोई निदेशालय गठित है, इस कारण शासन स्तर पर विभाग में कार्यवाही समय के अनुरूप नहीं हो पा रही थी, ऐसे विभाग को पुर्नजीवित करना स्वयं में एक चुनौती थी। जब मुझे इसका दायित्व मिला तो विभाग को पुर्नजीवित करने तथा विभाग के माध्यम से राज्य में संचालित समस्त योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के संबंध में मेरे द्वारा अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी महोदया से मार्गदर्शन एवं सहयोग मांगा। महोदया ने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड सचिवालय में सुश्री रंजना, समीक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें 02 बार का मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार भी मिला है और वह भी आपकी तरह ही योजनाओं को वंचित पात्र लोगों तक पहुंचाना चाहती है, एक बार मैं रंजना को आपसे मिलने के लिए कहती हूं, हो सकता है कि रंजना आपके अनुभाग में कार्य करे तो इस दिशा में आप लोग टीमवर्क में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। सुश्री रंजना जब मुझे मिलने आयी और उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने श्रीमती केशो देवी, जनपद हरिद्वार की वृद्ध महिला (जिनके बीमार पति एवं दिव्यांग पुत्री थी, की आर्थिक और पारिवारिक दयनीय स्थिति को देखते हुए) की वृद्धावस्था पेंशन लगाने हेतु उनके दस्तावेज यथा पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित नकल, फोटो आदि बनवाने में मार्गदर्शन दिया परंतु उक्त दस्तावेज बनाने एवं पूरी प्रक्रिया को सम्पन्न होने में लगभग एक वर्ष का समय लगा, उसके उपरांत पेंशन मिलने लग गयी। इसी प्रकार उनके द्वारा वर्ष 2022 तक लगभग 24 वंचित पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, मानधन पेंशन, आर्थिक सहायता, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, ई–श्रम कार्ड, बनवाने में मार्गदर्शन/सहयोग किया। फिर लगा कि यह प्रयास बहुत कम वंचित लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, उन्होंने विभागीय अनापत्ति प्राप्त कर, यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज संचालित किया परंतु तब भी राज्य के समस्त वंचित पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाना असंभव लगा। इसलिए सर मुझे लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे राज्य के प्रत्येक वंचित पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। हम किसी को प्रतिमाह 1500/– नहीं दे पाते हैं परंतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लाभार्थी तक पहुंचाकर उसके जीवनस्तर में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और एक करदाता की धनराशि का सही उपयोग हो सके और हमारा राज्य गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त राज्य बन सके। सुश्री रंजना के विचारों को जानने के बाद, उनका स्थानान्तरण कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग में किया गया साथ ही अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अन्य अधिकारियों/कार्मिकों की तैनाती एवं अनुभाग को पुर्नजीवित करने हेतु यथा कार्यालय, कम्प्यूटर, फर्नीचर हर सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया।

अनुभाग का कार्य गतिमान होने पर, मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा प्रथम विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया। मेरे द्वारा अनुभाग को निर्देशित किया गया कि राज्य में संचालित समस्त योजनाओं का संकलन कर पुस्तक के रूप में तैयार किया जाना है।

तदोपरांत समस्त विभागों से शासनादेशों को प्राप्त कर, विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के साथ चर्चा करने के उपरांत पुस्तक के स्वरूप को सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखने के साथ ही चार भागों में बांटने पर विचार किया गया – **(योजना का नाम क्या है, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र हैं एवं योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहां/कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरांत कैसे चयन किया जाता है तथा लाभ, कैसे लाभार्थी को मिलता है)**, ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थी पुस्तक पढ़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानकर, लाभ प्राप्त कर सकें। विभागों से प्राप्त सूचनाओं का परीक्षण कर, पुस्तक को **"मेरी योजना"** नाम देकर अंतिम रूप दिया गया। **"मेरी योजना"** नाम रखने का तात्पर्य था कि योजनाएं हालांकि सरकार द्वारा संचालित हैं परंतु हर व्यक्ति से संबंधित हैं। **"मेरी योजना"** पुस्तक में विभिन्न विभागों/संस्थाओं/संगठनों/ बोर्ड/प्राधिकरण/एजेंसी/निगम/आयोग की, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की लगभग 400 योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों/मूलभूत सेवाओं/प्रमाणपत्रों/पोर्टल का उल्लेख किया गया है।

इस पुस्तक को बनाने के प्रत्येक स्तर पर, यथा पुस्तक का स्वरूप, भाषा, पुस्तक सामग्री, लेखन, शासनादेश पठन/परीक्षण, पुस्तक का नाम, फोटोग्राफ्स आदि में जहां सुश्री रंजना द्वारा अग्रणी भूमिका निभायी गयी, वहीं शासनादेश संकलन में श्री राजेन्द्र चौहान एवं श्रीमती वन्दना पाटनी, विशेष कार्याधिकारियों ने विशेष योगदान दिया तो श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव द्वारा पुस्तक के अंतिम चरण को ससमय कराने में एक ईंधन का काम किया। इतना ही नहीं कार्यालय स्तर पर श्रीमती कुसुम द्वारा पुस्तक में कम्प्यूटर कार्य करने में विशेष योगदान दिया, फिर भी यह पुस्तक राज्य के समस्त विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों, सचिवालय सेवा के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों, के बिना असंभव थी। सभी के समन्वित परिणामों का प्रयास है कि **"मेरी योजना"** पुस्तक आमजनमानस हेतु तैयार हुई है। आशा है कि सभी के समन्वित प्रयास से तैयार **"मेरी योजना"** पुस्तक उत्तराखण्ड राज्य को **सर्वश्रेष्ठ राज्य** बनाने के साथ ही **गरीबी एवं बेरोजगारी मुक्त** राज्य बनाने में सफल होगी।

(दीपक कुमार)
सचिव
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

PRO

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल

क्र	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल
1.	**समाज कल्याण विभाग** कार्यालय–निदेशालय, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल दूरभाष न0–05946.297051, फैक्स न0–05946–297050 ईमेल–directorsocialwelfare@gmail.com	2.	**सैनिक कल्याण विभाग** कार्यालय– सैनिक कल्याण निदेशालय 15–सी, कालिदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2741481, Email-dir-Soldierwel-uk@nic.in
3.	**महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग** कार्यालय– निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला चकराता रोड, देहरादून दूरभाष न0–0135–2775813–14, ईमेल–dir.icds.ua@gmail.com	4.	**महिला कल्याण विभाग** कार्यालय– निकट नन्दा की चौकी सुद्धोवाला प्रेमनगर देहरादून दूरभाष न0–0135–2974534, ईमेल– ukchief@gmail.com
5.	**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग** कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून। दूरभाष न0–01352788723 ईमेल–alpsankhyak1@gmail.com	6.	**श्रम विभाग** कार्यालय– श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखंड श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन, हलद्वानी, नैनीताल दूरभाष न0–05946-224214, 282805 ईमेल–solabour21@gmail.com ,
7.	**भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड** कार्यालय–सी064 नेहरू कॉलोनी देहरादून ईमेल– ukbocw@gmail.com	8.	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** कार्यालय–आयुक्त, खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड सरकार,मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2780778 ईमेल– foodcommfcs@gmail.com
9.	**गृह विभाग** कार्यालय–महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड देहरादून। दूरभाष न0–0135–2712685, 2712231 ईमेल– dgc-police-ua@nic.in	10.	**न्याय विभाग (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)** कार्यालय– Member Secretary UKSLSA ईमेल–slsa-uk@nic.in
11.	**बेसिक शिक्षा विभाग** कार्यालय– निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2781827 ईमेल–niyojanbasic2017@gmail.com uaelementary@yahoo.in	12.	**माध्यमिक शिक्षा विभाग** कार्यालय– निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन, देहरादून। दूरभाष न0–0135-2781828 ईमेल–dgeduuk@gmail.com, uksecedu@gmail.com **समग्र शिक्षा कार्यालय–** समग्र शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2781941, ईमेल एवं spd-ssa-uk@nic.in
13.	**उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय– उच्च** शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड नवाडखेडा, गौलापार हल्द्वानी नैनीताल। दूरभाष न0–05946–240666, 240777 ईमेल– hedegreeplan@gmail.com, highereducation.director@gmail.com, sunthacd@gmail.com	14.	**संस्कृत शिक्षा विभाग कार्यालय–** संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी परिसर, हरिद्वार।(**संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार**), दूरभाष न0–0135–2665054 ईमेल– registrar@usvv.ac.in ssnuk2011@gmail.com **उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार**, ईमेल–uksa2002@gmail.com
15.	**संस्कृति एवं धर्मस्व कार्यालय**–निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी डालनवाला चन्दर रोड देहरादून दूरभाष न0—-01352712595, ईमेल–- directorculture@gmail.com	16.	**तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय–** तकनीकी शिक्षा निदेशालय एनसीसी ब्लॉक परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर (गढ़वाल) पौड़ी गढ़वाल।दूरभाष न0– 01346–250169, ईमेल– ukdtecss-dte-uk@nic.in
17.	**कौशल विकास एंव सेवायोजन विभाग** कार्यालय– उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन 26 ईसी रोड महिला आई.टी.आई. सर्वे चौक देहरादून ईमेल– info.uksdm@gmail.com	18.	**युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग** कार्यालय– निदेशालय युवा कल्याण एवं पीआरडी, उत्तराखंड देहरादून। दूरभाष न0–0135–2781544, 2781557 ईमेल– ykprd.uk@gmail.com
19.	**खेल विभाग**	20.	**उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल
	कार्यालय– खेल निदेशालय, उत्तराखंड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून। दूरभाष न0– 0135–2781414 ईमेल– directorsprts1@gmail.com		कार्यालय– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड अपर, आमवाला, नालापानी रोड देहरादून। दूरभाष न0–0135–2762098, ईमेल–bhattsudhakarusac@gmail.com **उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)** कार्यालय–ई0सी0रोड डालनवाला देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष न0–0135–2710302, ईमेल- u.serc@rediffmail.com **विज्ञानधाम–(यू–कॉस्ट)** कार्यालय– महानिदेशक उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, विज्ञान सदन ब्लॉक, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2976266 ईमेल– ucost@ucost.in amit.ucost@gmail.com
21.	**उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग** कार्यालय– उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक भवन, हल्दी, पंतनगर, उत्तराखंड। दूरभाष न0–05944–230567 ईमेल–statebiotech@rediffmail.com, directorucb@gmail.com	22.	**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** कार्यालय– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड। डाडा लखौण्ड पो0–गुजराडा, सहत्रधारा रोड़ देहरादून । दूरभाष न0–0135–2608763 ईमेल–sec-uttarakhand@uk.gov.in, mdnhmuk@gmail.com nhmukiec@gmail.com
23.	**होम्योपैथिक विभाग** कार्यालय– डाडा लखौण्ड, पो0 गुजराडा, सहत्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2984041 ईमेल–hdirectorate@yahoo.com	24.	**आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग** कार्यालय– आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, डाडा लखौण्ड, पो0 गुजराडा, सहत्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। दूरभाष न0–0135–260842 ईमेल– ukdirayurved@gmail.com
25.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग** कार्यालय– उद्योग निदेशालय औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर देहरादून,दूरभाष न0–0135–272 8272, ईमेल– mpr@doiuk.org	26.	**खादी ग्रामोद्योग बोर्ड** कार्यालय– उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, थानो रोड, भोपालपानी, देहरादून उत्तराखण्ड ईमेल– hq.ukvib@gmail.com
27.	**पर्यटन विभाग** कार्यालय– प0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपेड गढ़ी कैण्ट, देहरादून दूरभाष न0–01352559898 ईमेल– tourismkarmik@gmail.com	28.	**ऊर्जा विभाग (उरेडा)** कार्यालय–ऊर्जा पार्क परिषद् इण्डस्ट्रियल एरिया पटेल नगर, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2521387, 2521553 ईमेल–adm.uredahq@gmail.com, st.uredahq@gmail.com, **यू0पी0सी0एल0** कार्यालय–ऊर्जा भवन कांवली रोड बल्लीवाला चौक, देहरादून। ईमेल–rapdrpparta@upcl.org
29.	**सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग** कार्यालय–महानिदेशक, सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड। दूरभाष न0–0135–2662971 ईमेल–infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in	30.	**ग्राम्य विकास विभाग** कार्यालय–आयुक्त, ग्राम्य विकास (ग्रामीण विकास विभाग), पौड़ी उत्तराखण्ड। दूरभाष न0–01368–222994, 223896, ईमेल–dcprogramme303@gmail.com
31.	**सहकारिता विभाग** कार्यालय–मियांवाला, निकट रेलवे क्रॉसिंग, देहरादून। ईमेल–rcsuttarakhand@gmail.com	32.	**कृषि विभाग** कार्यालय–कृषि निदेशालय, उत्तराखंड, कृषि भवन, नंदा–की–चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, दूरभाष न0–0135–2771881 ईमेल–dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in
33.	**उद्यान विभाग** कार्यालय–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोडा। दूरभाष न0–0135-2759799, ईमेल– missionhortiuk@gmail.com 1- जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड।	34.	**सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप)** कार्यालय– निदेशक कार्यालय, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून। दूरभाष न0–0135 2698305, ईमेल–cap.dun@gmail.com

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

क्र	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल	क्र.	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई0मेल
	2- उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा। 3- भेषज विकास इकाई (उद्यान विभाग), उत्तराखण्ड।		
35.	**पशुपालन विभाग** कार्यालय– पशुपालन निदेशालय,पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2532809 ईमेल–dirahuk@gmail.com	36.	**डेयरी विभाग** कार्यालय–निदेशक, डेरी विकास, मंगल पारो, हल्द्वानी, नैनीताल दूरभाष न0–05946–252052, ईमेल–ukcdpdairy@gmail.com
37.	**रेशम विभाग** कार्यालय–निदेशालय, प्रेमनगर, देहरादून दूरभाष न0–0135–2773227, 2774130 ईमेल– dosua13@gmail.com	38.	**मत्स्य विभाग** कार्यालय–निदेशक मत्स्य पालन, मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (धनयारी) देहरादून ईमेल–info.fisheriesuk@gmail.com
39.	**वन विभाग** कार्यालय–मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष न0–0135–2740926 ईमेल–ccfpfmua@gmail.com pccfuk@gmail.com niyojanbasic2017@gmail.com,	40.	**आवास विभाग** कार्यालय– उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण आवास विभाग, उत्तराखंड सरकार राजीव गांधी बहुउद्देशीय परिसर, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2719500, ईमेल– uhudauk@gmail.com
41.	**शहरी विकास विभाग** कार्यालय– शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62, राजपुर रोड, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2742885, ईमेल–urbanuk@gmail.com	42.	**स्वजल परियोजना** कार्यालय– परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल निदेशालय, 67/4 प्रीतम रोड गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय डालनवाला, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2653380 ईमेल–pmu_uttaranchal@rediffmail.com
43.	**पेयजल विभाग** कार्यालय–मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून। दूरभाष न0–0135 2676260 ईमेल–pmu_uttranchal@rediffmail.com, upsvnn@gmail.com	44.	**पंचायती राज विभाग** कार्यालय– निदेशालय पंचायतीराज, डाण्डालखौण्ड, नियर आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून। दूरभाष न0–0135–2607855 ईमेल–director.pr.uk@gmail.com
45.	**राजस्व विभाग** कार्यालय–राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर देहरादून, दूरभाष न0–0135–2669415, ईमेल–crc.ddn99@gmail.com	46.	**परिवहन विभाग** कार्यालय– परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष न0–0135–2608203, 2608107, ईमेल–transportdeptuk@gmail.com
47.	**आधार केन्द्र** कार्यालय–भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली ग्राउंड फ्लोर, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली ईमेल– itda.uid@gmail.com, amuk2.rodelhi@uidai.net.in	48.	**निर्वाचन आयोग** कार्यालय–राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन लाडपुर, मसूरी बाईबास रिंग रोड देहरादून दूरभाष न0–0135 2713760, ईमेल– sec-uttarakhand@uk.gov.in मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001, ईमेल - election09@gmail.com
49.	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,** कार्यालय– सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए), सूचना प्रौद्योगिकी भवन, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।, दूरभाष न0–0135 33051503 ईमेल–email-diritda-uk@nic.in	50.	**कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)** कार्यालय– आईटीडीए, आई0टी0पार्क, प्लॉट न0 7 आई0टी0 भवन, कमरा न0 06 सहत्रधारा रोड, आई0टी0 पार्क, देहरादून। ईमेल– sandeep.kumar@csc.gov.in
51.	**नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण** कार्यालय– उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, सहस्त्रधारा हेलीड्रोम, मसूरी बाई पास, पी.ओ. कुल्हान, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2114459, 2608981 ईमेल–info@ucada.in	52.	**आपदा विभाग** कार्यालय–यू0एस0डी0एम0ए0, सचिवालय परिसर, 4–बी0 सुभाष रोड, देहरादून। दूरभाष न0–0135–2712027 ईमेल–usdmauttarakhand@gmail.com
53.	**उत्तराखण्ड सूचना आयोग,** आर0टी0आई0 भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	54.	**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,** गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार, **https://psc.uk.gov.in/**
55.	**उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,** थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर देहरादून। **वेबसाइट– https://sssc.uk.gov.in/**		

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाईन
155368	आयुष्मान हेल्पलाईन
1364	पर्यटन हेल्पलाईन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाईन
181	महिला हेल्पलाईन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाईन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग

PROGRAM

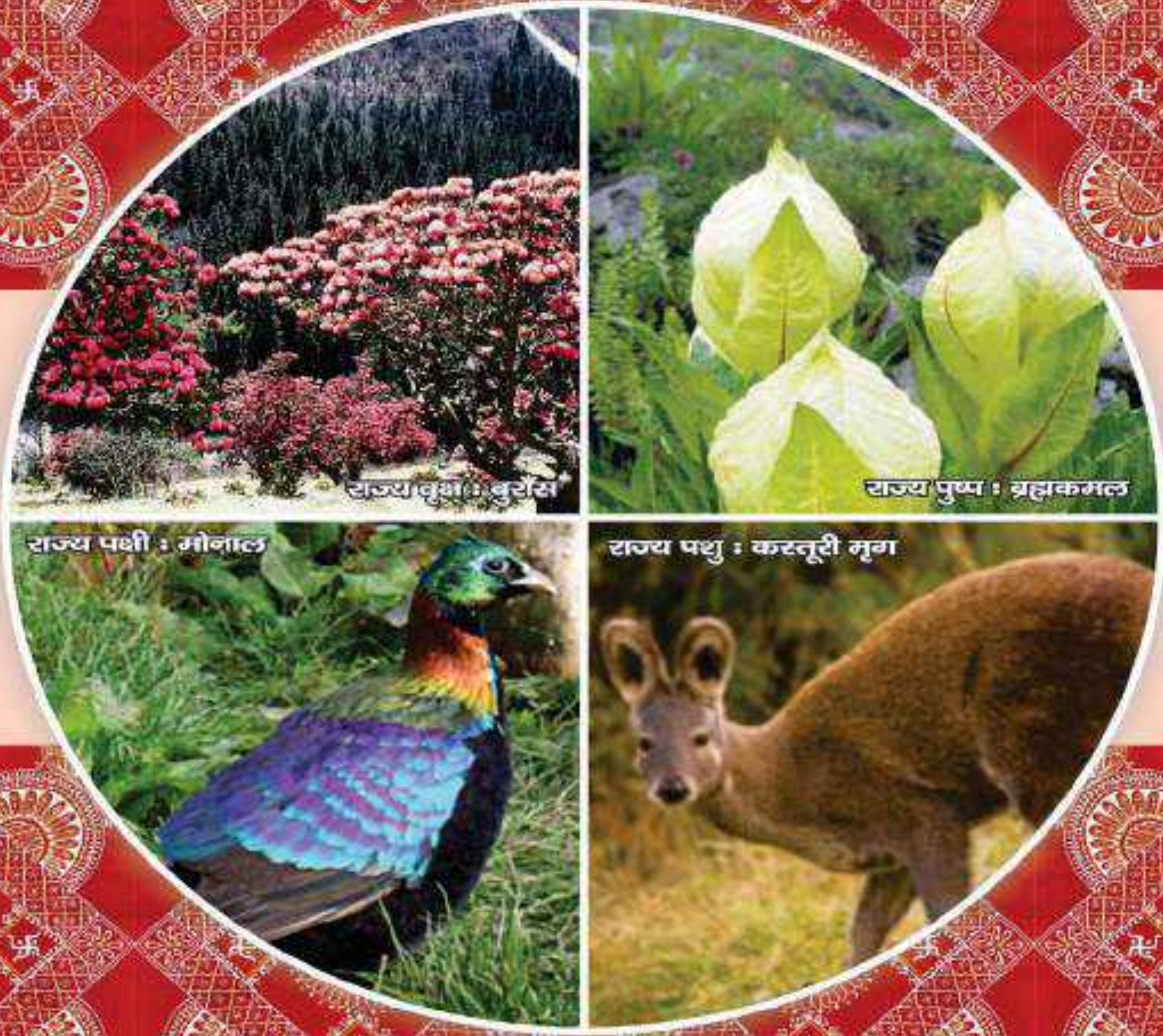
राज्य वृक्ष : बुरांस
राज्य पुष्प : ब्रह्मकमल
राज्य पक्षी : मोनाल
राज्य पशु : कस्तूरी मृग